



## धर्मपाल समग्र लेखन

१

भारतीय चित्त, मानस एव काल

धर्मपाल



पुनरुत्थान ट्रस्ट  
अहमदाबाद गुजरात भारत

## धर्मपाल समग्र लेखन १

भारतीय चित्र मानस एवं फाल  
(विविध लेख एवं भाषणों वा राक्षतन)

लेखक  
धर्मपाल

राम्पादक  
इन्दुपति काठदरे

रायाधिकार  
पुनरस्थान ट्रस्ट अहंगदाशाद

प्रकाशक  
पुनरस्थान ट्रस्ट  
४ यशोधरा सोरायटी आनन्दपार्क काकरिया अहंगदाशाद ३८००२८  
दूरभाष ०७९ २५३२२६५५

मुद्रक  
राधना मुद्रणालय ट्रस्ट  
सिटी मिल कम्पाउण्ड कांकरिया मार्ग अहंगदाशाद - ३८००२२  
दूरभाष ०८९ - २५४६७७९०

मूल्य रु १७५ ००

प्रति  
२ ०००

प्रकाशन लियि  
ैत्र शुक्ल १ वर्षप्रतिपदा युग्मद ५९०९  
~~२०८८-८९~~

## अनुक्रमणिका

मनोगत

सम्पादकीय

विभाग १ भारतीय धित्र मानस एव काल	१
१ यह थीसरी-इकीसरी सदी है किसकी	५
२ अपना अध्ययन भी विदेशी निगाह से	१२
३ महत्व सही जवाब का नहीं सही सवाल का है	१९
४ अपने विच को समझे बिना हमारा काम नहीं घलेगा	२५
५ हम किसी और के ससार में रहने लगे हैं	३१
६ सभ्यताओं का नवीनीकरण तो करना ही होता है	३७
<b>विभाग २ भारत का स्वधर्म</b>	<b>४३</b>
१ स्वाधीनता से वयित होने की चिन्ता	४५
२ यूरोप से टप्पाताव के पूर्व	७१
३ भविष्य और सुपथ की गवेषणा	९९
<b>विभाग ३ स्वदेशी और भारतीयता</b>	<b>१२९</b>
१ स्वदेशी और भारतीयता	१३१
२ जारी है गांधी पर नेहरू के हमले	१४२
३ हिंदुस्तानी तासीर दफनाने के लिए अग्रेजों ने बनवाई कायेस	१४६
४ अपना नियत्रण खत्म हुआ तो न स्वायतता रहेगी न स्वावलम्बन	१४९
५ आम आदमी की ताकत पहचानने से ही बनेगा स्वदेशी मॉडल	१५३
६ पश्चिमीकरण को मानने वाले आज भी दो फीसदी	१५७
७ भारतीय मॉडल सपति जोड़ने वा नहीं बटवारे का है	१६१
८ विकास का सवाल	१६५
९ भारतीय समाज बनाम पश्चिमी समाज व्यवस्था - १	१८१
१० भारतीय समाज बनाम पश्चिमी समाज व्यवस्था - २ ..	१८६
११ भारत का पुनर्निर्माण	१९०
१२ हमारे सपनों का भारत	१९६
१३ अग्रेजी शासन और तन्त्रव्यवस्था	२०६
१४ कहा है पश्चिमीकरण की जड़े	२११

## धर्मपाल समग्र लेखन

ग्रन्थ रूची

- १ भारतीय धित मानस एवं कास
- २ १८ वीं शताब्दीमें भारतमें विज्ञान एवं तकनीक फलिपय रामकालीन यूरोपीय वृत्तान्त  
Indian Science and Technology in the Eighteenth Century  
Some Contemporary European Accounts
- ३ भारतीय परम्परामें असाह्योग  
Civil Disobedience in Indian Tradition
- ४ रमणीय वृक्ष १८ वीं शताब्दी में भारतीय शिक्षा  
The Beautiful Tree Indigenous Indian Education in the Eighteenth Century
- ५ पंचायत राज एवं भारतीय राजनीति तत्र  
Panchayat Raj and Indian Polity
- ६ भारत में गोहत्या का अंग्रेजी मूल  
The British Origin of Cow slaughter in India
- ७ भारतकी सूट एवं घदनामी १९ वीं शताब्दी की अंग्रेजों की जिहाद  
Despoliation and Defaming of India  
The Early Nineteenth Century of British crusade
- ८ गांधी को रामङ्गल  
Understanding Gandhi
- ९ भारत की परम्परा  
Essays in Tradition Recovery and Freedom
- १० भारत का पुनर्जीवन  
Rediscovering India

## मनोगत

गांधीजी के अगस्त १९४२ के अंग्रेजों 'भारत छोड़ो' आन्दोलन के कुछ समय पूर्व से ही मैं देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन से पूर्णरूप से प्रभावित हो चुका था। उस समय मैंने जीवन के बीस वर्ष पूरे किए थे। अगस्त १९४२ में हम दो चार मिन्ने जिनमें मिन्ने श्री जगदीश प्रसाद मिशन प्रमुख थे उत्तरप्रदेश से भारत छोड़ो आन्दोलन के लिए ही कांग्रेस के अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लेने मुम्किन गए। मैंने उससे पूर्व १९३० का लाहौर का कांग्रेस सम्मेलन देखा था परन्तु मुम्बई के सम्मेलन का स्वरूप और अपेक्षाएँ हमारे लिए एकदम नहीं थीं। सम्मेलन में हमें दर्शक के रूप में भाग लेने की अनुमति मिल गई। हमने वहाँ की सम्पूर्ण कार्यवाही देखी सभी भाषण सुने। ८ अगस्त की सायकाल का गांधीजी का सवा दो घण्टे का भाषण सो मुझे आज भी कुछ कुछ याद है। उन्होंने प्रथम ढेढ़ घण्टा हिन्दी में भाषण दिया पिन्ने पौन घण्टा अंग्रेजी में। सम्मेलन में ५० हजार से अधिक भीड़ थी। सभी उपस्थित लोगों से सभी भारतवासियों से तथा विष्व के सभी देशों से गांधीजी का मुख्य निवेदन तो यही था कि वे सभी भारत और अंग्रेजों के बातालाप में सहायक हों। हमारे जैसे अधिकाश लोगों ने उस समय विचार किया होगा कि आन्दोलन का प्रारम्भ तो कुछ समय बाद ही होगा।

परन्तु दूसरे ही दिन सवेरे ५-६ बजे से ही पूरे मुम्बई में हलचल शुरू हो गई। मुम्बई से बाहर जानेवाली रेलागाड़िया दोपहर के बाद तक बन्द रही। अंग्रेज और भारतीय पुलिस व्यापक रूप से लोगों की गिरफ्तारी करती रही। अन्तत ९ अगस्त को शाम तक हमें दिल्ली जाने के लिए गाड़ी मिल गई। परन्तु रास्ते भर हलचल थी और गिरफ्तारिया हो रही थीं। हममें से अधिकाश लोग अपनी अपनी जगह पहुँचकर अंग्रेजों 'भारत छोड़ो' आन्दोलन शुरू करनेवाले थे।

दिल्ली पहुँचकर मैं अन्य साधियों के साथ आसपास के क्षेत्रों में थल रहे आन्दोलन में जु़ु़ह गया। कितने महीने तक इसी में ही सलम्ब रहा। उस बीच अनेक गाँवों और कसबों में भी गया। वहाँ लोगों के घरों में रहा। वहाँ से ही भारत के सामान्य जीवन

ये रात्र मेरा परियथ प्रारम्भ हुआ। बिराम्बर १९४२ म अनेक घनिष्ठ मित्रों मे राताह दी थी मुझे आन्दोलन ये काम के लिए गुम्बद्द जाना घाटिए। इसलिए परपरी १९४३ मे मै मुम्बद्द गया और वहाँ रहा। आन्दोलन या साहित्य लेफ्ट वाराणसी और पटना भी गया। गुम्बद्द मे गांधीजी के निकटरथ स्वामी आनन्द ने मेरे रहने खाने की व्यवस्था की थी। ये अलग अलग नोंगों से मेरा परियथ भी करता थे। यस्तुत मेरा मुम्बद्द ये साथ परियथ तो उन्होंने करण ही हुआ। मुम्बद्द मे ही मैं श्रीमती गुहेता कृपलानी से भी एक दो बार मिला। उरी प्रवार मिरिधारी कृपलानी से मिलना हुआ। उरा रामय ने खादी यन्होंनी वुर्ता पहनता था और स्वामी आनन्द आदि के आश्रम के याद भी मैंने कभी पतलून आदि नहीं पहना।

मार्च १९४२ मे मैं गुरुद्द से दिली और उत्तरप्रदेश गया। अप्रैल १९४३ मे दिली ये घोदनीदीव पुलिस थाने मे मेरी गिरफ्तारी हुई और लगामग दो महीने अलगअलग थानों मे रहा। वहाँ मेरी गहन पूछताछ हुई थमकाया भी गया। यद्यपि भारपीट नहीं हुई। जून १९४३ मे मुझे राजकार के आदेशानुरार दिली से निवासित किया गया। एकाप्य वर्ष याद यह निवासित रामाप हुआ।

लघ्ये अररो से मेरा मन गाँव मे जाकर रहने और काम करने का था। मेरे एक पारिवारिक मित्र गोरखपुर जिले के एक हजार एकड़ जितने विशाल फार्म के मैनेजर थे। उन्होंने मुझे फार्म पर आकर रहने के लिए नियम दिया। यह फार्म सुन्दर तो था परन्तु यह सो वहाँ रहनेवालों से करावाकर परिश्रम करने की जगह थी। गाँव जैरा सामूहिकता का यातायरण वहाँ नहीं होता था। वहाँ गाँव के लोगों से मिलने बात करने का अवसर भी नहीं मिलता था। परन्तु एस यात मैंने देखी थि वहाँ लोग गरीब होने के बाद भी प्रसन्नित दिखाई देते थे।

एस वर्ष याद जून अभ्या जुलाई १९४४ मे यह फार्म छोड़ कर मैं वापस आ गया। सत्कर्म ही मेरठ के मित्रों ने मुझे श्रीमती मीरावहन के पास जाने की सलाह दी। मीरा यहन लड़की के निकट एक आश्रम स्थापित करने का विषय कर रही थी। बात सुनकर मैंने पहले सो मना करने का प्रयास किया परन्तु मित्रों के आश्रम के कारण अवटूर १९४४ मे मैं मीरावहन के पारा गया। लड़की से हरिद्वार की दिशा मैं रात आठ मील दूर गाँव वालों ने मीरा यहन को आश्रम निर्माण के लिए जमीन दी थी। आश्रम हरिद्वार से बाहर भील दूर था। आश्रम का नाम दिया गया किसान आश्रम। यहीं से मेरा ग्रामजीवन और उसके रहनसहन के साथ परियथ शुरू हुआ। उनकी कुशलताएँ और अपने व्यवहार रहन राहन तथा सपाय यूढ़ निकालने की योग्यता मुझे यहीं जानने

को मिली। मैं तीन घर्ष किसान आश्रम में रहा। उसके बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के पुनर्वसन का कार्य-चलता था उसमें सहयोग देने के लिए मैं दिल्ली गया। उस दौरान मेरा अनेक लोगों के साथ परिचय हुआ। उसमें मुख्य थीं कमलादेवी चट्टोपाध्याय और डॉ राममनोहर लोहिया। १९४७ से १९४९ के दौरान श्री रामस्वरूप श्री सीताराम गोयल श्री रामकृष्ण चौदीवाले (उनके घर में मैं महीनों रहा) श्री नरेन्द्र दत्त श्रीमती स्वर्णा दत्त श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन श्री रूपनारायण श्री एस के सक्सेना श्री ब्रजमोहन तूफान श्री अमरेश सेन श्री गोपालकृष्ण आदि के साथ भी मित्रता हुई।

दिल्ली में भारतीय सेना के कुछ अधिकारियों ने कहा कि फिलिस्तीन के यहूदी इजरायल नामक छोटा देश बना रहे हैं। वहाँ सामूहिकता के आधार पर जीवन रचना के महत्वपूर्ण प्रयास हो रहे हैं। उन लोगों ने इतने आकर्षक ढांग से उसका वर्णन किया कि मैंने इजरायल जाकर यह देखकर आने का निर्णय किया। नवम्बर १९४९ में इजरायल जाने के लिए मैं इस्लैण्ड गया। वहाँ आठदस महीने रह कर नवम्बर-दिसम्बर में मैं पल्नी फिलिस के साथ इजरायल तथा अन्य अनेक देशों में गया। इजरायल के लोगों ने जो कर दिखाया था वह तो बहुत प्रशंसनीय और श्रेष्ठ कार्य था परन्तु भारतीय ग्रामरचना और भारतीय व्यवस्थाओं में उस का बहुत उपयोग नहीं है ऐसा भी लगा।

जनवरी १९५० में मैं और फिलिस हृषीकेश के निकट निर्माणाधीन भीराबहन के पशुलोक' में पहुँच गये। वहाँ भीराबहनने मेरे अन्य मित्रों और सविशेष मार्क्सवादी भिन्न जयप्रकाश शर्मा के साथ मिलकर एक नए छोटे गाँव की रचना की शुरुआत की थी। उसका नाम रखा गया 'शापूण्याम'। गाँव ५० घरों का था। उसमें सभी पहाड़ी और मैदानी जाति के लोग साथ रहेंगे ऐसा प्रयास किया था। यह भी व्यान रखा गया कि लोग अत्यन्त गरीब हों। परतु उस के कारण गाँव की रचना का काम अधिक कठिन हो गया। गाँव के लोगों के कट बढ़े। गाँव में ५०० एकड़ जमीन थी जिन्हें अनेक जगली जानवर भी वहाँ घूमते थे। हाथी भी वहाँ आता-जाता रहता। इस लिए प्रारम्भ में खेती भी गहुस दुष्कर थी। खेती में कुछ बदता ही नहीं था। आज भी यह गाँव जैसे तैसे टिका हुआ है। १९५७ से गाँव के साथ मेरा सम्बन्ध ठीक-ठीक बढ़ा। मैं विभिन्न पचायतों का अध्ययन करता था। इसलिए गाँव के लोगों की समझदारी और अपने प्रश्नों की ओर देखने और उसे हल करने का उनका दृष्टिकोण भलीभांति व्यान में आने लगा। इस बात का भी एहसास होने लगा कि अपने अधिकाश शहरी और समृद्ध लोग गाँव को जानते ही नहीं। राजस्थान आधिकारी तमिलनाडु उड़ीसा आदि राज्यों में तो यह एहसास सविशेष हुआ। इस एहसास के कारण ही मैं १९६४-६५ में सन् १९०० के आसपास के अंग्रेजों

द्वारा गीतर द्वारा दर्शाये जाएं तो आवाहा नि और मुद्दा।

लगभग १७५० से १८५० तक अंग्रेजों ने सरकारी आवाहा और सरकारी स्तर पर इंस्टिट्यूट में रहने वाले अपने अधिकारियों द्वारा परिहितों को निरोध घोषणी की संतुला राष्ट्रद वर्तमानों द्वारा दर्शाये जाएं होंगी। उसमें ८० से ८५ प्रतिशत वी प्रतिविप्रिया भारत के वोतमाना गांधी गुप्त विधि लकड़ाउ आदि वे अधिकारियों में भी हैं। लकड़ा वी प्रतिविप्रिया आंग्रेजों में और भ्रात्य अंग्रेजों अधिकारियों में पात्र से साता प्रतिविप्रिया एवं भी दर्शायें होंगे तो भारत में जली होंगे। उसमें से बहुत से ऐनों अधिकारियों अंग्रेजों ने भारत में एका विद्या यह सामाजिक में आता है। उस समाज के इन्स्टिट्यूट के रामाज और शारन ता वी यह त्वं जातारी होती हो अंग्रेजों में भारत में जो विद्या उसे रामकथन में राहाया मिल सकती है।

१९५७ से ही 'जन वी एन्ड एवार्ड' (Assessment of Voluntary Agencies for Rural Development [AVARD]) वा गवी दक्षा राष्ट्र से ही अन्तर प्रशार से रीयने का अवसर प्रिया और अंग्रेजों वी भनें प्रशार से राहाया भी जिती। उसमें मुख्य थ वी अल्पाराहम राहायासुमे और वी जप्पाराश नारायण। मान्युर वे वी आर वे पाटिल में भी १९५८ से १९८० तक द्वारा वाप से बहुत इवि ती और अलग अलग दंग से राहायता गरते रहे। वी आर वे पाटिल पुराने आई री एस वे योद्धा आयोग में रादस्य में पूर्व मध्यप्रदेश वे वापी से और दिनोंका जी वे निराट्यती थे। १९७१ से गांधी शारी प्रतिष्ठान के मरी वी राहाया का राहयोग भी पहुत गूल्मान था। द्वारी प्रशार गांधी प्रिया रामायन और पटना वी अनुदान नारायण रिहाई इन्स्टीट्यूट वा भी राहयोग मिला। डॉ झी एस योठारी भी शुरू से ही उसमें रुचि सेते थे।

१९८१ में इंगियन रायन्स एण्ड एप्लनोर्टोंजी इन द एटीए सोस्युरी Indian Science and Technology In the Eighteenth Century और रिपिल डिराओभिड्यून्स इन इंगियन ट्रेडिशन Civil Disobedience In Indian Tradition ऐरी दो पुस्तके प्रयाशित हुई। उनका प्रियोपन प्रिक्षितात्मक अनुदान आयोग वे अध्यक्ष द्वारा द्विस्तरिंग योठारी ने विद्या। पहले ही दिन वे उस पुस्तक का परिचय करनेवाले प्रजा रामाजयादी पक्ष के मेरा और राहित्यकार श्री गगाराज रिन्टा विदेशानद फैन्ड फन्यासुमारी वे श्री एचनाथ रानढे और अमेरिया वी वर्कले यूनिवरिटी वे प्रोफेरर यूजिन इंशिक थे। इंशिक वे मतानुराग 'रिपिल डिराओभिड्यून्स इन इंगियन ट्रेडिशन मेरी रायरो उपम पुस्तका थी। वी रायरयलप और श्री ए वी घट्टरी जो आई री एस वे और विनिरस्त्री ऑफ स्टेट्रा वे रायिव थे उन्हें मतानुराग 'इंगियन रायन्स एण्ड

ठेक्नोलॉजी इन द एटीन्थ सेन्चुरी अत्यन्त महत्वपूर्ण पुस्तक थी। १९७१ से १९८५ के दौरान इन दोनों पुस्तकों का अनेक प्रकार से उल्लेख होता रहा। देशभर में इसका उल्लेख करनेवालों में मुख्य थे श्री जयप्रकाश नारायण श्री रामस्वरूप और रामीय स्थय सेवक सघ के श्री एक्नाथ रानडे प्रोफेसर राजेन्द्रसिंह और वर्तमान सरसंघचालक श्री सुदर्शन जी।

अभी तक ये पुस्तकें मुख्य रूप से अंग्रेजी में ही हैं। उसका एक विशेष कारण यह है कि उसमें समाविष्ट दस्तावेज सन् १८०० के आसपास अंग्रेजों और अंग्रेजी यूरोपीय लोगों ने अंग्रेजी में ही लिखे हैं। ग्राम में ही यह सब हिन्दी अथवा अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित नहीं होता तब तक यह सब भारतीय भाषाओं में प्रकाशित नहीं होता तब तक सर्वसामान्य लोग दो सौ वर्ष पूर्व के भारत के विषय में न जान सकेंगे न समझ सकेंगे और न ही चर्चा कर सकेंगे।

इसलिए इन पुस्तकों का अब हिन्दी भाषा में अनुवाद प्रकाशित हो रहा है यह बहुत प्रशंसनीय कार्य है।<sup>1</sup>

मैं १९६६ तक अधिकाशत इलैप्ड और सविशेष लन्दन में रहा। उस समय भारत से सम्बन्धित वहाँ स्थित दस्तावेजों में से पाच अथवा दस प्रतिशत सामग्री का मैंने अवलोकन किया होगा। उनमें से कुछ मैंने ध्यान से देखे कुछ की हाथ से नकल उतार ली अनेकों की छायाप्रति बना ली। उस दौरान बीच बीच में भारत आकर कोलकता लखनऊ मुम्बई दिल्ली और घेन्डई के अभिलेखागारों में भी कुछ नए दस्तावेज देखे।

उन दस्तावेजों के आधार पर अभी गुजरात से प्रकाशित हो रही अधिकाश पुस्तकें तैयार की गई हैं। ये पुस्तकें जिस प्रकार सन् १८०० के समय के भारत से सम्बन्धित हैं उसी प्रकार १८८० से १९०३ के दौरान गोहत्या के विरोध में हुए आन्दोलन के और १८८० के बाद के दस्तावेजों के आधार पर लिखी गई हैं। उनमें एकाध पुस्तक इलैप्ड और अमेरिका के समाज से भी सम्बन्धित है। इसकी सामग्री इलैप्ड में मिली है और यह पढ़ी गई पुस्तकों के आधार पर तैयार की गई है।

१९६० से शुरू हुए इस प्रयास का मुख्य उद्देश्य दो सौ वर्ष पूर्व के भारतीय समाज को समझना ही था। लेकिन मात्र जानना समझना पर्याप्त नहीं है। उसका इतना महत्व भी नहीं है। महत्व तो यह जानने समझने का है कि अंग्रेजों से पूर्व का स्वतंत्र भारत जहाँ उसकी स्थानिक इकाइया अपनी अपनी दृष्टि और आवश्यकतानुसार अपना समाज बलाती थी वह कैसा रहा होगा। अधानक १९६४-६५ में घेन्डई के एगमोर

अभिलेखागार मे ऐसी सामग्री मुझे मिली और ऐसी ही सामग्री इस्टेण्ड मे उत्तर से भी रारलता रो मिली। यदि मैं पोर्टुगल और हॉलैण्ड की भाषा जानता तो १६ वीं १७ वीं सदी मे वहाँ भी भारत के गिरय मे वया लिखा गया है यह जान पाता। खोजने के बाद भी घालीरा वर्ष पूर्व भारतीय भाषाओं मे द्वारा प्रवाह के वर्णन नहीं मिले।

हमें तो गत दो सीन हजार वर्ष के भारत और उसके समाज को समझने की आवश्यकता है। हम जब उस तरह से समझेंगे तभी भारतीय समाज की पारम्परिक व्यवस्थाओं तब्बों कुशलताओं और आज की अपनी आवश्यकताओं और अपनी क्षमता के अनुसार पनःस्थापना की रीति भी जान लेंगे और रामजन्म लेंगे।

भारत महुत विशाल देश है। यार पाँच हजार वर्षों में पड़ोरी देश ग्रहदेश थीलका धीन जापान कोरिया मगोलिया इकोनेशिया वियतनाम कम्बोडिया मलेशिया अफगानिस्तान ईरान आदि के साथ उसका घनिष्ठ राष्ट्रव्यन्ध रहा है। भारतीयों का स्वभाव और उनकी मान्यताएँ उन देशों के साथ यहुता मिलती जुलती हैं। सन् १५०० ये बाद एशिया पर यूरोप का प्रभाव यथा उसके बाद उन सभी पड़ोरी देशों के साथ की पारस्परिकता लगभग समाप्त हो गई है। उसे पुन रस्थापित करना चाहिये है। इसी प्रकार यूरोप खासकर इटलीष्ट और अमेरिका के साथ तीन सौ घार सौ वर्षों से जो राष्ट्रव्यन्ध यद्दे हैं उनका भी समझ यूझकर पित्र से मूल्याकृत करना जरूरी है। यह हमारे लिए और उनके लिए भी श्रेयस्कर होगा। देशों को यिना जलरत से एक दूसरे के अधिक निकट लाना अथवा एक देश दूसरे देश की ओर ही देखता रहे यह भविष्य की दृष्टि से भी कष्टदायी सामित हो सकता है।

मकानसंक्रान्ति

१४ जनवरी २००५

पौष शुद्ध ५ युगाष्ट्र ५९०६

धर्मपाल

आश्रम प्रसिद्धि

सेवाप्राप्ति

जिला वर्षा (महाराष्ट्र)

इस प्राचीनतमा तुष्टियों जगत् के सिये दिली थी है। विनो अनुवाद के सिये दी वर्णनकी दी है बृहदि के अनुवाद को बताए रखा है। इस प्राचीनतमा दिली दी है तुष्टियों के सिये कामा अनुवाद सिया दिली है। त

## सम्पादकीय

१

सन् १९९२ के जनवरी मास में चैम्प्रई में विद्याभारती का प्रधानाचार्य सम्मेलन था। उस सम्मेलन में श्री घर्मपालजी पठारे थे। उस समय पहली बार The Beautiful Tree के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त हुई। दो वर्ष बाद कोईस्वतूर में यह पुस्तक खरीद की और पढ़ी। पढ़कर आकर्ष्य और आघात दोनों का अनुभव हुआ। आकर्ष्य इस बात का कि हम इतने बच्चों से शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत हैं तो भी इस पुस्तक में निरूपित तर्थों की लेशमात्र जानकारी हमें नहीं है। आघात इस बात का कि शिक्षा विषयक स्थिति ऐसी दारण है तो भी हम उस विषय में कुछ कर नहीं रहे हैं। जो चल रहा है उसे सह लेते हैं और उसे स्वीकृत बात ही मान लेते हैं।

तभी से उस पुस्तक का प्रथम हिन्दी में और बाद में गुजराती में अनुवाद करके अनेकानेक कार्यकर्ताओं और शिक्षकों तक उसे पहुँचाने का विचार मन में ढैठ गया। परन्तु वर्ष के बाद वर्ष बीतते गये। प्रवास की निरन्तरता और अन्यान्य कार्यों में व्यस्तता के कारण मन में स्थित विद्यार को मूर्त स्वरूप दे पाने का अवसर नहीं आया। इस बीच विद्या भारती विदर्भ ने इसका सक्षित भराठी अनुवाद प्रकाशित किया। भारतीय विच मानस एवं काल' भारत का स्वधर्म जैसी पुस्तिकार्ये भी पढ़ने में आयी। अनेक कार्यकर्ता भी इसका अनुवाद होना चाहिये ऐसी बात करते रहे। इस धीर धूजनीय हितरुचि विजय महाराजजी ने गोवा के द अदर इंडिया बुक प्रेस' द्वारा प्रकाशित पाच पुस्तकों का सब दिया और पढ़ने के लिये आग्रह भी किया। इन सभी बार्तों के निमित्त से अनुवाद भले ही नहीं हुआ परन्तु अनुवाद का विचार मन में जाग्रत ही रहा। उसका निरन्तर पोषण भी होता रहा। चार वर्ष पूर्व मुझे विद्याभारती की राष्ट्रीय विद्रूत परिषद के सयोजक का दायित्व मिला। तब मन में इस अनुवाद के विषय में निष्पत्ति सा हुआ। उस विषय में कुछ ठोस बातें होने लगी। अन्त में पुनरस्थान द्रस्ट इस अनुवाद का प्रकाशन करेगा ऐसा निष्पत्ति युगाम्ब ५१०६ की व्यास पूर्णिमा को हुआ। सर्व प्रथम तो यह अनुवाद

हिन्दी में ही होना था। उसके बाद हिन्दी एवं गुजराती दोनों भाषओं में करने का विचार हुआ। परन्तु इस यार्य के व्याप को देखते हुए लगा कि दोनों कार्य एक साथ नहीं हो पायेंगे। एक के बाद एवं करने पड़ेंगे।

साथ ही ऐसा भी लगा कि यह वैद्यल प्रकाशन के लिये प्रकाशन अनुयाद के लिये अनुवाद तो है नहीं। इसका उपयोग विद्वान् फर्ज और हमारे छात्रों तक इन यार्यों को पहुंचाने की कोई ठोरा एवं व्यापक योजना यने इस हेतु से इस रामग्री का भारतीय भाषाओं में होना आवश्यक है। ऐसे ही कार्यों को यदि घालना देनी है तो प्रथम इसका क्षेत्र सीमित करके ध्यान केन्द्रित करना पड़ेगा। इस दृष्टिसे प्रथम इसका गुजराती अनुयाद प्रकाशित करना ही अधिक उपयोगी लगा।

निर्णय हुआ और तैयारी प्रारम्भ हुई। सर्व प्रथम श्री धर्मपालजी भी अनुमति आयश्यक थी। हम उन्हें जानते थे परन्तु ये हमें भी जानते थे। परन्तु हमारे कार्य हमारी योजना और हमारी तैयारी जब उन्होंने देखी तथ उन्होंने अनुमति प्रदान की। साथ ही उन्होंने अपनी और पुस्तकों के विषय में भी बताया। इन सभी पुस्तकों के अनुवाद का सुझाव भी दिया।

हम फिर बैठे। फिर विचार हुआ। अन्त में निर्णय हुआ कि जब कर ही रहे हैं तो काम पूरा ही किया जाय।

इस प्रकार एक से पाय और पाय से म्यारह पुस्तकों के अनुवाद की योजना आखिर यन गई।

योजना सा यन गई परन्तु आगे का काम बहा विस्तृत था। भिन्न भिन्न प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित मूल अग्रेजी पुस्तकों प्राप्त करना उनमें से ध्यान करना अनुवादक निवित करना आदि समय लेनेवाला काम था। अनुवादक मिलते गये कई पक्ष अनुवादक रिहासकर्ते गये अनेपक्षित रूप से नये मिलते गये और अन्त में पुस्तक और अनुवादकों की जोड़ी बनकर कार्य प्रारम्भ हुआ और सन २००५ और युगाम्ब ५१०६ की वर्ष प्रतिपदा को कार्य सम्पन्न भी हो गया। १६ अप्रैल २००५ को राष्ट्रीय स्वयंसेवक सघ के परम पूजनीय सरसंघचालक माननीय सुदर्शनजी एवं स्वयं श्री धर्मपालजी की उपस्थिति में तथा अनेपक्षित रूप से यही संघर्षा में उपस्थित श्रोतासमूह के मध्य इन गुजराती पुस्तकों का लोकार्पण हुआ।

प्रकाशन के बाद भी हसे अध्या प्रतिसाद मिला। विद्यालयों महाविद्यालयों विद्यविद्यालयों ग्रन्थालयों में एवं विद्वानों सक इन पुस्तकों को पहुंचाने में हमें पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई। साथ ही साथ महाविद्यालयों एवं विद्यालयों के अध्यापकों एवं

प्रधानाधार्यों के बीच इन पुस्तकों को लेकर गोष्ठियों का आयोजन भी हुआ।

इसके बाद सभी ओर से हिन्दी अनुवाद प्रकाशित करने का आग्रह बढ़ने लगा। स्वयं श्री धर्मपालजी भी इस कार्य के लिये प्रेरित करते रहे। अनेक वरिष्ठजन भी पूछताछ करते रहे। अन्त में इन ग्राथों के हिन्दी अनुवाद का प्रकाशन रथ द्वारा हुआ। गुजराती अनुवाद कार्य का अनुभव था इसलिये अनुवादक तूँड़ने में इतनी कठिनाई नहीं हुई। सौमाप्य से अच्छे लोग सरलता से मिलते गये और कार्य सम्पन्न होता गया। आज यह आपके सामने है।

इस संघ में कुल दस पुस्तकें हैं। (१) भारतीय धित मानस एवं काल (२) १८ वीं शताब्दी में भारत में विज्ञान एवं तत्रज्ञान (३) भरतीय परम्परा में असहयोग (४) रमणीय वृक्ष १८ वीं शताब्दी में भारतीय शिक्षा (५) पचायत राज एवं भारतीय राजनीति तत्र (६) भारत में गोहत्या का अग्रेजी मूल (७) भारत की लूट एवं बदनामी (८) गाढ़ी को समझें (९) भारत की परम्परा एवं (१०) भारत का पुनर्बोध। सर्व प्रथम पुस्तक १८ वीं शताब्दी में भारत में विज्ञान एवं तत्रज्ञान १९७१ में प्रकाशित हुई थी और अन्तिम पुस्तक भारत का पुनर्बोध सन् २००३ में। इनके विषय में तैयारी तो सन् १९६० से ही प्रारम्भ हो गई थी। इस प्रकार यह ग्रन्थसमूह छातीस से भी अधिक वर्षों के निरन्तर अध्ययन एवं अनुसन्धान का परिणाम है।

## २

विष्व में प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक विशिष्ट पहचान होती है। यह पहचान उसकी जीवनशैली परम्परा मान्यताओं दैनन्दिन व्यवहार आदि के द्वारा निर्मित होती है। उसे ही स्स्कृति कहते हैं।

सामान्य रूप से विष्व में दो प्रकार की विचारशैली व्यवहारशैली दिखती है। एक शैली दूसरों को अपने जैसा बनाने की आकाशा रखती है। अपने जैसा ही बनाने के लिए यह जबर्दस्ती शोषण कर्त्त्वे आदि करने में भी हितकिञ्चाती नहीं यहां तक की ऐसा करने में दूसरा समाप्त हो जाय तो भी उसे परवाह नहीं। दूसरी शैली ऐसी है जो सभी के स्वत्व का समादर करती है। उनके स्वत्व को बनाए रखने में सहायता करती है। ऐसा करने में दोनों एक दूसरे स प्रभावित होती हैं और सहज परिवर्तन होता रहता है फिर भी स्वत्व बना रहता है।

यह तो स्पष्ट है कि इन दोनों में से पहली यूरोपीय अर्थवा अमेरिकी शैली है तो दूसरी भारतीय। इन दोनों के लिए क्रमशः 'पाक्षात्य' और 'प्राच्य' ऐसी अधिक व्यापक

राजा का प्रयोग हम करते हैं।

यह सो सर्वयिदित है कि भारतीय रास्कृति विष में अति प्राचीन है। येन्वल प्राचीन ही नहीं तो समृद्ध सुव्यवस्थित गुरास्कृत और विकसित भी है।

परन्तु आज से ५०० वर्ष पूर्व यूरोप ने विस्तार करना शुरू किया। समग्र विष में फैल जाने वी चसको आकाशा थी। विष के अन्य देशों के साथ भारत भी उसका सक्ष्य था। इंग्लैण्ड में ईस्ट इंडिया कम्पनी यनी। वह भारत में आई। समुद्रतटीय प्रदेशों में उसने अपने व्यापारिक बेन्द्र बनाए। उन बेन्द्रों वो किसे का नाम और रूप दिया उनमें सैन्य भी रखा थीरे थीरे व्यापार के साथ राथ प्रदेश जीतन और अपने कब्जे में लेने का काम शुरू किया। साथ ही साथ ईसाईकरण भी शुरू किया। सन् १८२० ताफ लगभग सम्पूर्ण भारत अंग्रेजों के घर्षण में थला गया।

भारत फो अपने जैरा बनाने वे लिए अंग्रेजों ने यहाँ की रामी व्यवस्थाओं प्रशासकीय और शासकीय सामाजिक और सास्कृतिक आर्थिक और व्यावसायिक शैक्षणिक और नागरिक को तोड़ना शुरू किया। उन्होंने नए कायदे कानून बनाए नई व्यवस्थाएँ बनाई रखनाओं का निर्माण किया। नई सामग्री और नई पद्धति की रखना की और जरूरदस्ती से उसका अमल भी किया। यह भी सच है कि उन्होंने भारत में आकर जो कुछ किया उसमें से अधिकतर तो इंग्लैण्डमें अस्तित्व में था। इसके यारंभ भारत दरिद्र होता गया। भारत में दर्द संघर्ष पैदा हुए। लोगों का आत्मराम्मान और गौरव नष्ट हो गया। मौलिकता और रुजनशीलता कुप्रिय हो गई। मूल्यों का हास हुआ। मानवीयता का स्थान यात्रिकरण ने लिया और सर्वत्र दीनता व्याप हो गई। लोग स्पामी के स्थान पर दास बन गए। एक ऐसे विराट राक्षसी अमानुपी व्यवस्था के पुर्व बन गये जिसे वे विलुप्त मानते नहीं। समझते नहीं और स्वीकार भी करते नहीं थे। यद्योंकि यह उनके स्वभाव के अनुकूल नहीं था।

भारत की शिक्षाव्यवस्था की उपेक्षा करते करते उसे नष्ट कर उसके स्थान पर यूरोपीय शिक्षा लागू करने प्रतिष्ठित करने का कार्य भारत को लोडने की प्रक्रिया में सिरमौर था। यद्योंकि यूरोपीय शिक्षाप्राप्त लोगों द्वे विचार मानस व्यवहार दृष्टिकोण सभी कुछ बदलने लगा। उसका परिणाम सर्वाधिक शोधनीय और धातुक हुआ। हमें गुलामी रास आने लगी। दैन्य अखरना बन्द हो गया। अंग्रेजों का दास बनने में ही हमें गौरव का अनुभव होने लगा। जो भी यूरोपीय है वह विकसित है। आधुनिक है। श्रेष्ठ है और जो भी अपना है वह निकृष्ट है। हीन है और लज्जास्पद है। गया यीता है। ऐसा हमें लगने लगा। अपनी शिक्षण संस्थाओं में हम यही मासिकता और यही विधार एक के

बाद एक आनेवाली पीढ़ी को देते गए। इस गुलामी की मानसिकता के आगे अपनी विवेकशील और तेजस्वी बुद्धि भी दब गई। यूरोपीय या यूरोपीय जैसा बनना ही हमारी आकाशा बन गई। देश को वैसा ही बनाने का प्रयास हम करने लगे। अपनी सरचनाएं पद्धतिया स्थापित हैं सी ही बन गई।

गांधीजी १९१५ में दक्षिण अफ्रिका से भारत आए तब भारत ऐसा था। उन्होंने जनभानस को जगाया उसमें प्राण फूँके उसकी भावनाओं को अपने दाणी और घ्यवहार में अभियक्त कर भारत के लिए योग्य हजारों वर्षों की परम्परा के अनुसार व्यवस्थाओं गतिविधियों और पद्धतियों को प्रतिष्ठित किया और भारत को फिर से भारत बनाने का प्रयास किया। स्वतंत्रता के साथ साथ स्वराज को भी लाने के लिए वे जूँझे।

परतु स्वतंत्रता मात्र सत्ता का हस्तान्तरण (Transfer of Power) ही बन कर रह गया। उसके साथ स्वराज नहीं आया। सुराज्य की तो कल्पना भी नहीं कर सकते।

आज की अपनी सारी अनवस्था का मूल यह है। हम अपनी जीवनशैली चाहते ही नहीं हैं। स्वतंत्र भारत में भी हम यूरोप अमेरिका की ओर मुँह लगाये भेठे हैं। यूरोप के अनुयायी बनना ही हमें अच्छा लगता है।

परन्तु यह क्या समग्र भारत का सच है ? नहीं भारत की अस्ती प्रतिशत जनसम्म्या यूरोपीय विचार और शैली जानती भी नहीं और मानती भी नहीं है। उसका उसके साथ कुछ लेना देना भी नहीं है। उनके रीतिरिवाज मान्यताएं पद्धतिया सब वैसी की वैसी ही है। केवल शिक्षित लोग उन्हें पिछड़े और अधिकारी कहकर आलोचना करते हैं उन्हें नीचा दिखाते हैं और अपने जैसा बनाना चाहते हैं। यही उनकी विकास और आधुनिकस्ताकी कल्पना है।

भारत वस्तुत तो उन लोगों का बना हुआ है उन का है। परन्तु जो वीस प्रतिशत लोग हैं वे भारत पर शासन करते हैं। वे ही कायदे कानून बनाते हैं और न्याय करते हैं वे ही उद्योग चलाते हैं और कर योजना करते हैं। वे ही पढ़ाते हैं और नौकरी देते हैं वे ही खानपान वेशभूषा भाषा और कला अपनाते हैं (जो यूरोपीय हैं) और उनको विज्ञापनों के माध्यम से प्रतिष्ठित करते हैं। यहाँ के अस्ती प्रतिशत लोगों को वे पराये मानते हैं मोक्ष मानते हैं उनमें सुधार लाना चाहते हैं और वे सुधरते नहीं इसलिए उनकी आलोचना करते हैं। वे लोग स्वयं तो यूरोपीय जैसे बन ही गए हैं दूसरों को भी वैसा ही बनाना चाहते हैं। वे जैसे कि भारत को यूरोप के हाथों बेधना ही चाहते हैं जिन लोगों का भारत है वे तो उनकी गिनती में ही नहीं हैं।

इस परिस्थिति को हम यदि बदलना चाहते हैं तो हमें अध्ययन करना होगा -

स्वयं या अपने इतिहास का और अपने समाज का। भारत को तोहने की प्रक्रिया को जानना और समझना पड़ेगा। भारत का भारतीयत्व क्या है किसमें है कि स प्रकार मना हुआ है यह सब जानना और समझना पड़ेगा। मूल यातों को पहचानना होगा। देश के अस्ती प्रतिशत लोगों का स्वभाव उनकी आकांधारे उनकी व्यवहारशैली को जानना और समझना पड़ेगा। उनका मूल्यांकन पक्षिमी मापदण्डों से नहीं अपितु अपने मापदण्डों से करना पड़ेगा। उसका रक्षण पोषण और रांवर्धन कैनो हो यह देखना पड़ेगा। भारत के लोगों में साहस सम्मान आत्मगौरव जाग्रत करना पड़ेगा। भारत के पुनरुत्थान में उनकी बुद्धि भायना कर्तृत्यशक्ति और कुशलताओं का संपर्योग कर उन्हें सबे अर्थ में साहमानी मनाना पड़ेगा। यह राय हमें पाण्डात्य प्रकार की युनिवर्सिटियों से नहीं अपितु सामान्य अशिदित' अर्धशिदित' लोगों से रीखना होगा।

आज भी यूरोप यनने की इच्छा करनेवाला भारत जोरों से प्रयास कर रहा है और कुठाओं का शिकार बन रहा है। भारतीय भारत उलझ रहा है छटपटा रहा है और शोषित हो रहा है। भाष्य केवल इतना है कि क्षीणप्राण होने पर भी भारतीय भारत गतप्राण नहीं हुआ है। इसलिए अभी भी आशा है - उसे सही अर्थ में स्वाधीन बनाकर समृद्ध और सुसंस्कृत बनाने की।

### ३

धर्मपालजी यी इन पुस्तकों में हन सभी प्रक्रियाओं का ग्रामबद्ध विस्तृत निरूपण किया गया है। अग्रेज भारत में आए उसके बाद उन्होंने सभी व्यवस्थाओं को तोहने के लिए किन घातपाजियों को अपनाया कैसा छल और क्षट किया कितने अत्यधार किए और किस प्रकार धीरे धीरे भारत टूटा गया किस प्रकार यदलती परिस्थितियों का अवशता से स्वीकार होता गया उसका अभिलेखों के प्रमाणों सहित विवरण इन ग्रंथों में मिलता है। इस्लैण्ड के और भारत के अभिलेखारों में बैठकर रात दिन उसकी नक्श उतार लेने का परिश्रम कर धर्मपालजी ने अग्रेज यलेपटरों गवर्नरों वाहसरायों ने लिखे पत्रों रुद्धनाओं और आदेशों को एकत्रित किया है उनका अध्ययन कर के निष्ठर्य निकाले हैं और एक अध्ययनशील और विद्वान व्यक्ति ही कर सकता है ऐसे साहस से स्पष्ट भाषा में हमारे लिये प्रस्तुत किया है। लगभग चालीस वर्ष के अध्ययन और शोध का यह प्रतिफल है।

परन्तु इसके पश्चात्पर्युप हमारे लिए एक बड़ी चुनौती निर्माण होती है वर्योंकि -  
आज्ञाकर विविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले इतिहास से यह इतिहास मिल

है। हम तो अग्रेजों द्वारा तैयार किए और कराए गए इतिहास को पढ़ते हैं। यहाँ अग्रेजों ने ही लिखे लेखों के आधार पर निरूपित इतिहास है। विज्ञान और तकनीकी ज्ञानकारी उसमें है वह आज पवार्ह ही नहीं जाती।

- कृषि अर्थव्यवस्था करपद्धति व्यवसाय कारीगरी आदि की अत्यत आर्थिकारक ज्ञानकारिया उसमें है। भारत को आर्थिक रूप में बेहाल और परावलम्बी बनानेवाला अर्थशास्त्र आज हम पढ़ते हैं। यहाँ दी गई ज्ञानकारियों में स्वाधीन भारत को स्वावलम्बन के मार्ग पर चल कर समृद्धि की ओर ले जानेवाले अर्थशास्त्र के मूल सिद्धार्थों की सामग्री हमें प्राप्त होती है।

व्यक्ति को किस प्रकार गौरवहीन बनाकर दीनहीन बना दिया जाता है इसका निरूपण है साथ ही उस सकट से कैसे निकला जा सकता है उसके सकेत भी हैं।

संस्कृति और समाजव्यवस्था के मानवीय स्वरूप पर किस प्रकार आक्रमण होता है किस प्रकार उसे यत्र के अधीन कर दिया जाता है इसका विस्तैरण यहाँ है। साथ ही उसके शिकार बनने से कैसे बचा जा सकता है उसके लिए दृढ़ता किस प्रकार प्राप्त होती है इसका विधार भी प्राप्त होता है।

यह सब अपने लिए घुनौती इस रूप में है कि आज हम अनेक प्रकार से अज्ञान से ग्रस्त हैं।

हमारा अज्ञान कैसा है ?

शिक्षण विषय के वरिष्ठ अध्यापक सहजरूप से मानते हैं कि अग्रेज आए और अपने देश में शिक्षा आई। उन्हें जब यह कहा गया कि १८ वीं शती में भारत में लाखों की सल्ल्या में प्राथमिक विद्यालय थे और घार सौ की जनसल्ल्या पर एक विद्यालय था तो वे उसे मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें जब The Beautiful Tree दिखाया गया तो उन्हें आर्थिक हुआ (परन्तु रोमाच अथवा आनन्द नहीं हुआ।)

शिक्षाधिकारी शिक्षासविषय शिक्षा महाविद्यालय के अध्यापक अधिकाशत इन बातों से अनभिज्ञ हैं। कुछ जानते भी हैं तो यह ज्ञानकारी बहुत ही सतही है।

यह अज्ञान सार्वत्रिक है केवल शिक्षा विषयक ही नहीं अपितु सभी विषयों में है।

इसका अर्थ यह हुआ कि हम स्वयं को ही नहीं जानते अपने इतिहास को नहीं जानते स्वयं को हुई हानि को नहीं जानते और अज्ञानियों ये स्वर्ग में रहते हैं। यह स्वर्ग भी अपना नहीं है। उस स्वर्ग में भी हम गुलाम हैं और पवित्रमुखापेक्षी पराधीन मनकर रह रहे हैं।

#### ४

इस संकट से मुक्त होना है तो मार्ग है अध्ययन का। धर्मपालजी यी पुस्तके अपने पास अध्ययन की सामग्री लेकर आई हैं हम सो रहे हैं तो हमें जगाने के लिए आई हैं जाग्रत हैं सो झकझोरने के लिए आई हैं दुर्घल हैं तो संघरण बनाने के लिए आई हैं क्षीणप्राण हुए हैं तो प्राणवान बनाने के लिए आई हैं।

ये पुस्तके किसके लिए हैं ?

ये पुस्तके इतिहास अर्थशास्त्र समाजशास्त्र शिक्षाशास्त्र जिसे आज की भाषा में हूमेनिटीज कहते हैं उसके विद्वानों धिन्तकर्मी शोधकारों अध्यापकों और छात्रों के लिए हैं।

ये पुस्तके भारत को सही मायने में स्वाधीन समृद्ध सुसंस्कृत मुद्रिपान और कर्तृत्ववान बनाने की आकाशा रखने वाले मौद्रिकों सामान्यजनों सस्थाओं सगठनों और कार्यकर्ताओं के लिए हैं।

ये पुस्तके शोध करने वाले विद्वानों और शोधछात्रों के लिए हैं।

प्रश्न यह है कि इन पुस्तकों को पढ़ने के बाद क्या करें ?

धर्मपालजी स्वयं कहते हैं कि परकर केवल प्रशंसा के उद्गार अथवा पुस्तकों की सामग्री एकत्रित करने के परिव्राम के लिए लेखक को शाबाशी देना पर्याप्त नहीं है। उससे अपना संकट दूर नहीं होगा।

आवश्यकता है इस दिशा में शोध को आगे बढ़ाने की भारत की १८ वीं १९ वीं शताब्दी से सम्बन्धित दस्तावेजों में से कषायित पाठ सत्त प्रतिशत का ही अध्ययन इस में हुआ है। अभी भी लन्दन के भारत की केन्द्र सरकार के तथा राज्यों के अभिलेखागारों में ऐसे असल्य दस्तावेज अध्ययन की प्रतीक्षा में हैं। उन सभी का अध्ययन और शोध करने की योजना महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों शैक्षिक संगठनों और सरकार ने करना आवश्यक है। आवश्यकता के अनुसार इस कार्य के लिए अध्ययन और शोध की स्थानीय और देशी प्रकार की सस्थाए भी बनाई जा सकती हैं।

इसके लिए ऐसे अध्ययनशील छात्रों की आवश्यकता है। इन छात्रों को भारदर्शन तथा संरक्षण प्राप्त हो यह देखना चाहिये।

साथ ही एक साहसपूर्ण कदम उठाना चाहती है। विद्विद्यालयों और महाविद्यालयों के इतिहास समाजशास्त्र अर्धशास्त्र आदि विषयों के अध्ययन मण्डल (बोर्ड ऑफ स्टडीज) और विद्वत् परिषदों (एकेडमिक कारन्सिल) में इन विषयों पर धर्षा होनी चाहिए और पाठ्यक्रमों में इसके आधार पर परिवर्तन करना चाहिए। युनिवर्सिटी ग्रन्थ निर्माण बोर्ड इसके आधार पर सन्दर्भ पुस्तकें तैयार कर सकते हैं। ऐसा होगा तभी आनेवाली पीढ़ी को यह जानकारी प्राप्त होगी। यह केवल जानकारी का विषय नहीं है यह परिवर्तन का आधार भी बनना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर इसके लिए व्यापक धर्षा जहा सम्भव है ऐसी गोष्ठियों एवं चर्चा सत्रों का ओयजन करना चाहिए।

इसके आधार पर रूपान्तरण कर के जनसामान्य तक ये बारें पहुंचानी चाहिए। कथाएँ नाटक चित्र प्रदर्शनी तैयार कर उस सामग्री का प्रचार-प्रसार किया जा सकता है। इससे जनसामान्य के मन में स्थित सुषुप्त भावनाओं और अनुभूतियों का यथार्थ प्रतिभाव प्राप्त होगा।

भाष्यमिक और प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले किशोर और बाल छात्रों के लिए उपयोगी वाद्यनामग्री इसके आधार पर तैयार की जा सकती है।

ऐसा एक प्रबल बौद्धिक जननमत तैयार करने की आवश्यकता है जो इसके आधार पर सम्भारे निर्माण करे चलाये व्यवस्था का निर्माण करे। या तो सरकार के या सार्वजनिक स्तर पर व्यवस्था बदलने की और नहीं तो सभी व्यवस्थाओं को अपने नियन्त्रण से मुक्त यर जनसामान्यके अधीन करने की अनिवार्यता निर्माण करे। सभा लोकसत्र तो यही होगा।

बन्धन और जकड़न से जन सामान्य की बुद्धि को मुक्त करनेवाली लोगों के मानस कौशल उत्साह और मौलिकता को मार्ग देने वाली उनमें आत्मविद्यास का निर्माण करनेवाली और उनके आधार पर देश को फिर से उठाया और खड़ा किया जा सके इस हेतु उसका स्वत्व और सामर्थ्य जगानेवाली व्यापक योजना बनाने की आवश्यकता है।

इन पुस्तकों के प्रकाशन का यह प्रयोजन है।

श्री धर्मपालजी गाधीयुग में जन्मे पले। गाधीयुग के आन्दोलनों में उन्होंने भाग लिया रघुनात्मक कार्यक्रमों में भाग लिया भीरामहन के साथ बापूग्राम के निर्माण में वे सहभागी बने।

महारामा गांधी के देशव्यापी ही नहीं तो विभव्यापी प्रभाय के बाद भी गांधीजी के अतिनिकट के अतिविषयसनीय गांधीभक्त फैले जाने वाले लोग भी उन्हें नहीं समझ सके कुछ ने तो उन्हें समझने का प्रयास भी नहीं किया कुछ ने उन्हें समझा पितृ भी उन्हें दरकिनार यज्ञ सत्ता का स्वीकार कर भारत को यूरोप ये सत्रानुसूप ही घलाया। उन नेताओं के जैसे ही विचार के लगभग दो धार लाख लोग १९४७ में भारत में थे (आज उनकी सख्त्या शायद पाँच दस करोड़ हो गई है)। यह स्थिति देखकर उनके मन में जो मध्यन जागा उसने उन्हें इस अध्ययन के लिये प्रेरित किया। लन्दन के और भारत के अग्निलेखागारों में से उन्होंने असख्त्य दस्तावेज एकत्रित किए पढ़े उनका अध्ययन किया विस्तैरण किया और १८ वीं तथा १९ वीं शताब्दी के भारत का यथार्थ चित्र हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। जीवन के पदास साठ वर्ष ये इस साधना में रह रहे।

ये पुस्तकें मूल अंग्रेजी में हैं। उनका व्यापक अध्ययन होने के लिए ये भारतीय भाषाओं में हों यह आवश्यक ही भर्ती अनिवार्य भी है। कुछ लेख हिन्दी में हैं और 'जनसंघ' आदि दैनिक में और 'मध्यन' आदि सामग्रिकों में प्रकाशित हुए हैं। भराठी तेलुगु फ़रांड आदि भाषाओं में कुछ अनुवाद भी हुआ है परन्तु संपूर्ण और समग्र प्रयास तो गुजराती में ही प्रथम हुआ है। और अब हिन्दी में हो रहा है।

इस व्यापक शैक्षिक प्रयास का यह अनुवाद एक प्रथम धरण है।

#### ६

इस ग्रन्थ श्रेणी में विविध विषय हैं। इसमें विज्ञान और तत्त्वज्ञान है शासन और प्रशासन है लोकव्यवहार और राज्य व्यवहार है कृपि गोरक्षा वाणिज्य अर्थशास्त्र नागरिक शास्त्र भी है। इसमें भारत इर्लैंड और अमेरिका है। परन्तु सभी का केन्द्रविन्दु है गांधीजी कोंग्रेस सर्वासामान्य प्रजा और श्रिटिश शासन।

और उनके भी केन्द्र में है भारत।

अत एक ही विषय विभिन्न रूपों में विभिन्न सदर्भों के साथ चर्चा में आता रहता है। और पितृ विभिन्न समय में विभिन्न स्थान पर विभिन्न प्रकार के श्रोताओं के सम्मुख और विभिन्न प्रकार फी पत्रिकाओं के लिये भाषण और लेख भी यहां समाविष्ट हैं। अत एक साथ पढ़ने पर उसमें पुनरावृति दिखाई देती है विद्यार्थीकी घटनाओं की दृष्टान्तों की। सम्पादन करते समय पुनरावृति को यथासम्भव कम करने का प्रयास किया है। इसीके परिणाम स्थरपत् गुजराती प्रकाशन में ११ पुस्तकों थीं और हिन्दी में १० हुई हैं। परन्तु विषय प्रतिपादन की आवश्यकता देखते हुए पुनरावृति कम करना हमें समव नहीं हुआ है।

पितृ सर्वथा पुनरावृति दूर कर उसे नये दग से पुनर्विस्थित करना तो वेदव्यास

का कार्य हुआ। हमारे जैसे अल्प क्षमतावान लोगों के लिये यह अधिकारक्षेत्र के बाहर का कार्य है।

अत शुद्धी पाठकों के नीरक्षीर विवेक पर भरोसा करके सामग्री यथातथ स्वरूप में ही प्रस्तुत की है।

यहा दो प्रकार की सामग्री है। एक है प्रस्तुत विषय से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित यूरोप के अधिकारियों और बौद्धिकोंने प्रत्यक्षदर्शी प्रमाणों एव स्वानुभव के आधार पर विभिन्न प्रयोजन से प्रेरित होकर प्रस्तुत की हुई भारत विषयक जानकारी और दूसरी है धर्मपालजीने इस सामग्री का किया हुआ विस्तेषण उससे प्राप्त निष्कर्ष और उससे प्रकाशित ग्रिटिशरों के कार्यकलापों का अन्तरण।

इसमें प्रयुक्त भाषा दो सौ वर्ष पूर्व की अग्रेजी भाषा है सरकारी तत्र की है गैर साहित्यिक अफसरों की है उन्होंने भारत को जैसा जाना और समझा दैसा उसका निरूपण करनेवाली है। और धर्मपालजी की स्वयं की भाषा भी उससे पर्याप्त मात्रा में प्रभावित है।

फलस पढ़ते समय कहीं कहीं अनावश्यक रूप से लम्बी खीचनेवाली शैली का अनुभव आता है तो आश्चर्य नहीं।

और एक बात।

अग्रेजों ने भारत के विषय में जो लिखा वह हमारे मन मस्तिष्क पर इस प्रकार छा गया है कि उससे अलग अथवा उससे विपरीत कुछ भी लिखे जाने पर कोई उसे मानेगा ही नहीं यह भी सम्भव है। इसलिए यहाँ छोटी से छोटी बात का भी पूरा पूरा प्रमाण देने का प्रयास किया गया है। साथ ही इतिहास लेखन का तो यह सूत्र ही है कि नामूल लिख्यते किञ्चित् - बिना प्रमाण तो कुछ भी लिखा ही नहीं जाता। परिणामत यहाँ शैली आज की भाषा में कहा जाए तो सरकारी छापवाली और पाइंट्यपूर्ण है शोध करनेवाले अध्येता की है।

प्रमाणों के विषयमें तो आज भी स्थिति यह है कि इसमें ग्रिटिशरों के स्वयं के द्वारा दिये गये प्रमाण हैं इसलिये पाठकों को मानना ही पड़ेगा इस विषय में हम आश्चर्य रह सकते हैं। (आज भी उसका तो इलाज करना जरूरी है।)

साथ ही पाठकों का एक यर्थ ऐसा है जो भारत के विषय में भावात्मक या भक्तिभाव पूर्ण बारों पढ़ने का आदी है अथवा वैशिक परिप्रेक्ष्य में लिखा गया अर्थात् अमेरिका के दृष्टिकोण से लिखा गया विषार पढ़ने का आदी है। इस परिप्रेक्ष्य में विषय सम्बंधी पारदर्शी ठोस तर्कनिष्ठ प्रस्तुति हमें इस ग्रन्थवाली में प्राप्त है। अनेक विषयों

में अनेक प्रकार से हमें मुद्दिनिष्ठ होने वी आवश्यकता है इसकी प्रतीति भी हमें इसमें होती है।

७

अनुवादकों सथा जिन लोगों ने ये पुस्तके मूल अंग्रेजी में पढ़ी हैं अथवा अनुवाद के विषय में जाना है उन सभी का सामान्य प्रतिभाव है कि इस काम में बहुत विलम्ब हुआ है। यह बहुत पहले होना चाहिये था। अर्थात् सभी को यह कार्य अतिमहत्वपूर्ण लगा है। सभी पाठकों को भी ऐसा ही लगेगा ऐसा विश्वास है।

अनुवाद का यह कार्य चुनौतीपूर्ण है। एक तो दो सौ वर्ष पूर्व की अंग्रेज अधिकारियों की भाषा फिर भारतीय परिवेश और परिवेश को अंग्रेजी में उतारने और अपने तरीके से कहने के आयास को व्यक्त करने वाली भाषा और उसके ही रूप में राणी श्री धर्मपालजी की भी कुछ जटिल शैली पाठक और अनुवादक दोनों की परीका लेनेवाली है।

साथ ही यह भी सच है कि यह स्पन्दनास नहीं है गम्भीर वायन है।

संक्षेप में कहा जाय तो यह १८ वीं और १९ वीं शताब्दी का दो सौ वर्ष का भारत का केवल राजकीय नहीं अपितु सास्कृतिक इतिहास है।

८

इस ग्रन्थावलि के गुजराती अनुवाद कार्य वै श्री धर्मपालजी साधी रहे। उसका हिन्दी अनुवाद घल रहा था तब ये समय समय पर पृष्ठा करते रहे। परन्तु अध्यनक ही दि २४ अक्टूबर २००६ को उनका स्वर्यावास हुआ। स्वर्यावास के आठ दिन पूर्व तो उनके साथ बात हुई थी। आज हिन्दी अनुवाद के प्रकाशन के अवसर पर वे अपने दीय में विद्यमान नहीं हैं। उनकी स्मृति फो अभिवादन करके ही यह कार्य सम्पन्न हो रहा है।

९

इस ग्रन्थावलि के प्रकाशन में अनेकानेक व्यक्तियों का सहयोग एवं प्रेरणा रहे हैं। उन सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना हमारा सुखाद कर्त्तव्य है।

अनेकानेक कार्यकर्ता एवं विशेष लप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक सघ के सहसरकार्यवाह माननीय सुरेशजी सोनी की प्रेरणा मार्गदर्शन आग्रह एवं सहयोग के कारण से ही इस ग्रन्थावलि का प्रकाशन सम्भव हुआ है। अस प्रथमत हम उनके आभारी हैं।

सभी अनुवादकों ने अपने अपने कार्यक्षेत्र में अत्यन्त व्यस्त होते हुए भी समय सीमा में अनुवाद कार्य पूर्ण किया तभी समय से प्रकाशन सम्भव हो पाया। उनके परिश्रम के लिये हम उनके आभारी हैं।

यह ग्रन्थावलि गुजरात में प्रकाशित हो रही है। इसकी भाषा हिन्दी है। हिन्दी भाषी लोगों पर भी गुजराती का प्रभाव होना स्वाभाविक है। इसका परिष्कार करने के लिये हमें हिन्दीभाषी क्षेत्र के व्यक्तियों की आवश्यकता थी। जोधपुर के श्री भूपालजी और इन्दौर के श्री अरविंद जावडेकरजी ने इन पुस्तकों को साधन्त पढ़कर परिष्कार किया इसलिये हम उनके प्रति वृत्ताङ्गता ज्ञापित करते हैं।

अच्छे मुद्रण के लिये साधना मुद्रणालय ट्रस्ट के श्री मरतभाई पटेल और श्री धर्मेश पटेल ने भी जो परिश्रम किया है इसके लिये हम उनके आभारी हैं।

'पुनरुत्थान' के सभी कार्यकर्ता तो तनमन से इसमें लगे ही हैं। इन सभी के सहयोग से ही इस ग्रन्थावलि का प्रकाशन हो रहा है।

## १०

सुधी पाठ्य देश की वर्तमान समस्याओं के निराकरण की दिशा में विचार विमर्श करते समय नई पीढ़ी को इस देश के इतिहास में अग्रेजों की भूमिका का सही आकलन करना सिखाते समय इस ग्रन्थावलि की सामग्री का उपयोग कर सकेंगे तो हमारा यह प्रयास सार्थक होगा।

साथ ही नियेदन है कि इस ग्रन्थावलि में अनुवाद या मुद्रण के दोषों की ओर हमारा ध्यान अवश्य आकर्षित करें। हम उनके बहुत आभारी होंगे।

इति शुभम् ।

सम्पादक

वसन्त पवारी  
युगाम्ब ५१०८  
२३ जनवरी २००७



## विभाग १

### भारतीय चित्त, मानस एवं काल

- १ यह बीसवीं इक्कीसवीं सदी है किसकी
- २ अपना अध्ययन भी विदेशी निगाह से
- ३ महत्व सही जधाय का नहीं सही सवाल का है
- ४ अपने चिरको समझे बिना हमारा काम नहीं चलेगा
- ५ हम किसी और के ससार में रहने लगे हैं
- ६ सभ्यताओं का नवीनीकरण तो करना ही होता है

यह आलेख ऋषेद से लेकर कोई दसवीं बारहवीं सदी  
यानी विक्रम युग तक के हमारे प्राचीन साहित्य के अध्ययन के  
परिणामस्वरूप सामने आ सका है। यह अध्ययन कोई पाच वर्ष  
पहले प्रारम्भ हुआ था। इस अध्ययन में प्रमुख रूप से डॉ एम डी  
श्रीनिवास डॉ जितेन्द्र बजाज और मैं स्वयं शामिल था। अनेक  
मित्रों ने तरह तरह के प्रश्न उठाकर सूचनाए ग्रन्थ जुटाकर तथा  
इन सब पर सविस्तार बातचीत करते हुए इसमें अपना योगदान  
दिया है। इनमें मद्रास से श्रीमती पी एल टी गिरिजा श्री टी  
एन मुकुन्दन डॉ थी यालाजी डॉ अशोक झुनझुनवाला दिल्ली  
से श्री रामेश्वर मिश्र पक्ज श्री पुष्पराज श्री राजीव वोरा डॉ नीरु  
मलिक श्री निर्मल चन्द्र श्री यनवारी तथा वाराणसी से श्री सुनील  
सहस्रबुद्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। यह सामग्री लेखों की तरह  
१६ से १९ और फिर २३ अप्रैल ११ को दैनिक 'जनसत्ता' में  
प्रकाशित हुई है।

घर्मपाल



## १ यह बीसवीं-इक्कीसवीं सदी है किसकी

गांधीजी ९ जनवरी १९१५ को अपने दक्षिण अफ्रिका प्रवास से वापस देश लौटे। तब रास्ते में वे ब्रिटेन में भी रुके थे। उसके बाद वर्मा और श्रीलंका की बात छोड़ दें तो वे केवल एक बार विदेश गए। १९३१ की वह यात्रा ब्रिटेन जाने के लिए ही थी। पर भारत से जाते और यहाँ लौटते हुए वे मिस्र फ्रान्स स्विट्जरलैंड और हिटली में भी कुछ कुछ दिन ठहरते गए। अमेरिका वाले तब चाहते रहे कि गांधीजी वहाँ भी आए। लेकिन उनका अमेरिका जाना तो नहीं हो पाया।

१९१५ में गांधीजी के मुम्बई उत्तरने से पहले ही देश में उनसे बहुत बड़ी उम्मीदें लगाई जाने लगी थीं। उस समय के सम्पादकीय आलेखों से लगता है कि सभी से उन्हें कुछ अवतारपुरुष सा समझा जाने लगा था। मुम्बई में गांधीजी और कस्तूरबा का जैसा स्वागत हुआ। वैसा उस नगर की स्मृति में पहले किसी का नहीं हुआ था ऐसा उन दिनों के समाचार पत्रों का कहना है। मुम्बई के बड़े बड़े घरों में गांधीजी और कस्तूरबा के सम्मान व स्वागत में अनेक भोज हुए। उन भोज समारोहों में मुम्बई हाईकोर्ट के कई न्यायाधीश और मुम्बई के गवर्नर की परिषद के सदस्य भी पहुचे। मुम्बई के सम्पन्न समाज के प्रमुख लोग और बड़े बड़े उद्योगपति तो उन भोजों में उपस्थित थे ही।

पर तीन दिन में ही गांधीजी और यस्तूरबा इस सबसे ऊँचे गए। १२ जनवरी को हुए एक बड़े स्वागत समारोह में गांधीजी ने अपनी उक्ताहट सबके सामने प्रकट कर डाली। इस समारोह में ६०० से अधिक अतिथि आए थे और फीरोजशाह मेहता स्वयं इसके अध्यक्ष थे। समारोह में बोलते हुए गांधीजी ने कहा कि उन्होंने सोचा था कि देश आकर उन्हें दक्षिण आफ्रिका से कहीं अधिक आत्मीयता का अनुभव होगा। लेकिन पीछे तीन दिनों से मुझे और कस्तूरबा को लग रहा है कि दक्षिण आफ्रिका के भारतीय मजदूरों के बीच जीवन अधिक आत्मीय था। यहा तो हम अपने को कुछ पराए से लोगों के बीच ही पा रहे हैं।

उसके बाद गांधीजी वा रहनसहन बदलता ही थला गया। उनके कार्यक्रम भी बड़े लोगों के भोज समारोहों से हटकर अधिकतर साधारण लोगों के बीच होने लगे। और देश के साधारण जन के मानस में उनकी ऐसी पैठ हुई कि जनवरी के अन्तिम सप्ताह में उनके मुन्हई उत्तरने के एक पख्याड़े के भीतर रौराष्ट्र में लोग उन्हें 'महात्मा' कहकर सम्बोधित करने लगे। उसके केवल तीन महीने बाद सगम्प एक हजार मील दूर हरिद्वार के पास गुरुबुद्ध कागड़ी में भी उन्हें 'महात्मा' कहा जा रहा था।

तब से लेकर आगले पचीस-तीस वर्षों तक देश में सघन आत्मविद्वास की एक लहर चलती रही। लोगों को शायद ऐसा आमास होता रहा कि उनके कट्ठों का निवारण करने के लिए पृथ्वी का बोझ घटाने के लिए और जीवन को फिर से सन्तुलित करने के लिए एक अवतार पुरुष उनके बीच उपस्थित है। अधिकांश भारतीयों ने उन्हें कभी देखा नहीं होगा। यहुतों ने उनके रहन सहन व काम काज के तरीकों को कभी सही भी नहीं माना होमा। और शायद भारत के अधिकतर लोग १९४५-४६ तक भी यही मानते रहे होंगे कि गांधीजी जो स्वतन्त्रता संग्राम थला रहे थे उसके सफल होने की कोई सम्भावना नहीं है। लेकिन फिर भी शायद सभी भारतीयों को उनमें एक अवतार पुरुष और एक दिव्य आत्मा के दर्शन होते रहे।

पृथ्वी के कट्ठों का निवारण करने के लिए अवतार पुरुष जन्म लिया फूटते हैं यह मान्यता भारतवर्ष में अत्यन्त प्राचीन समय से चली आ रही है। रामायण महाभारत और पुराणों के रथनाकाल से तो ऐसा माना ही जा रहा है। द्वापर का अन्त आते आते धर्म का इतना हास होता है कि पृथ्वी अपने ऊपर के बोझ से पीछे होकर विष्णु से इस बोझ को किसी प्रकार हल्का करने की प्रार्थना करती है। सब देवों की ओर से एक बड़ी व्यूह रथना होती है और विष्णु स्वयं श्रीकृष्ण आदि के रूप में पृथ्वी पर उतरते हैं। महाभारत का युद्ध पृथ्वी के बोझ को हल्का करने की इसी प्रक्रिया का एक उदाहरण है। ललित विस्तर आदि धोद्धरितों में गौतम बुद्ध के पृथ्वी पर अवतरण के भी ऐसे ही कारण दिए गए हैं। इसी प्रकार समय समय के प्रश्नों के समाधान के लिए अनेक अवतार होते रहते हैं।

इसलिए १९१५ में भारत के लोगों ने सहज ही यह मान लिया की भगवान ने उनका दुख समझ लिया है और उस दुख को दूर करने के लिए व भारतीय जीवन में एक नया सन्तुलन लाने के लिए महात्मा गांधी को भेजा गया है। गांधीजी के प्रयासों से भारतीय सम्यता की दासता का दुख बहुत कुछ कट ही गया। लेकिन भारतीय जीवन

में कोई सन्तुलन नहीं आ पाया। गांधीजी १९४८ के बाद जीवित रहते तो भी इस नए सन्तुलन के लिए तो कुछ और ही प्रयत्न करने पड़ते।

जो काम महात्मा गांधी पूरा नहीं कर पाए उसे पूरा करने के प्रयास हमें आगे पीछे तो आरम्भ करने ही पड़ेंगे। आधुनिक विश्व में भारतीय जीवन के लिए भारतीय मानस व काल के अनुरूप कोई नया सन्तुलन दूरे थिना तो इस देश का बोझ हल्का नहीं हो पायेगा। और उस नए ठोस धरातल को दूढ़ने का मार्ग वही है जो महात्मा गांधी का था। इस देश के साधारण जन के मानस में पैटकर उसके विच व काल को समझकर ही इस देश के बारे में कुछ सोचा जा सकता है।

गांधीजी के लिए यह समझ और पैठ सहज थी। हमें उसे पाने के लिए अनेक दौद्धिक प्रयत्न करने पड़ेंगे। पर हमें यह जानना ही पड़ेगा कि इस देश के साधारणजन इसे किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? वर्तमान की उनकी समझ क्या है? भविष्य का कैसा प्रारूप उनके मन में है? जिन साधारण लोगों के बल पर इस देश को एक नया सन्तुलन दिया जाना है इस देश को बनाया जाना है वे लोग हैं कौन? उनका स्वभाव क्या है? उनकी आदतें कैसी हैं? उनकी प्राथमिकताएँ क्या हैं? इच्छाएँ-आकाश्चाएँ क्या हैं? वे अपने बारे में क्या मानते हैं? और ससार को कैसे देखते हैं? वे भगवान को देखते हैं क्या? देखते हैं तो किस दृष्टि से देखते हैं? या फिर वे भगवान को नहीं मानते तो किसे मानते हैं? काल को मानते हैं? दैव को मानते हैं? या कुछ और ही उनके मन में है क्या? जनसाधारण की अच्छे जीवन की कल्पना के अनुरूप और उनके सहयोग से देश को कुछ बनाना है तो यह सब तो जानना ही पड़ेगा।

लेकिन अपने लोगों के विच व मानस को समझने की यह बात लगता है हमें अच्छी नहीं लगती। गांधीजी का भारत के साधारण जन के साथ एकाकार होकर उन्हीं के विच की बात को शब्द देते जाना भी हम भद्रजनों को कभी सुहाता नहीं था। भारतीय विच व मानस से हमें छर-सा लगता है। हम यह मानकर घलना चाहते हैं कि भारतीय मानस में कुछ है ही नहीं। वह तो एक साफ स्लेट है जिस पर हम भद्र लोगों को आधुनिकता से सीखकर एक नया आलेख लिखना है।

पर शायद हमें यह आभास भी है कि भारतीय वैसा साफ-स्पाट नहीं है जैसा मानकर हम घलना चाहते हैं। वास्तव में तो वह सब विषयों पर सब प्रकार के विचारों से अदा पड़ा है। और वे विचार कोई नए नहीं हैं। वे सब पुराने ही हैं। शायद ऋष्येद के समय से वे चले आ रहे हैं। या शायद गौतम बुद्ध के समय के कुछ विचार

उपजे होगे या फिर महावीर के समय से। पर जो भी ये विधार हैं जहां से भी वे आए हैं वे भारतीय मानस में बहुत गहरे पैठे छुरे हैं। और शायद हम यह बात जानते हैं। लेकिन हम इस वास्तविकता को समझना नहीं चाहते इसे किसी तरह नकार कर भारतीय मानस य वित्त की सभी वृत्तियों से आखें मूदकर अपने लिए एक नई ही कोई दुनिया हम गढ़ लेना चाहते हैं।

इसलिए अपने मानस को समझने की सभी कोशिशें हमें बेकार लगती हैं। अठारहवीं-उन्नीसवीं सदी के भारत के इतिहास का मेरा अध्ययन भी भारतीय मानस को समझने का एक प्रयास ही था। उस अध्ययन से अग्रेजों के आने से पहले के भारतीय राज-समाज की भारत के लोगों के सहज सौर-तरीकों की एक समझ तो बनी। समाज की जो भौतिक व्यवस्थाएं होती हैं विभिन्न तकनीकें होती हैं रोजमर्रा का काम घलाने के जो तरीके होते हैं उनका एक प्रारूप सा तो बन पाया। पर समाज के अन्तर्मन की उसके मानस की वित्त की कोई ठीक पकड़ उस काम से नहीं बन पाई। मानस को पकड़ने का वित्त को समझने का मार्ग शायद अलग होता है।

पर भारतीय राज-समाज की भौतिक व्यवस्थाओं को समझने का मेरा यह प्रयास भी अधिकतर लोगों को विधित्र ही लगा था। १९६५-६६ में जब मैंने अठारहवीं उन्नीसवीं सदी के दस्तावेजों को देखना शुरू किया तो दिल्ली के एक मित्र ने कहा यह तुम ये क्या गड़े मुर्ढे उखाड़ने लगे हो? कुछ ढग का काम क्यों नहीं करते? और बहुत लोगों ने कहा कि आप अठारहवीं सदी की ये जो बातें करते हैं वे तो ठीक ही हैं। उस समय भारत में खेती अच्छी होती होगी। बविया लोहा बनता होगा। लोगों को धेष्ठ के टीके लगाना आता होगा। प्लास्टिक सर्जरी होती होगी। लोगों की राज-समाज की अपनी सक्षम व्यवस्थाएं रही होंगी। पश्चायतें रही होंगी। यह सब सुनकर तो अच्छा ही लगता है। इन यात्रों से आरम्भिकास और आत्मगौरव का भाव भी शायद देश में कुछ कुछ जगता हो। पर आजकल के सन्दर्भ में तो ये कोई बहुत काम की बातें नहीं हैं। यह सब जानकारी आज विस्त काम आने वाली है? यह सब जानने का लाभ क्या है? ऐसा अक्सर लोग पूछते रहते हैं।

इसी तरह यह सवाल वो एक महीने पहले हमारे तब के प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर ने उठाया था। उनके घर मैं गया था। वे पूछने लगे आप यह अठारहवीं सदी को लेकर क्या बैठे हैं? अब तो बीसवीं-इक्कीसवीं की बात होनी चाहिए। और भी बहुत से अनुभवी व परिवित लोग यही बात और अधिक जोर देकर कहते रहते हैं। लगता है हम जैसे सभी भारतीय ही किसी तरह बीसवीं-इक्कीसवीं सदी में पहुँचने की

बातें करने लगे हैं।

पर यह बीसवीं-इक्सीसवीं सदी है किन्तु की ? हमारी तो यह सदी नहीं है। भारत के जो साधारण लोग हैं जिनकी अवस्था को देखकर हम दुखी होते रहते हैं और जिनकी भलाई के नाम पर यह सम ताम झाम चलता है उनकी तो यह सदी नहीं है। जवाहरलाल नहेल की भाने तो वे साधारण लोग तो अभी सत्रहवीं-अठारहवीं सदी में ही रह रहे हैं। जवाहरलाल नहेल ऐसा कहा करते थे और वे इस यात को लेकर यहुत परेशान थे कि अपने लोग अठारहवीं सदी से बाहर निकल ही नहीं रहे बीसवीं में आ नहीं रहे।

पर वे साधारणजन तो शायद पश्चिम की अठारहवीं सदी में भी न हों। हो सकता है कि वे अभी किसी पौराणिक युग में ही रह रहे हों। काल और युग की अपने यहा जो कल्पना है उसी दृष्टि से वर्तमान को देख रहे हों। कलियुग में रहते हुए किसी अवतार पुरुष के आने की अपेक्षा में हों। उनकी मान्यताओं के अनुसार तो पश्चिम की इस बीसवीं सदी में ही महात्मा गांधी के रूप में एक अवतार-पुरुष यहा आए भी थे। पर शायद उन्हें किसी दूसरे तीसरे के आने की उम्मीद है और शायद उसी की बातों में वे मन्न हों।

अगर यह सच है कि इस देश के साधारण लोग तो अपनी पौराणिक कल्पना के कलियुग में ही रह रहे हैं तो इसी कलियुग को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। बीसवीं सदी का राग अलापते रहने से तो हमारा काम नहीं घल पाएगा। हमारे लोग इस सदी में नहीं हैं तो यह अपनी सदी है ही नहीं। वैसे भी यह पश्चिम की ही सदी है। हो सकता है जापान वालों को भी यह कुछ कुछ अपनी ही सदी लगती हो। पर मुख्य रूप से तो यह यूरोप और अमेरिका की ही सदी है। और वयोःकि हम यूरोप या अमेरिका या जापान के साथ सम्पर्क तोड़ नहीं सकते इसलिए उनकी इस बीसवीं सदी को भी शायद कुछ समझना पड़ेगा। पर यह समझना तो अपने साधारण लोगों की दृष्टि से ही होगा न ? अपने काल के आधार पर ही दूसरों के काल को समझा जाएगा न ? समझने की प्रक्रिया का यह सामान्य क्रम उल्टा तो नहीं जा सकता। हमें तो कलियुग की दृष्टि से ही बीसवीं सदी को समझना पड़ेगा बीसवीं सदी की दृष्टि से कलियुग को समझना तो हो ही नहीं सकता।

हममें से कुछ लोग शायद मानते हो कि वे स्वयं भारतीय मानस विच व काल की सीमाओं से सदर्था मुक्त हो चुके हैं। अपनी भारतीयता को लाघकर वे पश्चिमी आधुनिकता या शायद किसी प्रकार की आदर्श मानवता के साथ एकात्म हो गए हैं।

ऐसे कोई लोग हैं तो उनके लिए यीसवीं सदी की दृष्टि से कलियुग को समझना और भारतीय कलियुग को पश्चिम की बीरवी सदी के रूप में छालने के उपायों पर विचार करना सम्भव होता होगा। पर ऐसा अक्सर हुआ नहीं करता। अपने स्वाभाविक देश काल की सीमाओं मर्यादाओं से निकलकर फिर्सी और वे युग में प्रवेश कर जाना असाधारण लोगों के यस की भी यात नहीं होती। जयाहरलाल नहरू जैसों से भी यह नहीं हो पाया होगा। अपनी सहज भारतीयता से वे भी पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाए होंगे। महात्मा गांधी के कहने के अनुसार भारत के लोगों में जो एक सकृतीत और विवित्र सा भाव है उस विवित्र तर्कातीत भाव का शिकार होने से जयाहरलाल नहरू भी नहीं यह पाए होंगे। फिर वाकी लोगों की तो यात ही वया है। वे तो भारतीय मानस की मर्यादाओं से बहुत दूर जा ही नहीं पाते होंगे।

भारत के बड़े लोगों ने आधुनिकता का एक बाहरी आवरण रा जस्तर ओढ़ रखा है। पश्चिम के कुछ संस्कार भी शायद उनमें आए हैं। पर यित्त के स्तर पर वे अपने को भारतीयता से अलग कर पाए हों ऐसा तो नहीं लगता। हा हो सकता है कि पश्चिमी सम्यता के साथ अपने लम्घे और घनिष्ठ सम्बन्ध के धरते कुछ दस-बीस पदास हजार या शायद लाखेक लोग भारतीयता से मिलकुल दूर हट गए हों। पर यह देश तो दस-बीस पदास हजार या लाख लोगों का नहीं है। यह तो अस्ती करोड़ लोगों की कथा है।

भारतीयता की मर्यादाओं से मुयत हुए वे लाखेक आदमी जाना खाहेंगे तो यहाँ से घले ही जाएंगे। देश अपनी अस्मिता के हिसाय से अपने मानस यित्त व काल के अनुरूप घलने लगेगा तो हो सकता है इनमें से भी यहुतेरे फिर अपने सहज वित्त मानस में लौट आए। जिनका भारतीयता से नाता पूरा टूट खुका है वे तो बाहर कहीं भी जाकर यस सकते हैं। जापान घले जगह ढैंगे तो वहा जाकर रहने लगेंगे। जर्मनी में जगह हुई तो जर्मनी में रह लेंगे। रूस में कोई रुन्दर जगह मिली हो वहा घले जाएंगे। अमेरिका में तो वे अब भी जाते ही हैं। दो चार लाख भारतीय अमेरिका जाकर बसे ही हैं। और उनमें बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर दार्शनिक साहित्यकार, विज्ञानियि और अन्य अनेक प्रकार के विद्वान भी शामिल हैं।

पर इन लोगों का जाना कोई बहुत मुसीधत की यात नहीं है। समस्या उन लोगों की नहीं जो भारतीय वित्त व काल से टूटकर अलग जा भसे हैं। समस्या तो उन करोड़ा लोगों की है जो अपने स्वाभाविक मानस व वित्त के राध जुड़कर अपने सहज काल में रह रहे हैं। इन लोगों के बल पर देश का कुछ बनाना है तो हमें उस सहज

चित्र मानस व काल को समझना पड़ेगा। उस चित्र के प्रकाश में वर्तमान कैन्सा दिखाई देता है यह जानना पड़ेगा। और भारतीय वर्तमान के धरातल से पश्चिम की बीसवीं सदी का क्या रूप दिखता है उस बीसवीं सदी और अपने कलियुग में कैन्सा और क्या सम्पर्क हो सकता है इस सब पर विचार करना पड़ेगा। यह तभी हो सकता है जब हम अपने चित्र य काल को अपनी कल्पनाओं व प्राथमिकताओं को और अपने सोचने समझने व जीने वे तौर-तरीकों को ठीक से समझ लेंगे।

## २ अपना अध्ययन भी विदेशी निगाह से

सहज भारतीय यित्र मानस व काल को समझने के कई मार्ग हैं। अठारहवीं सदी के स्वदेशी राज-समाज को समझने का मेरा प्रयास एक मार्ग था। उस मार्ग से मानस तो शायद पकड़ में नहीं आता पर उस मानस की विभिन्न भौतिक व्याप्तिओं की कुछ समझ तो बनती है। सहज भारतीय सौर-सरीकों और व्यवस्थाओं का कुछ अनुमान होता है।

अपने साधारण लोगों को जानना वे फैसे जीते हैं किस प्रकार की बातें करते हैं अलग अलग परिस्थितियों से फैसे निपटते हैं कैसा व्यवहार करते हैं यह सब देखने समझने की कोशिश करना भारतीय मानस यित्र व काल को पकड़ने का एक और मार्ग है। पर यह शायद कुछ कठिन रास्ता है। हम सोचने समझने वाले लोग फिलहाल अपनी जड़ों से इतने उखड़े हुए हैं कि अपने लोगों की यातों को उन्हीं की दृष्टि से समझ पाना शायद अभी हम से बन न पाए।

भारतीय मानस को समझने के लिए अपने प्राचीन साहित्य को तो समझना ही पढ़ेगा। यहा का असीम साहित्य जो भारतीय सभ्यता का आधार रहा है और जिससे अपने यहा की प्रज्ञा और व्यवहार नियमित होते रहे हैं उसे जाने बिना भारतीय मानस को जानने की यात घल नहीं सकती। ऋष्येद से लेकर अपना जितना साहित्य है उपनिषद हैं पुराण हैं महाभारत और रामायण हैं या बौद्ध और जैन साहित्य है या फिर आयुर्वेद शिल्पशास्त्र ज्योतिषशास्त्र व धर्मशास्त्र जैसे व्यावहारिक विषयों की जो विभिन्न सहिताए हैं उन सबकी एक समझ तो हमें बनानी ही पड़ेगी। इस सारे साहित्य से इस देश के मानस का और उसकी विभिन्न राजनैतिक सामाजिक आर्थिक व तकनीकी व्यापियों का व्या वित्र उभरता है और वह चित्र समय समय पर फैसे बदलता-सवरता रहा है इसका एक भोटा अनुमान तो हमें करना ही पड़ेगा। ऐसे किसी अनुमान के बिना अपने को समझने की प्रतिष्ठा आरम्भ ही नहीं हो सकती। कम से कम बुद्धि पर आधारित प्रक्रियाएं तो ऐसे ही चला करती हैं। इनामीत फ्रेझ रास्ता हो तो उसकी यात अलग है।

अपने सारे पुराने साहित्य को देख-समझकर अपने चित्र व काल की एक तस्वीर बनाने और उस तस्वीर में आधुनिक विष्व और उसकी वृत्तियों को उपयुक्त स्थान देने का काम हम कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि भारत के पुराने साहित्य पर कोई काम हो ही न रहा हो। अनेक भारतीय विद्या संस्थान विशेष तौर पर भारतीय ग्रन्थों को देखने-समझने के लिए बने हैं और अनेक ऊर्ध्वे विद्वान लम्बे समय से इस काम में लगे हैं। पर जो काम हो रहा है यह तो जो होना चाहिए था उससे ठीक उलटा है। अपनी दृष्टि से अपने और आधुनिक विष्व को समझने की वजाय आधुनिकता की दृष्टि से अपने साहित्य को पढ़ा जा रहा है। अपने काल के सन्दर्भ में बीसवीं सदी को समझने की वजाय बीसवीं सदी के सन्दर्भ में अपने काल में से कुछ समसामयिक कूबने के प्रयास हो रहे हैं। अपनी कोई तस्वीर बनाकर उसमें आधुनिकता को सही जगह बैठाने की वजाय आधुनिकता की तस्वीर में अपने लिए कोई छोटा भोटा कोना ढूँगा जा रहा है।

पिछले दो-एक सौ साल में पश्चिम धारों ने भारत के बारे में जानने की कोशिश की है। यहा की नीति को रीति-रिवाजों को धर्मशास्त्रों को आयुर्वेद ज्योतिष और शिल्प जैसी विद्याओं और विधाओं को इन सबको समझने के प्रयास पश्चिमी विद्वान बनते रहे हैं। जैसी जैसी उन लोगों की रुचि थी जैसी उनकी समझ थी और जैसी उनकी आवश्यकताए-अनिवार्यताए थी वैसा-वैसा कुछ वे भारतीय साहित्य में पढ़ते रहे हैं। उनकी देखा देखी या कहिए कि उनके प्रभाव में आकर अपने यहा के कुछ आधुनिक विद्वान भी भारतीय विद्याओं और विधाओं में रुचि लेने लगे और भारत के प्राचीन ग्रन्थों का अध्ययन करने के लिए अनेक नए नए संस्थान खुलने लगे। महाराष्ट्र में कई ऐसे संस्थान बने। बगाल में भी बने होंगे। कई नए संस्कृत विष्वविद्यालय भी खुले।

ये सब संस्थान विद्यालय और विष्वविद्यालय आदि नए तरीके के ही थे। भारतीय विद्याओं को पढ़ने-पढ़ाने की जो पारम्परिक व्यवस्थाए हुआ करती थी उनके साथ इनका कोई सम्बन्ध नहीं था। पश्चिम व विशेषत लन्दन के उस समय के विद्या संस्थानों के अनुरूप ही भारत के इन नए विद्या संस्थानों का गठन किया गया था और वही की विद्या धाराओं से विस्ती प्रकार अपनी विद्याओं को जोड़ना ही शायद इनका प्रयोजन था। उदाहरण के लिए वाराणसी में 'वीन्द्व कॉलेज' नाम का एक संस्थान बारेन हेस्टिंग्स के समय में बना था। वही अब सम्पूर्णनिन्द संस्कृत विष्वविद्यालय कहलाता है। भारतीय विद्याओं का अध्ययन करने वाले प्रमुख भारतीय संस्थानों में उसकी गिनती होती है। ऐसे अनेक संस्थान बनते चले गए। अब भी इसी तरह के कई नए-नए संस्थान खुल रहे हैं।

पश्चिम की देखी में और पश्चिमी संस्थानों की तर्ज पर ये जो भारतीय विद्या संस्थान घने उनमें पश्चिम के सारे पूर्वांग्रह और पश्चिम का पूरे का पूरा सैद्धांतिक ढांचा आ प्रतिष्ठित हुआ। भारतीय विद्याओं पर भारतीय विद्वानों ने जो काम आरम्भ किया यह तो ऐसे था जैसे ये विद्वान कोई विद्वशी लोग हों और किसी खोई हुई मृत सम्यता के अवशेषों में से अपने काम आने योग्य कुछ ढूढ़ रहे हो। यह काम यैसा ही था जैसा एथोपोलोजी में होता है। एथोपोलोजी पश्चिम की एक विशेष विद्या है। इस विद्या के प्रामाणिक प्रक्रिया और धुरन्धर विद्वान माने जाने वाले यलॉड लेवी स्ट्रॉस के अनुसार इस विद्या की विषयवस्तु पराधीन पराजित और खड़ित समाज हुआ करते हैं। किंतु समाज विजित समाजों का अध्ययन करने के लिए जो उपक्रम करते हैं वही एथोपोलोजी है। एथोपोलोजी की इस परिभाषा पर हरा विद्या के विद्वत्समाज में कोई विशेष विद्याद नहीं है। लेवी स्ट्रॉस धारक विद्वान हैं इसलिए वे अपनी बात स्पष्ट कह जाते हैं। बाकी विद्वान इसी बात को पुमा-फिराफर कहते होंगे। पर यह तो साक है कि एथोपोलोजी के माध्यम से अपने ही समाज का अध्ययन नहीं हुआ करता न पराजित और खड़ित समाजों के विद्वान इस विद्या को उलटा कर विजेता समाजों का अध्ययन करने के लिए इसे बरत सकते हैं। पर भारतीय विद्वान भारतीय सम्यता पर ही एथोपोलोजी कर रहे हैं। भारतीय साहित्य पर अब तक जितना काम हुआ है और जो हो रहा है यह सब ऐसा ही काम है। या तो एथोपोलोजी की जा रही है या पश्चिम के एथोपोलोजीविदों के लिए सामग्री जुटाई जा रही है।

ऐसा नहीं कि इस काम में परिश्रम या युद्ध न लगती हो। बहुत विद्वान और बहुत मेहनत के काम अपने विद्वानों ने किए हैं। अभी कुछ बरस पहले महाभारत का टिप्पणी सहित एक संस्करण अग्रेजी में ग्रिटीकल एडीशन बनकर तैयार हुआ है। इसे बनाने में घालीस पचास साल की मेहनत लगी होगी। ऐसे ही रामायण के संस्करण बने होंगे। बेदों और दूसरे अनेक ग्रन्थों पर भी ऐसा काम हुआ होगा। फिर अनुवाद हुए हैं। संस्कृत पाली समिल और बहुत सी दूसरी भारतीय भाषाओं के कई ग्रन्थों का अग्रेजी में अनुवाद हुआ है। यूरोप की दूसरी भाषाओं में भी अनुवाद विस्तृत हो रहा है। यहाँ की भाषाओं में भी हुए हैं। गीताप्रेस गोरखपुर वाले तो बहुत सारे प्राचीन साहित्य के सरल हिन्दी अनुवाद कर उसे सामान्यजनों तक पहुंचाने का अधिक प्रयास किए जा रहे हैं। गुजराती में भी बहुत से अनुवाद हुए हैं। यह सब हुआ है। और यह बहुत परिश्रम और विद्वत्ता का काम ही हुआ है।

पर यह सारा काम भारतीय विद्या का काल की किसी अपनी समझ के घरातल से

नहीं परिवर्तन की विद्युदृष्टि के आलोक में हुआ है। या फिर खाली भवित्व की रौ में बहकर कुछ पुण्य कमाने की दृष्टि से अनुवाद और टीकाए होती गई हैं। इसलिए इन सब अनुवादों और संस्करणों आदि से भारतीयता की समझ के प्रखर होने की दिशा आधुनिकता के हिसाब से भारतीय साहित्य का एक भाष्य-सा बनता चला गया है।

उदाहरण के लिए श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकर के पुरुष-सूक्त के अनुवाद व भाष्य को देखिए। उसमें उन्होंने ला दिया है कि ग्रहण के तप से जिस राज्य की अभियर्थित हुई उसके ये ये विभाग थे। पुरुषसूक्त का भाष्य करते हुए राज्य के दीसियों विभाग उन्होंने गिना दिए हैं। मानो अग्रेजी साम्राज्य के विभागीय अफसरशाही वाले राज्य की कल्पना ही पुरुषसूक्त का सन्देश हो। श्री सातवलेकर तो आधुनिक भारत के महर्षि जैसे माने जाते हैं। उनका परिश्रम उनकी विद्वता और भारत की प्रज्ञा में उनकी निष्ठा सब उची कोटि की थी। पर आधुनिकता के प्रवाह में ये भी ऐसा बहे कि उन्हें पुरुषसूक्त में अग्रेजी राज्य व्यवस्था का पूर्वाभास दिखाई देने लगा। भारतीय साहित्य पर जो वाकी काम हुआ है वह भी कुछ ऐसा ही है। उसका सार यही निकलता है कि आधुनिक परिवर्तन में कोई विशेष वृत्ति या समझ है तो वही वृत्ति वही समझ अपने ग्रन्थों में पहले से ही थी और आधुनिक परिवर्तन के मुकाबले अधिक सबल-स्पष्ट थी।

पिछले बीस तीस वर्षों में ऐसा ही काम और ज्यादा होने लगा है। पर इस सबका क्या लाभ ? दूसरों की समझ के अनुरूप दूसरों के मुहावरे में ही बातचीत करनी है तो अपने प्राचीन साहित्य को बीच में क्यों घसीटा जाए ? बीसवीं सदी की परिवर्ती आधुनिकता को ही प्रतिपादित करना है तो उसके लिए अपने पूर्वजों को साक्षी बनाने की तो जरूरत नहीं है। अपने पूर्वजों और उनका साहित्य तो अपने भारतीय चित्र व काल के ही साक्षी हो सकते हैं। उन्हें परिवर्ती आधुनिकता का साक्षी बनाकर खड़ा करना सो अनाचार ही है।

अपने यहा प्राचीन साहित्य पर होने वाले काम का एक और उदाहरण देखिए। पिछले बहुत समय से शायद सौ-एक वरस से हमारे विद्वान लोग इस देश की विभिन्न विद्याओं की विभिन्न माध्याओं में ज्ञात पाण्डुलिपियों की उपलब्ध सूचियों का एक सकलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सकलन को बनाने वाले विद्वानों ने लम्हे मेहनत के बाद यह जाना है कि सत्सूक्त प्राकृत पाली तमिल आदि माध्याओं की ज्ञात पाण्डुलिपियों की दो हजार के लगभग सूचिया या कैटलाग हैं। ये दो हजार कैटलाग शायद सात-आठ सौ अलग-अलग स्थानों से सम्पन्नित हैं। इनमें से सौ-दो सौ स्थान भारत के बाहर होंगे। यह केवल कैटलागों या सूचियों की बात है। मान लिया जाए कि प्रत्येक

सूधी में सौ दो सौ के लगभग पाठुलिपिया होंगी तो इन सूधियों में दर्ज पाठुलिपियों की गिनती दो-चार लाख बैठकी है। ये दो चार लाख पाठुलिपिया कहा-कहा घिखरी होंगी और किस स्थिति में होंगी इसका तो अनुमान भी नहीं लागाया जा सकता।

अब यह कितनी मेहनत कितनी विद्वता का काम है? सात आठ सौ स्थानों पर रखी पाठुलिपियों को इकट्ठा पर उनकी एक लम्बी समन्वित सूधी बनाना कोई आसान काम तो नहीं रहा होगा। लेकिन हम क्या यत्ने इस समका? दो-चार लाख पाठुलिपियों की जो यह समन्वित सूधी है वह हमारे किस काम आएगी? यह सूधी तो पिछ्ले सौ ढेव सौ साल में सकलित हुई है। कुछ विदेशियों ने बनाई है कुछ हमारे विद्वानों ने बनाई है। पर हमें तो यह भी नहीं गालूम की इस सूधी में जो पाठुलिपिया दर्ज हैं उनमें से कितनी अभी बढ़ी हैं और कितनी को खोलकर अभी भी पढ़ा जा सकता है। इनमें से कितनी माहको फिल्म हो सकती है इसका तो शायद कोई ठीक अदाजा नहीं है।

इन पाठुलिपियों को पढ़ा ही नहीं जा सकता तो उनकी ये सूधियाँ हम किस लिए बना रहे हैं? ऐसे सो ऐसा भी माना जाता है कि भारतीय भाषाओं की कुल पदास करोड़ के आस-पास पाठुलिपिया इधर-चधर पड़ी होंगी। जो साहित्य हमारे पास आसानी से उपलब्ध है उसी को हम देख समझ नहीं सकते तो इन पदास करोड़ की बात सो निरर्थक ही है।

यह ठीक है कि विद्वता के क्षेत्र में ऐसे काम भी हुआ करते हैं। ठीक-ठीक चलते समाजों में ऐसी विद्वता भी समा जाती है। जिन पढित लोगों को कवित ही करने होते हैं उन्हें अपने कवित करने दिया जाता है। और सबसे समाज इस प्रकार की विद्वता को भी कभी न कभी काम पर लगा लेते हैं। लेकिन उन समाजों में भी अधिकतर काम सो मुख्य धारा में एक विशेष दिशा में एक दूसरे को समर्थन देते हुए, एक-पर एक को जोड़ते हुए ही किए जाते हैं। हमारे यहा तो भारतीय विद्या पर होने वाले कार्मों की कोई मुख्य धारा ही नहीं है कोई दिशा ही नहीं है। सारे का सारा काम ही जैसे कोई मानसिक ऐयाशी हो।

पर हमारे पास तो इस तरह की ऐयाशी के लिए न साधन हैं न समय। हमें अपने विषय व काल को समझना है अपने दो पैरों पर खड़े होने के लिए कोई धरातल बनाना है तो इस तरह की दिशाहीन विद्वता से कुछ नहीं बनेगा। उसके लिए तो अपने पूरे साहित्य को देख समझकर जल्दी से एक मोटा मोटा वित्र बनाना होगा। शाद में उस वित्र में दिभिन्न रंग भरते जाएं रेखाएं सुस्पष्ट होती जाएंगी। पर हमें अपनी दृष्टि से अपने को और विषय को देखने की एक दिशा तो मिल जाएगी अपना कोई धरातल दो

होगा। अपनी दिशा बदलने के काम कोई सदियों में नहीं किए जाते। ये काम तो दो-चार साल में ही पूरे किए जाते हैं और ऐसे किए जाते हैं कि छह-सात महीनों में ही अपनी कोई रूपरेखा उभरने लगे।

अपने पुराने साहित्य का अध्ययन कर इस तरह की कोई रूपरेखा बना लेने की बात जब मैं करता हूँ तो मित्र लोग कहते हैं कि भई आप इसमें मत पड़िए। यह तो समझ नहीं आएगा। इसे जानने के लिए तो सास्कृत पढ़नी पड़ेगी। अंग्रेजी में पढ़कर या हिन्दी में पढ़कर तो सद्य गलत ही समझ देनेगी। पढ़ना ही है तो सस्कृत में पढ़ो। पहले सास्कृत सीख लो।

लेकिन सस्कृत जानने वाले कितने लोग हैं इस देश में? यहा तो अब सस्कृत में डाक्टरेट भी सस्कृत सीखे दिना ही भिल जाती है। अंग्रेजी में प्रवाचनग्रन्थ लिखकर ही सस्कृत की डाक्टरेट हो जाती है। अब सस्कृत पढ़ने वाले विद्वान् तो शायद जर्मनी में ही पिलते हैं। जापान के कुछ विद्वान् भी पढ़ते होंगे। लंस-अमेरिका वाले भी शायद पढ़ते हों। हमारे यहाँ के आधुनिक विद्वानों में तो सस्कृत में कोई विशेष लिखना-पठना नहीं होता। हजार-पाँच सौ सस्कृत जानने वाले पठित शायद बचे हों इधर-उधर। लेकिन यह सम्भव है कि पारम्परिक यिद्वायाराओं से जुड़े परिवारों में थार-छह लाख लोग अभी भी सस्कृत समझ दें पढ़ सकते हों।

सुबह आकाशवाणी पर सस्कृत में जो समाचार आते हैं उन्हें सुनने-समझने वाले भी शायद ज्यादा नहीं हैं। मैंने श्री रणनाथ रामचंद्र दिवाकर से एक बार पूछा था कि इन समाचारों को सुनने वाले दस लाख लोग होंगे क्या? ये बुजुर्ग थे विद्वान् थे लम्हे समय तक जनजीवन में रहे थे। उनका कहना था कि नहीं इतने लोग तो नहीं सुनते होंगे। पीछले दिनों तमिल पत्र 'दिनमणी' के पूर्व सम्पादक और वयोवृद्ध विद्वान् श्री शिवरमण से भैंट हुई। उनसे मैंने पूछा कि दक्षिण में तो सस्कृत पढ़ने-पढ़ाने की परम्परा रही है यहा ठीक से सस्कृत जानने वाले विद्वान् होंगे? विद्वान् होंगे जो दिना रुके सस्कृत पढ़ लिख बोल सकते हों? उनका कहना था कि एक भी नहीं। पिछे कहने लगे हो सकता है हजारेक लोग निकल आए जो अच्छी सस्कृत जानते हों। इससे ज्यादा तो नहीं।

तो अपने देश में अगर सस्कृत की यह अवस्था है सस्कृत यहा रही ही नहीं सस्कृत जानने वाले ही नहीं रहे तो अपने धित्र व काल की रूपरेखा बनाने के लिए हम सस्कृत के लौट आने की प्रतीक्षा तो नहीं कर सकते। जिस अवस्था में हम हैं वहीं से घलना पड़ेगा। जो भाषाएँ हमें आती हैं उन्हीं के माध्यम से कुछ जानना पड़ेगा। यिद्वाया का शायद यह तरीका न होता हो। पर अभी आवश्यकता प्रकाढ़ विद्वास की नहीं विस्ती-

प्रकार इस भटकाव से बाहर निकलने की है। अपनी कोई दिशा ढूँढने की है। स्थिर होकर खड़े होने और अपने ठग से विद्य को समझने के लिए धरातल तैयार करने की है। यह धरातल तैयार हो जाएगा तो प्रकाण विद्वत्ता के लिए भी रास्ते निकल आएगे। सस्कृत पढ़ने सीखने वा कोई भी गुणीता हो जाएगा। उस सबके लिए समय है। पर अपना धरातल ढूँढने के काम को पूरा करने के लिए तो यहुत समय अपने पास नहीं है। कितनी देर तक एक पूरी सम्पत्ता अधर में लटकी खड़ी रह सकती है ?

### ३ महत्त्व सही जवाब का नहीं, सही सवाल का है

हमारे पैरों के नीचे अपनी कोई जमीन नहीं है। अपने चित्त व काल का अपना कोई धित्र नहीं है। अपनी कोई विशदृष्टि नहीं है। इसलिए ठीक-ठाक चलने वाले समाजों के लोग त्रो वार्ते सहज ही जान जाते हैं यही वार्ते हमें भूलभुलैया में छाले रखती हैं। राज समाज व व्यक्ति के आपसी सम्बन्ध क्या होते हैं? किन किन क्षेत्रों में इनमें किस किसकी प्रधानता होती है? व्यक्ति-व्यक्ति के बीच सम्बन्धों के आधार क्या हैं? शील क्या होता है? शिष्ट आधरण क्या होता है? शिक्षा क्या होती है? सार्वर्य क्या होता है? इस प्रकार के अनेक प्रश्न हैं जिनके उत्तर एक स्वस्थ समाज में किसी को खोजने नहीं पड़ते। अपने चित्त व काल के अनुरूप चल रहे समाजों में ये सब वार्ते अपने आप परिमापित होती चली जाती हैं। पर हम क्योंकि अपने मानस व काल की समझ खो देते हैं अपनी परम्परा के साथ जुड़े रहने की कला भूल गए हैं इसलिए ऐसे सभी प्रश्न हमारे लिए सतत खुले पड़े हैं। देश के साधारण लोगों में सही चिन्तन व सही व्यवहार का कोई सहज विवेक शायद अभी भी बया ही होगा। लेकिन उन लोगों में भी अब अक्सर दुष्प्रिय ही दिखाई देती है। पर अपने भद्र समाज में तो हर स्थान पर हर सन्दर्भ में विस्मृति और प्रान्ति जैसी स्थिति बनी हुई है। सही गलत का जैसे कोई विवेक ही न बया हो।

मुझे कुछ साल पुरानी एक घटना याद आ रही है। तब आश्चर्यदेश के उस समय के राज्यपाल शृंगेरी के शक्तराचार्य से मिलने गए थे। बातधीत में वर्णव्यवस्था का कोई सन्दर्भ आया होगा और शृंगेरी के आधार्य इस व्यवस्था के विषय में कुछ बताने लगे होंगे। इस पर राज्यपाल ने आचार्य से कहा कि वर्णव्यवस्था की बात तो आप मत ही करें। शृंगेरी के शक्तराचार्य यह सुनकर चुप हो गए। बाद में वे अपने अनुज आधार्य से खोले कि देखो कैसा समय आ गया है? वर्ण पर अब बात भी नहीं की जा सकती।

यह कैसी विचित्र घटना है? बात वर्णव्यवस्था के सही या गलत होने की नहीं थी। लेकिन राज्यपाल का इस विषय पर चर्चा ही वर्जित करना तो अजीब है। अपनी परम्परा और अपने मानस को समझने वाले किसी समाज में इस तरह की बातधीत की

कल्पना भी नहीं की जा सकती। राज्यपाल इतना भी नहीं समझते थे कि समाज सरमना के यारे में धर्माचार्यों को अपने मन की बात कहने से रोका नहीं जाता। और शुगेरी आचार्य शायद भूल गए थे कि वे किसी राज्य के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं। उनका उच्चरदायित्व तो अपनी परम्परा और अपने समाज तक ही सीमित है। अपनी परम्परा और अपने समाज के विचार को अपनी समझ के अनुसार अभिव्यक्त करते रहना उनका कर्तव्य है। वे किसी राज्यपाल को इस अभिव्यक्ति को परिसीमित करने की छूट कैसे दे सकते हैं?

आचार-व्यवहार में सहज विवेक न रख पाने के बहुत से प्रसंग मिलेंगे। श्री पुरुषोत्तम दास टड़न देश के बहुत बड़े और विद्वान नेता थे। स्वराज की लडाई में उनकी भागीदारी किसी और से कम नहीं थी। अहिंसा में उनका अदृष्ट विकास था। और अहिंसापालन की दृष्टि से ये किसी मोर्ची के हाथ के गढ़े घमड़े के जूते पहनने की बजाय बाटा के बने रखड़ के जूते पहनते थे। इसी विचार के और बहुत से लोग रहे होंगे। अब जीवहत्या के बारे में इतना सजग रहने की बात तो निश्चित ही बड़ी है। पर अहिंसा केवल जीवहत्या के निरोध का सिद्धात तो नहीं है। अहिंसा एक व्यापक जीवनदृष्टि का अप है। और उस जीवनदृष्टि के अनुसार अपनी आवश्यकताओं को घटाते जाना और जो घटाई न जा सकें उन सभी आवश्यकताओं को अपने आस पड़ोस के परिवेश से ही पूरा कर लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जीवहत्या से बदना। इसीलिए महात्मा गांधी के लिए अहिंसा और स्वदेशी के सिद्धात एक ही थे। अपने पड़ोस के मोर्ची को छोड़कर बाटा बालों से रखड़ का जूता बनवानी की बात तो अहिंसा और स्वदेशी बाली इस जीवनदृष्टि के न सत्त्व बोध से मेल खाएगी न साँदर्भ बोध से ही।

ग्रामोद्योगों और खादी को बढ़ावा देने के लिए हजारों मील दूर बना विशेष सामान बरतने कि जो प्रवृण्डि हमारे युछ भद्र लोगों में आजकल चली है वह भी किसी भी बात के सनातन सत्त्व और सम्यासापेष्ठ बाह्य स्वरूप में विवेक न कर पाने का ही उदाहरण है। खादी और ग्रामोद्योग आदि तो स्वदेशी के भाव के बाह्य उपकरण मात्र थे। मूल बात तो समाज की जरूरतों को आस-पड़ोस के साधनों और क्षमताओं के माध्यम से पूरा कर लेने की वृत्ति की थी। वह दृष्टि स्वदेशी का सत्त्व था। उस सत्त्व को छोड़ हम केवल उपकरणों की पूजा में लग गए हैं।

पर ये तो शायद व्यक्तिगत आचरण भर की बातें हैं। इन बातों में व्यक्तियों से भूल हो जाती होगी। पर हम तो शिक्षा जैसे सामूहिक विवेक के विषय में भी ऐसे भूले हुए दिखते हैं। अभी पिछले दिनों सारनाथ में एक गोठी हुई थी। उस गोठी में अनेक विद्वान

इकड़े हुए थे। विक्षिपिदियालयों के गुलपति थे दर्शनशास्त्र के ऊर्ध्वे प्रोफेसर थे बड़े बड़े साहित्यकार थे। ये सब शिक्षा के विषय पर विद्यार करने के लिए वहां पहुंचे थे। सुन्दर जगह थी। सारनाथ में बौद्ध ज्ञान का एक बहुत बड़ा सम्पादन है तिम्बतन इस्टीट्यूट। उसी सम्पादन में यह गोष्ठी हो रही थी। और सम्पादन के निदेशक सम्पूर्ण रिन पो-चे जो स्वयं यहुत उच्च विद्वान हैं वे भी गोष्ठी में घराघर बैठे थे (तिम्बतन में सबसे बड़े आदार्य रिन पो छे कहलाते हैं दलाईलामा भी।)

गोष्ठी के प्रारम्भ में ही यह प्रश्न उठा कि जिसे हम शिक्षा कहते हैं उसकी कोई परिभाषा है वहा ? मैंने ही प्रश्न उठाया कि हम किसे शिक्षा कहते हैं ? लिखने-पढ़ने की कला ही शिक्षा है वहा ? या कुछ और है ? उस समय तो इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। पर याद में चौथे दिन गोष्ठी के समाप्त होने से कुछ ही पहले श्री सम्पूर्ण रिन-पो छे से योलने के लिए कहा गया तो वे इस प्रश्न की ओर मुड़े। उन्होंने कहा कि इस गोष्ठी में घार दिन जो यारें होती रही हैं उन्हें मैं तो कुछ समझ नहीं पाया क्योंकि मैं तो इस 'स्मृकेश्वन' शब्द का अर्थ ही नहीं जानता। वैसे अग्रेजी मुझे ज्यादा आती भी नहीं। हा 'शिक्षा' शब्द को तो मैं समझता हूँ। और हमारे यहां इस शब्द का अर्थ प्रज्ञा शील और समाधि के ज्ञान से होता है। इन तीनों को जानना शिक्षा है वाकी जो तकनीकें हैं प्रौतिक विज्ञान हैं शिल्प और कलाएँ आदि हैं वे शिक्षा में नहीं आती। वे कुछ दूसरी चीजें हैं। उन्हें हमारे यहां शिक्षा नहीं माना जाता।

शिक्षा की यह परिभाषा यदि सही है यदि प्रज्ञा शील और समाधि के ज्ञान को ही अपने यहां शिक्षा माना गया है तो इसे तो समझना पड़ेगा न। और यह भी देखना पड़ेगा कि इस दृष्टि से हमारे यहां कितने लोग शिक्षित हैं। हो सकता है बहुत नहीं हों। हो सकता है केवल आधा प्रतिशत लोग ही प्रज्ञा शील और समाधि में शिक्षित हों या शायद पाच प्रतिशत तक ऐसे लोग निकल आए। लेकिन भान लिजिए कि आधा प्रतिशत ही शिक्षा की इस परिभाषा की कस्तूरी पर शिक्षित निकलते हैं। पर ये आधा प्रतिशत भी वाकी सासार में प्रज्ञा शील और समाधि को जानने वालों के मुकाबले पांच-दस गुना अधिक बैठते होंगे। शिक्षा की अपनी इस मान्यता के अनुसार हम विष्णु के समरो अधिक शिक्षित लोगों में से होंगे।

या किर प्रज्ञा शील और समाधि के ज्ञान को हम शिक्षा नहीं मानते। शायद आघरण और व्यवहार की कला को जीविका धता पाने की क्षमता को हम शिक्षा मानते हैं। उस दृष्टि से देखें तो भारत के १०-१५ प्रतिशत जोग शिक्षित ही निकलेंगे। और अधिक भी शिक्षित हो सकते हैं। पर हो सकता है कि इस दृष्टि से देखने पर हम जैसे ५

प्रतिशत लोग कुछ अशिक्षित ही निकले। क्योंकि हम जैसों को तो न आधरण आता है न व्यवहार आता है न जीविका चलाने की बोई यत्ता आती है।

लेविन शायद हम आचरण व्यवहार और काम धर्षे चलाने की क्षमता को भी शिक्षा नहीं मानते। अक्षर ज्ञान को ही शिक्षा मानते हैं और उस दृष्टि रो देखकर पाते हैं कि भारत के ६० ७० या ८० प्रतिशत लोग अशिक्षित ही हैं। लेकिन शिक्षा के माध्यम से कैसा अक्षरज्ञान हम लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं?

मान लिजिए किसी को खाली भोजपुरी ही लिखनी पड़ती आती है। उसे हम शिक्षित मानेंगे या अशिक्षित। शायद वह हमें अशिक्षित ही दिखाई देगा। हम कहेंगे कि भई इसे अक्षर ज्ञान तो है पर भोजपुरी का अक्षरज्ञान तो कोई अक्षरज्ञान न हुआ। इसे तो अच्छी नागरी हिन्दी भी नहीं आती। नागरी हिन्दी न आए सब तक हम इसे शिक्षित कैसे मान लें?

पर पिंजर कोई कहेगा कि खाली नागरी हिन्दी से भी क्या होता है अच्छी सस्कृत आनी चाहिए। कोई और कहेगा कि सस्कृत रो भी कैसे यलेगा? अग्रेजी आनी चाहिए, और वह भी शेक्सपीयर वाली ही आनी चाहिए। या आकर्सफोर्ड में अग्रेजी पढ़ाई जाती है या बीबीसी पर जो बोली जाती है वही अग्रेजी आनी चाहिए। पिंजर कोई कहेगा की हा वैसी अग्रेजी सो इसे आती है। पर अमेरिका में यह अंग्रेजी ऐकार है। अमेरिका वालों की तो अग्रेजी दूरारी है और आज ससार में जो चल रही है वह तो अमेरिकी अग्रेजी है। वह इसे नहीं आती तो इसे अक्षरज्ञान तो नहीं हुआ ठीक से। इसे शिक्षित मान लें?

इस राष्ट्रके बाद जब हममें से कुछ अमेरिकी अग्रेजी सीख जाएंगे तो कोई और कहेगा भई अप सो अमेरिका वालों के दिन भी लद गए। अब तो किसी और के दिन आ रहे हैं। शायद जर्नीवालों के आ रहे हो या शायद रसियों के ही आ रहे हों। हो सकता है अफ्रीकावालों में से किसी के दिन आ जाए। या अरबों के ही आ जाए। तब हम कहेंगे कि उनकी भाषा है उसका अक्षरज्ञान हो तो हम अपने लोगों को शिक्षित मानेंगे। उसके बिना तो हम राब अशिक्षित ही हैं।

यह हम किस घटकर में फैस गए हैं? इस तरह दुनिया की बहती हवाओं के राष्ट्र द्वुक-द्वुककर हम कहाँ पहुँचेंगे? हमें इस घटकर से निकलना है तो अपना कोई स्थिर धराताल खोजना पड़ेगा। अपने चित्त व काल को समझकर अपने साहित्य की सम्पूर्णता का अनुमान सा लगाकर एक सैद्धांतिक ढावा तो हमें बनाना ही पड़ेगा ताकि सही-गलत के विवेक का कोई आधार हमें मिल पाए। आधरण की व्यवहार की और रोजर्मर्स के विभिन्न सम्बन्धों की कुछ सहज परिभाषाएं हो पाए। अपने हिराय से चल निकलने

का कोई रास्ता निकल आए।

हो सकता है कि जो सैद्धांतिक ढावा हम बनाएंगे वह बहुत सही या बहुत टिकाऊ नहीं होगा। शायद पाच-सात साल में उसे बदलना पड़ेगा। पर सैद्धांतिक ढावे तो सब ऐसे ही होते हैं। ये सब तो व्यक्ति के अपने उपक्रम हैं परमात्मा के द्वारा सनातन सत्य जैसे तो वे नहीं हो सकते। सैद्धांतिक ढावे धुरुस्त होते रहते हैं बदलते रहते हैं। भौतिक विज्ञान के मूल सिद्धांत बदल जाते हैं राजनीति विज्ञान की मौलिक परिभाषाएं बदल जाती हैं दर्शनशास्त्र की दिशा बदल जाती है। इस सब में सनातन तो कुछ नहीं होता। और कुछ सनातन होता है सैद्धांतिक ढावे के आधार में कुछ मूलभूत सत्य होता है तो वह सनातन सत्य ढावे के बदल जाने से प्रभावित नहीं हुआ करता। वह तो रह ही जाता है। पर ससार के काम अस्थायी काम घलाउ सैद्धांतिक ढावों के आधार पर ही चला करते हैं। ऐसा ही एक कामघलाऊ ढावा हमें अपने धित व काल की अपनी समझ का भी बना लेना है।

और यह काम हमें स्वयं ही करना पड़ेगा। बाहर याते आकर हमें ऐसा कोई ढावा बनाकर नहीं दे सकते जो हमारे सहज चित व काल के अनुरूप बैठता हो। वे चाहते हों तो भी यह काम नहीं कर पाएंगे। ये काम तो यहीं के लोगों के करने के हैं।

भारत के सनातन सत्य का कोई छोर पकड़ लाने की बात मैं नहीं कर रहा। बात तो कोई ऐसा धरातल तैयार करने ही है जहा खड़े होकर सही प्रश्न पूछे जा सकें। प्रश्न उठने लगें तो उत्तर भी निकलते आएंगे। या शायद उत्तर नहीं भिलेंगे। पर प्रश्नों के उठने से सही रास्ते का कुछ विषेष तो होने लगेगा। सामान्य आधार व्यवहार में भ्रान्ति की स्थिति सो नहीं रहेगी।

मद्रास के श्री शिवरमण तो कहत हैं कि प्रश्न पूछते जाना ही भारतीय सत्य साधना का मूल है। उनका मानना है कि उपनिषदों में उत्तर तो कोई बहुत ठीक नहीं है पर प्रश्न बहुत बड़े हैं। स्मृतियों में भी उनका कहना है कि प्रश्न बहुत ऊंचे हैं। और फिर अपने सभी प्राधीन ग्रन्थों में प्रश्नोत्तर के माध्यम से ही सो सब कुछ कहा जाता है।

वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग है। रामघटजी जय चित्रकूट से आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में खूब अस्व शस्त्रों से लैस होते चले जाते हैं। तब सीता उन्हें कहती हैं कि यह वया हो गया है आपको? वन में तो ऐसे नहीं रहा जाता। आप तो हिंसा की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। यह तो अच्छा नहीं है। रामघटजी सीता की यात का कुछ जवाब जरूर देते हैं। पर वह क्षमा रा जवाब है। महत्व सीताजी के प्रश्न का ही है। उत्तर का नहीं। बात हिंसा अहिंसा की वृत्तियों पर और अनेक सही सन्दर्भों पर धित्तन करने वी है।

किसी अन्तिम समाधान पर पहुँचने की नहीं।

ऐसे ही नारदपुराण में महर्षि भरद्वाज और भृगु के बीच एक सवाद है। भरद्वाज पूछते हैं कि आपके अनुसार थतुर्वर्ण व्ययस्था में एक वर्ष दूसरे वर्ष से सर्वथा भिन्न होता है। पर इस भिन्नता का आधार क्या है? टह्ही पेशाब और पसीना तो सभी को आता है। रक्त पित्र और कफ आदि भी सभी के शरीर में रहते हैं। फिर उनमें भिन्नता कैसी है? भृगु कहते हैं कि आरम्भ में तो सभी एक ही वर्ष के थे। फिर अपने अपने कर्मों से वे भिन्न होते गए। फिर भरद्वाज पूछते हैं कि कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र कैसे बनता है? भृगु कहते हैं कि कर्मों और गुणों से ही इस प्रश्न का निर्णय होता है। और इस तरह सवाद चलता रहता है।

यहाँ भी प्रश्न का कोई अन्तिम समाधान नहीं हुआ। पर समाज सर्वतों के बारे में प्रश्न पूछते रहने इस विषय पर धिन्तान करते रहने और समय व सदर्भ के अनुरूप कुछ स्थायी-अस्थायी समाधान निकालते रहने का यह तरीका ही शायद भारतीय तरीका है। इसमें महत्व सही सनातन चतुर पाने का नहीं सही सटीक प्रश्न उठाने का है। प्रश्न उठाते रहने के उस तरीके को हमने कहा खो दिया है? उन बड़े प्रश्नों को उठाना ही हम एक बार फिर शुरू कर दें तो हमारा सहज विवेक लौट ही आएगा।

## ४ अपने चित्त को समझे बिना हमारा काम नहीं घलेगा

अपने चित्त मानस व काल का सहज धरातल हमसे छूट गया है। अपने ससार को छोड़ किन्हीं और के ससार में हम रहने लगे हैं। पर उस दूसरे ससार में जीना हमें आता नहीं। उसमें हम सभा नहीं पाते। हमारे यडे बडे राजनेताओं से विद्वानों से और व्यापारियों आदि से भी यह नहीं हो पाता कि वे दूसरों के उस ससार में स्व-पथ जाए। प्रयास वे अवश्य करते हैं और उस प्रयास में वे प्राय असफल होते हैं क्योंकि जिस ससार में वे समाना चाहते हैं वह उनका है ही नहीं। उस ससार की कोई ठीक समझ भी उन्हें नहीं हो सकती।

अपने ससार में लौटे बिना अपने सहज चित्त मानस व काल के धरातल को दूरे बिना अपना काम चलने वाला नहीं है। भारतीय चित्त में जो अकित है और उसका काल के साथ जो सम्बन्ध है वह भारतीय सम्यता में कई प्रकार से अभिव्यक्त हुआ होगा। उन अभिव्यक्तियों को देखने-समझने से अपने चित्त व काल का कुछ चित्र तो उभरेगा। भारतीय सम्यता का जो पुराना साहित्य है उसे भी भारतीय चित्त व काल की एक अभिव्यक्ति के रूप में ही देखा जाना चाहिए। उस साहित्य में शायद भारतीयता की सहज भारतीय चित्त व काल की बहुत विशद झलक मिल जाए।

यह सही है कि भारतीय साहित्य में जो है वह सब का सब सीधे चित्त व काल के स्वरूप से सम्बन्धित नहीं होगा। इस विशाल साहित्य में अनेक विषयों पर अनेक प्रकार की बातें हैं। पर वे सब बातें भारतीय चित्त व काल के सहज धरातल से ससार की भारतीय समझ के अनुलप और भारतीय मुहावरे में ही की गई होंगी। फिर जो बातें इस साहित्य में बहुत मौलिक दिखाई देती हैं जो सारे कथ्य का आधार सी लगती हैं और जो विभिन्न प्रकार के साहित्य में बार बार दोहरायी जाती हैं वे बातें तो शायद भारतीय चित्त व काल की सहज वृत्तियों की परिचायक ही होंगी।

जैसे पुराणों में सृष्टि के सर्जन और विकास की कथा है। उसका तो भारतीय चित्त व काल के साथ सीधा सम्बन्ध दिखाई देता है। यैसे हर सम्यता की सृष्टि की

अपनी एक गाथा होती है और वह गाथा शायद उस सम्प्रता की मूल वृत्तियों को यहुत गहराई से प्रभावित किया जाती है। आदम और ह्या की कथा उनका ज्ञान के वृक्ष के फल को खा स्वर्ग से निष्कासित होना और फिर ज्ञान के ही माध्यम से निरन्तर उसी स्वर्ग को छते जाना उसकी ओर आगे ही आगे बढ़ते जाना—यह पवित्री गाथा शायद वहा की सारी सोध-समझ को प्रभावित किए रहती है। वहा के सारे साहित्य में और आधुनिक ज्ञान-विज्ञान व तकनीक आदि में भी उनकी सृष्टि की इस गाथा की झलक देखी जा सकती है।

पुराणों में सृष्टि की जो गाथा गाई गई है वह तो अपने आप में यहुत सशक्त है। इस गाथा के अनुसार ब्रह्म के सप व सकल्प से सृष्टि का सर्जन होता है और फिर यह अनेकानेक आवर्तनों से होती हुई वापस ब्रह्म में लीन हो जाती है। ब्रह्म से सर्जन और ब्रह्म में प्रलय यह यहा आवर्तन एक निश्चित कालक्रम के अनुस्मय दोहराया जाता रहता है। पर प्रत्येक बड़े आवर्तन के भीतर अनेक छोटे आवर्तन-प्रत्यावर्तन होते रहते हैं वार मार सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश होते रहते हैं। 'उत्पत्ति' और 'विनाश' शब्द शायद इस सन्दर्भ में उपयुक्त नहीं हैं। क्योंकि ब्रह्म सृष्टि का सर्जन करते हुए अपने से बाहर किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं करते हैं वे तो स्वयं सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ब्रह्म की यह अभिव्यक्त ही सृष्टि है और उस अभिव्यक्ति का समुच्चन ही प्रलय है। ब्रह्म के व्यास और समुच्चन की ही यह सब लीला है। इसके अतिरिक्त न यिन्सी वस्तु या भाव की उत्पत्ति होती है न विनाश। ब्रह्म की इस लीला या जो सुव्ययस्थित कालक्रम दिया गया है उसकी जानकारी शायद यहुतों को न हो। पर ब्रह्म की यह लीला अनादि और अनन्त है यह विद्यार प्राय भारतीयों के विद्व में रहता ही है।

सृष्टि और प्रलय के आवर्तनों की इस सीला में आवर्तन का मौलिक कालाय घतुर्युग है। सृष्टि का प्रत्येक आवर्तन वृत्त युग से आरम्भ होता है। और सृष्टि का यह आरम्भिक काल आनन्द का काल है। इस युग में जीव शायद अभी ब्रह्म से यहुत दूर नहीं हुआ है। जीव जीव में तो कोई भिन्नता है ही नहीं। सभी एक वर्ष है। या वर्ष की अभी यात ही नहीं है।

इस युग में सृष्टि अभी यहुत सहज रूप में है। कहीं कोई जटिलता नहीं है। मद मोह लोभ अहकात जैसे भाव उत्पन्न ही नहीं हुए। 'काम' भी नहीं है। सन्तानोरपणि मात्र सकल्प से ही होती है। जीवन की आवश्यकताए बहुत कम हैं। जीवन घलाने के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता। 'मधु' पीकर ही सब जीवित रहते हैं। यह 'मधु' भी सहज प्राप्य है। मधुमक्खियों के प्रयत्न से बना मधु यह नहीं है। इस सहज

आनन्दमयी सृष्टि में ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए वेद भी अभी नहीं हैं।

आनन्द का यह युग बहुत लम्बे समय तक चलता है। पौराणिक गणना के अनुसार कृत का काल १७ २८ ००० यरस का है। पर समय के साथ सृष्टि जटिल होती चली जाती है। सहज व्यवस्था में गठबंध होने लगती है। धर्म की हानि होने लगती है। कृत युग में ही कर्ता के विभिन्न अशावतारों को आकर्ष सृष्टि में धर्म की पुनर्स्थापना के प्रयास करने पड़ते हैं। विष्णु के भी अवतार होते हैं। और कृत युग में ही धर्म की हानि और उसकी पुनर्स्थापना का क्रम कई बार दोहराया जाता है। पर लगता है कि धर्म की म्लानि और उसके पुनर्प्रतिष्ठापन के हर क्रम के बाद सृष्टि पहले से कुछ अधिक जटिल होती जाती है। आनन्द की मूल स्थिति से कुछ और दूर हटती जाती है। जीवन में कुछ और गिरावट आती जाती है। और इस तरह चलते चलते कृत का अन्त होता है और त्रेता का आरम्भ।

त्रेता में सृष्टि उत्तनी सहज नहीं रह जाती जितनी कृत में थी। कृत में धर्म धार पावो पर स्थिरता से टिका था। त्रेता में उसके तीन ही पाव रह जाते हैं। अपेक्षाकृत अस्थिरता की इस स्थिति में धर्म पर टिके रहने के लिए मानव को एक राजा और एक वेद की प्राप्ति होती है। मद गोह लोभ अहकार आदि जैसे मनोविकारों की उत्पत्ति भी इसी समय होती है। पर अभी ये विकार प्राथगिक अवस्था में ही हैं और उन्हें आसानी से नियन्त्रित किया जा सकता है।

त्रेता में जीवन की आवश्यकताएँ बढ़ने लगती हैं। मात्र 'मधु' से अब काम नहीं चलता। पर कृपि अभी नहीं होती। हल घलाने वीज बोने निराई-गुडाई आदि जैसी क्रियाओं की अभी जरूरत नहीं। अपने आप कुछ अनाज पैदा होता है। उस अनाज से और वृक्षों के फलों और मेवों आदि से जीवन चलता है। वृक्षों की भी बहुत जातिया नहीं है। कुछ गिनी-धुनी वनस्पतिया और वृक्ष ही अभी सृष्टि में पाये जाते हैं।

सीमित आवश्यकताओं के इस युग में मानव कुछ कला कौशल व तकनीकें सीखने लगता है। सहज पैदा होने वाले अनाज और फलों आदि को एकत्रित करने के लिए कुछ कला-कौशल चाहिए। फिर घर-बार गाव और नगर आदि बनने लगते हैं। इनके लिए और कलाओं व तकनीकों की आवश्यकता हुई होगी।

रूपि की इस बढ़ती जटिलता के साथ जीव जीव में विभिन्नता आने लगती है। त्रेता में मानव तीन यों में बट जाता है। ब्राह्मण क्षत्रिय और धैश्य ये तीनों त्रेता में उपस्थित हैं। पर शूद्र अभी नहीं देने। इस विभिन्नता और विभाजन के कारण भी जीव जीव के दीक्ष में सवाद व सम्पर्क में कोई व्यवधान अभी नहीं दीखता। मानव और अन्य

जीवों के दीव भी सवाद घलता रहता है। वाल्मीकि रामायण में वर्णित घटनाएँ ब्रेता के अन्त में घटती हैं। श्री राम का वानरों भालुओं और पक्षियों आदि को अपनी सहायता के लिए बुलाना और उनका श्रीराम के साथ मिलकर महायली और प्रकाश विद्वान् रावण की बहुसंख्य सेनाओं को हराना इस बास का परिचायक है कि ब्रेता के अन्त तक मानव और अन्य जीवों में सवाद टूटा नहीं है। जीव जीव में विभिन्नता आई है पर वह इतनी गहरी है कि सवाद व सम्पर्क की स्थिति ही न रहे।

ब्रेता युग भी बहुत लम्बी अवधि तक घलता है। पर ब्रेता का काल कृत के काल का तीन घौथाई ही है। कुछ ग्रन्थों के अनुसार श्रीराम के स्वर्गरोहण के साथ ही ब्रेता का अन्त होकर द्वापर का प्रादुर्भाव होता है। भारतीय दृष्टि से जिसे इतिहास कहा जाता है उसका आरम्भ भी द्वापर से ही होता दीखता है।

द्वापर में सृष्टि कृत युग की सहजता से बहुत दूर निकल चुकी है। रामी जीवों और भावों में विभिन्नता आने लगती है। ब्रेता का एक वेद अथ चार में विभाजित हो जाता है और फिर इन चार की भी अनेक शाखाएँ बन जाती हैं। इसी युग में विभिन्न विद्याओं और विधाओं की उत्पत्ति होती है। ज्ञान का विभाजन होता है। अनेक शास्त्र बन जाते हैं।

सृष्टि की इस जटिलता में जीवन यापन के लिए अनेक कलाओं और तकनीकों की जरूरत पड़ती है। अनेक प्रकार के शिल्प आते हैं। खेती भी अब सहज नहीं रहती। अनाज पैदा करने के लिए अब अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं। और इन विविध शिल्पों और कलाओं को बहन करने के लिए ही शायद शूद्र वर्ण बनता है। इस सरह द्वापर में चार वर्ण हो जाते हैं।

द्वापर एक प्रकार से राजाओं का ही युग दिखता है। कुछ लोग तो द्वापर का प्रारम्भ श्रीराम के अयोध्या के राजसिंहासन पर बैठने के समय से ही मानते हैं। महाभारत के शान्तिपर्व में और दूसरे पुराणों में राजाओं की जो अनेक कथाएँ हैं उनका सम्बन्ध द्वापर से ही दिखता है। ब्रेता की घटनाएँ वे नहीं लगती। राजाओं की इन कथाओं में चित्रित वातावरण रामायण की कथा के वातावरण से एकदम भिन्न है। रामायण में धर्म का ही साप्राज्य है। पर द्वापर के राजा लोग तो ब्रह्मियोधित आवेश में ही लिप्त हैं। उनमें अपार ईर्ष्या और लोभ है। कूरता उनके स्वभाव में निहित है। इसीलिए शायद यह माना गया है कि द्वापर में धर्म के केवल दो ही पाय बधे रहते हैं और उन दो पायों पर खड़ा धर्म छाकाढ़ोल रहता है।

धर्म की हानि और ब्रह्मियों की ईर्ष्या लोभ व कूरता के इस सन्दर्भ में ही पृथ्वी

विष्णु से जाकर प्रार्थना करती है कि इतना अधिक दोङ्ग अब उससे सहा नहीं जाता और इस दोङ्ग को हल्का करने का कोई चपाय होना चाहिए। तब विष्णु श्रीकृष्ण और श्री बलराम के रूप में अशायतार लेते हैं। उनकी सहायता के लिए अनेक दूसरे देवों के विभिन्न रूपों में अवतरण का आयोजन होता है। इस सारे आयोजन के बाद महाभारत का युद्ध होता है। उस युद्ध में धर्म की अर्धम पर विजय होती है ऐसा सामान्यत माना जाता है। पर इस विजय के बावजूद कलियुग का आना रुक नहीं पाता। महाभारत के युद्ध के कुछ ही सालों में श्रीकृष्ण और उनके बशज यादवों का अन्त हो जाता है। यही समय कलियुग के आरम्भ होने का माना जाता है। श्रीकृष्ण के अवसान की बात सुन पाठ्य द्वौपदी सहित अपने जीवन का अन्त करने के लिए हिमालय पर घले जाते हैं। उनका पोता परीक्षित महाभारत युद्ध में हुए सर्वनाश से किन्तु तरह बच गया था। वह भी कुछ ही सालों में सर्पविष से मारा जाता है। परीक्षित कलियुग का पहला राजा कहा गया है।

पौराणिक गणना के अनुसार श्रीकृष्ण के अवसान के साथ द्वापर का अन्त होकर कलियुग आरम्भ होता है। द्वापर की अवधि कृत युग की अवधि से आधी ही है। कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध द्वापर के अन्त और कलियुग के आरम्भ से ३६ साल पहले हुआ। आज की विष्वसनीय मानी जाने वाली गणनाओं से वर्तमान समय कलि का ५०९२ या साल बैठता है। यह कलियुग की शुरुआत ही है। याकी तीन युगों की तरह कलियुग की अवधि भी महुत लम्बी है चाहे यह कृत की अवधि का एक चौथाई ही है। कलियुग को कुल ४ ३२ ००० साल तक चलना है ऐसा कहा गया है।

कलियुग का मुख्य लक्षण यह है कि इसमें धर्म एक पाद पर टिका रहता है। धर्म की स्थिति द्वापर में ही ढावाडोल-सी रहती है। अब धर्म का सन्तुलन नितान्त्रा अस्थिर हो जाता है। कलियुग में सृष्टि कृत के सहज भेदभाव विहीन आनन्दमय काल से यहुत दूर निकल जटिलता विभिन्नता और विभाजन के धरम की ओर अग्रसर होती है। जीवन यापन इस युग में एक कठिन कला-सा बन जाता है। उसमें पहले युगों वाली कोई सहजता नहीं रहती। पर इस कठिन युग में जीव मात्र के लिए धर्म का मार्ग कुछ आसान कर दिया जाता है। जो पुण्य दूसरे युगों में अनेक तप करने पर मिलता है वैसा पुण्य कलियुग में साधारण अच्छे कामों से ही प्राप्त हो जाता है। यह कलियुग की जटिलता में फसे जीव पर कर्ता की यृत्या का परिचायक है। इस प्रावधान से फर्स्ता की दृष्टि में और कर्ता के साथ सम्बन्धों के सन्दर्भ में जीव के लिए चारों युगों में कुछ सन्तुलन-सा दिया गया है।

यह सधेष्प में भारतीय सृष्टि की कथा है। साधारण भारतीय जन की और उसके अपने स्थान की समझ इस कथा से ही यही है। वर्तमान काल को भी वह इस कथा में सन्दर्भ में ही देखता है। अलग अलग पुराणों में और सामान्य स्तर पर कहने के अलग अलग तरीकों के साथ इस कथा के विस्तृत विवरणों में थोड़ा बहुत अन्तर आता रहता होगा। पर मुख्य कथ्य तो बहुत स्पष्ट है और उसमें शायद कभी कोई बदलाव नहीं आता। इस कथ्य के अनुसार सृष्टि एक बार प्रकट होने के बाद सतत गिरावट की ही ओर जाती है। विभिन्न विद्याएं और विधाएं विभिन्न कलाएं और शिल्प इत्यादि विभिन्न ज्ञानविज्ञान ये सब सृष्टि की गिरी हुई जटिल अवस्था में जीवन को थोक्क आसान जरूर बनाते हैं पर वे सृष्टि की दिशा को बदल नहीं सकते। गिरावट की ओर विभाजन की ओर चलते जाने की मूल वृत्ति को तो कर्ता के अशायतार भी नहीं बदल पाते। वे भी सृष्टि की गिरावट की अवस्था में जीवन को सम्बद्ध बनाने धर्म का कुछ सन्तुलन बनाए रखने की व्यवस्था मात्र करते हैं। इसीलिए श्रीकृष्ण के सारे पराक्रम और महाभारत युद्ध जैसे व्यापक प्रयत्न के बाद भी कलियुग का आना रक्ष नहीं पाता। हाँ द्वापर में इकड़े हुए सारे बोझ को हटाए बिना कलियुग का आना पृथ्वी के लिए और शायद जीव मात्र के लिए असहनीय ही होता।

सृष्टि की इस कथा कम दूसरा मुख्य कथ्य सृष्टि के अनादि अनन्त विस्तार में भानव के प्रयत्न और उसके काल की क्षुद्रता का है। सृष्टि की लीला एक बहुत बड़े स्तर पर एक विशाल काल घड़ में घल रही है। इस विशालता में न यृत्युग के आनन्दभोगी भानव की कोई विशेषता है न कलियुग की जटिलता में फज्जे भानव की। यह सब तो आता जाता ही रहता है। घतुर्युग का यह आवर्तन हमारे लिए बढ़ा दिखता है। पूरे ४३ २० ००० साल इसे पूरा होने में सकते हैं। पर प्राचीन मान्यता के अनुसार ब्रह्मा के तो एक दिन में ऐसे १००० घतुर्युग होते हैं। एक कल्प के इस एक दिन के बाद ब्रह्मा कल्प भर की रात्रि के लिए विभाष करते हैं और फिर एक नया कल्प और १ ००० घुस्तुर्युगों का एक नया दिन आरम्भ हो जाता है। ऐसे ३६० दिन-रात मिलकर ब्रह्मा का एक वर्ष होता है। और ब्रह्मा का जीवन १०० वर्षों तक घलता है। उसके बाद नए ब्रह्मा आकर फिर वही लीला आरम्भ करते हैं। इस विज्ञाल कालवक्र में भानव और उसके जीवन की विसात क्या है ?

## ५ हम किसी और के ससार में रहने लगे हैं

सृष्टि के अनादि अनन्त प्रवाह में मानव और उसके प्रयत्नों की नितान्त कुद्रता का भारतीय भाव आधुनिकता से मेल नहीं खाता। हर नए आवर्तन में सृष्टि के सतत पिरावट की ओर ही बढ़ते जाने की धात भी आधुनिकता की विश्वदृष्टि में जमती नहीं। मानवीय ज्ञानविज्ञान और कलाकौशल आदि का मात्र ऐसे उपायों के रूप में देखा जाना जो सृष्टि की पिरावट वाली अवस्था में जीवनयापन को किंचित् सम्भव बनाते हैं यह भाव तो ज्ञानविज्ञान के बारे में आधुनिकता की समझ के यिन्कुल विपरीत बैठता है। आधुनिकता की विश्व दृष्टि के अनुसार तो मानव अपने प्रयत्नों से अपने ज्ञानविज्ञान से अपने कलाकौशल व तकनीकों इत्यादि से सृष्टि को निरन्तर बेहतर बनाता चला जाता है ऊपर उठता चला जाता है पृथ्वी पर स्वर्ग की प्रतिष्ठियि का निर्माण करता जाता है।

भारतीय मानस में सृष्टि के विकास के क्रम और उसमें मानवीय प्रयत्न और मानवीय ज्ञानविज्ञान के स्थान की जो छवि अकित्त है वह आधुनिकता से इस प्रकार विपरीत है तो इस विषय पर गहन विन्दन करना पड़ेगा। यहा जो तत्र हम बनाना चाहते हैं और जिस विकास प्रक्रिया को यहा आरम्भ करना चाहते हैं वह तो सभी यहा जड़ पकड़ पाएगी और उसमें जनसाधारण की भागीदारी तो तभी हो पाएगी जब वह तत्र और विकास प्रक्रिया भारतीय मानस और काल दृष्टि के अनुकूल होगी। इसलिए इस बात पर भी विचार करना पड़ेगा कि व्यवहार में भारतीय मानस पर छाए विचारों और काल की भारतीय समझ के क्या अर्थ निकलते हैं ? विन्दन प्रकार के व्यवहार और व्यवस्थाएं उस मानस व काल में सही जगते हैं ? सामान्यत ऐसा माना जाता है कि मानवीय जीवन और मानवीय ज्ञान की कुद्रता का जो भाव भारतीय सृष्टिगाथा में स्पष्ट झलकता है वह केवल अकर्मप्यता को ही जन्म दे सकता है। पर यह तो वहुत सतही बात है। यिसी भी विश्व व काल दृष्टि का व्यावहारिक पक्ष तो समय सापेक्ष होता है। अलग अलग रान्दभों में अलग अलग समय पर उस दृष्टि की अलग अलग व्याख्याएं होती जाती हैं। इन व्याख्याओं से मूल घेतना नहीं यदलती पर व्यवहार और व्यवस्थाएं यदलती रहती हैं।

और एक ही सम्यता कभी अकर्मण्यता की ओर और कभी गहन कर्मद्वा की ओर अग्रसर दिखाई देती है।

भारतीय ऋषिमुनि इत्यादि विभिन्न सन्दर्भों में भारतीय विश्व व काल दृष्टि की विभिन्न व्याख्याएँ करते ही रहे हैं। भारतीय सम्यता का मौलिक साहित्य इन व्याख्याओं का भी साहित्य है। इस साहित्य को देख-समझ कर आज के सन्दर्भ में भारतीयता की कोई नई व्याख्या करने की बात भी सोची जा सकती है। भारतीय विश्व व काल दृष्टि के अनुरूप उपयुक्त व्यवहार आज के समय में क्या होगा और उसके लिए उपयुक्त व्यवस्थाएँ क्या होंगी इस विषय पर विचार तो करना ही पड़ेगा। पर इस विषय पर आने से पहले भारतीय चित्र पर गहराई से अकिञ्चुक और मौलिक भावों की बात कर ली जाए।

ऐसा ही एक मौलिक भाव परा और अपरा विद्याओं में भेद का है। भारतीय परम्परा में किसी समय विद्या और ज्ञान का इन दो धाराओं में विभाजन हुआ है। जो विद्या इस नश्वर सतत परिवर्तनशील लीलामयी सृष्टि रो परे के समातन ब्रह्म की बात करती है उस ब्रह्म से साक्षात्कार का मार्ग दिखाती है वह परा विद्या है। इसके विपरीत जो विद्या इस सृष्टि के भीतर रहते हुए दैनन्दिन समस्याओं के समाधान का मार्ग बतलाती है साधारण जीवन-यापन को सम्भव बनाती है वे अपरा विद्याएँ हैं और ऐसा माना जाता है कि परा विद्या अपरा विद्याओं से ऊची है।

परा और अपरा का यह विभाजन कथा हुआ यह सो साफ नहीं है। कृत युग की बात यह नहीं हो सकती। उस समय तो किसी विद्या की आवश्यकता ही नहीं है। वेद ही नहीं है। ब्रेता की भी यह शायद यह न हो। यद्योऽकि ब्रेता में एक ही वेद है और उसका कोई विभाजन नहीं हुआ है। ब्रेता के अन्त और द्वापर के आरम्भ में जब सृष्टि की बदती जटिलता के साथ साथ अनेकानेक कलाकौशलों और विद्या विद्याओं की आवश्यकता पहने लगी उस समय शायद परा-अपरा के इस विभाजन की बात उठी होगी। पर साधारण तौर पर ऐसा माना जाता है कि धारों वेद उनकी विभिन्न शाखाओं और उनसे सम्बन्धित ब्राह्मण उपनिषद आदि परा ज्ञान के स्रोत हैं। इनसे भिन्न जो पुराण इतिहास आदि हैं और विभिन्न शिल्पों व आर्योद ज्योतिष आदि से सम्बन्धित जो सहिताएँ हैं वे सब अपरा के भंडार हैं।

पास्तव में मूल ग्रन्थों के स्तर पर परा और अपरा का विभाजन इतना स्पष्ट नहीं है जितना माना जाता है। उपनिषदों में सो केवल परा ज्ञान की ही बात है पर येदों में अन्य स्थानों पर ऐसे अनेक प्रसंग हैं जो सीधे अपरा से ही सम्बन्धित हैं। ऐसे ही पुराणों

में ब्रह्म ज्ञान की बातें कम नहीं हैं। फिर व्याकरण जैसी विद्याएं तो परा और अपरा दोनों से ही सम्बन्ध रखती हैं। दोनों प्रकार के ज्ञान के सम्प्रेषण के लिए व्याकरण की आवश्यकता रहती है। ज्योतिषशास्त्र भी कुछ सीमा तक परा-अपरा दोनों से सम्बन्धित होगा। पर आयुर्वेद जैसे केवल अपरा से सम्बन्धित विषय की सहिताओं में भी परा की बात तो होती ही है और साधारण स्वास्थ्य की समस्याओं को परा के सन्दर्भ में देखने के प्रयास होते हैं।

इस सबके बावजूद सामान्य भारतीय वित्त में परा और अपरा के बीच की विभाजन रेखा बहुत गहरी दिखती है। साधारण बातचीत में पुराणों का प्रसग आने पर लोग प्राय कह देते हैं कि इन किस्से-कहानियों को तो हम नहीं मानते हम तो केवल घेंडों में विश्वास रखते हैं। अपरा विद्याएं सब निकृष्ट ही हैं और वास्तविक ज्ञान तो परा ज्ञान ही है ऐसा कुछ भाव भी भारतीय वित्त में बना रहता है। विद्वानों के स्तर पर भी इस प्रकार से बात चलती है जैसे भारतीयता का सम्बन्ध तो केवल परा से ही हो अपरा से उसका कुछ लेना देना ही न हो।

अपरा के प्रति हेयता का भाव शायद भारतीय वित्त का मौलिक भाव नहीं है। मूल बात शायद अपरा की हीनता की नहीं थी। कहा शायद यह गया था कि अपरा में रमते हुए यह भूल नहीं जाना चाहिए कि इस नश्वर सृष्टि से परे सनातन सत्य भी कुछ है। इस सृष्टि में दैनिक जीवन के विभिन्न कार्य करते हुए परा के बारे में धेतन रहना चाहिए। अपरा का सर्वदा परा के आलोक में नियमन करते रहना चाहिए। अपरा विद्या की विभिन्न मूल सहिताओं में कुछ ऐसा ही भाव छाया मिलता है। पर समय पाकर परा से अपरा के नियमन की यह बात अपरा की हेयता में बदल गई है। यह बदलाव कैसे हुआ इस पर तो विचार करना पड़ेगा। और भारतीय मानस व काल के अनुरूप परा और अपरा में सही सम्बन्ध क्या हैता है इसकी भी कुछ व्याख्या हमें करनी ही पड़ेगी।

इस समय साधारण भारतीय विन्तन में परा और अपरा के बीच कुछ असन्तुलन सा है। यह असन्तुलन शायद बहुत नया नहीं है। विद्वानों के ससार में यह असन्तुलन हो सकता है काफी पहले से चल रहा हो। विद्वानों की शायद यह सामान्य प्रवृत्ति ही है कि साधारण जीवन से परे की अमूर्त व गूढ घासें उसमें अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं। विद्वानों की यह प्रवृत्ति भारतीय सम्यता के मौलिक साहित्य में भी परिलक्षित होती गई होगी। या शायद अपने यहा ऐसा माना गया हो कि साधारण जीवन को घलाने के लिए जो आवश्यक कला-कौशल-तकनीके आदि होती हैं ये साहित्य की विषययस्तु नहीं यन सकती या शायद हमने ही अपरा वाले ग्रन्थों को खोजने देखने की विशेष घटा नहीं की।

हमारा ही ध्यान भारतीय साहित्य के परा याले अश पर टिका रहा है।

कारण जो भी हो उपलब्ध साहित्य और साधारण चिन्तन में यह असन्तुलन तो है ही। वही असन्तुलन अन्य अनेक विषयों पर अपने विचारों में आ गया है। जैसे वर्ष व्यवस्था की बात है। वर्ष व्यवस्था की व्याख्या में कुछ ऐसा मान लिया गया है कि जो वर्ष परा से सम्बन्धित हैं वे ऊर्ध्वे हैं और जो अपरा रो जुड़े हैं वे नीचे हैं। परा के जो जितना नजदीक है उतना वह ऊर्ध्वा है और जो अपरा से जितनी गहराई से जुड़ा है उतना वह नीचा है इसलिए वेदाध्ययन वेदपाठ आदि करने वाले ब्राह्मण सबसे ऊर्ध्वे हो गए और सामान्य जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न विद्याओं बन्नाओं और शिल्पों का यहन करने वाले शुद्ध समसे नीचे।

पर यह ऊर्ध्व-नीच वाली बात तो महुत मौलिक नहीं दिखती। पुराणों में इस बारे में चर्चा है। एक जगह ऋषि भारद्वाज कहते हैं कि यह ऊर्ध्व नीच वाली यास कहा से आ गई? मनुष्य तो सब एक से ही सगते हैं वे अलग अलग कैसे हो गए? महात्मा गांधी भी यही कहा करते थे कि वर्षों में किरणी को ऊर्ध्वा और किन्ती को नीचा मानना तो सही नहीं दिखता। १९२० के आसपास उन्होंने इस विषय पर बहुत लिखा और कहा। पर इस विषय में हमारे विचारों का असन्तुलन जा नहीं पाया। पिछले हजार दो हजार वर्षों में भी इस प्रश्न पर बहस रही होगी। लेकिन स्वस्थ वास्तविक जीवन में तो ऐसा असन्तुलन चल नहीं पाता। मौलिक साहित्य के स्तर पर भी इतना असन्तुलन शायद कभी न रहा हो। यह समस्या तो मुख्यतः समय समय पर होने वाली व्याख्याओं की ही दिखती है।

पुरुष सूक्त में यह अवश्य कहा गया है कि ब्रह्मा के पावो से शुद्ध उत्पन्न हुए उसकी जघाओं से वैश्य आए भुजाओं से क्षत्रिय आए और सिर से ब्राह्मण आए। इस सूक्त में ब्रह्मा और सृष्टि में एकलूपता की बात तो है। थोड़े में बात कहनेका जो वैदिक ढंग है उससे यहा बता दिया गया है कि यह सृष्टि ब्रह्म की ही व्यास है उसी की लीला है। सृष्टि में अनिवार्य विभिन्न कार्यों की बात भी इसमें आ गई है। पर इस सूक्त में यह सो कही नहीं आया कि शुद्ध नीचे हैं और ब्राह्मण ऊर्ध्वे हैं। सिर का काम पावो के काम से ऊर्ध्वा होता है यह तो बाद की व्याख्या लगती है। यह व्याख्या तो उलट भी सकती है। पाव ही तो पुरुष घरती पर खड़ा होता है। पाव टिकते हैं सो ऊपर घड़ भी आता है हाथ भी आते हैं। पाव ही नहीं टिकेंगे तो और भी कुछ नहीं आएगा। पुरुष रूपता में यह भी नहीं है कि ये घारों वर्ष एक ही समय पर बने। पुराणों की व्याख्या से तो ऐसा लगता है कि आरम्भ में सब एक ही वर्ष थे बाद में काल के अनुसार जैसे जैसे विभिन्न प्रवार की क्षमताओं की आवश्यकता होती गई यैसे वर्ष विभाजित होते गए।

जैसे परा अपरा की बात के साथ जोड़ कर पुराणकारों के समय से ही हमने वर्षों में ऊच-नीच का विचार बना लिया है वैसे ही कर्मों में भी ऊच-नीच की बात आ गई है। एक स्तर पर कर्म फल का विचार भारतीय मानस में यहुत गहरे अकिञ्चित है। जैसे हम यह मानते हैं कि सृष्टि में जो भी उत्पन्न होता है उसका नाश अवश्य होता है वैसे ही यह माना जाता है कि सृष्टि में होने वाली हर घटना का कोई कारण अवश्य है। कर्मों और उनके फलों की एक शृखला-सी बनती जाती है और उस शृखला के भीतर सद घटनाएँ घटती हैं।

कर्म और कर्मफल के इस मौलिक सिद्धात का इस विचार से तो कोई सम्बन्ध नहीं की कुछ कर्म अपने आप में निकृष्ट होते हैं और कुछ प्रकार के काम उत्तम। वेदों का उच्चारण करना ऊचा काम होता है और कपड़ा बुनना नीचा काम यह बात तो परा-अपरा वाले असन्तुलन से ही निकल आई है। और इस बात की अपने यहाँ इतनी यात्रिक सी व्याख्या होने लगी है कि बड़े बड़े विद्वान् भी दरिद्रता भूखमरी आदि जैसी सामाजिक अव्यवस्थाओं को कर्मफल के नाम पर ढाल देते हैं। श्री ब्रह्मानन्द सरस्वती जैसे जोधीमठ के ऊचे शक्ताधार्य तक कह दिया करते थे कि दरिद्रता तो कर्मों की बात है। करुणा दया न्याय आदि जैसे भावों को भूल जाना तो कर्मफल के सिद्धात का उद्देश्य नहीं हो सकता। यह तो सही व्याख्या नहीं दिखती।

कर्मफल के सिद्धात का अर्थ तो शायद कुछ और ही है। वर्णोंकि कर्म तो सद मरावर ही होते हैं। लेकिन जिस भाव से जिस तन्मयता से कोई कर्म किया जाता है वही उसे ऊचा और नीचा बनाता है। वेदों का उच्चारण यदि मन लगाकर ध्यान से किया जाता है तो वह ऊचा कर्म है। उसी तरह मन लगाकर ध्यान से खाना पकाया जाता है तो वह भी ऊचा कर्म है। और भारत में तो ब्राह्मण लोग खाना बनाया ही करते थे। अय भी बनाते हैं। उनके वेदोधारण करने के कर्म में और खाना बनाने में यहुत अन्तर नहीं है। पर वेदोधारण ऐसे किया जाए जैसे बेगार काटनी हो या खाना ऐसे बनाया गए जैसे सिर पर पड़ा कोई भार किसी तरह हटाना हो तो दोनों ही कर्म गङ्गबड़ हो जाए।

इसी तरह दूसरे काम हैं। झाहू देने का काम है। यथे पालने का काम है। धोवी का काम है। नाई का काम है। बुनकर का काम है। कुम्हार का काम है। पशुपालन का काम है। जूते बनाने का काम है। ये सभी काम यदि उसी तरह ध्यान से तन्मयता के साथ किए जाते हैं तो ऊचे कर्म थन जाते हैं। उन कर्मों में ऐसा कुछ नहीं है जो उन्हें स्वभाव से ही निकृष्ट बनाता हो।

इस सन्दर्भ में एक पौराणिक कथा है। एक ऋषि थे। वे पता नहीं कितने वर्षों से एक ही स्थान पर समाधि लगाए तपस्या कर रहे थे। एक दिन अधानक उनकी समाधि टूटी। उन्होंने पाया कि कोई यिदिया उनके सिर पर बीट कर गई है। तब उन्होंने आखे खोलकर रोप के साथ यिदिया की ओर देखा। यिदिया वहीं भस्म हो गई। ऋषि को लगा कि उनकी तपस्या पूरी हो गई है।

उसके बाद वे समाधि से चरे और वस्ती की ओर चल दिए। एक घर का दरवाजा खटखटाया और मिशा की गुहार लगाई। गृहिणी शायद अपने काम में व्यस्त थी। उसे दरवाजा खोलने में कुछ देरी हो गई। इतने में ही ऋषि को रोप होने लगा। जब गृहिणी ने दरवाजा खोला तो वे फिर गुस्से भरी आखो से उसकी ओर देखने लगे। गृहिणी ने कहा महाराज अकारण राट भत होइए। मैं वह यिदिया तो नहीं हूँ।

ऋषि को विधित्र लगा कि इतनी तपस्या के बाद जो सिद्धि उन्हें मिली थी उसका इस साधारण गृहिणी पर तनिक प्रभाव नहीं होता। उल्टा वह स्वयं ही उनकी सिद्धि के रहस्यों को घर भैठे जान गई है। वे जानना चाहते हैं कि यह सब क्या है? गृहिणी उन्हें एक कन्साई का नाम बताती है और कहती है कि इस विषय का भेद तो उन्हें वह कन्साई ही बता सकता है।

ऋषि और भी आश्वर्यचित हो उस कन्साई के पास पहुंचते हैं। कन्साई उन्हें बताता है कि वह गृहिणी तो पूरी तन्मयता से अपने कर्म में लगी थी। उसके गृहकार्य की महिमा आपकी तपस्या से कम तो नहीं। और आपकी तपस्या तो तभी नहीं गई थी जब उस विदिया पर रुट हुए थे। मैं भी कन्साई का अपना काम पूरी तन्मयता से करता हूँ। तन्मयता के उस भाव से किए सब कर्म महान हैं। वह देवपाठ हो व्यानसाधन हो गृहकार्य हो या फिर कन्साई गिरी।

यह पौराणिक कथा कर्मकल के सिद्धात की एक व्याख्या प्रस्तुत करती है। ऐसी ही अनेक और व्याख्याए होंगी। परा-अपरा और वर्णव्यवस्था पर भी ऐसी अनेक व्याख्याए होंगी। उन व्याख्याओं को देख परख कर आज के सन्दर्भ में भारतीय मानस व काल की एक नई व्याख्या कर लेना ही विद्वाता का उद्देश्य हो सकता है। परम्परा का इस प्रकार नवीनीकरण करते रहना मानस को समयानुसर व्यवहार का मार्ग दिखाते रहना ही हमेशा से ऋषियों मुनियों और विद्वानों का काम रहा है।

## ६ सभ्यताओं का नवीनीकरण तो करना ही होता है

एक और पौराणिक प्रसग है। विष्णुपुराण से। कहते हैं कि एक बार महर्षि व्यास नदी में नहा रहे थे। उस समय कुछ ऋषि उन्हें मिलने आते हैं और दूर से थे देखते हैं कि नहाते हुए महर्षि व्यास जोर जोर से ताली बजा बजाकर कलियुग की शूद्रों की और स्त्रियों की जय बुला रहे हैं। कह रहे हैं 'कलियुग महान है' शूद्र महान हैं स्त्रिया महान हैं।

बाद मेंऋषि लोग महर्षि व्यास से पूछते हैं कि नहाते हुए वे यह सब क्या कह रहे थे। व्यासजी उन्हें समझाते हैं कि कृष्ण ब्रेता और द्वापर में जो काम बहुत कठिनाई से हो पाते थे वे कलियुग में तो क्षणमर में ही हो जाते हैं। शूद्री सी भवित्व से ही ब्रह्म के साक्षात्कार हो जाते हैं। और इस कलियुग में स्त्रिया और शूद्र अपना काम तन्मयता से करके ही ब्रह्म को पा जाते हैं।

महर्षि व्यास की बहुत महता है। कहा जाता है कि द्वापर में उन्होंने वेद को धार में और फिर उन चार को अनेक शाखाओंमें विभाजित किया। उसके बाद उन्होंने विशेष तौर से शूद्रों व स्त्रियों के लिए महाभारत की रचना की और स्त्रय गणेशजीने व्यासजी की रचना को लिपिबद्ध किया। पर महाभारत को रचने के बाद विश्व की अवस्था पर विचार करते हुए महर्षि व्यास दुखी हो गए। उन्हें लगा कि शूद्र और स्त्रिया वैदों से तो विचित कर दिए गए हैं और उनके लिए जिस महाभारत की रचना उन्होंने की है वह बहुत दुख य द्वापर याती गाथा है। उसे पढ़कर मन प्रसन्न नहीं होता। उत्साह नहीं आता। तब उन्होंने अपनी गलती को सुधारने के लिए पुराणों की रचना की और उनके माध्यम से सृष्टि और उसके कर्ता के प्रति श्रद्धा और भवित्व के भाव को सभी के लिए सुलभ बनाने का प्रयास किया। इन पुराणों में से श्रीमद् भागवत पुराण सबसे अधिक भवित्व व श्रद्धा में पटा दिखता है। नारद मुनि के परामर्श पर रथे गए व्यासजी के इस पुराण में वासुदेव श्रीकृष्ण की सीलाओं का वर्णन है। शायद भारत भर में श्रीमद् भागवत पुराण साधारणजनों के भारतीय साहित्य से परिचय का मुख्य स्रोत है।

महर्षि व्यास की यह सहृदयता प्राणी मात्र के लिए दया व करुणा का यह भाव जिसे मन में रखकर उन्होंने पुराणों की रचना की थी भाव विष्णु पुराण वाले उपर के प्रसाग में झलकता है। कलियुग की शूद्रों की और स्त्रियों की जय बुलाते हुए महर्षि व्यास कलियुगी काल की एक व्याख्या कर रहे हैं। और उस व्याख्या के माध्यम से धर्म की ख्लानि के इस काल को साधारणजन के लिए कुछ सहज कुछ सहनीय बनाए दे रहे हैं।

हो सकता है कि कलियुगी काल की व्यासजी की व्याख्या ही सही हो। हो सकता है कि जैसे कृत्युग में केवल एक ही वर्ण है वैसे ही कलियुग में भी केवल एक शूद्र वर्ण ही यथा रहता हो। सभी शूद्रों जैसे ही हो जाते हों। अपरा विद्या और व्यावहारिक ज्ञान की पराकाटा के इस युग में अपरा और व्यवहार के वाहक शूद्र और स्त्रिया ही महत्वपूर्ण रह जाते हों। गाढ़ीजी भी कुछ ऐसी ही बात किया करते थे कि इस काल में तो हम सबका शूद्रों जैसा होना ही सही है।

पर बात शायद व्याख्या के सही या गलत होने की नहीं। क्योंकि व्याख्याएं तो समय व सन्दर्भ सापेक्ष हुआ करती हैं। महत्वपूर्ण बात व्याख्याकार की सहृदयता की है। प्राणीमात्र के लिए मन में करुणा दया व सम्मान का भाव रखने की है। उस तरह के भाव को रखकर ही हम अपने मानस वित्त व काल की ऐसी व्याख्याएं कर पाएं जिनसे आज के सन्दर्भ में भारतीयता की धारा फिर स्थापित फिर प्रवाहित हो सके। अपनी दरिद्रता तो अपने कर्मों का ही फल है इस तरह की कठोर व्याख्याओं से तो कोई काम नहीं चल पाएगा।

प्राणीभात्र वे प्रति सहृदयता के साथ साथ अपने वित्त व मानस की सक्षमता अपनी परम्परा की सशक्तता में विकास भी रखना पड़ेगा। हमर्में ऐसे बहुत हैं जो मानते हैं कि कभी भारतीय सम्भवता बहुत महान रही थी। पर अब तो उसके दिन नहीं रहे। वित्त व काल की बात करने का तो अब समय नहीं रहा। काढ़ी फ्रेमफोटोटी पीठम् ये श्री जयेन्द्र सरस्वती ही कहते रहते हैं कि पहले तो हम महान थे पर आज की बात मैं नहीं करता। लेकिन समस्या तो आज की है। आज के सन्दर्भ में भारतीय मानस व काल को प्रतिष्ठापित करना ही विद्रोह का या भारतीय राजनीति का या भारतीय कला कौशल का कार्य है।

ऐसा हो सकता है कि आज भारत के सभी बासी भारतीय वित्त मानस व काल की परम्परागत समझ में विकास न रखते हों। ऐसे भी भारतवासी होंगे जो कलि जैसे किसी युग के होने की बात ही नहीं मानते। ऐसे भी होंगे विशेष कर भारतीय मुसलमानों ईसाईयों और पारसियों में अनेक ऐसे होंगे जो घटुरुग व कल्प आदि को भी नहीं मानते।

पेरियार रामस्वामी नायकर और उनके अनुगामी लोग भी शायद चतुर्युग आदि को न मानते हों। भारत के भिन्न भिन्न भागों में और भी ऐसे जन होंगे जो इन मान्यताओं में विद्वास नहीं रखते। पर जो लोग पुराणों आदि को न मानने का दावा करते हैं उनमें से बहुतेरे प्राय अपने अपने जाति पुराणों में तो विद्वास रखते ही हैं। और इन असत्य जाति पुराणों की सरघना महर्षि व्यास रचित पुराणों जैसी ही है।

खैर इतना तो सभी भारतीयों के बारे में कहा जाता है साधारण भारतीय ईसाईयों के बारे में भी कि उनका अपना विच व काल आधुनिक यूरोपीय सम्पत्ता के चिर व काल से मेल नहीं खाता। बीसवीं-इक्कीसवीं सदी में तो ये भी नहीं हैं। ऐसा माना जा सकता है कि भारत के अधिक से अधिक आधा प्रतिशत लोगों को छोड़कर भाकी का आधुनिकता की बीसवीं-इक्कीसवीं सदी से कुछ लेना देना नहीं है। उन १९५ प्रतिशत भारतीयों के विच व मानस में जो कुछ भी अकिञ्च है उसका सम्बन्ध यूरोपीय आधुनिकता और उनकी बीसवीं सदी-इक्कीसवीं सदी से तो नहीं ही है।

लेकिन इस आधुनिकता के प्रवाह में भारत के साधारणजन और उनकी बची-खुची व्यवस्थाएं उनके तीजत्यौहार उनके जीवन मरण के कर्म आदि सब दब गए हैं। उनकी अपनी पहचान खो सी गई है और अपनी अस्तिता की इस हानि से भारत के सभी साधारणजन पीड़ित हैं। यह पीड़ा सभी की साझी है। भारत के साधारण मुसलमानों ईसाईयों आदि की भी।

अब इस स्थिति से उबरने के रास्ते तो निकालने ही पढ़ें। ४-६ वर्ष पहले इन्दिरा गांधी निधि की ओर से भारत के ऐसे ही प्रश्नों पर विचार करने के लिए एक आतरराष्ट्रीय गोठी ठुर्ह थी। कहा जाता है उस गोठी में किसी यूरोपीय विद्वान का सुझाव था की भारत की समस्याओं का समाधान भारत के ईसाई हो जाने में है। यह सुझाव नया नहीं है। भारत को ईसाई हो जाना थाहिए यह बात पिछले दो-सौ वर्ष से तो घली आ रही है। इसके लिए बड़े पैमाने पर सरकारी प्रयत्न भी होते रहे हैं। इसी ईसाईकरण का दूसरा नाम पश्चिमीकरण है जिसे करने के प्रयत्न स्वतंत्र भारत की सरकारें भी करती घली आ रही हैं। भारत का ईसाईकरण मैकाले रास्ते से हो कार्ल-मार्क्स के रास्ते से हो या आज की वैज्ञानिक आधुनिकता के रास्ते से-बात एक ही है।

इन सम प्रयत्नों से भारतीय मानस का ऐसा पश्चिमीकरण हो पाता जिससे भारत के साधारणजन सहजता से यूरोप की २१ वीं सदी से जुड़ सकते यह भारत की समस्याओं का एक समाधान तो होता। तब भारत के लोगों की मानसिक अवस्था और उनकी प्राथमिकताएं व आकाशाएं भी बैसी ही होती जैसी आज यूरोप व

साधारण लोगों की है। ऐसा कुछ हो गया होता तो भारत का राधारणजन भी अपने मानस में ब्रह्म का अरा होने और उस अशत्व के नाते स्वयम् में स्वतंत्र सर्वशक्तिमान होने का जो माय पाले रखता है वह भाव अपने आप नह छो जाता। भारत के लोग भी पवित्र के लोगों की तरह अपने आपको एक सर्वशक्तिमान व्यवस्था के दास जैसा मानने लगते। पवित्र की पिछले घालीस पधास बरस की सम्पन्नता और खुशहाली के बावजूद वहा के साधारणजन का मानस तो व्यवस्था के दास बाला ही है मानस के स्तर पर वह अब भी प्लेटो के आदर्श राज्य और वास्तविक रोम साम्राज्य के गुलामों जैसा ही है। वैसा ही दासता बाला धित्र भारतीय साधारणजन का भी बन जाता यदि इंसाईक्लरण व पवित्रीकरण के पिछले दो सौ बरस के प्रयास कहीं पहुच पाते। फिर भी भारत की दुविधा का एक समाधान तो शायद वह होता।

लेकिन ऐसे समाप्तन शायद सम्भव नहीं हुआ करते। किंतु सम्यता के मानस व चित्त को पूरी तरह मिटाकर वहा एक नए मानस का प्रतिष्ठापन करना शायद ससार में सम्भव ही नहीं है। उसके लिए तो किंतु सम्यता का पूरा विनाश ही करना पड़ता है उसके सभी लोगों को समाप्त करके उनकी जगह एक नई प्रजा को बसाना पड़ता है। अमेरिका में कुछ वैसा ही हुआ। पर यूरोप के सभी प्रयत्नों के बावजूद भारत पवित्र के हाथों ऐसी परिणति पर पहुचने से तो अभी तक बधा है।

भारतीय सम्यता का पवित्रीकरण सभव नहीं तो फिर हमें अपने वित्त व काल के धरातल पर ही खड़ा होना पड़ेगा। आधुनिकिता के तौर सरीकों और मुहावरों से छुटकारा पाकर स्वयम् अपने को अपने छग से समझना पड़ेगा। कुछ उसी तरह जैसे महर्षि व्यास महाभारत में अपने पूरे इतिहास को अपनी सभी इच्छाओं-आकांक्षाओं को समझ रहे हैं और फिर कलियुग में जीने का एक मार्ग दिखा रहे हैं। या जैसे श्रीकृष्ण अर्जुन को विश्वदर्शन करवा रहे हैं और उस विश्वदर्शन के आधार पर अर्जुन को अपनी दुविधा से निकलने का रास्ता बता रहे हैं। ऐसा ही कुछ विश्वदर्शन हमें अपनी दृष्टि से अपने काल का करना होगा।

लेकिन यह काम यहीं की परम्परा से जुड़े और उसे सम्मान से देखने वाले लोग ही कर सकते हैं। इस विश्वदर्शन में सहृदयता का माय बनाए रखना है तो यह भी आवश्यक होगा कि इस नए विन्तन-दर्शन में साधारण लोगों की मान्यताओं व आधार व्यवहार को पुस्तकों व ग्रन्थों में दर्ज मान्यताओं पर बरीयता मिले। ग्रन्थों के साथ बधना भारतीय परपरा का अग नहीं है। भारतीय श्रवियों ने कभी अपने को किसी ग्रन्थ में दर्ज विद्याओं से बधा हुआ नहीं माना। यह सही है कि वे प्राचीन ग्रन्थों की यातों को नकारते

भी नहीं हैं। पर उन बातों की नित नई व्याख्या करते रहने का अधिकार तो वे रखते ही हैं। तभी तो व्यास ताली बजा बजाकर कलियुग की और कलियुग में स्थिरों व शूद्रों की जय शुला पाते हैं।

सम्यताओं की दिशा का निर्धारण सो सम्यताओं के सहज मानस घिर व काल पर विचार करके ही होता है। लेकिन निर्धारित दिशा में सम्यता को छलाने का काम गृहस्थों का होता है। गृहस्थों में सभी आ जाते हैं। जो पाठित्य में ऊचे हैं या पाकशास्त्र में निषुण हैं या खेती में लगे हैं या विभिन्न शिल्पों में दक्ष हैं या आज के विज्ञान और आज की तकनीकों में दक्ष हैं या राज्य व दृढ़ व्यवस्था छलाना जानते हैं या वाणिज्य में लगे हैं ये सब गृहस्थ मिलकर ही सम्यता को छलाते हैं। सम्यता की दिशा भटक भी जाए तो भी सधेरे से शाम तक और एक दिन से अगले दिन तक गृहस्थी तो चलानी ही पड़ती है। गृहस्थी को छलाए रखना गृहस्थ का मुख्य काम है। इसलिए साधारण तौर पर यह सही है कि राजनेताओं व्यवस्थापकों और विद्वानों इत्यादि का अपनी दिनवर्धा छलाए रखने पर ही ध्यान केंद्रित करना जरूरी है।

पर ऐसा भी समय आता है जब सम्यता की दिशा इतनी भटक जाती है कि रोजमर्रा की दिनवर्धा छलाए रखने का कोई अर्थ ही नहीं रहता। ऐसा ही समय भारत के लिए अब आया दिखता है। ऐसे समय में गृहस्थ को भी अपनी गृहस्थी छोड़ अपनी सम्यता के लिए कोई नई दिशा कोई नया सन्तुलन ढूँढ़ने पर ध्यान देना पड़ता है। आज के समय को भारतीय सम्यता के लिए सकट का काल माना जाना चाहिए। और इस सकट से उबरने के लिए पर्याप्त साधन समय व शक्ति जुटाने के प्रयास हमें करने चाहिए।

एक बार हम इस काम में लग जाएँगे तो भारतीय सम्यता के लिए आधुनिक सन्दर्भों में एक नई उपयुक्त दिशा मिल ही जाएगी। ऐसे काम कुछ असम्भव नहीं हुआ करते। समय समय पर विभिन्न सम्यताओं को अपनी मौलिक मान्यताओं को फिर से समझकर अपने भविष्य की दिशा ढूँढ़ने का काम करना ही पड़ता है। भारतीय सम्यता में ही अनेक बार यह हुआ होगा।

कुछ गिने चुने प्रश्न हैं जिनका समाधान हमें शीघ्रता से कर लेना है। अपने इतिहास व अपने साहित्य का एक सिंहावलोकन-सा करके अपने घित व काल की एक प्रारम्भिक समझ बनानी है। सृष्टि के सर्जन और उसके विकास की प्रक्रिया का जो स्वल्प अपने मानस में अकित है उसका एक घित सा बना लेना है। समय के राथ अपने साहित्य में और शायद अपने मानस में भी विभिन्न विषयों पर जो असन्तुलन-सा

आ गया है उसका कुछ समाधान कर लेना है। और फिर अपने धित्र व काल की कोई ऐसी व्याख्या बना लेनी है जो साधारण भारतीयजन के मन को जयती है और जिसे लेकर आज के विष्णु में भारतीयता के फिर प्रतिष्ठापन का कोई मार्ग निकलता हो।

अपने आप में अपने धित्र व काल में स्थित और अपनी दिशा में अग्रसर भारतीय सम्प्यता का आज के विष्णु के साथ क्या सम्बन्ध होगा और उस सम्बन्ध को कैसे स्थापित किया जाएगा उसकी कुछ अल्पकालीन योजना भी हमें बनानी पड़ेगी। आरम्भ में तो कोई ऐसा मार्ग निकालना ही पड़ेगा कि विष्णु हमारे कामों में आड़े नहीं आए और आज के विष्णु के साथ कोई अकारण कम झगड़ा नहीं हो। लम्बे समय में तो विष्णु के साथ सही सम्बन्धों की ये समस्याएं अपने आप हल हो जाया करती हैं। विष्णु हमें अपनी दिशा में चलते हुए और उस प्रयास में सफल होते हुए देखेगा तो शायद उसे भी भारतीयता में अपने लिए और सारी मानवता के लिए महत्वपूर्ण कुछ दिखाई देने लगेगा। यह कोई नई बात नहीं है। इतिहास में अनेक बार ऐसा हुआ है जब विष्णु की अनेक अन्य सम्प्यताओं को लगाने लगा कि भारत के पास उनकी समस्याओं के समाधान का कोई महस्ती सदेश है। अपने ही समय में अभी पथास-साठ वर्ष पहले जब महारथा गाधी इस देश को अपनी ही एक दिशा में ले जले थे तब विष्णु के महुतेरे लोगों को लगाने लगा था कि भारत पूरी मानवता को एक नया मार्ग दिखा देगा। वह स्थिति फिर आ सकती है। और उस स्थिति में जब विष्णु को भारतीयता में महत्व का कुछ दिखाई देने लगेगा तब विष्णु के साथ समानता के स्थायी स्वस्थ सम्बन्ध बनाने का उपाय भी निकल आएगा। उस स्थिति में पहुँचने के लिए जो बौद्धिक मानसिक व भौतिक प्रयास करने आवश्यक हैं उन्हें कर लेने का समय तो अब आ ही गया है।

## विभाग २

### भारत का स्वर्धम

- १ स्वाधीनता से विचित होने की विन्ता
- २ यूरोप से टकराव के पूर्व
- ३ भविष्य और सुपथ की गवेषणा

## १ स्वाधीनता से विचित होने की चिन्ता

भारतीय समाज भारतीय मानस भारतीय समाज व्यवस्था को तथा यूरोपीय समाज और वहाँ की व्यवस्था और मानस को पिछले दो-दाईं सौ वर्षों में हुई इन दोनों की टक्कराहटों को और उससे भारत पर पढ़े विभिन्न प्रभायों को समझने का कुछ प्रयास मैं करता रहा हूँ। मैं स्वाधीनता से विचित कर दिये जाने के अनुभव से भारतीयों में चले वैचारिक मध्यन तथा प्रतिनिधि-रूपों पर और उनके द्वारा निकाले गये निष्कर्षों पर कुछ कहूँगा। इन विचारों और निष्कर्षों की आज के हमारे परिवेश हमारे देश हमारे समाज और राज्य की दशा तथा रखना मैं निणायिक भूमिका हूँ। हम आज भी उन्हीं के मध्य जी रहे दिखते हैं। इसी के साथ मैं उस तैयारी के बारे में कुछ सकेत दूगा जो अपने विज्ञानिय के अभियान के लिए ब्रिटेन ने की सथा जो यूरोपीय मानस की पृष्ठभूमि रही। उस तैयारी की अवधि में ब्रिटेन का समाज किन आधारों पर सगठित था शिक्षा ज्ञान प्रौद्योगिकी आदि में उसकी यथा स्थिति थी इस पर भी कुछ प्रात्तिक अर्थात् हो जायेगी।

मैं मुख्यतः इस पर विचार व्यक्त करना कि यूरोपीयों से ऐसी टक्कराहट के पूर्व तथा अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में हमारी समाज-सरकार शिक्षा व्यवस्था विद्या-संस्थाएँ समाज व्यवस्थाएँ राजसत्र धर्मतत्र एवं हमारे लोक मानस का तत्र फैला था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रम-मूल्य-भुगतान तथा परस्पर मानवीय सबध पर प्रकाश डालने वाली उस काल से समर्थित सामग्री में से भी कुछ मैं आपके सामने रखूँगा।

लक्ष्य क्या है और कौन - से हो सकते हैं और उनमें कुटिल पथ कौन सा है और क्रचु पथ कौन सा है यह विद्यार करते रहने की अपनी परपरा रही है। स्वयं वाणी को भी द्वार एवं पथ कहा गया है अत विचार एवं वाणी के स्तर पर हम पथ का अन्वेषण करें और उसी प्रक्रिया में कर्म पथ की भी खोज होती चले यही हमारे यहाँ प्रत्येक विद्या प्रक्रिया का लक्ष्य रहा है। ऋत्येद में 'ऋतस्य पन्था' यानी ऋता और सत्य

के पथ की तथा 'अनृत-पथ' की बात है। उपनिषदों में भी यार वार 'पथ' पद का प्रयोग है। आत्मज्ञान के रास्ते पर यह रहे साधक की तुलना गाधार पथ पर पूछ-पूछ कर आगे पढ़ रहे पथ गवेषी से की गई है। ईशोपनिषद् की मुख्य प्रार्थना ही है कि देतना अभिनि ! हमें सुपथ में प्रवृत्त रखो जटिल पधों से दूर रखो। पधों की अनृतता की घटता हमारे यहाँ कही गई है। अत देश फाल और पात्र का विचार कर अपने लक्ष्य या श्रेयस का ध्यान रखते हुए ऋजु-पथ ऋत पथ की खोज हमारे यहाँ प्रत्येक विमर्श का और सहर्दितन का उद्दिष्ट रहा है। हमारे लक्ष्य क्या हैं और उनकी प्राप्ति के सुपथ ऋजु पथ या श्रेयस्कर पथ क्या हैं यह हमारे धितन का अभीष्ट है।

अपने इस विमर्श का समापन भी हस्ती प्रकार रहेगा। इतिहास और वर्तमन का विचार और स्मरण करते हुए हमें भविष्य की समाव्यताओं के बारे में सोधना होगा। भावी समाधानों की विवेदना करनी होगी। समाधानों और समाव्यताओं का यह विचार पथ के विद्यार की ओर ले जायेगा। हम किस पथ का वरण करें और क्यों ? हमारे सामने कौन कौन से पथ हैं ? उनमें से सुपथ या ऋजु-पथ कौन सा है कुटिल-जटिल पथ कौन से हैं। किस पथ पर प्रस्थान करने पर क्या गति होगी या हो सकती है इन सब पर हम संक्षेप में अतिम क्रम में विचार करेंगे। अपने व्यष्टि वित्त और समटि वित्त सरकार और सामर्थ्य परपराएँ और कुठाएँ- इन पर विचार के साथ प्रासांगिक यूरोपीय सरदर्म सामने आयेंगे। आज की हीनता को गहराई से समझने पर उसे दूर करने के बाया उपाय या मार्ग हो सकते हैं इसका विचार भी आयेगा।

मेरी बातधीत में कोई सुस्पष्ट एवं निर्णीत पथ-निर्देश होना समव नहीं है। तथ्य उनसे निगमित निष्कर्ष और जिज्ञासाए बहुत-से प्रश्न बहुत से वैधारिक दृन्द्र हम सबसे धीरता एवं सहर्दितन की अपेक्षा करती बौद्धिक व्यग्रता - यही सब इनमें से शायद निकलें। अपने बृहत् समाज से और अपनी समटि वेतना से बृहत् ऋत से विराट भाष्य से अपने सम्बन्ध की सम्प्यक पहचान की व्यग्रता ही तो वास्तविक बौद्धिक व्यग्रता है। यह व्यग्रता हममें जाग्रत रहे तो प्रशस्त पथ सुपथ या ऋतस्य पन्था भी हमारी प्रज्ञा में कौंधते रहेंगे ऐसा आश्वासन हमारे पूर्वजों ने हमारे अवतारों ने हमारे देवता गणों ने हमारी दैवी शक्तियों ने दे रखा है। अत उस भद्रा भाव के साथ ही यह विमर्श यह सवाल आरम्भ करना चाहिए।

महात्मा गांधी ने सन् १९०९ ईस्टी में 'हिन्द स्वराज' लिखा था जिसमें भारत और योरप की टक्कराहट के दो सम्पत्ताओं की टक्कराहट के रूप में देखा गया था। १९२० और १९३० ईस्टी वाले दशकों में गांधीजी ने भारतीय समाज की दशा के

बारे में और योरप विशेषत इस्लैंड से विभिन्न खेत्रों में उसकी सुलना के बारे में प्रभूत सामग्री लिखी ही थी अन्य लोगों ने भी ऐसी सामग्री बड़ी मात्रा में प्रकाशित की थी। उहारणार्थ यह 'इडिया' में इ १९२० के दशक के प्रारम्भिक वर्षों में ही गांधीजी ने इन विषयों पर बहुत से लेख लिखे व प्रकाशित किये थे - १८ वीं शती ईस्टी के उत्तरार्द्ध और १९ वीं शती ईस्टी के प्रारम्भिक काल में स्वदेशी भारतीय शिक्षा की दशा अग्रेजों के आने से पूर्व की भारतीय सामाजिक जीवन दशाएँ और उनके प्रभुत्व काल में बढ़ी भारतीय समाज की दरिद्रता और दुर्दशा १८०० ईस्टी तक दक्षिण भारत में तथाकथित अन्त्यज लोगों (जिसमें दो घार जातियाँ ही आती थी) की अद्वादा महाराष्ट्र में महारों की अपेक्षाकृत अधिक अच्छी स्थिति जो ब्रिटिश आधिपत्य होने पर बिगड़ती रही गयी तथा अन्य ऐसे ही विषय। इन लेखकों में गांधीजी के अनुयायी या प्रशसक ही सम्मिलित नहीं थे। सर शकरन नायर ब्रिटिश बायसराय की कौंसिल के एक सदस्य थे। वे तथा उन जैसे अन्य लोग भी इसी प्रकार से लिखने लगे थे। स्पष्ट है कि उस समय के पठे-लिखे लोगों के विविध समूह इन तथ्यों को जानते थे। सर शकरन नायर ने ईस्टी १९१९ में लिखा था कि अन्त्यज आदि की सामाजिक आर्थिक दशा में मुख्य गिरावट विगत ढेढ़ सौ वर्षों में ही हुई है तथा भारतीय समाज के सामाजिक और सास्कृतिक जीवन में उज्जेखनीय ह्रास इसी अवधि में हुआ। मेरा अनुमान है कि २० वीं शती ईस्टी के आरभ काल के अनेक समाचार पत्रों पत्र-पत्रिकाओं शोधपूर्ण गवेषणाओं विशिष्ट विद्वानों की कृतियों सृजनात्मक लेखकों कवियों की रचनाओं आदि में इसी तरह की बहुत सी सामग्री उपलब्ध हो जायेगी।

सभवत यह हुआ की ये सारी जानकारियाँ अब से ५०-६० वर्ष पूर्व सामने तो आई लेकिन इस समय वे भारतीय समाज का एक समग्र धित्र अकित करने की दृष्टि से नहीं रखी गईं। शायद जिजासा वर्धक भाव से ही या ऐसे ढग से ही ये बातें अधिकाशत रखी गईं जिनमें आज अति भाषुकता दिखती हो।

परन्तु गांधीजी ने १९०९ ईस्टी में ही 'हिन्द स्वराज' लिखा और हम सब भलीभांति जानते हैं कि उसमें तथा अपनी अधिकाश कृतियों में गांधीजी ने सदा सतुलित रूप में भारतीय समाज एवं राजनीति तत्र की एक ऐसी समग्र छवि एक ऐसा रूप सकेत प्रस्तुत करने का उद्यम किया जो कि उन्होंने इस समाज के सुदीर्घ अतीत से गतिशील जीवन के बारे में समझा था। हम यहा स्मरण करें कि 'हिन्द स्वराज' में असाह्योग पर लिखते हुए गांधीजी ने सफेद दिया था कि यह परपरा भारत की स्वामानिक परपरा है और यह भारत में सदा से विद्यमान रही है। इसके दृष्टांत भी

उन्होंने दिये। मेरा मानना है कि भारतीय बुद्धि एवं भारतीय समाज की क्रियाशीलताओं के स्वरूपों के बारे में अपने ऐसे बोध के कारण ही गांधीजी सहजता से भारतीय बुद्धि एवं भारतीय समाज से सवाद कर सके सहज वातालिप का सम्बन्ध रख सके तथा इसके कारण ही भारतीय जन गांधीजी के सुझाए रास्ते को अपनाते रहे। १९४४ ईस्टी में गांधीजी ने कहा भी था कि जब मैं भारत लौटा तो मैंने उन्हीं भावों और विचारों के अभिव्यक्ति दी जो कि भारतीय अपने मन में स्वयं पहले से जानते थे और अनुभव करते थे। निश्चित ही गांधीजी के नेतृत्व में भारत जो कुछ कर पाया और प्राप्त कर सका उसके मूल में गांधीजी की भारतीय समाज से यह सहज एकात्मता ही नहीं थी उनकी सगठन धमता तथा आध्यात्मिक व बौद्धिक सामर्थ्य भी इस सफलता व उपलब्धि का आधार रही।

बृहत् भारतीय समाज में अपनी समाज रचना समाज व्यवस्था और राज्य व्यवस्था के बारे में यह बोध परंपरा होते हुए भी और गांधीजी द्वारा 'हिन्द स्वराज' में तथा अन्यत्र एवं दूसरे अनेक लोगों द्वारा यग 'इम्पिया' समेत विविध स्थानों में ब्रिटिश आधिपत्य से पूर्व के भारत के बारे में इतना सब कुछ लिखित साहित्य एवं साक्ष विद्यमान होते हुए भी उन व्यक्तियों समूहों और अग्रेजों द्वारा रची गई उन समस्त व्यवस्थाओं में अधिकांशत जो आज भी हमारे बीच में हैं उस बोध परंपरा की स्मृति बहुत कम दिखती है। स्वाधीनता-संग्राम के बोध के अग के स्पष्ट में लिखी गई सद्य एकत्र और सुरक्षित रखी गई उस ऐतिहासिक तथ्य सामग्री की भी कोई वेतना या स्मृति इन व्यक्तियों के समूहों में कम ही दिखती है जिनके ऊपर अग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद सघा-हस्तातरण के द्वारा स्वाधीन भारत के शासन का दायित्व आया। स्थिति स्पष्ट है कि स्वाधीन होने पर भी हमारी समस्त शासकीय व्यवस्थायें और उनके साथ समस्त आधुनिक अशासकीय प्रवृत्तियाँ आज भी बहुत कुछ उसी सरचना पर आधारित हैं जो सरचना तत्र अग्रेजों ने सन् १७६० से १८३० ईस्टी के मध्य भारतीय व्यवस्थाओं एवं सरचना-तत्र को नह करने हेतु और उसी ग्रन्तिया में रखे थे या फिर जो उन्होंने १८५७ ईस्टी के बाद अपने राज्य को भारत में और सुदृढ़ बनाने के लिये रखे थे।

यहा यह स्मरण किया जा सकता है कि सन् १९२० ई तक भारत का राज्यकर्ता वर्ग या अभिजनों का महत्वपूर्ण हिस्सा अपने समाज के बौद्धिक एवं भावनात्मक स्तर पर असबद्ध हो चुका था और परकीयता अपना चुका था। इस वर्ग ने अग्रेजों के आदार-व्यवहार को और बोली या अभिव्यक्ति की विधियों को अंगीकार पर लिया था तथा ब्रिटिश सकल्पनाओं या अवधारणाओं एवं जीवन-स्मृति के अनुरूप अपने

निजी एवं सामाजिक जीवन को ढालने के लिए अग्रसर था। स्पष्ट है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले २५ वर्षों का काल-खण्ड भारत में विविध क्षेत्रों में समाज की दृष्टि से बहुत ही कम कहा जायेगा। यह भी सत्य हो सकता है कि जिन प्रमुख अभिजनों ने गांधीजी का नेतृत्व स्वीकार किया और उसके द्वारा राज-सत्ता एवं राजनैतिक सत्ता प्राप्त की थे गांधीजी की भारतीय समाज की समझ को बहुत गमीरता से नहीं ग्रहण करते थे और वे यह स्वीकार कर पाने में भी असमर्थ थे कि वैसा कोई भारतीय समाज आधुनिक विश्व में व्यवहार्य हो सकता है। इस राज्यकर्ता वर्ग के एक अधिक प्रबुद्ध और गांधीजी के आत्मीय जनों में गिने जाने वाले सदस्य ने कहा ही था कि भला कोई यह कैसे क्षूल कर सकता है कि गाव के लोगों में भी कोई सद्गुण और सामर्थ्य है। ऐसे तो बड़े मूर्ख लोग हैं।

इसमें तो आज कोई सदेह नहीं है कि यह अभिजात वर्ग भारतीय अतीत को आत्मसात् नहीं कर सका और भारत का भविष्य उसके अनुरूप रचने की नहीं सोच सका। किन्तु यदि उसमें तनिक भी सृजनात्मक सामर्थ्य होता तो वह उस जानकारी को तो आत्मसात् कर ही सकता था जो उसने पवित्र से ग्रहण की थी और फिर इस जानकारी या सोच को वह भारतीय प्रत्ययों एवं अभिव्यक्ति रूपों में ढाल सकता था। लेकिन यह वर्ग अब तक भी तो इसमें विफल ही रहा है। लेकिन यह सृजनात्मक अक्षमता हमारे शक्तिशाली वर्ग या अभिजात वर्ग में ब्रिटिश काल में ही आई दिखती हो ऐसा शायद नहीं है। ऐसा लगता है कि भारत के बहुत से क्षेत्रों में उसके बहुत पहले से यह अक्षमता घर कर चुकी थी। सुप्रसिद्ध आद्यार्थ विद्यारण्य से प्रेरणा पा रहे विजयनगर राज्य में भी और स्वदेशी राज्य हेतु प्रेरणा देने वाले समर्थ गुरु रामदास से प्रेरित मराठों द्वारा १७ वीं शती ईस्वी के पूर्वार्द्ध में हिन्दवी स्वराज की स्थापना के प्रयास में भी राज्यकर्ता वर्ग ने बहुत सृजनात्मक सामर्थ्य नहीं दिखाया। अपने समाज और राजनीति तत्र (पौलिटी) को ऐक्यवद्ध करने साथ-साथ बदलने सवाद और विमर्श करने तथा कार्य करने की एकता उत्पन्न करने में ये दोनों ही राज्य कुछ अधिक सफल नहीं रहे। भाषाशास्त्रियों का कहना है कि शिवाजी के समय में मराठी क्षेत्र में फारसी का प्रयोग बहुत बढ़ा-घढ़ा था। यहाँ तक कि शिवाजी के प्रारंभिक काल में राजकाजी मराठी में सचर-अस्सी प्रतिशत शब्द फारसी के होते थे। दक्षिण के १७ वीं शती ईस्वी के सस्कृत प्रहसनों में भी इसीलिए मराठों की भाषा पर व्यय किया गया। छत्रपति बनने के बाद अवश्य शिवाजी की राजकाजी मराठी में फारसी शब्दों की भरपार घटी और भाषायी स्वामिनान की कुछ समझ बढ़ी। उस काल की मराठी में फारसी शब्दों की संखा २० से

३० प्रतिशत तक मानी जाती है।

सभवत ऐसा ही होता हो कि प्राय सभी सम्प्रताओं में ऐसे अतराल आते हों जब बहुत समाज और राज्य से उसके सम्बन्ध छिप मिश्र हो जाते हों अथवा निष्प्रभावी या व्यर्थप्राय हो जाते हों - या प्रसुमि की दशा में जा पड़ते हों। हो सकता है कि पिछली कई शताब्दियों से हम इसी दशा ऐसे ही अतराल में जी रहे हों और शीघ्र ही वह समय आने वाला हो जब भारत का राज्यतत्र और राजनीति सत्र (पॉलिटि) हमारे समाज की आकाक्षाओं एवं आधश्यक्ताओं को तो प्रतिविम्बित करने ही लगे साथ ही समाज के अपने व्यवहार-पर्यावरण-विधियों एवं अभिव्यक्ति-विधियों को भी प्रतिविम्बित करे उन्हें सम्यक प्रतिष्ठा दे।

यह भी सभव है कि यह प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी हो जो निकट भविष्य में ही हमारे समाज और 'पॉलिटि' (राजनीति-तत्र) के बीच के इस विख्याल को नागर्य सिद्ध कर दे और मेरी अधीरता शायद असम्यक हो। जब हमने स्वाधीनता पिन्ड से पा सी थी उसी समय गांधीजी ने किसी को लिखा था कि तत्काल बड़े परिणामों की अपेक्षा नहीं कहनी चाहिए और १५० वर्षों की दासता से जर्जर भारत को पुन स्वस्थ होने में कम से कम उससे आधे वर्ष तो लगेंगे ही।

तब भी मेरी व्यग्रता का अत नहीं दिखता। मुझे कुछ ऐसी अनुभूति होती है कि हमारा समाज और हमारा राजनीति तत्र दोनों दो विलग-विलग विश्वाओं में परिव्रमण करते लगे हैं तो इसके कहीं गहरे और दार्शनिक हेतु हैं। कुछ ऐसा दिखता है कि समष्टिगत भारतीय मानस और उसके अगम्भीर भारतीय व्यक्ति के निजी मानस की स्वामानिक सरचना सरकार और बोध प्रवृत्ति ही ऐसी है कि भारतीय जन स्वभावत एक ऐसे विश्व में रहने को तैयार नहीं हो पाते जिसमें विभिन्न मानव समूहों या विविध क्षेत्रों के लोगों के मध्य परस्पर दैर-भाव एवं युद्ध स्थिति एक स्थायी स्थैतिक हो। इस विषय पर आधिकारिक रूप से निश्चित विचार व्यक्त करने की पात्रता में स्वयं में नहीं पाता। किन्तु यदि मेरी इस विज्ञासा में और व्यग्रता में कुछ तत्त्व दिखें तो हमारे विद्वानों एवं प्रतिभावाली नर-नारियों को इस ओर विधार करना चाहिए। हो सकता है कि ऐसी प्रक्रिया चल रही हो।

यदि भारतीय बुद्धि और मन की सरचना ऐसी होती है तो स्पष्टत इसके परिणाम दूरगमी और यहुआर्थी निकलते हैं। इतना तो स्पष्ट है कि भारतीय मानस भी यदा-कदा-लड़ाई झगड़ों तथा अन्य उपद्रवों-अनिष्टों को जीवन का स्वामानिक अंग मानता है। पर इसके साथ ही वह दैर भाव या युद्ध भाव को नित्य मानने की कल्पना

भी नहीं कर पाता। अतः एक आतरिक सौमनस्य स्थापित होकर शांति-लाभ होगा। सबका सह-जीवन सह अस्तित्व अपने संपूर्ण वैयिध्य समस्त बहुरूपता एव रूप-भेद गुण-लक्षण-क्रिया भेद के साथ अपने-अपने स्थान पर प्रतिष्ठित हो सकेंगा यह शायद भारतीय मानस का स्थायी भाव है। एक ऐसे सासार में जहा भारतीय शक्ति का निर्णायिक प्रभाव हो अथवा कम से कम अपने बारे में भारत स्वावलम्बी एव पर्याप्त समर्थ हो पराजय की स्थिति न हो यह स्थायी भाव एक उदात्त व्यवहार का आधार बनता है। किन्तु जब किसी ऐसी प्रबल शक्ति से सामना हो जाए जो वैर-भाव एव युद्ध-भाव को शाश्वत मानवीय स्वभाव एव कर्तव्य माने अपने से अतिरिक्त अन्य प्रकार के जीवन-रूपों को नष्ट करने की या दूसरों को अधमरा करके अधीन बनाये रखने की योजना पर सतत् चले तब स्थिति बदल जाती है। उस स्थिति में यदि पराजित रोजहत भारतीय धित अपने समय और अपने सम्मुख उपस्थित सासार के इस स्थायी वैरभाव को समझ पाने को तैयार न हो तब उसका स्थायी शांति-भाव तेजहीन होकर एक तरह से स्थय को लगाने का विचार-जाल रखता है। शायद भारतीय धित 'कविरा आप ठगाहए और न ठगिये कोय' जैसे अच्यात्म सूत्र की ग्रामक व्याख्या द्वारा इस दशा को उचित छहराने का प्रयास करने लगता है। ऐसे में अद्वैत बोध का स्थान एक प्रात अद्वैतवादी तर्क-ज्ञाल ले लेता है अद्वैत दर्शन का सारतत्त्व विवेक-सिद्धि तब उपेक्षित कर दी जाती है। वस्तुत भेद की सम्यक् पहचान के सामर्थ्य का ही नाम विवेक है। सत् और असत् में स्व और पर में स्वर्घम और विघम में धर्म और अधर्म में भेद करने का सामर्थ्य ही विवेक है। परमार्थत अद्वैत जो सत्ता है उसका ज्ञान इस भेद-बोध सम्पन्न विवेक के द्विना असम्भव है। विवेक के अभाव में अद्वैत ज्ञान नहीं होता किन्तु अद्वैतवाद का शब्दज्ञाल जिसे आदि शक्तराचार्य ने चित्र को भटका ढालने वाला महावन कहा है प्रबल हो उठता है। अद्वैत-बोध सात्त्विक तेज है अद्वैतवाद तामसिक प्रमाद। पराजित समाज में जब अपनी विद्या-संस्थाए नहीं रह जातीं जब बोध की साधना का पथ विलुप्त हो जाता है और पथ नहीं सूझता विच-भूमि जब याहरी खरपतवारों से सकुल हो उठती है तब अद्वैतवादी प्रमाद अपने समय के सासार के सत्य को जानने में बाधक यनता है। यह स्वाभाविक ही है। तब न तो परम्यी विद्या-संस्थाओं का मर्म आत्मसात् करने योग्य वौद्धिक स्फूर्ति बचती है न ही अपनी विद्या परपराओं की पुनर्रचना का यत्न और साहस। पराजित भारतीय वित्त शायद इसी हीनता से ग्रस्त है। हीनता की दशा में प्रमाद और सृजन-विमुखता से उपजी अद्वैतवादी ग्रासि अपनी परपरा का ही प्रसार दिखने लगती है। शायद प्रत्येक संस्कृति की विकृति का भी अपना ही विशिष्ट स्वरूप होता है।

प्रमादपूर्ण अद्वैतवाद से भरे मानस में ससार को ठीक से जानने के प्रति अनिष्टा का उपार हो जाना विशेष भारतीय विकृति है। अन्य सस्कृतियों की विकृतिया भिन्न प्रकार की होती है। हमारी विकृति इसी आत्महीनता से भरे प्रमाद के रूप में है।

पराजित भारतीय यिष्ठ की बात उठने पर उसके स्वरूप को सधा पराजय से उभरने की उसकी सतत चेहारों के इतिहास को स्मरण करना आवश्यक है। इसके लिए मुझे यह उचित लगता है कि कुछ प्रतिनिधि घटनाओं तथी चिन्हों का साकेतिक स्मरण किया जाए। इस्लाम के अनुयायियों से हजार वर्ष लेके समय तक सम्पन्न होते हुए भी इस्लाम के स्वरूप को भी बौद्धिक स्तर पर समझने का कोई प्रयास भारत में पिछले दो सौ-सीन सौ वर्षों में भी नहीं हुआ दिखता। यह सही है कि इस्लाम अनुयायियों के आक्रमण से अधिकाश भारत पराजित नहीं हुआ सर्वरक्षित ही रहा और अपने ढण से इस्लाम को आत्मसात् करने की भी चेष्टा में लगा रहा। भारतीय समाज के पास ११ वीं शती से १७ वीं शती ईस्वी तक लगातार सङ्ग्राम और बलिदान के उपरात भी उल्लेखनीय शवित बच्ची रह गई। सङ्ग्राम के क्रम में भारतीय समाज को बीच-बीच में उल्लेखनीय सफलताएं भी मिलीं। विजयनगर राज्य और मराठों का प्रसग पहले आ चुका है। किन्तु अपना राज्य भिन्न एवं विपरीत प्रकार के विचारत्र के प्रति क्या बौद्धिक व्यवहार करे इस पर पर्याप्त गहरा शास्त्रार्थ विजयनगर राज्य में भी नहीं हुआ। जो सास्कृतिक केन्द्र विद्या-केन्द्र नष्ट कर देने वाली शक्तिया हैं उन्हें मात्र प्रत्यक्षत पराजित कर अपने बैत्र भर में मयादित रखके बैत्र के घारों ओर दैर भाव से परिपूर्ण वैद्यारिक आक्रमकता को यों ही रहने देना है या उससे वैद्यारिक सवाद करना है इस पर विगत एक हजार वर्षों में कभी कहीं पर्याप्त गहरा विमर्श हुआ हो इसके अभी तक सूच नहीं मिले हैं। 'खुदा' और 'ईश्वर' की एकपंथवाद और सर्वपंथ मान्यता की अवधारणाओं में लात्तिक अंतर क्या है और एकता का आपार क्या है इस पर आध्यात्मिक बौद्धिक विमर्श न आधार्य विद्यारप्य के सरक्षण में या नेतृत्व में कहीं हुआ न ही समर्थ गुरु रामदास के। पवदशी और दासमोष को पढ़ने पर यह रचमात्र नहीं पता चलता कि इस्लाम की किन्हीं आधारभूत अवधारणाओं को कोई चुनौती समझी जा रही है। वह संजगता होती तो विदेशी भाषा के किसने शब्दों को और किन विधारों को आत्मसात् करना है और क्यों करना है मनुष्य के लूप में कहाँ उनसे हमारी एकत्त्वता है सधा एक भिन्न सास्कृतिक प्रजाति या समाज के लूप में कहाँ निरात विरोध विभेद या विपरीतता है यथा ग्रहण करना धर्म है यथा अर्धम् किन किन लूपों में प्रतिरोध व रवाधीन सूजन-साधना धर्म है आदि विषयों पर विस्तृत विद्यार होता जैसे कि उन-

दिनों इस पृथ्वी पर अन्यत्र हो रहा था। अपने यहा महाभारत में विविध स्थलों में पिश-पिश देशों के निवासियों के स्वभाव व विशेषताओं का कुछ वर्णन है। ब्रह्म पुराण और स्कन्द पुराण में भी कुछ ऐसे ही प्रसग हैं। विश के नए घटनाक्रमों और एकम्पथवादी समूहों के अभूतपूर्व विस्तार के सदर्श में इस भेद विवेचन को और विस्तार तथा गहराई देना ही स्वाभाविक होता। अपने उन दिनों के राष्ट्रीय अनुभवों के सदर्श में यह आवश्यक था। पर ऐसा कुछ अपने यहा उन दिनों हुआ नहीं दिखता। समाज में तो भावोद्वेलन प्रतिरोध भाव प्रतिशोध-भाव आदि देखने को मिलते हैं किन्तु राजनीति-तत्र के शीर्ष जनों में ये भाव पर्याप्त नहीं दिखते।

अठारहवीं शती ईस्वी के आरम्भ में औसतजेव की १७०७ ई में मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य समाप्त हुआ ऐसा माना जा सकता है। शिवाजी के राज्याभियेक से लेकर १७५० ई तक मराठे ही भारत की सबसे शक्तिशाली व विस्तृत राज्य शक्ति थे। लेकिन इन्हीं दिनों में योरपीय भारत में प्रभाव बढ़ाने लगे। १७५० ईस्वी में अरकाट की लड़ाई से उन्होंने अपनी शक्ति को निर्णायिक रूप से बढ़ाना शुरू किया। १८०० ईस्वी तक प्राय समस्त भारत पर उनका प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभुत्व हो गया। इसके उपरात यह मानना कि सन् १८५७ ई तक भारत की अपनी स्वतंत्र सत्ता कहीं रही निराधार और निरर्थक है। सन् १८०३ ईस्वी तक हमारा प्रभावशाली वर्ग मानसिक पराजय स्वीकार कर दुका था। इस वर्ग का एक महत्वपूर्ण अश उत्साहपूर्वक ब्रिटिश जीवन-पद्धति ब्रिटिश विचार-पद्धति एवं अभिव्यक्ति-पद्धति को ऐसे अपना रहा था मानो वह बौद्धिक दारिद्र्य से ग्रस्त हो उसके पास न अपनी प्रभा हो न प्रतिभा न प्रतिमान। माहरी विचार और व्यवहार को किस रूप में लेना है उसका सपूर्ण समाज पर क्या-क्या प्रभाव पड़ेगा उस प्रभाव को कैसे सतुरित रखना तथा अर्थवान बनाना है इस पर शास्त्र-र्धितन कोई सृजनात्मक प्रयास नहीं दिखते। जो ले रहा है उत्साह से ले रहा है। बृहत् समाज तिरस्कार से यह देख रहा है। विखड़न की यह स्थिति स्पष्ट दिखती है।

ऐतिहासिक राजनीतिक घटनाओं को समझने के प्रति राजनीति तत्र के शीर्ष जनों में या तो प्रमाद और उपेक्षा-भाव दिखता है या फिर एक अस्पष्ट अपेक्षा-भाव। हमारे प्रतिभाशाली लोग सभकालीन राजनीतिक घटनाओं को किस रूप में देख रहे थे इसका एव उदाहरण हैं राममोहन राय।

कहा जाता है कि यद्यपन में अपने साथ घटी घटनाओं के कारण उन्होंने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया और हुगली जिले से पटना जा पहुंचे। वहा फारसी और अरबी का अध्ययन किया। अरबी विज्ञान और दर्शन पढ़ा। यूनानी र्धितकों के अरबी अनुवाद

पढ़े। हाफिज रम्मी आदि की शाइरी पढ़ी। फिर कुछ साल बनारस रहे। वहा उपनिषद् और गीता पढ़ी। फिर मुरिदावाद जाकर अरब की विद्या पढ़ने लगे। वहीं अपनी पहली पुस्तक 'सुहफत्त-उल मुखहिदीन' फारसी में लिखी जिसमें एक्यथवाद का घनधोर समर्थन विद्या। इसकी भूमिका अरबी भाषा में थी। तदुपरात्र ब्रिटिश राज में नौकरी की। १८१४ ईस्टी में कोलकाता पहुचे। वहीं ईसाई साहिस्य पदा और हिन्दू, लैटिन और यूनानी भाषाएं सीखीं। और फिर एक यूनिटरियन मिशन प्रेस समाघर पुस्तकालय आदि बनवाया व द प्रिसेप्ट्स आव जीसस' अपील दु द क्रिडियन पम्लिक' 'द आइडियल ह्यूमैनिटी आव जीसस आदि पुस्तकें प्रकाशित की। अग्रेजी की शिक्षा के देशव्यापी प्रचार के लिए वातावरण बनाने में लगे रहे और अत में ब्रह्म समाज की स्थापना की जिसका मुख्य लक्ष्य था मूर्तिपूजा की परपरा पर तीव्रतम प्रहार करना। साथ ही उन्होंने देशभर में एक्यथवाद की स्थापना के लिए अत्यधिक श्रम किया। आधुनिक अभिजनों ने उन्हें 'रेनेसाँ का नव प्रवर्तक देखा।

यहीं पर बकिमचन्द्र घटोपाध्याय का स्मरण प्रासादिक है। बकिम ने आनंदमठ जैसे उपन्यास लिखे और सन्यासी-विद्रोह जैसी राजनैतिक घटनाओं की भीगासा की। प्रसिद्ध राष्ट्रगीत वदेमातरम् रचा। उन्हीं बकिम की अग्रेजी राज के बारे में यह व्याल्पा थी कि वह दैदी इष्ठा से भारत के शुम के लिए ही आया है। यह बोध चस कल-खंड का है जब अग्रेज भारत की समाज-रचना कृपि शिल्प प्रौद्योगिकी विद्या-सत्त्वा आदि को देशभर में नष्ट कर सुके थे। लेकिन जन-जीवन का व्यापक क्षय और विनाश करने वाला ब्रिटिश राज ऐसे शवितशाली लोगों को पूर्ववर्ती इस्लामी त्रास से मुक्ति दिलाने वाले वरदान के रूप में दिख रहा था। ये सब भारत के भेदावी नागरिक थे। देशभवित और सस्कृति रक्षा की भावना इनमें कम नहीं थी। किंतु बृहत् सामाजिक जीवन के विष्यस का या तो इन्हें पर्याप्त ज्ञान नहीं था या फिर विष्यस इन्हें अपनी या अपने जैसों की निजी क्षति न होने के कारण उतना पीड़िप्रद नहीं लगता था। निजी अनुभव निजी धैर्यिक मानसिक स्तर पर भोगा हुआ यथार्थ ही इन्हें सामाजिक यथार्थ का प्रयास प्रतिनिधि दृष्टात लगता था। बृहत् समाज के दु-खों का राजनैतिक ऐतिहासिक सदर्म पहचानना उन्हें आवश्यक नहीं लगता था। सब परपरागत अर्थ में विरक्त भी नहीं थे। क्योंकि परंपरा में तो गुरुतम निजी दुख से भी वियलित न होने का आदर्श रहा है जबकि ये सब निजी दु-खों के दारण अनुभयों से ही महत्वपूर्ण सामाजिक निष्कर्ष निकालते दिखते हैं।

स्वामी विदेशानंद का व्यवित्तत्व कई अर्थों में इससे मिल था और प्रसिद्ध

शास्त्र ज्ञान एवं सवेदना में भी वे अधिक उप्रत है। अत उनका रमण बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण है। हिन्दु धर्म और भारतीय सस्कृति के वे समर्थ प्रवक्ता सन्यासी बने और शायद आज सबसे अधिक पुस्तकों जिन आधुनिक भारतीय विचारकों की पढ़ी जाती हैं उनमें प्रमुख हैं विवेकानन्द और महात्मा गांधी।

हम स्वामी विवेकानन्द में गहरा और उत्कट देशप्रेम व्याप पाते हैं। शास्त्रों का ज्ञान भी उन्हें था ही। श्री रामकृष्ण परमहस के वे सर्वप्रमुख शिष्य थे। श्री रामकृष्ण का शरीरान्त १५ अगस्त १८८६ ईस्वी को हुआ। २६ मई १८९० को विवेकानन्द ने वाराणसी के श्री प्रमदादास मित्र को एक लक्षा पत्र लिखा। उसमें कहा 'यह निष्ठ्य ही अपराध हो गया कि भगवान् श्री रामकृष्ण परमहस के शरीर को चिताग्नि में समर्पित कर दिया गया जबकि उसे समाधिस्थ किया जाना चाहित होता। उनके राख-फूल सुरक्षित हैं। अच्छा हो यदि वे पवित्र गगा तट पर जहा पर वे साधना किया जर्ते थे वहीं स्थल निर्मित कर सुरक्षित भूमिस्थ कर दिये जायें इससे उस अपराध का कुछ मार्जन हो जायेगा। उन अवशेषों की श्री परमहस के आसन की एवं चित्र की पूजा मठ का नित्य नियम है। द्वादशांतशीय एक सन्यासी रात-दिन इसी कार्य हेतु नियुक्त है। पूजा का खर्च दो महान् भवतों द्वारा उठाया जाता है। कितनी फीड़ा की बात है कि उनकी स्मृति के लिए अभी तक बगाल से धन नहीं एकत्र हो सका जिनके जन्म से यह बगाली जाति पवित्र हो गई है और जो पवित्री सस्कृति के सासारिक आकर्षण से भारतीयों को बचाने के लिए पृथ्वी पर आए तथा इसीलिए उन्होंने अपने अधिकाश सन्यासी-शिष्य विष्वविद्यालयों से चुने।

स्मृति-स्थल हेतु अपेक्षित भूमि लगभग पाय-सात हजार लूपयों में मिलेगी। फिर उस पर कुछ आश्रम बनाना होगा। श्री रामकृष्ण के सन्यासी-शिष्यों के मित्रों और सरक्षकों में से एक मात्र अब आप ही हैं। संयुक्त प्रात (वर्तमान उत्तर प्रदेश) में आपकी प्रसिद्धि है पद है और परिचय-धेन है। आप इस कार्य को उचित मानें तो इसके लिए धन एकत्र करने की कृपा करें। मैं आपके साथ द्वार-द्वार घलकर इस श्रेष्ठ कार्य हेतु भिक्षा-याघना को उद्धत हू। उसमें तनिक भी लज्जा कैसी? शायद आप कहें कि सन्यासी को इच्छाए क्यों? मेरा उत्तर होगा भगवान् श्री रामकृष्ण परमहस का नाम उनका जन्म-स्थल एवं साधना-स्थल विव भैं सर्वत्र प्रसिद्ध पाए इसके लिए मैं थोरी-ठक्करी तक करने को तैयार हू, क्योंकि मैं उनका सेवक दास हू, मैं इस स्मृति स्थल के निर्माण हेतु ही कोलकत्ता लौटा हू। अगर आप कहें कि स्मारक वाशी में हो तो निवेदन है कि उन्होंने साधना तो यहा कोलकत्ते में गगा-स्ट पर की थी। मेरी

पढ़े। हाफिज रमी आदि की शाहरी पढ़ी। फिर कुछ साल बनारस रहे। वहाँ उपनिषद् और गीता पढ़ी। फिर मुरिदाबाद जाकर अरब की विद्या पढ़ने लगे। वहीं अपनी पहली पुस्तक तुहफत उल-मुयहिदीन फारसी में लिखी जिसमें एक्यथवाद का घनधोर समर्थन किया। इसकी भूमिका अरबी भाषा में थी। तदुपरात ब्रिटिश राज में नौकरी की। १८७४ ईस्वी में कोलकता पहुँचे। वहीं ईसाई साहित्य पढ़ा और हिन्दू, लैटिन और यूनानी भाषाएँ सीखीं। और फिर एक यूनिटेरियन मिशन प्रेस समाघर पुस्तकालय आदि बनवाया था 'द प्रिसेप्ट्स आव जीसस' अपील द्वारा द्रिष्टियन पस्तिक 'द आइडियल ह्यूमैनिटी आव जीसस आदि पुस्तकें प्रकाशित कीं। अग्रेजी की शिक्षा के देशव्यापी प्रधार के लिए वातावरण बनाने में लगे रहे और अत में ब्रह्म समाज की स्थापना की जिसका मुख्य लक्ष्य था मूर्तिपूजा की परपरा पर तीव्रतम प्रहार करना। साथ ही उन्होंने देशभर में एक्यथवाद की स्थापना के लिए अत्यधिक श्रम किया। आधुनिक अभिजनों ने उनमें 'रेनेसेंस' का नव-प्रदर्शक देखा।

यहीं पर बिकिम्बन्द घटोपाध्याय का स्मरण प्रासादिक है। बिकिम ने अनन्दमठ जैसे उपन्यास लिखे और सम्यासी-विद्रोह जैसी राजनैतिक घटनाओं की भीमासा की। प्रसिद्ध राष्ट्रगीत वदेमातरम् रचा। उन्हीं बिकिम की अग्रेजी राज के बारे में यह व्याख्या थी कि वह दैवी इच्छा से भारत के शुभ के लिए ही आया है। यह भोग उस काल खंड का है जब अग्रेज भारत की समाज-रचना कृषि शिल्प प्रौद्योगिकी विद्या-स्तर आदि को देशभर में नए कर द्युके थे। लेकिन जन-जीवन का व्यापक क्षय और विनाश करने वाला ब्रिटिश राज ऐसे शवितशाली लोगों को पूर्ववर्ती इस्लामी त्रास से मुक्ति दिलाने वाले वरदान के रूप में दिख रहा था। ये सब भारत के मेधावी नागरिक थे। देशभवित और सस्कृति-रक्षा की भावना इनमें कम नहीं थी। किंतु बृहत् सामाजिक जीवन के विष्यस का या तो इन्हें पर्याप्त ज्ञान नहीं था या फिर विष्यस इन्हें अपनी या अपने जैर्सी की निजी क्षति न होने के कारण उतना पीड़ाप्रद नहीं लगता था। निजी अनुभव निजी दैहिक मानसिक स्तर पर भोगा हुआ यथार्थ ही इन्हें सामाजिक यथार्थ का प्रयास प्रतिनिधि दृष्टात लगता था। बृहत् समाज के दुखों का राजनैतिक ऐतिहासिक सदर्भ पहचानना उन्हें आवश्यक नहीं लगता था। सब परपरागत अर्थ में विरक्त भी नहीं थे। कथोंकि परपरा में तो गुरुतम निजी दुख से भी विचलित न होने का आवश्यक रहा है। जबकि ये सब निजी दुखों के दार्ढ अनुभवों से ही महत्वपूर्ण सामाजिक निष्कर्ष निकालते दिखते हैं।

स्वामी विदेकानंद का व्यवित्तत्व कई अध्यों में इससे भिन्न था और प्रतिभा

शास्त्र-ज्ञान एव सबेदना मे भी वे अधिक उप्रत हे। अत उनका स्मरण बहुत आवश्यक और भावच्चपूर्ण है। हिन्दु धर्म और भारतीय सस्कृति के वे समर्थ प्रवक्ता सन्यासी बने और शायद आज सबसे अधिक पुस्तकों जिन आधुनिक भारतीय विचारकों की पढ़ी जाती हैं उनमें प्रमुख हैं विवेकानन्द और महात्मा गांधी।

हम स्वामी विवेकानन्द में गहरा और उत्कृष्ट देशप्रेम व्याप पाते हैं। शास्त्रों का ज्ञान भी उन्हें था ही। श्री रामकृष्ण परमहस के वे सर्वप्रमुख शिष्य थे। श्री रामकृष्ण का शरीरान्त १५ अगस्त १८८६ ईस्यी को हुआ। २६ मई १८९० को विवेकानन्द ने वाराणसी के श्री प्रमदादास मित्र को एक लबा पत्र लिखा। उसमें कहा यह निष्पत्य ही अपराध हो गया कि भगवान श्री रामकृष्ण परमहस के शरीर को चित्ताग्रि में समर्पित कर दिया गया। जबकि उसे समाधिस्थ किया जाना उचित होता। उनके राख-फूल सुरक्षित हैं। अच्छा हो यदि वे पवित्र गगा तट पर जहा पर वे साधना किया करते थे वही स्थल निर्मित कर सुरक्षित भूमिस्थ कर दिये जायें इससे उस अपराध का कुछ मार्जन हो जायेगा। उन अवशेषों की श्री परमहस के आसन की एव चित्र की पूजा मठ का नित्य नियम है। ब्राह्मणवशीय एक सन्यासी रात-दिन इसी कार्य हेतु नियुक्त है। पूजा का खर्च दो महान् भक्तों द्वारा उठाया जाता है। कितनी पीड़ा की बात है कि उनकी स्मृति के लिए अभी तक बगाल से धन नहीं एकत्र हो सका जिनके जन्म से यह बगाली जाति पवित्र हो गई है और जो पवित्री सस्कृति के सासारिक आकर्षण से भारतीयों को बचाने के लिए पृथ्वी पर आए तथा इसीलिए जिन्होंने अपने अधिकाश सन्यासी-शिष्य विष्वविद्यालयों से छुने।

स्मृति स्थल हेतु अपेक्षित भूमि लगभग पाच-सात हजार रुपयों में भिलेगी। फिर उस पर कुछ आश्रम बनाना होगा। श्री रामकृष्ण के सन्यासी शिष्यों के मित्रों और सरक्षकों में से एक मात्र अब आप ही हैं। सयुक्त प्रात (वर्तमान उत्तर प्रदेश) में आपकी प्रसिद्धि है पद है और परिषद्य-क्षेत्र है। आप इस कार्य को उद्धित मार्ने तो इसके लिए धन एकत्र करने की कृपा करें। मैं आपके साथ द्वार-द्वार चलकर इस श्रेष्ठ कार्य हेतु भिक्षा याचना को उद्घत हू। उसमें तनिक भी लक्षा फैस्ती? शायद आप कहें कि सन्यासी को इच्छाए क्यों? मेरा उत्तर होगा भगवान श्री रामकृष्ण परमहस का नाम उनका जन्म-स्थल एव साधना-स्थल विष्व में सर्वत्र प्रसिद्धि पाए इसके लिए मैं थोरी-छोरी तक करने को तैयार हू, क्योंकि मैं उनका सेवक दास हू, मैं इस स्मृति स्थल के निर्माण हेतु ही कोलकता लौटा हू। अगर आप कहें कि स्मारक काशी में हो तो निवेदन है कि उन्होंने साधना तो यहा कोलकर्ते में गगा-सट पर वी थी। मेरी

मुद्दि के अनुसार कुलीन घरों के ये अच्छे सुशिक्षित मेरे साथी युवा सन्यासी यदि श्री रामकृष्ण के आदेशों को पूर्ण करने हेतु जीवन समर्पित करने पर भी उस कार्य में आग्रह और सहायता के अभाव में विफल रहे तो यह हमारे देश का दुर्भाग्य है।

प्रमदादास मित्र ने इसका निराशाजनक उत्तर दिया। स्पष्ट इससे विवेकानन्द को असहा वेदना हुई। वेदना की बात भी थी। निस्संसदेह तब तक बगल दरिद्र और क्लाल विया जा चुका था परंतु इतनी कम धनराशि उस व्यक्ति के स्मृति-स्थल हेतु न जुट पाये जिसके पास केशवधृ सेन गिरीशधृ घोष ईशान घट्र मुखोपाध्याय बलराम औस शभुनाथ मणिमोहन मणिक जैसे सप्तम लोग आते-जाते थे तो यह प्रसांग आर्थिक दारिद्र्य का नहीं वैवारिक दारिद्र्य का ही दिखता है। या तो यह बात सही नहीं है कि यगाल में भी श्री रामकृष्ण परमहस की स्याति उनके जीवन कमल में ही दूर-दूर तक फैल चुकी थी और शायद ऐसा रहा हो कि १५ २० युवाओं के सिवाय उनके सधे प्रशसक लगभग नगण्य थे या फिर यह पूरी तरह बीदिक आध्यात्मिक दारिद्र्य की दशा का फल है कि इतनी धनराशि न छुट पाये।

इस दुर्दशा ने विवेकानन्द को हिला दिया। उन्हें लगा कि क्या अब इस देश के भीतर से स्वतं कुछ नहीं हो सकेगा? तो वे इस देश को जानने को निकल पड़े। परिद्राजक यायावर सन्यासी विवेकानन्द निरतर पूमते रहे। सर्वत्र उन्हें प्रेम मिला श्रद्धा मिली। फिन्तु बस अधिक ठोस सहायता मही। फिर वे कन्याकुमारी की सुप्रसिद्ध विवेकानन्द शिला पर ध्यानस्थ हुए। ध्यान का उनका सुदीर्घ साधना-क्रम था। वहाँ भी अद्वितीय अनुभूति हुई। कुछ ही दिनों बाद लगा श्री रामकृष्ण परमहस समुद्र के बीचोबीच हैं और बुला रहे हैं। वह विदेशयात्रा का सकेत्त बना। शिकागो विश्वधर्म सभा वस्तुत स्वामी विवेकानन्द के विदेश जाने का कारण न थी। कारण उससे कहीं बहुत बड़ा बहुत गहरा और बहुत अलग था। योरप-अमेरिका की समृद्धि देखी। सगठन देखा। शक्ति देखी। प्राणवचा देखी और बहुत प्रभावित हुए। उन प्रभावों के ओजस्वी उत्साहमय भावपूर्ण काव्यात्मक वर्णन उनके पत्रों में हैं। उन पत्रों में प्रगाढ़ देशप्रेम देश के दैविध्य की समझ लोक व्यवहार की समझ भी है और अतर्वादी दारिद्र्य का दुख भी। धर्म के मामले में वे अमेरीकियों को अव्यावहारिक बताते हुए ६ मार्च १८९५ को अमेरिका के अलासिंघा पेरमल को लिखते हैं - धर्म में मात्र हिन्दु व्यावहारिक हैं याकी (अमेरिकी) लोग धन कमाने में व्यवहारपट्ट हैं। इसी से मैं यहाँ कुछ निश्चित पाकर ही लौटना चाहता हूँ। धीरे धीरे शुरू करो अपना आधार पहथानो और बढ़ो बढ़ो जाओ भेरे बीर बचो! एक दिन हमें प्रकाश दिखेगा। भारतीयों को दी गई उनकी प्रेमपूर्ण

धिकृति में गहरी पीड़ा है ममत्व है प्रेम है। उनके निजी अनुभवों से निकला निष्कर्ष यह है कि भारत का उद्धार तभी समव है जब इसकी सेवा हेतु बाहर से समर्पित व्यक्ति आए और बाहर से धन आए। इस प्रकार मुख्यत विदेशी धन से रामकृष्ण मिशन का प्रारम्भिक विकास होता है।

श्री रामकृष्ण परमहस को वे क्षण भर भी नहीं भूलते। किन्तु व्यवहार-कुशल बुद्धि से वे देखते हैं कि कहा किस तरह का सदाद अर्थमय होगा सम्प्रेष्य होगा। अत परिषिर्म में वे तर्कमूर्ति प्रतिपादनों से श्री रामकृष्ण की विद्यारथ्यारा का प्रसार चाहते हैं। सन् १८९५ में ही अपने एक गुरु भाई को लिखे पत्र में वे स्पष्ट कहते हैं - 'वास्तविक वस्तु है श्री रामकृष्ण द्वारा सिखाया गया धर्म। हिन्दू उसे हिन्दू धर्म कहे तो कहने दो। दूसरे उसे अपने ढग से पुकारें। हमें शनै शनै पथ पर बढ़ना है। मुझे लौटने को कहने से लाभ नहीं। यह किया गया थोड़ा सा कार्य भारत में कई गुना प्रभाव उत्पन्न करेगा। फिर यहाँ के लोग धनी हैं और साहसपूर्वक देते हैं। हमारे यहा तो न धन है न दानशीलता का यह साहस। २९ सितम्बर १८९४ को अलारिंधा पेरम्पत को वे लिखते हैं हमारा कार्यक्षेत्र भारत है। हमें अपना सुदृढ आधार बनाना है। क्षण भर भी मन्द मत पड़ो। हिन्दू समाज मात्र आध्यात्मिक लोगों के लिए संगठित है तथा औरों के प्रति कठोर व्यवहार करता है। ऐसा क्यों? जो सासार के सुखों का कुछ उपभोग करना चाहते हैं वे कहा जाए? समाज में इन सबका भी स्थान होना चाहिए। पहले धर्म के सदे सिद्धांतों को समझना होगा। पिछे उन्हें समाज में विश्यान्वित करना होगा।

६ अप्रैल १८९७ के अपने पत्र में वे 'भारती' की विदुपी सपादिका सरला घोषाल को लिखते हैं मैं सदा से यह मानता रहा हूँ कि हमारा उत्कर्ष तब तक न हो पायेगा जब तक परिमी लोग हमारी सहायता के लिये आगे नहीं आते। हमारे इस देश में गुरों का सम्मान नहीं है धन की शक्ति नहीं है और सर्वाधिक शोचनीय यह है कि तनिक-सी भी व्यवहार बुद्धि नहीं है। मैंने अपने अल्प जीवन में भी यह अनुभव किया है कि श्रेष्ठ अभिप्राय सकल्प निषा और अगाध-अनत प्रेम से विष-विजय समव है। इन गुरों से सपने एक अयेली आस्मा करोड़ों पाख़स्तियों और जड़ कूरबुद्धियों के तमसावृत सकल्पों को बिनाए कर सकती है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि परिषम से व्यक्तियों और धन के आये दिना हमारा कल्याण असमव है। इस प्रकार विवेकानन्द परिषम से धन लाए और व्यक्ति लाए - इन्हीं में थीं मारिट नोबुल यानी भगिनी निवेदिता। हम पाते हैं कि भगिनी निवेदिता महान वैज्ञानिक जगदीशयद्र यसु की वैज्ञानिक पुस्तकों के सपादन में सहायता प्रदानी है बृजेन्द्र नाथ सील की रघनाओं के

अनुवाद में भी। ऐसे तथ्यों से कम से कम हमारे भद्रलोक हमारे अभिजात वर्ग के बारे में यह स्पष्ट हो जाता है कि अपने समाज की प्रतिभा व शवित को पहचानने और आगे बढ़ाने का सामर्थ्य वे खो चुके हैं। विष का कोई भी स्वस्थ समाज अपने महत्वपूर्ण मौलिक सूजनात्मक कार्य विदेशियों की सहायता से सपने नहीं किया करता।

जहाँ तक धन की बात है हम पाते हैं कि सोलहवीं शती के आरम से सत्रहवीं शती ईस्टी के अत तक उत्तर भारत में कबीर ऐदास दादू आदि सतो को सपने शिष्य मिलते हैं। तुलसीदास को अवश्य अपने ही पठित बधुओं से सर्वाधिक प्रताङ्गना सहनी पड़ती है। पर साथ ही उन्हें व्यापक सहयोग भी मिलता है। अपार लोकप्रियता मिलती है। किंतु राजाओं और सपने जनों द्वारा गुरु भाव रखे जाने पर भी इन सतो के पास ऐसे पर्याप्त साधन स्रोत पहुंचे नहीं दिखते जिनसे ये दक्षिण भारत के मटिरों जैसे किसी भव्य विद्या केन्द्र या सस्कृति केन्द्र का निर्माण करा सकें। लगता है कि उस अवधि में ही हमारे सपने और शवितशाली वर्ग की प्राथमिकताएँ बृहत् समाज से अलग बन चुकी थीं। बृहत् समाज ने अवश्य इन सतों को यथाशक्ति सहयोग दिया साधन दिए। समयत इसका कारण यही था कि सब तक बृहत् भारतीय समाज के पास कुछ साधन-स्रोत बचे रहे थे। अंग्रेजों ने उनका सुनियोजित विनाश किया। देश के जन साधारण में तो मौलिक दारिद्र्य बढ़ता ही गया किन्तु नप अभिजात वर्ग के पास कुछ धन व शक्ति तो रही ही होगी। लेकिन ऐसा लगता है कि यह वार्ग मनसिक दारिद्र्य से त्रस्त और भलिन हो गया था जिसका अनुभव विवेकानन्द को हुआ।

विवेकानन्द से सरकाल पूर्व तेजस्वी स्वामी दयानन्द को आवश्यक साधन स्रोत एवं जनाधार मिला था। वेदों के गहरे अध्योक्षों की तेजस्वी व्याख्या और उनकी परम प्रामाणिकता का प्रतिपादन करने वे साध-साध ही स्वामी दयानन्द ने गो-रथा आदोसन को भी भरपूर समर्थन तथा सहयोग दिया। किन्तु साथ ही व्यापक हिन्दू समाज की समकालीन सास्कृतिक मुद्दे के प्रति उनमें एक गहरे दुख का भाव भी था। प्रतिभा पूजन के खण्डन में उन्हें भारतीय समाज की शक्ति दिखती थी। मूर्तिपूजन और एकपथवादी कठोर पथानुशासन के मध्य आधारभूत अतर बया है यह वे शायद कभी पहचान नहीं पाये।

विवेकानन्द और दयानन्द जैसे लोगों में भारतीय समाज के प्रति ममता का प्रेम था। विवेकानन्द में तो भारतीय नर-नारियों पर बहुत गहरा विश्वास भी था। किन्तु देश के बारे में जो छवि जो प्रतिभा नवप्रमुद्ध वर्ग ने रख दी थी उसके प्रभाव से ये प्रसिद्ध और प्रतिभाशाली लोग भी बच नहीं पाए।

देश की वह प्रतिमा परपरागत नहीं थी न ही भारतीय इतिहास के तथ्यों के अनुरूप थी। किन्तु उन्नीसवीं शताब्दी में वह प्रतिमा अग्रेजों द्वारा और उनकी प्रेरणा से परिश्रमपूर्वक गढ़ी गई। बगाल के नवप्रमुद्दों ने इसमें बहुत आगे बढ़कर भूमिका निभाई। संस्कृत तथा भारतीय भाषाओं के माध्यम से ही आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की भी पढाई हो इसका रामबोहन राय जैसों ने प्रथम विरोध किया। उनका मत बन गया था कि ये भाषाएं मात्र सृष्टि की अतीत के ज्ञान की बाहक हो सकती हैं। पश्चिम का ज्ञान तो पश्चिम की भाषा से ही प्राप्त हो सकता है। यह एक अनोखी मान्यता थी कि स्वयं पश्चिम तो भारत का और पूर्व का ज्ञान अपनी ही भाषा में प्राप्त करे परतु भारत को पश्चिम का ज्ञान पश्चिम की ही भाषा में सीखना होगा। इस आग्रह के पीछे निश्चय ही भारतीय भाषा भारतीय दुर्दिख भारतीय जन के प्रति एक हीनता का भाव रहा। यह भारत के प्रति किन्ती द्रेष या द्रोह की बात नहीं है। अपितु भारत के प्रति ऐसे बोध को आत्मसात् कर लेने की दशा है जिसमें भारत को विश्व के अन्य समाजों से विशेष हीन विशेष पतित और निरूप मानने का आग्रह है। इस बोध की अभिव्यक्ति हम उन दिनों के अनेक प्रसिद्ध लोगों के कथनों में पाते हैं।

केशवचंद्र सेन ने भारत के बारे में ब्रिटेन में ही कहा - यदि आप आज भारत को देखें तो आप पायेंगे - दूर-दूर सक फैली मूर्ति-पूजा एक ऐसी जाति व्यवस्था जैसी और कहीं नहीं मिलेगी जिज्ञासारहित प्रकृति वाली सामाजिक और पारिवारिक संस्थाएं तथा अत्यन्त जुगुप्साजनक सीमा तक विद्यमान अज्ञान पूर्वग्रह दोष और अधविश्वास। रवीन्द्रनाथ टाकुर ने सन् १९०० के आसपास लिखा अस्तित्व के आतरिक सत्य से सम्बन्ध विच्छिन्न कर हमारे देशने अविवेक के प्रथम भार से दब कर परिस्थितियों की भीषण दासता स्थीकार कर ली। सामाजिक व्यवहार राजनीति धर्म और कला के क्षेत्र में हम लोग सृजनात्मकता से रहित हो गये तथा एक क्षयशील परपरा अपनाकर हमने अपनी मानवता की अभिव्यक्ति का ही अंत कर दिया।

देश के बारे में यह छयि रायल बगाल सोसायटी तथा बगाल एशियाटिक सोसायटी जैसी अनेक संस्थाओं एवं प्रवृत्तियों से क्रमशः प्रघारित होती रही। राजेन्द्रलाल मित्र जैसे विद्वानों ने अपनी समर्पित प्रतिभा और परिश्रम के द्वारा इसे रूपायित करने में विशेष योगदान दिया। राजेन्द्रलाल मित्र एक देशभक्त थे। वे भारत को इस्लैंड जैसा तथा भारतीयों को अग्रेजों जैसा बनाते देखना चाहते थे और इसी में देश का गौरव मानते थे। आर्य जाति समधी भाषा-वैज्ञानिक परिकल्पनाएं और गाथाएं इस सम्मोहन का प्रेरक तत्व यहीं। इन सब तत्वों के सम्मिलित परिवेश ने ही तत्कालीन नवप्रमुद्भ भारतीयों

विशेषकर मगाली भद्रलोक का वह मानस रथा।

भारत की छवि नई 'इडलोजी' की रूपना थी। इसमें फिर्सी व्यक्तित्व को दोषी ठहराने की बात नहीं है अपितु तत्कालीन भद्रवर्गीय परिवेश और मनोदशा के प्रतिनिधि रूपों का ही संकेत यहाँ है। भारत के हार जाने और पराधीन हो जाने की धिंता का एक उत्तेखनीय शक्तिशाली वर्ग में यह रूप बनते जाना कि दिजेता के समक्ष समर्पण और दासता में ही स्वाधीनता दिखने लगे विधार एवं विश्लेषण का विषय है निंदा या विकार का नहीं।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर जैसी सर्जनात्मक प्रतिमाओं ने एक विचित्र आत्मस्लानि आत्मदैन्य और उसी के साथ योरपीय लक्ष्यों की पूर्ति में ही भारत का आत्मांत्व देखने का गौद्धिक परिवेश रखा उसमें ही जवाहरलाल नेहरू जैसे पवित्रीकृत व्यक्तियों का उभरना और प्रतिष्ठित होना समव हुआ।

धेतना-विकासवाद की अपनी विशिष्ट अवधारणाओं के फलस्वरूप जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग पश्चिम के विंतकों में सर्वाधिक विकसित धेतना देखते थे और पश्चिम के विंतकों के अनुगत समाज को सर्वाधिक विकसित समाज। अतः पश्चिम के द्वारा रची गई आधुनिक शिक्षा ही स्वभावत जवाहरलाल नेहरू के लिए प्रामाणिक ज्ञान का एकमात्र माध्यम थी। इसीलिए वे मानते थे कि भारतीय ग्रामीणों में आधुनिक शिक्षा के पर्याप्त प्रसार दिना ज्ञान और गुण हीनता की इस दशा से करोड़ों भारतीयों का उद्घार करना तथा उन्हें अपने अनुरूप रूपात्तरित करना अपने नेतृत्व में आधुनिक शिक्षित यर्ग द्वारा संघालित राज्य का प्रमुख कर्तव्य मानते थे।

सूजनात्मक बुद्धि के इस अभाव का परिणाम था कि भारतीय इतिहास भारतीय शासव धर्मग्रन्थ एवं वेदों तक में वे सब बातें दूढ़ी-बताई जाने लगीं जो हमें अद्वेजों के अनुगत बनने के योग्य सिद्ध करें। इसमें विशेष बात यह भी थी कि स्वयं अद्वेजों के बारे में हमें लगभग कुछ भी नहीं ज्ञात था। न उनका इतिहास न उनकी समाज व्यवस्था न उनके लक्ष्य। वे अपने बारे में जो भी यहा हमें बता देते उसे ही हमारे प्रबुद्ध लोग भ्रात सत्य मानने लगे। साथ ही स्वयं के दैसे बन सकने की सुपात्रता सिद्ध करने लगे। यहाँ सक कि वेदों में गोमास-भव्यत की बात है यह सिद्ध करने के लिए राजेन्द्रलाल भित्र जैसे विद्वानों ने अद्भुत परिश्रम किया। अपनी नृत्यशास्त्रीय एवं राजनैतिक मान्यताओं के कारण अद्वेज मानते थे कि उनसे भिन्न अन्य समाज सभ्यता के विकास की पूर्व अवस्था में हैं और अपने इतिहास के कारण वे मानते थे कि आदि दशा में मनुष्य नरमास आते

थे तो यहाँ राजेन्द्रलाल मित्र जैसे परिश्रमी विद्वान् यह सिद्ध करने में भी जुट गये कि हमारे यहाँ नरबलि प्रथा थी एवं नरमास खाया जाता था। ऐसी बारों के प्रथार से ऐसा बातावरण बना कि अपने समय में विवेकानन्द भी कह गये कि एक समय था जब भारत में पाच द्राह्यण मिलकर एक गाय को चट कर जाते थे। इसकी एक परिणति आधार्य विनोबा भावे में देखी जा सकती है। विनोबा भावे गीता प्रवचन में कह गये कि वैदिक ऋषि गोमास खाते थे और फिर इस कथन के लिए प्रभाण दिया सातवीं शताब्दी ईस्वी में भवभूति रचित उत्तर रामचरितम्' नाटक के उस अश का जिसका अर्थ भी अस्पष्ट है। इससे हमारे विद्या के स्तर में आया ड्रास व प्रमाद ही झलकता है।

स्वाधीनता की चिन्ता और विचार जहाँ हमारे नवप्रबुद्ध वर्ग में आक्रमकों के प्रतिपादनों के प्रति ऐसे दास्य भाव को गहरा करने की परिणति को प्राप्त हुआ वही बृहत् भारतीय समाज में स्वाधीनता की चिन्ता इससे विपरीत रूप में ही प्रकट होती रही। यह बृहत् समाज अपने सास्कृतिक प्रतीकों और आदर्शों को केन्द्र बनाकर बारम्बार स्वय को संगठित करने का प्रयास करता है। १८५७ ई के स्वतंत्रता संग्राम में भी ऐसा ही प्रयास किया गया था। सन् १८८० से १८९४ ई तक देशभर में विशेषत उत्तर और मध्य भारत में प्रबल गोरक्षा आदोलन उठा। गोरक्षिणी सभाओं की व्यापक शृखला स्थापित हुई जिसमें हिन्दू मुसलमान ईसाई धनी निर्धन नर-नारी भाल-वृद्ध सभी सम्मिलित हुए। अपनी सास्कृतिक अस्मिता घेतना और परपरा से जुड़े प्रतीकों एवं रूपों के साथ बृहत् समाज के ऐसे प्रयासों में भारत को हीन मानने या भारतीय सरस्थाओं प्रवृत्तियों एवं आदर्शों के प्रति स्लानि का भाव होने के कोई भी धिन्ह नहीं दिखते।

महात्मा गांधी में ऐसा हीनता और स्लानि का भाव लेशमात्र नहीं था और उनके नेतृत्व में पूरा देश एक होकर उमड़ पड़ा। देश के बारे में महात्मा गांधी का विचार नवप्रबुद्ध लोगों से नितात भिन्न था। ये मानते थे कि इस देश के बृहत् समाज में भरपूर गुण हैं और कुप्रवृत्तियों तथा विकृतियों के होते हुए भी आतंरिक सामर्थ्य है। यदि इन्हें अपनी श्रेयस्कर प्रवृत्तियों को संगठित करने और अभियूक्त करने के बैसे ही पर्याप्त साधन खोत फिर से दे दिये जाए तो ये लोग उसी तरह एक श्रेष्ठ सम्प्रसार पुन रथने लगेंगे जैसे की हजारों साल से रथते रहे हैं। कुछ लडाई- झगड़े तो समय-समय पर होते ही रहेंगे उत्तार घडाव भी होंगे थोड़ा वैर-विरोध कुछ अनीति भी शायद रहे पर उन सबको अनुधित और अर्थम भाना जाएगा मर्यादा का उत्थान भाना जायेगा तथा उनकी निंदा की जायेगी। इसलिए आवश्यक है इन्हें पुन आत्मगौरव एवं आत्मप्रतिष्ठा

ऐसु आवश्यक वे साधन स्रोत वापस लौटाना जो कुछ तो इस्लामी प्रभुत्व कल में लेकिन पूरी तरह ब्रिटिश साप्राज्य के फ़ाल में इनसे छल बल से छीन लिये गये। यह महत्वपूर्ण मात्र इतना है कि गांधीजी को भारतीय जन और भारतीय धन के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा था तथा उसी दृष्टि से उन्होंने अपने अद्वितीय सगठन और सामर्थ्य के बल पर देश व्यापी विराट सगठन और आदोलन खड़ा किया था।

इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वाधीनता की चिंता व विद्यार की दो मुख्य धाराएँ ब्रिटिश साप्राज्यकाल में रही। एक धारा बृहत् समाज की थी जिसके सबसे सफल नेता गांधीजी हैं। दूसरी धारा भारत में क्रमशः परस्ये होते जा रहे अभिजन एवं शक्तिशाली जन हैं जो आक्रमकों के प्रति विशेष समर्पण एवं दात्य भाव की एक तर्की परपरा के बाहक हैं। स्पष्ट है कि भारत के स्वाधीनताको धाहनेवाले बृहत् समाज की मुख्य टक्कर इन अभिजनों से नहीं थी अपितु पराधीन बनाने वाले साप्राज्य से थी। उस साप्राज्य को समझने से हमें इस दात्य भाव वाले अभिजन समुदाय के भी मानस के कारक तत्त्वों का कुछ अनुमान हो सकेगा।

### आक्रमक अंग्रेज और उनका समाज तथा रास्ता

सन् १५०० ई के बाद से विविभर में यूरोपीय जातिया अपना प्रभाव बढ़ाने लगी और लगभग सपूर्ण गैर यूरोपीय विद्व को किसी न किसी रूप में अपने नियन्त्रण या प्रभाव में लाने में सफल हुई। यह सफलता यद्यपि उन्हें सोलहवीं शती ई से ही गिर पाई किन्तु उनकी अपनी सम्भासा-दृष्टि बहुत पहले से ऐसी ही रही है।

प्लेटो के समय से ही यूरोपीय दृष्टि यह है कि थोड़े से लोग मुख्यतः एक विंतक या उद्घारक और उसके अगले सधे शिष्य या अनुयायी तथा उन्हें मिलाकर बनी सस्था या निकाय ये ही सत्य और सस्कृति के बाहक होते हैं। शेष समाज में सत्य और सस्कृति के सर्वोच्च रूप को ग्रहण करने का सामर्थ्य नहीं होता और The good and the Beauty 'द गुण' और 'द अद्यूती' की भी समझ नहीं होती समझने की शमता नहीं होती। अतः यदि उनकी दुष्टि और मन पर नियन्त्रण नहीं रखा गया तो कुराई फैलेगी पाप फैलेगा बर्दरता फैलेगी। इसलिए शक्ति का केन्द्रीकरण अत्यावश्यक है। उसी से सम्भासा की रक्षा हो सकती है।

सम्भ्य वे हैं जो शक्तिशाली हैं शासक हैं। अपने समाज के शेष लोग बर्बर हैं। उन्हें दास बनाकर रखना धाहिए। तभी सम्भ्यता का विषमस होता है सुध्यवस्था राखन छोती है। अपने अतिरिक्त अन्य समाज सपूर्णता बर्बर होते हैं अधकार प्रस्त छोते हैं।

उन्हें अपने अधीन लाकर कुछ प्रकाश का सचार करना चाहिए। यह सम्पूर्ण पृथ्वी हमारे अपने द्वारा प्रकाश फैलाये जाने के लिए है। हमारे द्वारा विष्व के सभी समाजों का उद्धार होना है। उनका उद्धार इसमें है कि ये सम्यता के टूल औजार बन जाए। इस प्रकार सम्यता का अर्थ है यूरोपीय शासकों के विचार व व्यवहार। विष्व के समाजों के उद्धार का अर्थ है उन्हें इस सम्यता का औजार बनाया जाना।

अरस्तू ने स्पष्ट कहा है सप्ति मनुष्य का औजार है और स्वयं औजार मनुष्य की सपति है। सम्यता का अर्थ है सपति की निरतर वृद्धि व्यवस्था और रक्षा। अपनी सपति की रक्षा औजारों के द्वारा की जाती है। दास एवं सेवक भी ऐसे ही औजार हैं। उनसे काम लेते हुए सपति बढ़ाई जाती है। इस प्रकार सम्यता का अर्थ है - सपति विस्तार। शासकों यानी सम्यों के अतिरिक्त शेष सबको सपति का औजार बनाना है। यही सम्यता का विस्तार है। समय एवं आवश्यकता के अनुसार औजार के रूप बदलते रहते हैं।

यही यह भी स्मरणीय है कि यूरोपीय शासक सामान्यत अन्य समाजों को सीधे अपने द्वारा उद्धार योग्य नहीं मानते। ऐसे छोटे कार्मों के लिए उनके औजार या उनके अर्धविकसित लोग ही पर्याप्त हैं। साम्य शासक इस उद्धार व्यापार का नियत्रण-निर्देशन ही करते हैं। इसी दृष्टि के अतर्गत १६ वीं शती ईस्वी में विविध ईस्ट इंडिया कंपनी बनायी गईं। जो लोग अपेक्षाकृत गरीब व मध्यम वर्ग के होते थे और जिनमें जोखिम उठाने का साहस व धन की अभिलाषा होती थी उन्हीं यूरोपीयों को शेष विष्व की खोज करने तथा वहा आधिपत्य जमाकर यूरोपीय सम्यता का प्रकाश फैलाने भेजा गया। यहीं प्रसागवश स्मरणीय है कि कार्ल मार्क्स ने भी यही माना था कि एशिया अप्रिका के देशों के समाजों का उद्धार तो यूरोप का 'वर्किंग क्लास' - औद्योगिक श्रमिक वर्ग करेगा। कार्ल मार्क्स यूरोपीय सम्यता के ही एक सबल प्रतिनिधि थे।

अपनी विष्व दृष्टि के प्रति आस्था सकल्प और मनोबल से तथा उसके अनुरूप सस्थाए व्यवस्थाए खड़ी करते हुए यूरोपीय विष्व में फैले साधन या शिक्षा या विज्ञान प्रौद्योगिकी की दृष्टि से वे उन दिनों विष्व के अन्य समाजों से पीछे ही थे आगे नहीं। इस यथार्थ को न जानने के कारण हमारे बहुत से विद्वान भी तरह तरह वे भ्रान्त निष्कर्षों पर पहुंचते रहते हैं। यहा हम भारत को सम्य बनाने के लिए आगे बढ़कर सफल होने वाले इस्लैंड के ही तर्थों का इस दृष्टि से स्मरण फूर लें।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सदर्म में सर्वप्रथम सो यही स्मरणीय है कि आधुनिक विज्ञान की अधिकाश उपलब्धियां मात्र एक सौ वर्ष पुरानी हैं - फार वायुयान

मोटरलारी विजली आदि एक सौ वर्ष पहले नहीं थे। रेल भी १५० वर्ष से अधिक पुरानी नहीं हैं। १६ वीं शताब्दी में जब अग्रेज भारत में अपना विस्तार कर रहे थे उस समय तक इलैंड में वहाँ की आवश्यकता की तुलना में बहुत कम लोहा होता था। स्वीडन रूस आदि से आयात कर वे काम घलाते थे। ड्रिटेन का कथा लोहा हल्के किस्म का था और १७०० ईस्वी के आसपास से परधर के कोयले का प्रयोग वे इस्पात बनाने के काम में करने लगे थे पर वह कोयला भी घटिया किस्म का था। जे एम हीथ ड्रिटेन के एक उद्योगकर्मी थे। वे याद में शेफ़ील्ड में लोहे और इस्पात के एक प्रमुख निर्माता थे। पहले १८२४ई में उन्होंने लिखा - यह सुविदित है कि अपनी आवश्यकता के लिए वाचित लोहे के लिए इलैंड पूरी तरह विदेशों पर निर्भर है। पिछले वर्ष मात्र इस्पात बनाने के लिए इलैंड में १२ हजार टन से अधिक विदेशी लोहे का आयात करना पड़ा। हर वर्ष 'सोसायटी फार एनकर्नेजर्मेंट आफ आर्ट्स' इलैंड में इस्पात बनाने के योग्य इस्लिंश लोहा तैयार किये जाने देते पुरस्कार देने की घोषणा करती है और आज तक उस पुरस्कार का कोई दावेदार नहीं हुआ। लगता है कि कभी कोई होगा भी नहीं। क्योंकि इस्लिंश कथा लोहा ऐसे ही स्तर का है और हमारा इघन भी घटिया श्रेष्ठी का है।

'ड्रिल प्लाऊ' यानी वपित्र जो भारत में पुरातन काल से प्रयुक्त होता रहा है यूरोप में पहले पहल सन् १६६२ई में आस्ट्रिया में प्रयोग में आया। इलैंड में 'ड्रिल प्लाऊ' का पहला प्रयोग १७३० ईस्वी में हुआ पर प्रथलन लगभग ५० वर्ष बाद सन् १७८० में हुआ। सिंधाई यूरोप में कभी अधिक नहीं थी।

### ड्रिटेन में शिक्षा की दशा का भी स्मरण उपयोगी होगा

१३ वीं और १४ वीं शती ईस्वी में ड्रिटेन में आक्सफोर्ड कैम्ब्रिज एवं एडिनबर्ग विश्वविद्यालय प्रारम्भ हुए। १८ वीं शती ईस्वी के अत तक ड्रिटेन में लगभग ५०० ग्रामर स्कूल थे। सोलहवीं शती ईस्वी के मध्य में वहाँ प्रोटेस्टेंट ईसाईयों ने सत्ता पर एकाधिकार किया था और अधिकांश कैथोलिक ईसाई मठों को बद कर दिया तथा उनकी संपत्ति एवं आय राज्य के अधीन कर दी। तब से वहाँ शिक्षा एक अत्यत सीमित वर्ग को ही दी जाती रही।

ए ई छात्र के अनुसार प्रोटेस्टेंट क्राति के पहले इलैंड के गरीबों को पढ़ने के लिए स्कूल की सुविधा थी। उनके अनुसार उन दिनों आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय एक ईसाई पथ का धर्मार्थ शिक्षा केन्द्र था और इलैंड का वह मुख्य ग्रामर स्कूल माना जाता था जहाँ ईसाई तत्त्व ज्ञान धिक्रिस्ता एवं कानून पढ़ाये जाते थे। किन्तु सोलहवीं शती

ईस्वी के मध्य से विपरीत प्रवृत्ति उमरी।

तब कुछ समय के लिए एक कानून बना कि अंग्रेजी में लिखी याइबल चर्चों में नहीं पढ़ी जानी चाहिए। कानून में प्रावधान था कि निजी तौर पर पढ़ने का अधिकार उन नोबल्स को कुलीनों को एवं व्यापारियों को है जो गृहस्वामी हैं किन्तु कारीगरों किसानों मालियों मजदूरों आदि के बेटों को नहीं है। इसका कारण यह बताया गया था कि धर्मशृंखल की मुक्त व्याख्या करके वहां अव्यवस्था फैलाने की कुछ कोशिश हो रही है। उन लक्षणों को देखा नहीं है। तब कहा गया कि 'हल जोतने वाले के बेटे को हल पकड़ना चाहिए' कारीगर के बेटे को बाप का हुनर अपनाना चाहिए कुलीनों की सतानों को राजकाज का ज्ञान प्राप्त कर कामनवेल्थ का शासन करना चाहिए। क्योंकि हमें सभी प्रकार के लोग चाहिए और (इसीसे) सबका स्कूल जाना आवश्यक नहीं।

फिर १७ वीं शती ईस्वी के अंत से कुछ नई नीति अपनायी गई। साधारण लोगों के लिए कुछ धेरिटी स्कूल इस लिए खोले गए ताकि श्रमिक वर्ग की चेतना को इतना तो उत्तर बनाया जा सके कि वे ईसाई धार्मिक निर्देशों को ग्रहण कर सकें। विशेषकर घेल्स में ये धेरिटी स्कूल इसलिए खोले गये ताकि गरीबों को इतनी बाइबिल पढ़ायी जा सके कि वे रविवारी प्रार्थना में सम्मिलित हो सकें और धार्मिक निर्देश ग्रहण कर सकें। पर ये धेरिटी स्कूल अधिक नहीं चले। फिर १७८० ई के लगभग से 'सड़े स्कूल मूष्मेण्ट' शुरू हुए। उसमें भी लोकशिक्षण का मुख्य लक्ष्य ईसाइयत के प्रधार के ग्रहण करने योग्य अधिकाधिक लोगों को बनाना और हर बच्चे को बाइबिल पढ़ने योग्य बनाना था। कुछ समय बाद डे स्कूलों की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। १८३४ ईस्वी तक अच्छे राष्ट्रीय स्कूलों में भी पाठ्यक्रम मुख्यतः धार्मिक निर्देशों तक सीमित था। पढ़ पाना लिख पाना और अक्षणित का सामान्य ज्ञान पाठ्यक्रम के लक्ष्य थे। कई स्कूलों में लिखना सिखाने की बात त्याग दी गई क्योंकि यह था कि इसके बुरे यानी राज्य के लिये हानिकारक परिणाम हो सकते हैं।

१८०२ के एक कानून में यह विधान बना कि छोटे बच्चों को काम पर रखने वाले स्थामी लोग सात बच्चों की एप्रेण्टिसशिप की अवधि में सेवा लेने के साथ-साथ पहले घार वर्ष उन्हें पठना लिखना और अक्षणित सिखाए तथा धार्मिक निर्देश ग्रहण करने के योग्य बनाए। रविवार को एक घटा इन बच्चों को प्रार्थना सभा में पहुंचाया जाए। किन्तु यह कानून बहुत अलोकप्रिय हुआ। उसका प्रभाव अधिक नहीं हुआ। तभी जो सेफ लकास्टर द्वारा प्रयुक्त मानीटोरियल शिक्षणविधि अपनायी गई। इसमें एप्लियू बेल का भी योगदान था। उन्हीं दिनों यह माना गया कि यह विधि भारत से ग्रहण की गई। उस विधि

से लोकप्रिय शिक्षा के कार्य को बहुत सहायता मिली। ग्रिटेन में १७९२ ईस्वी में स्कूलों में पढ़ रहे यर्डों की संख्या ४० हजार के लगभग बताई गई है। १८१८ ई में यह संख्या ६७४ ८८३ तथा १८५१ ईस्वी में २१ ४४ ३७७ थी। १८०१ ई में निजी और सार्वजनिक स्कूलों कि वहां सुन्न संख्या ३ ३६३ थी तथा १८५१ ईस्वी में वह इनमें बढ़ती हुई ४६ ११४ तक जा पहुंची। प्रारम्भ में शिक्षक बहुत सक्षम नहीं थे।

सार्वजनिक स्कूलों में प्रारम्भ में अत्यल्प छात्र थे। सूसमरी के प्रसिद्ध स्कूल में जनवरी १७६७ ईस्वी में कुल तीन या चार लड़के थे। बहुत प्रयास करने पर और स्कूल का पुनर्स्थान करने पर एक वर्ष बाद यह संख्या २० तक जा पहुंची। १८५१ ईस्वी तक स्कूलों में गणित का नियमित अध्यापन नहीं होता था। छिट्पुट अक्षणित सिखायी जाती थी।

सार्वजनिक स्कूलों की घाँटे जो दशा थी किन्तु आक्सफोर्ड फैमिज एव एडिनबर्ग इंस्टीट के प्रतिष्ठित विद्विद्यालय थे। १७७३ ईस्वी के बाद वहां से भारत आने वाले विद्वान् यात्री न्यायाधीश आदि इन्हीं विद्विद्यालयों के सिखित जन थे। १८०० ईस्वी में आक्सफोर्ड विद्विद्यालय की स्थिति पर एक दृष्टि यहां उपयोगी होगी। फैमिज और एडिनबर्ग में भी स्थिति लगभग ऐसी ही थी।

सन् १८०३ में पहली बार आक्सफोर्ड में रसायनशास्त्र के प्रोफेसर की नियुक्ति हुई। इसके पहले साहित्य विधि संगीत व्याकरण दर्शन आदि के प्रोफेसर थे। साथ ही १६२४ ईस्वी में एनाटमी के और १६६९ ई में 'बॉटनी' के प्रोफेसर की नियुक्ति हुई थी। उन्नीसवीं शती के आरम्भ में आक्सफोर्ड से सलम्न १९ कालेज और ५ समाज थे। कालेजों में कुल ५०० फेलो थे जिनमें से कुछ प्रस्त्रीक वालेज में अध्यापन भी करते थे। कुल १९ प्रोफेसर (विभागाध्यक्ष) १८०० ई में थे। १८५४ में इनकी संख्या २५ हो गई।

उन्नीसवीं शती ईस्वी के आरम्भ में जो मुख्य विषय पढ़ाये जाते थे वे थे ईसाई पञ्चविद्या (धिओलोंजी) एव वलासिक्स। लिटरेट छूमेनिअर्स' नाम से वलासिक्स की परीक्षा होती थी जिसमें ग्रीक व लैटिन भाषा और साहित्य मौर्शिल फिल्सोसोफी छन्द अंलकार शास्त्र एव तर्क शास्त्र सम्मिलित थे। गणित विज्ञान एव भौतिकी के तत्त्वों से सम्बन्धित प्रश्नपत्र भी परीक्षा में होते थे। विधि विकित्सा भूर्गम शास्त्र आदि पर व्याख्यान चप्पलस्थ थे।

१८०५ ई के आगे इस विद्विद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने लगी। उन्नीसवीं शती के आरम्भिक वर्षों में कुल छात्र ७६० थे १८२०-२४ में यह रांख्या

१३०० तक जा पहुंची। कालेजों के पास अपनी सपत्नि थी विशेषकर भूमि और विद्यार्थियों से प्राप्त धन।

विश्वविद्यालयों का काम इसी तरह के धन से चल रहा था। जहां ब्रिटिश उच्च पुर्तगाली और फ्रैंच लोगों के समूह सीधे या तो १६वीं-१७वीं शती में बनायी अपनी विविध ईस्ट इंडिया कंपनियों के नाम से भारतीय क्षेत्र एवं भारतीय महासागर-क्षेत्र में अपना प्रभाव आधार स्थिति सुदृढ़ करने में लगे थे वहीं यूरोपीय विद्वान् इस क्षेत्र की सम्यता को समझने में निरतर प्रवृत्त थे ताकि उस ज्ञान से लाभ उठाकर इस सम्यता को अपने हिसाब से बाल सर्कें और प्रभावित कर सके। इनमें विविध ईसाई मठों के पथ प्रचारक एवं पथाधिकारी प्रमुख थे विशेषकर जेसुइट लोग। ये लोग भारतीय विज्ञान सामाजिक प्रथाएँ रीति रिवाज सत्त्वज्ञान एवं धर्म-पर्थों को समझने हेतु सक्रिय थे। कुछ अन्यों की रुचि अधिक राजनैतिक ऐतिहासिक तथा आर्थिक विषयों में थी। ये 'कथात्मक' एवं उच्चजनापूर्ण पूर्व के अपने अनुभव और कथाएँ लिखते थे। यूरोपीय अभिजातवर्ग में इस सरह की लिखित सामग्री की इतनी मात्रा मढ़ी कि शीघ्र ही एक या एकाधिक यूरोपीय भाषाओं में ऐसे साहित्य का प्रकाशन प्रारम्भ हो गया। जो वृत्तात और विमर्श सीमित किन्तु विशिष्ट विद्वानोंवित उपयोग के थे अथवा धार्मिक अभिप्राय के काम के थे उनकी लगे हाथ अनेक प्रतिलिपिया तैयार होती थीं। उदाहरणार्थ एक विदुसी ने हॉटेलरेट के अपने शोधग्रन्थ एटूड सुर ल रोल देस मीसनरीज योरोपीन्स दान्स ला फार्मेंशन प्रीभीयर्स देस इडीज सुर इ इन्डे' में बताया कि अठारहवीं शती के आरम्भ की एक पाहुलिपि ट्रेट दे ला रीलीजन देस मलावार्स की अनेक प्रतिया उपलब्ध हैं। उसकी पहली प्रतिलिपि पाडिचेरी में १६९९ से १७२० ईस्वी तक पेरिस फारेन मिशन के प्राकूरेटर रहे टेसीयर डे व्हेरले द्वारा १७०९ ई में पूर्ण की गयी थी। ये १७२७ ई में थाइलैंड के एपास्टालिक वाइकार नामाकित किये गये थे। इस पाहुलिपि की प्रतिया इन संग्रहालयों में उपलब्ध हैं - पेरिस में बीविलयाधिक नेशनल में ३ प्रतिया बीविलयाधिक दे ल आर्सनल में एक प्रति बीकिलयाधिक स्टे जेनेवी में एक प्रति आर्काइव्स नेशनल्स में एक प्रति चार्टर्स में बीविलयाधिक म्युनिसिपेल में एक प्रति जो कि पहले गवर्नर बेनाइ द्वारा के पास थी लदन में इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में दो प्रतियाँ एक कर्नल मैकेजी के संग्रह में दूसरी जान लेडेन के रोम में एक प्रति (बीविलयाटेका केसानटेसा जिसमें ऐटिकन कलेक्शन हैं)।

ऐसी संषित सामग्री के विशाल संग्रह के कारण यूरोपीय विद्वानों का ध्यान भारत एवं दक्षिणपूर्व एशिया की राजनीति विधि शास्त्र दर्शन विज्ञान और भारतीय गणित

ज्योतिष की ओर गया। याल्टेयर ऐसे रेनाल जा सिलवां बैली जैसे यूरोपीय विद्वान लोगों के प्रभाव को ग्रहण कर ड्रिटेन में भी एडम फर्जुसन विलियम रावर्टसन जान प्लेफ़ेयर और मैकनोधी आदि ने भारतीय राज्य राजनीति समाज जीवन सामाजिक सम्बन्ध आदि का विस्तृत विवरण प्राप्त करने में गहरी रुचि दिखाई। अपने सुनियोजित प्रयास से वे सब क्रमशः भारतीय राज्य राजनीति एवं समाज व्यवस्था पर ड्रिटिश प्रभाव बढ़ावे जाने में सफल होते गए। अपने प्रयोजन के अनुरूप ये भारत के बारे में जानकारी एकत्र करते रहे। इसी प्रक्रिया में घाल्स विलकिन्स विलियम जॉस एक छम्लू एलिस लेपिटनेंट विलफोर्ड आदि ने भारतीय साहित्य का भी अध्ययन किया। ऐसा लगता है कि भारतीय ज्ञान विद्वां और विद्या केन्द्रों के प्रति तीन परस्पर पूरक किन्तु दिखने में मिश्र प्रवृत्तिया अठारहर्थी शती के उत्तरार्द्ध से ड्रिटिश विद्वानों में पनपी। एक तो ड्रिटिश जन्म की वृद्धि एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर यह जानकारी आवश्यक लगी ताकि अग्रेज अपनी राजनीति एवं अपने राजकीय कानूनों को भारतीय परपराओं धर्मग्रन्थों आदि के अनुरूप बनाए, मले ही इसके लिए कितनी भी दूर की कौड़ी लानी फड़। दूसरी धारा मैकनोधी जैसे लोगों की थी। अमेरिका का अपना अनुभव ध्यान में रखकर ये सोचते थे कि पराजित भारत की सम्यता गिर जाएगी। प्राचीन ज्ञान परपरा विनष्ट हो जायेगी इसलिये विशेषत वाराणसी जैसे केन्द्रों में ज्ञान की जो भी प्रवृत्तिया एवं राशि विद्यमान है उनका अभिलेख तैयार कर ढालना ये लोग आवश्यक मानते थे। तीसरा प्रकार स्वयं ड्रिटन में अपने लोगों को मार-पीटकर दबाकर एक सस्थाबद्ध औपचारिक कानून को मानने वाली ईसाईयत के अधीन ले आया गया है वैसा ही भारत में भी किया जाय और इसमें ईसाई मिशनरियों के लक्ष्य और प्रोप्रेगण्डा की सहायता की जाए ताकि ईसाई 'प्रकाश' और 'ज्ञान' भारतीयों में फैलाया जा सके। इसके लिए विविध भारतीय भाषाओं का व्याकरण तैयार करना अत्यावश्यक कार्य समझा गया। विलियम विल्सनपोर्ट के अनुसार इसका लक्ष्य- परिव्रत्र वाङ्मय का प्रवार देशी भाषाओं में फैसला था ताकि संक्षेप में भारतीय मिना जाने ही ईसाई हो जाए।

### ड्रिटिश समाज व्यवस्था

अपने ऐसे लक्ष्यों से साथ विद्व को अपनी सम्यता के दायरे में ले आने अर्थात् उन्हें अपनी सम्यता का औजार बनाने अपनी सपत्नि बनाने के लिए सकल्पित एवं प्रयासरत ड्रिटिश शासकों द्वारा शासित उनका अपना समाज फैरा था उनकी व्यवस्था कथा थी संक्षेप में यह जानना भी आवश्यक है।

शताब्दियों तक ब्रिटिश भूमि पर बार बार आक्रमण होते रहे और प्रत्येक आक्रमणकारी समूह पहले के समुदायों को दास बनाता तथा नष्ट करता रहा। इस प्रकार ब्रिटेन को अनेक बार पराजय झेलनी पड़ी। अतिम बार म्यारहवीं शती ईस्थी में नार्मन जाति ने वहाँ आक्रमण किया और वहाँ के समाज को पराजित कर अपने अधीन कर लिया। नार्मनों ने अपने ढग से नयी व्यवस्थाएँ रखीं। उन्हीं व्यवस्थाओं का क्रमिक विकास आधुनिक ब्रिटिश साम्राज्य के रूप में हुआ।

ब्रिटेन ने भारत में जो भी किया वह उससे अधिक भिन्न नहीं है जो म्यारहवीं शती ईस्थी में नोर्मन विजय के बाद से ब्रिटिश राज्य ने अपने यहाँ करना शुरू किया और १९ वीं शती ईस्थी तक भी बहुत कुछ करना जारी रखा। १९ वीं शती ईस्थी से वही व्यवहार इस्टर्न ड्वारा आयरलैंड के साथ किया गया। १६ वीं १७ वीं १८ वीं शती ईस्थी में वही व्यवहार उत्तरी अमेरिका में किया गया। १८ वीं १९ वीं शती ईस्थी में सयुक्त राज्य अमेरिका में भी ब्रिटिश राज्य के उत्तराधिकारियों ने ऐ ही सम्बंध तरीके अपनाए। यद्कि एक अर्थ में कहा जाना चाहिए कि भारत की व्यापकता-विशालता के कारण यहाँ निवास करने वालों की जनसांख्या की सघनता के कारण अधिका भारतीय जलवायु एवं परिवेश बड़े पैमाने पर औपनिषेशीकरण के उपयुक्त नहीं होने के कारण ब्रिटेन ने भारत में जो किया वह अधिक दिनों तक किया गया क्रूर दमन तो था। पर स्वयं ब्रिटेन में की गई तीव्र कूरता से अधिक नहीं था। शायद कुछ कम ही था। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में सन् १८१८ ईस्थी तक मृत्युदण्ड का प्रावधान २०० से अधिक अपराधों में से प्रत्येक प्रकार के अपराध पर विधि-विहित था। इनमें ५ शिलिंग से अधिक मूल्य की कोई भी वस्तु चुराने का अपराधी भी सम्मिलित था। इसी प्रकार लगभग १८३० तक ब्रिटिश सेनिकों को कोई गमीर मानी जाने वाली गलती करने पर (विशेष रूप से तैयार) ४००-५०० कोडे लगाये जाने की यात सामान्य थी।

नार्मन विजय के बाद इस्टर्न में जो जो हुआ उसके विस्तार में जाने का यहा अवसर नहीं है। किन्तु सन् १३८५ के आसपास हुए किसान विद्रोह की बाद प्रासांकिक होगी। १३८५ में इस्टर्न में बहुत बड़ी मात्रा में किसान विद्रोह हुए। देशभर में किसानों की धेरीय फ्यूडल लार्ड्स से तथा अन्य अधिकारियों से लड़ाई हुई। फिर किसानों ने लदन को धेर लिया। राजा को सन्त्रिय करनी पड़ी। फिर बाद में राजा ने छल-घात से किसानों को बातचीत के लिए बुलाया और सेना से घिरवाकर कईयों को मरवा डाला तथा विद्रोह को कुचल दिया। इसी प्रकार सोलहवीं शती ही के आरम्भ में वहा 'एनवलोजर मूवर्मेंट' खला। हजार-पाँच सौ एकड़ के क्षेत्र के बाढ़े धेरकर उस दायरे से छोटे किसानों को भगा

दिया जाता था तथा बड़े फार्म स्थापित किये जाते। भगाये हुए किसान मुक्त बाजार में सस्ती मजूरी के लिए सुलभ होते और दर-दर भटकते। इन्हीं बड़े खेतों में इस प्रकार खेती एवं भेष पालन कर सरप्लस्स' पैदा किया गया व उन उद्योग विकसित किया गया। इसे ब्रिटिश पूजी के निर्माण का महत्वपूर्ण अभियान माना जाता है। अनेक कानून बनाकर किसानों से जमीन छीनने को वैधानिक रूप दिया गया। इसाई मठों आदि की सपत्नि भी छीनी गई और इस प्रकार एक सशक्त राज्य का निर्माण आरम्भ हुआ।

आयरलैंड के हिलिंग एटर्नी जनरल सर जान डेविस ने १६१० ईस्वी में आयरलैंड में अधिक प्रभावी नीति अपनाने का सुझाव देते हुए कहा-

आयरलैंड की विजय को परिपूर्ण बनाने में दो कमिया सामने आई। एक तो खिलोहियों को पर्याप्त कठोरता से नहीं कुचला। दूसरे नामांकित प्रशासन में ढील बरती गई। जमीन मालिक पहले जमीन को सोडता है। तभी वह जमीन अच्छे बीज के लायक बन पाती है। पूरी तरह जमीन तोड़कर और आवश्यक खाद आदि देकर फिर यदि समय पर अच्छे बीज न बोये गये तो खरपतवार उग आती है। अत किसी बर्बर देश के पहले युद्ध से सोडा जाना चाहिए। तभी वह अच्छे शासन के योग्य बनता है। जब वह पूरी तरह जीत कर अधीन बना डाला जाय तब उस पर एक शक्तिशाली सरकार थोपी जानी चाहिए, नहीं तो वह यर्दर दशा में लौट जायेगा।

इस प्रकार अंग्रेज इस्टैंड और आयरलैंड में अपनी सम्यता के आदर्शों के अनुसर व्यवस्था रखते रहे। किसानों की कृषि भूमि छीन लेना चन्हे विस्थापित करना सेवकों को ३-४ सौ तक कोडे बात-बात में फटकारना छोटी छोटी घूकों के लिए कठोर दृढ़ देना भजदूरी की दरे बहुत कम रखना किसानों से कुल उपज या ५० से ८० प्रतिशत राजस्व के रूप में लेना शिक्षा को विशिष्ट वर्ग का अधिकार मानना राजनीति पर और शासन पर कुलीनों भर का अधिकार फर्जना फौज के पदों की भर्ती सरकारी रेट या बोली के अनुसार धन लेकर करना आदि १९ वीं शती ई तक ब्रिटिश समाज व्यवस्था के मुख्य लक्षण थे। राष्ट्र के समस्त साधन स्रोत राज्यकर्ता वर्ग की सपत्नि हैं। उस सपत्नि को सम्यता का औजार बनना है। शासकों के विद्यार एवं व्यवहार ही सम्यता है। अपने समाज को सम्य बनाने ये साथ ही विद्या को भी सम्य बनाना है। यह उनका लक्ष्य था। अपने इसी लक्ष्य के अनुरूप वे भारत आए और यहा योजनानुसार मधे। हमारा नवप्रद्वृद्ध वर्ग उनकी सम्यता के इन्हीं लक्ष्यों की पूर्ति का औजार बना। उसी सम्य बनने की प्रक्रिया में भारतीय स्वाधीनता खो दी गई। बाद में खोई हुई स्वाधीनता की विंता में नवप्रद्वृद्ध वर्ग द्वारा युरोपीय अधीनता को अधिकाधिक घाहा गया तथा स्वीकार किया जाता रहा। यह अधीनता विस्तार ही सम्यता-विस्तार कहा गया।

## २ यूरोप से टकराव के पूर्व

यह स्पष्ट है कि हमारा शवित्रशाली वर्ग भारतीय समाज को जो दिशा देना चाहता है या देने की बात करता रहा है उसका तर्क और औचित्य वह एक विशिष्ट ऐतिहासिक व्याख्या में देखता है जिसके अनुसार इधर शताव्दियों से हम अधेरे और अज्ञान में गिरे थे हमारा अपना राज्य नहीं था परस्पर सम्बन्ध पर्याप्त नहीं था हमारी सामाजिक इकाइया अपने अपने में अलग अलग कट्टी पड़ी रहती थीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हम बहुत पीछे थे शिक्षा मुझी भर लोगों तक और विशिष्ट समूहों तक सीमित थी। हम एक असंगठित गतिहीन समाज थे। इस्लाम की टक्कराहट से कुछ प्राण आते दिखे पर उसमें मात्र भवित आदोलन उभरा विद्रोह हुआ। मुख्य धारा विद्वराव असंगठन परस्पर भेदभाव शोषण और गतिहीनता की ही रही। यूरोप की स्थिति इससे चलती थी। वहा गतिशीलता भी अपेक्षाकृत समता एवं समृद्धि भी इसी से संगठन था और इसी से वे जीत गए हम हार गये।

यह मान्यता सत्ता का हस्तान्तरण सम्भाल रहे जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सक्रिय समूह भर की नहीं रही है। जैसा हम पहले स्मरण कर चुके हैं यह मान्यता बहुत गहराई तक प्रविष्ट कराई जा सुकी थी और ब्रिटिश राज में जिन लोगों को शवित्रशाली रहने दिया गया या जो किसी भी रूप में शवित्रशाली बन पाए उनमें ऐसा एक भी संगठित समूह नहीं दिखता जो सोलहवीं सत्राहवीं या अठारहवीं शताब्दी ईस्ती के भारत को उस समय के यूरोप से अधिक अलोकतात्रिक विषमताग्रस्त पिछड़ा गतिहीन मानवीय गुणों में घटकर और अज्ञानता से ब्रह्म न मानता हो। जिन लोगों ने भारतीय शिल्प उद्योग या शिक्षा वीं दिशा के विनाश के बारे में लिखा वे भी इसके निहितार्थों को बहुत स्पष्ट नहीं समझ पाए। माहात्मा गांधी ही इसमें अपवाद दिखते हैं। विन्तु उनके जाने के बाद गांधीवादी संगठित समूहों में यह दृष्टि लगभग अनुपस्थित दिखती है। भारत की हीनता की बात गांधीवादियों में सर्वमान्य ही दिखती है। पुरानी श्रेष्ठता का सबका आश्रह या अभिमान है। परतु हार के मूल में हमारी हीनता और विषमता ही कारण थी इस पर नये प्रबुद्ध समूहों में लगभग सर्वानुमति है। कुछ लोगों ने

इसका कारण सगठन के अभाव को माना। पर उसका अधिक विचार ये भी सामने नहीं रख पाए। किस तरह के सगठन का अभाव था क्या अब उस अभाव की पूर्ति यूरोपीय सगठन से की जानी है भारतीय मनस इतिहास और वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह कहा सक सभव होगी इन सब बातों पर कोई सतोषप्रद विचार हुआ नहीं। श्री विनायक दामोदर सावरकर ने भारतीय पराजय का कारण सदगुण विकृति को बताया। फिरु सदगुण सस्कृति क्या होगी अब उसका राष्ट्रीय लप क्या बनेगा इस पर उनका लेखन व भाषण अत्यत विखटित और परस्पर विरोधी है। कुछेक यूरोपीय दुरुण हम भी अपना तैयारी बात बन जाए ऐसा उनका प्रतिपादन दिखता है।

ये सब तो विश्लेषण के बिन्दु हैं। इनसे पहले स्थान तथ्यों का है। अत सर्वप्रथम हमें उन तथ्यों की ओर ही ध्यान देना चाहिए। अठारहवीं शती के पूर्वार्द्ध तक भारतीय समाज में शिक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी व्यापार श्रम वेतन मजूरी सामाजिक सम्बन्ध समेत सपूर्ण सामाजिक सगठन की क्या स्थिति थी इसे समेटने के कुछ प्रयास में विज्ञान-प्रौद्योगिकी एवं शिक्षा से सबधित अपनी पुस्तकों 'इंडियन साइंस एं टेक्नोलॉजी' इन दी एटीन्य सेंचुरी' और 'ब्यूटीफुल ट्री' में तथा कुछेक लंबे आलेखों निबंधों में एवं व्याख्यानों में किये हैं। यहां संक्षेप में उनका स्मरण उचित दिखता है।

## शिक्षा

भारत में शिक्षा की आवश्यक नीति क्या अपनाएं यह निर्णय करने के पहले अग्रेजों ने तत्कालीन स्वदेशी शिक्षापद्धति के कुछ सर्वेक्षण कराए। भारत का एक छोड़ भाग वारहवीं शती ईस्वी से लगातार इस्लाम - अनुयायियों के आक्रमण से टकरा रहा था। युद्धरत समाज की समाज व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था तथा अर्थ व्यवस्था बहुत अस्तव्यस्त होती विवरती और अस्वस्थ होती रहती है यह सर्वविदित है। अत अठारहवीं शती ईस्वी के उत्तरार्द्ध और उत्तीर्णवीं शती ईस्वी के पूर्वार्द्ध में हुए सर्वेक्षण उस क्यशील विखर रही कमजोर दशा के ही सूचक हैं यह ध्यान रखते हुए ही इनका स्मरण करना चाहिए।

मद्रास प्रेसीडेन्सी में स्वदेशी शिक्षा की क्या दशा थी इसका अग्रेजों द्वारा किया गया सर्वेक्षण सन् १८२० एवं १८३० के दशक में वहां की वास्तविक दशा का संबिल प्रतरपण है। मुख्यत १८२२-२५ में यह सर्वेक्षण हुआ। तत्कालीन मद्रास प्रेसीडेन्सी में वर्तमान पूरा तमिसनाहु वर्तमान ओधप्रदेश का अधिकाश भाग और वर्तमान एनटीक प्रात के कुछ ज़िले व केस्त के मलावार ज़िला व उड़ीसा में गजाप ज़िला सम्मिलित थे।

इसके पहले सन् १९९० ईस्वी की बगाल के नवद्वीप विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार वहा ११०० विद्यार्थी और १५० अध्यापक उन दिनों थे। सन् १८३० से १८४० ईस्वी के मध्यबगाल की शिक्षा की स्थिति के बारे में विलियम एडम की पहली रिपोर्ट १८३५ में आई और दूसरी तथा तीसरी १८३८ ईस्वी में।

एडम का यह सर्वेक्षण इस अनुमान को मानवस्र घला कि बगाल और विहार की उन दिनों कुल जनसंख्या लगभग ४ करोड़ थी और विद्यमान स्कूलों की संख्या एक लाख थी। अर्थात् हर ४०० व्यक्तियों पर एक स्कूल। इस पर अनुमान लगाते हुए एडम ने लिखा कि औसतन हर ६३ लड़कों के लिए एक स्कूल बगाल-विहार में है। उसका कहना था कि इन दोनों प्रातों में सरकारी आकड़ों के अनुसार १५० ७८४ गाव हैं। इनमें से अधिकाश में एक एक स्कूल है। पर अधिक से अधिक लगभग एक तिहाई गावों को स्कूलों के बिना मान लिया जाय जो एडम के अनुसार 'अधिकतम कल्पना' है तो भी एक लाख स्कूल तो अवश्य ही होगे ऐसा उनका अनुमान था। एडम ने लिखा कि गरीब से गरीब परिवारों के बच्चे स्कूल जाते हैं और उनके माता पिता इस ओर ध्यान रखते हैं। इस रिपोर्ट में एडम ने लिखा कि ये स्कूल देशी लोगों की जीवनशैली और सामाजिकता का अतरण अग है। प्राय गाव के प्रतिष्ठित व्यक्ति के घर में या उसके समीप या स्वयं किसी गुरु के ही घर में स्कूल चलते हैं। ११ वर्ष की वय तक उनकी प्राथमिक पढाई पूरी हो जाती है। एडम ने इस शिक्षा की विधि का विवरण भी दिया कि पहले ८-१० दिन स्लेट पर या भूमि पर अगुलियों से स्वर-व्यजन लिखना सिखाया जाता है। फिर पेसिल या सफेद मिट्टी (खड़िया) से। फिर ताढ़-पत्र पर भर्लई की लेखनी से। स्याही बनाने की देशी विधि भी उसने लिखी। व्यजनों को जोड़ना शब्द पनाना वर्णोद्धार सीखना गिनती सीखना भार एवं माप की गिनती सीखना विशिष्ट व्यक्तियों वस्तुओं एवं स्थलों के नाम लिखना सीखना आदि साल भर में सिखा दिया जाता है। आगे अकागणित खेत की नाप-जोख खेती एवं याणिज्य सम्बन्धी लेखा य कस्तों शहरों में व्यापार याणिज्य तथा आख्यान लेख अधिक सिखाया जाता है। फिर कुछ कविताये तथा आख्यान लिखना और याद रखना। एडम को इस पर विता थी कि वैसी कोई स्पष्ट नैतिक शिक्षा यानी 'रीलिज़स' शिक्षा यहा इन स्कूलों में नहीं दी जाती जैसी इंग्लैण्ड में उन दिनों दी जा रही थी। इससे उसका अभिप्राय ईसाई मान्यताओं के प्रधार के अभाव से था। यह अभाव एडम को खटक रहा था।

विलियम एडम से वर्षों पहले मद्रास के गवर्नर सर थामस मुनरो ने मद्रास प्रेसीडेन्सी के बारे में यही कहा कि ऐसा लगता है कि वहा हर गाव में एक स्कूल है। सन्

१८२० ई के आसपास बम्बई प्रेसीडेंसी के बारे में वहाँ के एक वरिष्ठ अफसर जी फ्लॉरेंस हरगास्ट ने कहा कि 'हमारे बैत्र में शायद ही कोई छोटा सा भी गाव ऐसा हो जाए एक स्कूल नहीं है। १८८२ ईस्वी में डॉ जी डम्बन्यू लिटनर ने पंजाब की सन् १८५० की स्थिति के बारे में लिखा कि अब्रेजी आधिपत्य में आने से पहले पंजाब में भी लागभग हर गाव में एक स्कूल था।

मद्रास प्रेसीडेंसी में शिक्षा की स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करने हेतु गवर्नर थामस मुनरो ने एक निर्देश राज्यस्व-कलेक्टरों को सन् १८२८ में प्रसारित किया उसके आधार पर राज्य-मुख्य सचिव सी हील ने बोर्ड आफ एवन्यू के अध्यब व सदस्यों को एक पत्र लिखा। उस पर से कलेक्टरों की रिपोर्टें आयीं। उनमें विद्यालयों की सख्त्या उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति एवं व्यवस्था की रूपरेखा शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की सख्त्या उनकी सामाजिक स्थिति जाति आदि तथा पढ़ाए जाने वाले विषय पुस्तकों व अध्यापनविधि और छात्रों-अध्यापकों का योग्यतास्तर आदि विवरण थे। गजाम और विजगापटनम के कलेक्टरों ने लिखा कि जो तथ्य वे भेज रहे हैं वे भी अभी पूरे नहीं हैं अधूरे ही हैं। और तथ्य अभी एकत्र होने हैं। दो कलेक्टरों ने घर पर पढ़ रहे बच्चों की भी जानकारी दी। मलायार के कलेक्टर ने वहाँ के १५१४ विद्वानों की विस्तृत सूची भेजी जो धर्मशास्त्र विधि गणित ज्योतिष तत्त्वज्ञान नीतिज्ञान एवं आयुर्वेद में अपने गुरुओं के घरों में (स्कूलों व कालिजों में नहीं) निजी तौर पर अध्ययनरत थे। फजररी १८२६ में मद्रास के कलेक्टर ने रिपोर्ट भेजी की उसके बैत्र में २६ १६३ विद्यार्थी अपने घरों में पढ़ रहे हैं। मद्रास के कलेक्टर की पहली रिपोर्ट में पढ़ रहे बच्चों की सख्त्या ५ ६९९ दी गई है।

कलेक्टरों की रिपोर्ट मिलने पर मद्रास प्रेसीडेंसी की सरकार ने १० मार्च १८२६ फो उनकी समीक्षा की और गवर्नर सर थामस मुनरो ने निष्कर्ष-टिप्पणी की कि ५ से १० वर्ष आयु समूह के प्रेसीडेंसी के कुल लड़कों का लागभग एक दौधाई छिस्ता स्कूलों में शिक्षा पा रहा है। घर पर पढ़ रहे बच्चे इसके असिरिकत हैं। घर पर पढ़ रहे बच्चों की सख्त्या मिलाने पर कुल लागभग एक तिहाई के करीब छात्र पढ़ रहे हैं ऐसा निष्कर्ष निकलता है। लड़कियों की स्कूली शिक्षा की कमी के बारे में थामस मुनरो ने यह स्पष्टीकरण दिया कि उनकी पद्धर्म मुख्यतः घरों में होती है।

विद्यार्थियों की जातिवार सख्त्या का विवरण उस बहुप्रधारित एवं प्रतिष्ठित मान्यता के द्वारा करता है जो हमारे नवप्रमुद्द वर्ग में विगत १०० वर्षों से अधिक समय से गहरी होती गई है कि भारत में शिक्षा हिन्दुओं में मुख्यतः द्विजों सक सीमित थी

और मुसलमानों में प्रतिष्ठित घरों तक ही। प्रस्तुत ऑक्से तो इससे विपरीत तथ्य ही प्रकट करते हैं। समिल भाषी क्षेत्रों में दक्षिणी अर्काट में वहां पढ़ रहे कुल बच्चों में १३% द्विज कही जानी वाली जातियों के हैं और भद्रास में २३%। वहीं शूद्र कही जाने वाली जातियों के स्कूल में पढ़ रहे छात्रों की सख्त्या क्रमशः ७६ १९ एवं ६८ ६२ प्रतिशत है। सेलम में तथाकथित शूद्रों एवं अन्य द्विजेतर या वर्णोत्तर (पचम वर्ण) जातियों के स्कूली बच्चों की सख्त्या ६६ ७६ प्रतिशत है जबकि तथाकथित द्विजों की लगभग १५%। धिंगलपेट में शूद्र माने जाने वाले जाति समूहों के छात्र ७१ ४७% हैं तज़ौर में ६१ १७%। तथाकथित पचम वर्ण एवं शूद्र मिलाकर गैरद्विज जातियों के बच्चे दोनों स्थानों में क्रमशः ७८ एवं ७५ प्रतिशत से कुछ अधिक हैं। तिन्हेवेली में उन दोनों की सख्त्या ८१% से अधिक है। मलाबार में तथाकथित द्विज छात्र २०% से भी कम हैं और तथाकथित शूद्र तथा अवर्ण जातियों के ५४ प्रतिशत के लगभग। कश्फ भाषी बैक्षारी में तथाकथित द्विज जाति के छात्रों की सख्त्या अधिक है -३३% तक पर यह सख्त्या भी शूद्रों एवं अवर्ण जातियों के ६३ प्रतिशत से लगभग आधी है। उडिया भाषी गजाम जिले में प्रायः ऐसी ही स्थिति है। मात्र तेलुगुभाषी क्षेत्र में द्विज छात्रों की सख्त्या तथाकथित शूद्रों एवं अवर्ण के पढ़ रहे बच्चों की सख्त्या से कुछ अधिक है। विजगाप्टनम में ब्राह्मण लड़के ४६% हैं तथा शूद्र एवं अवर्ण छात्र मिलाकर लगभग १% हैं नेलोर में ब्राह्मण लड़के ३२ ६१% हैं और शूद्र तथा अवर्ण लड़के ३७ ५४ प्रतिशत। कठप्पा में ब्राह्मण छात्र २४% हैं तथा शूद्र एवं अवर्ण छात्र ४१%।

स्कूल में पढ़ रही लड़कियों की सख्त्या बहुत कम है। जो लड़किया पढ़ने जाती थीं उनमें भी ब्राह्मण धर्मिय एवं दैस्य लड़कियों की सख्त्या कम होती थी। शूद्र एवं अन्य अवर्ण जातियों की लड़कियों की सख्त्या कुछ अधिक। मलाबार क्षेत्र में स्कूल में पढ़ रही लड़कियों की सख्त्या अपेक्षाकृत अच्छी है। वहां मुसलमान लड़कियों की सख्त्या भी अपेक्षाकृत बहुत ऊंची है।

जबकि मुस्लिम लड़कों की सख्त्या ३१९६ थी उस समय मुस्लिम लड़कियों की सख्त्या ११२२। इतना ऊचा अनुपात सो १९२० व १९३० ईस्वी में भी नहीं रहा होगा।

बगाल के पांच जिलों को लेकर इस विषय में एक्सम की जो रिपोर्ट है वह अधिक विस्तृत है और उसमें छात्र शिक्षक विषय पुस्तकें एवं विद्यालयवस्था से सम्बंधित सामग्री का विस्तार है। उससे बगाल में शिक्षकों की जातियों का परिचय भी मिलता है और फिर यह स्थापना ध्वस्त होती है कि अध्यापन पर ब्राह्मणों का एकमात्रिकार है। एक्सम

की रिपोर्ट से छात्रों की जातीय सरचना के बारे में भी वही तथ्य मिलते हैं जो मद्रास प्रेसीडेन्सी की रिपोर्ट में है यानी शूद्र और तथाकथित अन्त्यज जातिया ओम चाहल जालिया आधार ढागर के छात्र भी इन विद्यालयों में पढ़ते ही हैं। इनमें ग्राहण राजपूत कैन्त्री कायस्थ के साथ साथ कैवर्त सुवर्णविनिक ताँती सुनरी तैली मैरा अगुरी सद्गोप गधविनिक वैद्य सुनार कमार वरई स्वर्पकार नापित आला तमौली कहार ओम कैरी मागध कुम्हार मुर्मी युगी दैवज्ञ चाहल जालिया पासी धोना भट्ठ माली कलवार लुनियार खटिक बदई माला अगरदानी ओसवाल कम्ह माटिया घनका दुसाध गरेरी फलाल यज्जारी चूडिहार मुशहर केवट पुन्य केलदार बहेलिया भूमिया कौरी धूलिया आधा ढागर सधाल तिवाड कुन्यार आदि आदि जातियों के छात्र हैं।

स्पष्ट है कि शिक्षकों में वे जातिया भी सम्मिलित हैं जिन्हें अस्पृश्य बताया जाता है। कायस्थ शिक्षकों की सख्या ग्राहणों से अधिक है। साधारण स्कूलों में पद्मई जाने वाली पुस्तकें एहम की रिपोर्ट में वर्णित हैं। इनमें साहित्य में रामजन्म व सुदर्शक (रामरितमानस) आदिपर्व (महाभारत) सूर्य पुराण (पुराण अश) गीत गोविद हितोपदेश (सस्कृत) नीतिकथा (बागला) दान लीला गुरु वदना सरस्वती वदना दाता कर्ण गगा वदना नीति वादव आदि व्याकरण में शब्द सुनत अमरकोप अटधातु अष्टशब्दी आदि गणित में शुभकर और उत्तर यत्कराम ज्योतिप में ज्योतिप विकरण दिम्दर्शन आदि सम्मिलित है। इससे आगे के अध्ययन में पार्श्वनीय अष्टाध्यायी पतजलि का महाभाष्य सिद्धात कौमुदी सिद्धात मजूवा लघु कौमुदी सरस्वती प्रक्रिया आदि व्याकरण ग्रन्थ शाकुतल रघुवश नैयद कुम्हार सभव सथा भट्ठ माध दडी भारवि आदि की साहित्यिक रचनाएं तथा काव्य प्रकाश साहित्य दर्पण आदि काव्य विवेदन ग्रन्थ विधि तत्त्व प्रायकित तत्त्व शुद्धि तत्त्व श्राद्ध तत्त्व आहिक तत्त्व समयशुद्धि तत्त्व ज्योतिप तत्त्व प्रायकित तत्त्व विवेदक मिताक्षरा श्राद्धविवेक विवाह तत्त्व दाय तत्त्व आदि विधि ग्रन्थ एवं येदात साख्य मीमांसा तत्र तर्कशास्त्र गणित फलित ज्योतिप आदि के ग्रन्थ पढ़ाये जाने का विवरण है। फारसी और अरबी स्कूलों में गुलिस्ता शाहनामा युसुफ और जुलेखा अब्बामी सिराजिया हिदाया मिसकातुल मिसाबी भीजान मिसवा कापिन्या तहजीय कुरान आदि पढ़ये जाने का विवरण है। फारसी अरबी स्कूलों में मुसलमान शिक्षकों के साथ ग्राहण कायस्थ दैवज्ञ और गध विनिक जाति के भी शिक्षक हैं और छात्र भी विविध हिन्दू जातियों के साथ मुसलमान हैं। इन विवरणों से ज्ञात होता है कि धगाल यिहार में बागला हिन्दी एवं रास्कृत तथा मद्रास

में क्षेत्रानुसार तमिल तेलुगु, कन्नड़ एवं उडिया तथा संस्कृत शिक्षा का माध्यम थी। उस प्रकार लिटनर की रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि पजाब में शिक्षा का माध्यम थीं पजाबी हिन्दी एवं संस्कृत। लिटनर ने पजाब की शिक्षा के विवरण देते हुए लिखा कि यहाँ भी देश के अन्य हिस्सों की तरह विद्या का सम्मान है। ऐसा एक भी मंदिर मस्जिद या घर्मशाला नहीं जहाँ एक स्कूल न हो। हर ग्रामीण अपने यहाँ के शिक्षकों को अपने उत्पादन का एक अश देने में गर्व का अनुभव करता है यह भी लिटनर ने लिखा है। लिटनर ने पजाब में पाच तरह के स्कूल-वर्ग गिनाए। १ गुरुमुखी स्कूल २ मक्तब मदरसा और कुरान स्कूल ३ घटसाल पठशाला एवं सेकुलर हिन्दू स्कूल ४ मिश्रित शिक्षा-संस्थाएं फारसी वर्नाकुलर और एस्लो वर्नाकुलर स्कूल तथा ५ सिखों मुसलमानों एवं हिन्दुओं की लड़कियों के स्कूल। इनमें से हिन्दू लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था यह लिटनर ने लिखा। लिटनर ने हिसाब लगाकर लिखा कि १८५० ईस्टी में पजाब पर ग्रिटिंश आधिपत्य से पूर्व कम से कम ३ लाख ३० हजार छात्र छात्राएं पजाब में पढ़ रहे थे। जबकि १८८२ में एक लाख नव्वे हजार के लगभग ही पढ़ रहे हैं। पढ़ाये जाने वाले विधियों का जो विवरण उन्होंने दिया उनमें गणित व्याकरण ज्योतिष तर्क आयुर्वेद विधि दर्शन और संस्कृत साहित्य के प्राय ये ही ग्रथ हैं जो मद्रास या बगाल में। क्षेत्रीय साहित्य की पुस्तकें कथा-कहानी नाटक नीतिकथा आदि अशत प्रत्येक क्षेत्र में प्राय रस्थानीय होती थीं। इस प्रकार शिक्षा का अखिल भारतीय और स्वामानिक क्षेत्रीय रूप साथ साथ दिखता है।

शिक्षा के ये विवरण स्पष्ट करते हैं कि भारत उन दिनों शिक्षा की दृष्टि से हीन नहीं था और महात्मा गांधी का सन् १९३१ में लदन की एक विशिष्ट सभा में कहा गया यह कथन पूर्णत प्रामाणिक था कि अंग्रेजी राज्य में भारत में शिक्षितों की सख्त्या घटी है क्योंकि अंग्रेजों ने स्वेदशी विद्या के सुदर वृक्ष की जड़ों को खोदकर देखा और फिर ये खुदी हुई जड़ें खुली ही रहने दीं।

## विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

यह एक बहुप्रचारित मान्यता हो गई है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में हमारे पिछलेपन और ग्रिटेन के आगे बढ़े होने के कारण हम ग्रिटेन से हार गए और इस प्रकार ग्रिटेन की जीत दूसरों को नष्ट कर डालने और लपातरित कर अपने अनुकूल बनाने को समझ राजनीति और दृष्टि की जीत नहीं रह जाती। अपितु अधिकांश नवप्रयुक्ति भारतीयों की दृष्टि में वह सत्य और प्रगति की खोज में समर्पित विज्ञान और प्रौद्योगिकी की

मानवीय विजयगाथा बन जाती है। अतः यथार्थ स्थिति को जानना आधारभूत बात है। आज तो उस दिशा में कुछेक विद्वानों ने प्रयास किया है और तथ्यों की जानकारी बढ़ रही है।

लोहा और इस्पात भारत में बहुत प्राचीन काल से उत्पादित हो रहा है। विष भर में उसकी ख्याति थी और उसकी उत्कृष्टता प्रसिद्ध थी। उचर प्रदेश के अतिरुद्धरण खेड़ जैसी जगहों में कम से कम १२ वीं शती ईसा से पूर्व से लोहा ढाला जा रहा था यह अब अनेक लोगों को ज्ञात है। किन्तु अठाहरवीं शती ईस्वी में भारत में यह उद्योग किसानों फल फूल रहा था इसकी तकनीकी किसीनी परिष्कृत थी यह बहुत कम लोगों के आज याद है।

सन् १७९४ में ठौं एवं स्काट ने ब्रिटिश शायल सोसायटी के अध्यक्ष सर जे बैक्स को भारतीय 'बुट्टज' इस्पात का एक नमूना भेजा। इस्लैंड के अनेक विशेषज्ञों ने उसका विस्तृत परीक्षण किया। तब पाया गया कि उन दिनों ब्रिटेन में जो सर्वोदय इस्पात प्रयोग में आ रहा है उससे इस भारतीय इस्पात का साम्य है। उसकी मांग हुई और यह मांग बढ़ती रही। उसकी तकनीकी विशेषता पर पहले अंग्रेजों को सशय रहा। वे भारतीय कथे लोहे की विशेषता मानते रहे पर भारतीय तकनीकी को अविकरित बताते रहे। कई वर्षों के बाद उन्हें उस तकनीकी की भी उत्कृष्टता ध्यान में आई। जे एम हीथ ने लिखा भारतीय इस्पात-निर्माण की प्रक्रिया में ऐसा लगता है कि एक बन्द पात्र में पिघले लोहे को कार्बनीकृत हाईड्रोजन गैस से अति चम्प तापमान में गुजारने पर कार्बन सयोग से लोहा इस्पात में बदलने की विधि का प्रयोग किया जाता है। इससे इस्पात बनने में समय कम लगता है जबकि ब्रिटेन में प्रचारित पुरानी विधि में १४ से २० दिन लगते हैं। भारतीय लोग दाई घटे में ही लोहे को इस्पात में ढालने में समर्थ हैं और वह भी इस्लैंड में प्रयुक्त ताप से कम मात्रा में साप का प्रयोग करते हुए। यद्यपि हीथ यह मानने को तैयार नहीं थे कि भारतीयों को स्सायन-शास्प के उस सिद्धांत का भी ज्ञान हो सकता है जो कि इस्लैंड में ताप द्वारा लोहे को इस्पात में ढालने के आधार के रूप में निरूपित किया गया था। पर वे यह बता रहे थे कि व्यवहार में भारतीय यह कठिन कौशल सम्पन्न कर लेते हैं।

भारतीय इस्पात में अंग्रेजों की इस व्यावहारिक रूचि के फलस्वरूप अंग्रेजों द्वारा भारत में इस्पात निर्माण से संबंधित तथ्यों के अनेक वृत्तान्त तैयार किये गये। भारत के विविध हिस्सों में अनेक स्थानों में अठाहरवीं शती के उत्तरार्द्ध व उभीसर्वीं शती के आरम्भ तक लोहे व इस्पात के काम से संबंधित वृत्तांत उन्होंने लिखे व प्रकाशित किये।

डॉ बेंजामिन हेन ने १७९५ में लिखा कि नूजीद क्षेत्र में अनेक स्थानों पर लोहे की भट्टियाँ हैं जहां सामान्य प्रयोग हेतु लोहा तैयार किया जाता है। ऐसे ही एक स्थान रमन का 'पेठा' का हेन ने कुछ विस्तार से विवरण दिया। यहां स्मरणीय है कि नूजीद क्षेत्र की जनसंख्या १७८६ ईस्वी में एक लाख से ऊपर थी। १७६०-६२ में वहां अकाल पड़ा और जनसंख्या लगभग आधी ५७ हजार के कर्तीव रह गयी। हेन के अनुसार 'रमन का पेठा' में अकाल से पहले ४० लोहे की भट्टियां थीं और अनेक सप्तऋण के सुनार तथा तबैर भी थीं। अकाल के बाद वे दरिद्र हो गये। वे वहां की भट्टियों की कार्यपद्धति का कुछ व्यौरा देते हैं और बताते हैं कि यहां क्या माल काफी है इधन के लिए बढ़िया जगल पास में है तथा कुशल लोग भी उपलब्ध हैं। ठेके पर उन्हें काम दिया जा सकता है। अतः भारत में ब्रिटिश तत्र को इस ओर ध्यान देना चाहिए। वह यह भी बताते हैं कि इसी क्षेत्र में ऐसे ६ गाव और हैं जहां बराबर लोहा बनाया जाता है।

ब्रिटिश बगाल सेना के मेजर जेन्स फ्रेंकलिन ने इ १८२९ के आसपास मध्य भारत में लोहा बनाने की विधियों के बारे में लिखा। जबलपुर जिले में अगरिया गटना लमतरा मैला जौली इमलिया और बड़ागाव में नर्मदा के दक्षिण में डगराई गाव में पश्चिम जिले में बृजपुर के पास सिमरिया गाव में केन और धसान नदियों के मध्य के क्षेत्र में पाठ्य पहाड़ियों अमरीनिया महागाव और मोतिहारी में मध्य प्रदेश के कोटा जिले में सैणठ और चन्द्रपुर में उससे पक्षिम में पिपरिया रेजकोई और कञ्चरा में तथा आगे बजाना में लोहे की खानें हैं तथा उससे आगे सेरका हीरपुर तिघोरा और मढ़वरा में। यमुना तट पर सरई और धौरीसागर में तथा खटोला से म्यालियर के बीच की लगभग सभी पहाड़ियों में खदानें होने की सूचना फ्रेंकलिन देते हैं। कालिंजर और अज्यगढ़ की पहाड़ियों का भी व्यौरा देते हैं। सागर जिले में तेंदूखेड़ा में कथे लोहे के विविध रूपों गुलकू सुरमा पीरा और काला तथा देवी साही कथे लोहे का वृत्तान्त लिखते हैं। साथ ही इन इलाकों में लोहे की भट्टियों की शुखला होने की भी सूचना देते हैं। भट्टियों की आकृति बनावट कार्यपद्धति इधन का स्वरूप पिघलावभट्टी और शोघनविधि उत्पादन का स्तर व मात्रा आदि का विवरण यह लेखक देते हैं। उसके भार लागत विक्री मुनाफ़े आदि का भी अदाजा लगाते हैं तथा इस विधि को समझने की ओर अध्येत्रों द्वारा ध्यान दिया जाना आवश्यक समझते हैं क्योंकि उससे अच्छे लाभ की समावना उन्हें दिखती है।

मद्रास के असिस्टेंट सर्वेयर जनरल कैप्टेन जे कैम्पबेल ने दक्षिण भारत में तैयार किये जाने वाले चार तरह के भारतीय लोहे का विवरण इर्लैंड को भेजा। इसमें कथा

माल भट्टी ईधन निर्माणक्रिया आदि का विवरण था ताकि ब्रिटिश लोहानिर्माता एवं लोहाव्यापारी उस ज्ञान का साम उठा सकें।

मेरा अनुमान है कि १८०० ईस्वी के आसपास में लगभग १० ००० भट्टिया थीं जिनमें लोहा और इस्पात बनता था। यदि वर्ष में ३०-४० सप्ताह इन पर कार्य होता होगा तो इनमें से प्रत्येक की उत्पादन क्षमता २० टन बढ़िया इस्पात प्रतिवर्ष की थी। ये भट्टिया दजन में छल्की होती थी और बैलगाड़ी में रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाई जा सकती थीं। इस प्रकार बढ़िया लोहा एवं इस्पात बनाने में उस समय भारत के लोहा बनाने वाले ग्लिटेन के लोहा बनाने वालों से आगे दिखते हैं।

१८ वीं शती ईस्वी में भारत में वर्क बनाने की तकनीक भी विकसित थी। इलाहाबाद जैसे स्थानों पर वर्क बनाये जाने का विवरण कुछेक सत्कालीन अंग्रेजों ने दिया है। सन पौधे के उपयोग से कागज बनाये जाने का विवरण भी मिलता है। ढामर बनाये जाने गारा बनाये जाने रगाई के विविध रसायन बनाने की प्रौद्योगिकी भी १८ वीं शती ई के भारत में सुविकसित थी।

खेती और रिंचाई की व्यवस्था में भारत अति प्राचीन काल से समुद्रत रहा है तथा १८ वीं शती ई में फैसलबद्ध खादप्रयोग विप्र से बुद्धाई तथा अन्य उपर कृषिप्रौद्योगिकी का भारत में प्रधुर उपयोग होता था। हमारे गाय-बैल पर्याप्त हृष्टपृष्ठ होते थे। खाद्यान्न तिलहन दलहन फल सब्जी वृक्ष बनोपज्ज बागवानी आदि की प्रधत प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान भारत में विद्यमान था। प्रत्येक कृषिकर्म की बहुत गहरी समझ तकनीकी निमुणता परिष्कृत बोध सूक्ष्म सवेदना कुशल प्रबन्ध एवं सक्षम भव्यरण का ज्ञान यहाँ व्यापक था। अकल सुकाल वर्षागम शरदागम आदि कालज्ञान ऋतुज्ञान वायुप्रवाह का ज्ञान उसके परिणामों का ज्ञान फसन के लक्षणों रोगों रोग के उपचारों का ज्ञान फलों और अनाजों की विविध किस्मों और उनके गुण धर्म प्रभावों का ज्ञान भीजों की पहचान पशुओं की नस्ल व क्षमता की पहचान पशुपालन एवं पशुआहार का ज्ञान यह सब भी १८ वीं शती ईस्वी के भारत में पर्याप्त समृद्ध था। कृषि और बागवानी के उत्कृष्ट उपकरण विद्यमान थे। रहट देकुरी विविध तरह के हल पक्षनश्की हसिया खुरपी खुरपा गोदना ओखल मूसल छेंकन बरवर पाटा आदि व्यापक रूप से प्रधलित उपकरण थे। लकड़ी और लोहे के कपरीगारो घटाई और सुहर के यत्रों की स्थिति भी अच्छी थी। निराई गुडाई कटाई गहाई उडावनी आदि की तकनीकी कम यहाँ विस्तृत ज्ञान था। सिंचाई के अस्यन्त समुद्रत तरीके थे जिससे कि भूमिगत जल एवं वर्षाजल का सर्वोच्च सटुपयोग हो। स्वयं राजस्थान में रारौं और सरोवर की

सुधारवस्था के द्वारा कठोर झटकुदशा एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में भी समाज को गतिशील रखने के पर्याप्त प्रबन्ध थे। जल के सटुपयोग की चेतना राजस्थान में अत्यत विकसित रही है। मद्रास प्रेसीडेन्सी और मैसूर राज्य में करीब एक लाख छोटे-बड़े सिंचाई के तालाब १८०० ई के आसपास थे ऐसा माना जाता है। उनकी ब्रिटिश राज में उपेक्षा होने पर बहुत से तालाब १८५० ई तक समाप्त हो गये। तालाब तथा अन्य सिंचाई स्रोतों की देखभाल तथा मरम्मत के लिए दक्षिण में कुल कृषिउपज का एक अश सुरक्षित रखने की परपरा रही थी। उसी से यह व्यवस्था सुचारू एवं गतिशील रहती थी। शायद राजस्थान एवं अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी ही कुछ व्यवस्था रही हो।

सन् १८०० ई के आसपास भारतीय खेती की उपजदर इंग्लैण्ड की कृषि उपजदर से दुगुनी व तिगुनी तक थी। भारत में कृषि का अधिकाश काम किसान स्वयं करते थे जबकि इंग्लैण्ड में अधिकतर खेती का काम कृषिदासों और मजदूरों से ही लिया जाता था।

जैसा कि हम सब जानते हैं कम्पड़ा बनाने का उद्योग भी भारत में पुरातन काल से है। यह भी सब जानते ही हैं कि १८ वीं शती ई में भारतीय वस्त्रोदयोग विकसित था और यहाँ से बहुतसा कपड़ा विदेशों विशेषकर यूरोप में जाता था। भारत के सूखी क्षेत्रों से जब इंग्लैण्ड का बाजार भरने लगा तब वहाँ भारतीय कपड़ों के आयात के पिछ़द आदोलन हुए। भारतीय बुनकर्तों का कौशल विव प्रसिद्ध था। भारत के गार्वों व क्षेत्रों शहरों में क्यास की धुनाई सूत आदि की कल्ताई कपड़ों की मुनाई छपाई रणाई आदि के काम व्यापक स्तर पर होते थे यह भी सर्वविदित ही है।

सन् १८१० ई के आसपास के ब्रिटिश भारतीय आकड़ों से पता घलता है कि दक्षिणी भारत के जिलों में सूखी रेखमी आदि कपड़ा बनाने और निवाढ़ आदि तैयार करने के काम आने वाली खिड़ियों की संख्या १५ से २० हजार तक प्रति जिले में थी। ऐसा लगता है कि देश भर में प्राय सर्वत्र हर जिले में लगभग इतनी खिड़िया रही हो सकती है। मुनने वाले बुनकर्तों की संख्या तो खिड़ियों की संख्या से अधिक ही होगी। कल्तने वालों की तो अनगिनत ही होगी। धुनाई रणाई छपाई आदि का काम करने वाले धुनिया रणसाज छीपी आदि की संख्या भी इसी अनुपात में होगी। भारतीय वस्त्रोदयोग के विनाश से ये सब दरिद्र और कनाल हुए।

धरक और सुश्रुत के इस देश में १८ वीं शती में भी आयुर्वेद का पर्याप्त प्रभाव रोप था। धेष्ठक का टीका लगाने की देशी प्रथा भारत के कई हिस्सों में व्यापक थी जय कि इंग्लैण्ड में धेष्ठक का टीका १७२० ई के माद ही छला। शल्यविकिस्ता में भी

भारतीय ग्रामीण वैद्य १८ वीं शती में इसने उप्रत बचे रहे थे कि इंग्लॅण्ड की स्थिति की उनसे तुलना ही नहीं हो सकती।

जिस तरह अंग्रेजों ने सुनियोजित दण से भारतीय वस्त्रोदय एवं कारीबर्हों के विनष्ट विच्छया उसी तरह टीका लगाने के एवं विकिस्ता कौशलों का भी हनन किया। १८०२ ई के आसपास से बगाल प्रेसीडेन्सी में भारतीय तरीके से घेवक का टीका लगाना प्रतिबन्धित कर दिया गया। इससे भयकर महामारी फैली। भारत में परपरा से इस रोग के निवारक उपाय भी अत्यन्त विस्तृत एवं व्यापक थे। पर साथ ही टीके की भी तकनीक विकसित थी। किन्तु अंग्रेजों ने उसका दमन किया और स्वयं की किस्तिमाले से रही तकनीक के पश्च में हवा बनाने के लिए उस काम को रोक दिया। अपनी टीका तकनीकी भी सबको सुलभ नहीं करा पाए। फलत उश्मीसर्वी शती और दीसर्वी शती के पूर्वार्द्ध में भारत में घेवक महामारी भयकर रूप से बार बार फैली।

शत्य विकिस्ता में निपुणता भी भारतीय ग्रामीण वैद्यों में १८ वीं शती तक लेंगी थी। अंग्रेजों ने उनकी विधि को अवैज्ञानिक मानकर भारत में तो उसे दबाया लेफ्टिनेंट इंट्रेन में इसी भारतीय विधि के आधार पर यूरोपीय मानी जाने वाली शत्य विकिस्ता के विकसित किया। ऐसा १७९५ और १८१५ के बीस बरसों में किया गया। गणित एवं ज्योतिष में प्राचीन भारत की श्रेष्ठता विवरित है। किन्तु १८ वीं शती में हमारी इस मामले में क्या स्थिति थी इस पर प्राय अस्पष्टता है। भारतीय गणित ज्योतिष १८ वीं शती में भी पर्याप्त विकसित थी। एडिनबर्ग के गणित विभागाध्यक्ष प्रो जान प्लेफेयर ने विस्तृत जाग फ़दाल के बाद माना कि इसा पूर्व ३१०२ सन् में आकाशीय पिंडों की स्थिति के बारे में भारतीयों का गणित ज्योतिषीय कथन हर प्रकार से सही दिखता है। पर वे यह मानने को तैयार नहीं थे कि यह भारतीयों ने ३१०२ इसा पूर्व में स्वयं जो देखा था उसी का विवरण परपरा से सुरक्षित है। क्योंकि गणित में तो उतने विकसित ये हो ही कैसे सकते हैं? देश और काल की दूरस्थ गणना का सामर्थ्य भारतीयों में कैसे आ सकता है? अब यह अलग बात है कि अठाहरवीं शती में भारत में बनारस में दशाख्यमेध घाट के पास मानमंदिर वेदशाला विद्यमान थी जो कि १६ वीं शती है में बनी बताई जाती है। इसी १६ वीं शती में इंट्रेन में गणित ज्योतिष निसात अविकसित दशा में था। प्लेफेयर में कहा कि 'गुरुस्वाकर्षण सिद्धांत एवं इण्टीग्रल केलकुलस के गणितीय सिद्धांतों के ज्ञान के बिना भारतीय गणितज्ञ इसना अद्युक्त गणित ज्योतिषीय आकस्मा कर ही नहीं सकते थे। हा लगता है कि आकाशीय पिंडों के सीधे सूक्ष्मता से निरीक्षण की कला ब्राह्मणों को पार्थेक हजार साल पहले आती थी और देखे गये विवरण

ही उन्होंने दर्ज रखे एवं अब याद किये हुए हैं। गणित और रेखागणित के ज्ञान में भारतीयों के अधिक उन्नत होने का तथ्य स्वीकार करने की मनोदशा में विदेशी विजेता नहीं थे।

इस विवरण से सामने यह आया कि गणित विज्ञान प्रौद्योगिकी वस्त्रोदयोग सिंचाई कृषि आदि के विस्तार में भारत पीछे नहीं था। उस समय के ब्रिटेन ने भारत से तब कुछ सीखा ही। अत ब्रिटिश जीत का कारण उनकी प्रौद्योगिकी श्रेष्ठता नहीं कुछ और था।

### समाज व्यवस्था

भारतीय समाज व्यवस्था में अग्रेजों को क्या परिवर्तन उद्दिष्ट थे इसका ध्यान रखने पर ही हमें उनके अनेक कामों और योजनाओं का सही अभिप्राय समझ में आयेगा। पहले कहा ही जा सकता है कि अमरीका आयरलैंड अप्रिका या भारत के समाजों को ब्रिटिश राज्य या अन्य यूरोपीय राज्य के औजार के रूप में विकसित किया गया। इस तथ्य को ही ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। तभी हम 'बोर्ड आफ कमिशनर्स आफ इंडिया' के अध्यक्ष हेनरी रूडास द्वारा ११ फरवरी १८०१ ई में मद्रास प्रेसीडेंसी की सरकार को भेजे गये इस पत्र का आशय समझ सकते हैं -

(स्थायी बदोबस्त के विरुद्ध परामर्श देते हुए उन्होंने लिखा) कन्टिक के क्षेत्रों एवं बगाल में एक ठोस अंतर है। बगाल में लोग सरकार का आदेश मानने और अधीनता स्वीकार करने की आदतों में बहुत बढ़े चढ़े थे। कन्टिक के लोग उन्हें दिए जाने वाले लाभों और कृपा के स्वागत के लिए परिपक्व नहीं हैं। वहाँ के लोग जब तक उन लाभों का महत्व समझने की बुद्धि से सपने न हो जाए तब तक वहाँ कोई ऐध आदेश-व्यवस्था लागू करना व्यर्थ होगा। दक्षिण के राजाओं में विद्रोह और अधीनता न मानने की जो प्रवृत्ति प्रवल है उसका दमन किये बौरे वहाँ कोई व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती। ऐसे क्षेत्रों को अधीनता की उस दशा में लाया जाना चाहिए जिसमें ये इस सिद्धांत के प्रति समर्पित हों और उसे स्वीकार करें। प्रस्त्रेक लाभ के लिये उन्हें हमारे उपकारों और हमारी बुद्धिमत्ता के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। हम उन्हें काम करने देते हैं और खुशी से जीने देते हैं इस सरकार के प्रति उन्हें हमारा हार्दिक कृतज्ञ होना चाहिए। ये हमारी दृष्टि में अनुलग्नीय सत्य हैं।

हेनरी रूडास के वक्तव्य सन् १९४७ के भारत छोड़ने सक ६-८ पीढ़ियों तक भारत पर ब्रिटिश आधिपत्य से विविध स्तरों पर सबधित रहे। सन् १९८० से १९४७

तक इसी प्रथार कर्व हजार ब्रिटिश परिवार भारत में ब्रिटिश राज से ऐसे ही रुड़े रहे।

यहाँ यह भी याद करना आवश्यक है कि यह मानना नितात अस्त्य तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ब्रिटिश राज्य नहीं अत १८५७ कुछ भारत में हुआ वह कुछ ब्रिटिश व्यापारियों का काम था ब्रिटिश राज्य नहीं। प्रारम्भ से ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश राज्य द्वारा सप्रभु एवं राज के अधिकार प्रदान कर दिए गए थे।

ऐसी ही क्षणिया यूरोप के अनेक राज्यों ने स्वीकृत की थी विस्तारवाद के तरीके को समजने के लिए यह समझना आवश्यक है कि ऐसी क्षणिया मुख्यत विविध यूरोपीय राज्यों या औजार थीं। भले ही किसी राजतंत्र से कुछ झगड़ा हो परतु उसे राज्य का सैनिक एवं राजनीतिक सरकार रहता था। और जब कोई क्षणी विशेषत ब्रिटिश क्षणी सम्बुध किसी जीतना और उस पर राज करना शुरू कर देती थी तो व्यवहारत वास्तविक उस विजित बेत्र पर ब्रिटिश राज्य ही कर्त्त्वे लगता था। भले ही औपचारिक शासन उस विशेष क्षणी का ही जारी रहे जैसे कि कुछ भाष्टों में भारत में तक था। परतु निर्णय लेने वाली शक्ति तथा राजनीतिक एवं सैन्यनियन्त्रण के शक्ति ब्रिटिश राज्य ही था। सभी विधयों से सबद्ध विस्तृत निर्देशों का सशोधन एवं स्वीकरण राज्य द्वारा ही किया जाता था। भारत के सदर्म में तो १८५० से आगे वैधानिक रूप में भी ऐसा था ही १८५० ई से भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया द्वारा कोई भी महत्वपूर्ण कदम ब्रिटिश राज्य के निर्देश या स्वीकृति के द्विना मर गया। उदाहरणार्थ भराठा नौसेनापति आगे पर १८५० ई के दशक में ब्रिटिश ब्रिटिश राज्य की नीति एवं निर्देश के अधीन किया गया था और इस पहल के ईस्ट इंडिया क्षणी से नाम मात्र का ही सम्बन्ध था। वैसे भी क्षणी वो आर श्रितानी नौसेना की पूरी सहायता प्रदान की गई तथा याद में स्थल सेना की भी

इरासे स्पष्ट हो जाता है कि ब्रिटिश राज्य एवं समाज का अपने राज्य-वि सदर्म में क्या स्वरूप था और क्या नीति थी। दूसरी ओर भारत में राज्य को स ही सर्व सदा विविध मर्यादाओं में रहना होता था। किसी पर अकारण आक्रमण किसी को पूर्णत अधीन बनाकर अपने अनुरूप लप्पतारित करने का कोई भारतीय विचार तक नहीं कर सकता था। अपने कार्यों का स्पष्टीकरण समाज के समक्ष द होता था।

ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो कर रही थी वह ब्रिटिश अभिजात वर्ग के आदर्शों एवं निर्देशों के अनुरूप ही था। एडिनबर्ग के प्रोफेसर एडम फर्गूसन ने सन् १७८३ ई में हेनरी डॉक्स को लिखा था कि कंपनी घरित्र में (ब्रिटिश अभिजनों से) घटिया है। पर इसी कारण उसमें ऐसे लोगों को भर्ती किया जा सकता है जो ऊर्धे और भव्य कार्यों के योग्य नहीं हैं। सन् १७७३ में फर्गूसन ने अपने मित्र व शिष्य जान मैकफार्सन को जो बगाल में काउसिल के सदस्य व वारेन हेस्टिंग्स के बाद कुछ समय बगाल के गवर्नर भी रहे थे लिखा था मुझे बहुत दुख होगा यदि कंपनी के नौकरों को भारत की धरती पर धन बटोरने से रोका गया। आखिरकार भारतीय सपत्नि को इर्लंड खींच कर लाने का सबसे आराम तरीका यहीं तो है।

यहाँ में उन बातों को अधिक विस्तार से नहीं कह रहा हूँ कि ब्रिटिश भारतीय फौज के अधिकाश अफज्जर किस प्रकार धूस लेते थे यहाँ की उनकी सैनिक व नागरिक सेवाओं में वया वया प्रलोभन थे और यहाँ सिविल सर्विस में आये ब्रिटिश अभिजनों से कुछ वयों में किन्तु रूपये बचाकर इस्लैंड ले जाये जाने की आशा की जाती थी ताकि यहाँ सभ्य जीवन जी सकें। यहाँ तक की मैकाले या विलियम जॉस जैसे राजनैतिक सास्कृतिक व्यक्तित्व बाले लोगों के भारत आने के पीछे मुख्य अभिप्राय यहीं था कि यहाँ कुछ वर्ष रहकर वे इतनी बचत कर लेंगे कि ब्रिटेन वापिस जाकर वहाँ के समाज में अपनी हैसियत के अनुरूप आराम से आजीवन रह सकें। अधिकाश गवर्नर जनरलों एवं बाद में वायसरायों ने इस्लैंड से भारत आते समय यह हिसाब लगाया था कि अपने कार्यकाल में वे कितनी बचत कर सकेंगे।

अपने मित्र अर्ल मोर्ले को १८२४-२५ में एमहर्स्ट ने बताया कि मैं सभवत्स प्रतिदर्श पद्धीस हजार पौँड के वेतन का आधा बचा पाऊँ। एमहर्स्ट गवर्नर जनरल रहे थे। एलफिन्स्टोन मुवर्रह में गवर्नर थे। उनकी महत्वाकांक्षा थी कि जब वे ब्रिटेन लौटें तो ३ लाख रूपये बचाकर ले जाए ताकि नया पुराना साहित्य पढ़ते हुए आराम से रह सकें। उनके मित्र स्ट्रेची ने सुझाव दिया कि ६० हजार पौँड बचत करने तक गवर्नर बने रहो।

ब्रिटिश फौज में जिसमें भारत में आये ब्रिटिश फौजी अफस्सर भी सम्मिलित हैं अफस्सर पद की भर्ती कानूनी तौर पर सन् १८६० ई तक खरीदी जाती थी। क्योंकि इन पदों पर अच्छी आमदनी के साथ ही पद के अनुरूप उस लूट में हिस्सा मिलता था जो लडाई के समय ब्रिटिश सेना पराजित राज्य में करती थी।

इस प्रकार धन कमाने को न केवल वैधता एवं प्रतिष्ठा प्राप्त थी अपितु उसे ब्रिटेन की सेवा का एक माध्यम भी मान लिया गया था। विदेशी लूट ब्रिटिश देश सेया

की एक बहुमान्य अवधारणा रही है। राष्ट्रीय लोकाश्रम और उसके साधियों को जो यह इन्हें उपहार आदि दिए गए और जाली का जो व्यापक प्रचलन ब्रिटिश राज में बढ़ाया गया था इस लूट के अतिरिक्त है। अग्रेजों द्वारा भारत में मुनाफा कमाने का एक यही कठीन था कि अपने राज्य में भी किसी इलाके में नमक बनाने का एकाधिकार प्राप्त कर लो या मुनकरों पर पूर्ण नियन्त्रण के अधिकार प्राप्त कर लो अथवा किसी व्यापार में जुटो और सरकार से कर वौरह में रियायत या माफि प्राप्त कर लो। इन सबसे भी अधिक महत्वपूर्ण तरीका यह था कि पहले किसी देसी रियासत के राजा को ब्रिटिश सरकार स्वीकार करने को तैयार किया जाय। फिर उसे अपने राज्य में तैनात ब्रिटिश फौज का खर्च बहुत करने को मजबूर किया जाए। इस खर्च को पूरा करने के लिए उस राजा को ब्रिटिश अफस्सर सौदागर कॉसिल सदस्य और गवर्नर तक ३६ से ६० प्रतिशत तक वर्जिन घ्याज पर छुप दें। इसके एजेंज में विस्तृत क्षेत्र या पूरा क्षेत्र ब्रिटिश अफस्सरों के पास रेहने रख लिया जाए। कई बार स्वयं छुणदाता अपने नाम से ये इलाके रेहने रखता था कभी अपने एजेंट के नाम से या किसी 'डमी' के नाम से। इस प्रकार उस क्षेत्र पर अधिकार भी हो जाता था और धन भी दसूल किया जाता रहता था। अतः यह सारा धन ब्रिटेन जाता था। १८५० से १८३० तक यह सब व्यापक रूप में घलता रहा।

किन्तु इसका यह अभिप्राय भी नहीं कि मात्र निजी लोप या सश्वात्-लालसा ही ऐसे व्यवहारों का मूल थी। जान लॉक एडम स्मिथ जैसे ब्रिटिश विद्वारकों ने इस व्यवहार के पक्ष में वैकारिक आधार निर्धारित एवं निरूपित किये। इसमें अधिक कठिनाई इसलिए भी नहीं आई क्यों कि ये व्यवहार ब्रिटेन में ऐसे क्षेत्रों में प्रचलित प्रतिमानों के अनुलप ही थे। ब्रिटिश समाज अपने ऊर्जस्वी और उद्धमी बेटों से यही अपेक्षा करता था कि वे विद्वान् को ब्रिटिश प्रयोजनों का एक नियन्त्रित अधीनस्थ औजार बनाए। जैसी कि घर्षण की जा चुकी है यही श्रीक सम्यता काल से परपरागत यूरोपीय दृष्टि है।

इसी प्रकार भारत में अग्रेज अफस्सर जहां ब्रिटिश समाज द्वारा उन्हें संपै गए दायित्वों को चुस्ती से निभा रहे थे वहीं वे उन व्यवहार प्रतिमानों का भी निष्ठा एवं दृढ़तापूर्वक निवार्ह कर रहे थे जो कि स्वयं ब्रिटिश समाज में बनाये गये थे और प्रवालित थे। अपने समाज में वैसे व्यवहारों के अभ्यास के कारण उन्हें विदेश में भी वही व्यवहार करने में किसी आतंकिक कठिनाई का कभी अनुभव नहीं हुआ।

जहां तक भारतीय समाज की तत्कालीन व्यवस्था का प्रक्ष त्रुष्ट तथ्यों का स्मरण उपयोगी होगा। सबसे पहले तत्कालीन भारत के राजनीति सत्र (पालिटी) के शीर्षस्थ लोगों का आधारण स्मरणीय है। मुगल दरबारों की शाही शानों शौकत की विपुल

गाथा गाई गई है। यूरोपीय यात्रियों ने ऐसे बहुत से किस्से लिखे हैं। किन्तु ब्रिटिश अभिलेख देखने पर अलग ही चित्र उभरता है। उससे भारत के शीर्षस्थ लोगों के जीवन में भी विशेषकर हिन्दू राज्यों में सादगी और सधम की ही झलक प्रिलती है। मुस्लिम शासित हैदराबाद तक में १७८० ई में एक निरीक्षण निपुण ब्रिटिश अधिकारी ने अनुभव किया कि वहाँ के अभिजनों और उनके सेवकों के बीच देख कर भेद कर पाना बहुत कठिन है। ध्यान से देखने पर ही यह अतर कर पाना समव था और वह अतर यह था कि अभिजनों के बस्तु सेवकों की तुलना में अधिक साफ होते थे। उसे इस स्थिति पर गहरा छोम हुआ कि ये लोग ऐसा अतर बनाये रखना ठीक से नहीं जानते।

एक सशक्त प्रारम्भिक ब्रिटिश गवर्नर जनरल का कहना था कि हिन्दू राजा अपने ऊपर निजी खर्च बहुत कम करते हैं। इसी बात की सन् १८०० से पहले और उसके १८ २० वर्षों बाद तक अनेक लोगों ने पुष्टि की या प्रतिघ्यनि की। उस गवर्नर जनरल के अनुसार इन राज्यों में थोड़ी कमिया है जिनकी क्षति उन्हें उठानी पढ़ती है। एक तो वे ब्राह्मणों को बहुत दान देते हैं दूसरे मंदिरों को।

समयत यहा ब्राह्मण एवं मंदिर शब्दों का प्रयोग एक व्यापक अर्थ में है। ब्राह्मणों से अभिप्राय उन सभी लोगों से है जिन्हें किसी प्रकार वे विद्याध्ययन एवं विद्याभ्यास (साहित्य कला सगीत शिल्प वैद्यक ज्योतिष आदि) हेतु अनुदान दिया जाता है। इसी प्रकार मंदिरों से आशय ऐसी समस्त संस्थाओं से है जो न वेवल धार्मिक उपासना आदि की व्यवस्था करती है अपितु जो विद्या संस्कृति उत्सव एवं सामाजिक विनोद विश्राम आदि की व्यवस्थाएं संचालित करती हैं। उदाहरणार्थ भारत में धैर्यक का स्फैदरी टीका लगाने वालों के बारे में ब्रिटिश अभिलेखों में कहा गया है कि ब्राह्मण लोग ये टीके लगाते थे। स्पष्ट है कि जानकार यूरोपीयों द्वारा उस अवधि में उन सभी लोगों को ब्राह्मण मान लिया जाता था जो बौद्धिक विकित्सा सम्बन्धी या अन्य ऐसी ही क्रियाशीलताओं में सलग होते थे।

केदारनाथ से तजावुर एवं रामेश्वरम् तक देश भर में धार्मिक स्थानों में तीर्थयात्रियों के ठहरने आदि के लिए छत्रम् होते थे। सन् १८००-१८०१ ई के तजावुर राजा और अग्रेज सरकार के पत्रव्यवहार से ज्ञात होता है कि तजावुर से रामेश्वरम् तक की अनेक बन्दरगाहों का राजस्व भी तजावुर से रामेश्वरम् तक बने छत्रों के रखरखाव पर सीधे खर्च कर दिया जाता था। इन छत्रों की कार्यप्रणाली और देश के चारों कोनों से आकर इनमें ठहरने वाले तीर्थयात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में तजावुर के राजा ने लिखा था।

की एक यहुमान्य अवधारणा रही है। राबर्ट ब्लाइव और उसके साथियों को जो बड़े बड़े उपहार आदि दिए गए और छाली का जो व्यापक प्रथलन ब्रिटिश राज में बढ़ाया था, वह इस लूट के अतिरिक्त है। अग्रेजों द्वारा भारत में मुनाफा कमाने का एक यही तरीका था कि अपने राज्य में भी किसी इलाके में नमक बनाने का एकाधिकार प्राप्त कर लो या बुनकर्ण पर पूर्ज नियन्त्रण के अधिकार प्राप्त कर लो अथवा किसी व्यापार में जुटो और सरकार से कर वौरह में रियायत या माफी प्राप्त कर लो। इन सबसे भी अधिक महत्वपूर्ण तरीका यह था कि पहले किसी देसी रियासत के राजा को ब्रिटिश सरकार स्वीकार करने को तैयार किया जाय। फिर उसे अपने राज्य में रैनात ब्रिटिश फौज का सर्व दल करने को मजबूर किया जाए। इस खर्च को पूरा करने के लिए उस राजा को ब्रिटिश अफस्सर सौदागर कॉसिल सदस्य और गवर्नर तक ३६ से ६० प्रतिशत तक दार्पण व्याज पर छण दें। इसके एजेंज में विस्तृत क्षेत्र या पूरा क्षेत्र ब्रिटिश अफस्सरों के पास रेहने रख लिया जाए। कई बार स्वयं छणदाता अपने नाम से ये इलाके रेहन रखता था कभी अपने एजेंट के नाम से या किसी 'हमी' के नाम से। इस प्रकार उस क्षेत्र पर अधिकार भी हो जाता था और उन भी दसूल किया जाता रहता था। अतः यह सारा धन ब्रिटेन जाता था। १८५० से १८३० तक यह सब व्यापक रूप में चलता रहा।

मिन्तु इसका यह अभिप्राय भी नहीं कि मात्र निजी लोभ या सश्वात्-लालसा है ऐसे व्यवहारों का मूल थी। जान लॉक एडम स्मिथ जैसे ब्रिटिश विचारकों ने इस व्यवहार के पक्ष में वैद्यारिक आधार निर्धारित एवं निरूपित किये। इसमें अधिक कठिनाई इसलिए भी नहीं आई क्यों कि ये व्यवहार ब्रिटेन में ऐसे क्षेत्रों में प्रवलित प्रतिमानों के अनुसर ही थे। ब्रिटिश समाज अपने ऊर्जस्वी और उद्यमी घेटों से यही अपेक्षा करता था कि वे विद्वानों को ब्रिटिश प्रयोजनों का एक नियत्रित अधीनस्थ औजार बनाए। जैसी कि चर्चा की जा चुकी है यही ग्रीक सम्यता काल से परपरागत यूरोपीय दृष्टि है।

इसी प्रकार भारत में अंग्रेज अफस्सर जहा ब्रिटिश समाज द्वारा उन्हें सीधे गए दायित्वों को चुस्ती से निपा रहे थे वही वे उन व्यवहार प्रतिमानों का भी निष्ठ एवं दृढ़सापूर्क निर्वाह कर रहे थे जो कि स्वयं ब्रिटिश समाज में बनाये गये थे और प्रथमित थे। अपने समाज में वैसे व्यवहारों के अभ्यास के कारण उन्हें विदेश में भी वही व्यवहार करने में किसी आतंकिक कठिनाई का कभी अनुभव नहीं हुआ।

जहा तक भारतीय समाज की सत्कालीन व्यवस्था का प्रत्र है कुछ तथ्यों का स्मरण उपयोगी होगा। सबसे पहले तत्कालीन भारत के राजनीति तंत्र (पालिटी) के शीर्षस्थ लोगों का आचरण स्मरणीय है। मुगल दरबारों की शाही शानों शौकत की विपुल

गाथा गाई गई है। यूरोपीय यात्रियों ने ऐसे बहुत से किस्से लिखे हैं। किन्तु ब्रिटिश अमिलेख देखने पर अलग ही वित्र उमरता है। उससे भारत के शीर्षस्थ लोगों के जीवन में भी विशेषकर हिन्दू राज्यों में सादगी और सम्म की ही झलक मिलती है। मुस्लिम शासित हैदराबाद तक में १७८० ई में एक निरीक्षण निपुण ब्रिटिश अधिकारी ने अनुभव किया कि वहां के अभिजनों और उनके सेवकों के बीच देख कर भेद कर पाना बहुत कठिन है। ध्यान से देखने पर ही यह अतर कर पाना सभव था और यह अतर यह था कि अभिजनों के बख़्त सेवकों की तुलना में अधिक साफ़ होते थे। उसे इस स्थिति पर गहरा क्षोभ हुआ कि ये लोग ऐसा अतर बनाये रखना ठीक से नहीं जानते।

एक सशक्त प्रारम्भिक ब्रिटिश गवर्नर जनरल का कहना था कि हिन्दू राजा अपने ऊपर निजी खर्च बहुत कम करते हैं। इसी बात की सन् १८०० से पहले और उसके १८ २० वर्षों बाद तक अनेक लोगों ने पुष्टि की या प्रतिष्ठनी की। उस गवर्नर जनरल के अनुसार इन राजाओं में दो बड़ी कमिया हैं जिनकी क्षमता उन्हें उठानी पड़ती है। एक तो वे ब्राह्मणों को बहुत दान देते हैं दूसरे मदिरों को।

रामबत यहां ब्राह्मण एवं मदिर शब्दों का प्रयोग एक व्यापक अर्थ में है। ब्राह्मणों से अभिप्राय उन सभी लोगों से है जिन्हें किसी प्रकार के विद्याध्ययन एवं विद्याभ्यास (साहित्य कला संगीत शिल्प वैद्यक ज्योतिष आदि) हेतु अनुदान दिया जाता है। इसी प्रकार मदिरों से आशय ऐसी समस्त संस्थाओं से है जो न केवल धार्मिक उपासना आदि की व्यवस्था करती है अपितु जो विद्या संस्कृति उत्सव एवं सामाजिक विनोद विश्राम आदि की व्यवस्थाएँ संचालित करती हैं। उदाहरणार्थ भारत में घेंच का स्कैंडेशी टीका लगाने वालों के घारे में ब्रिटिश अमिलेखों में कहा गया है कि ब्राह्मण लोग ये टीके लगाते थे। स्पष्ट है कि जानकार यूरोपीयों द्वारा उस अवधि में उन सभी लोगों को ब्राह्मण मान लिया जाता था जो बौद्धिक विकिस्सा सम्बन्धी या अन्य ऐसी ही विष्याशीलताओं में सलग्र होते थे।

केदारनाथ से तजावुर एवं रामेश्वरम् तक देश भर में धार्मिक स्थानों में तीर्थयात्रियों के ठहरने आदि के लिए छत्रम् होते थे। सन् १८००-१८०१ ई के तजावुर राजा और अग्रेज सरकार के पत्रव्यवहार से ज्ञात होता है कि तजावुर से रामेश्वरम् तक की अनेक बन्दरगाहों का राजस्व भी तजावुर से रामेश्वरम् तक बने छत्रमों के रखरखाव पर सीधे खर्च कर दिया जाता था। इन छत्रमों की कार्यप्रणाली और देश के घारों योनों से अकर हनमें ठहरने वाले तीर्थयात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं के घारे में तजावुर के राजा ने लिखा था।

समुद्र के किनारे किनारे यने इन छत्रमों में प्रतिवर्ष रामेश्वरम् जाने वाले ४० हजार तीर्थयात्रियों को ठहराने का पूरा प्रबंध है। हर छत्रम् के साथ मंदिर और पाठशालाएँ हैं। यहाँ हर जाति के यात्री को भोजन दिया जाता है। जो खुद पकाना चाहे उन्हें उचित सामग्री दी जाती है। भोजन आधी रात तक बँटता है। फिर एक घटी बज दी जाती है। भोजन से कोई छूट गया हो तो वह भी आ जाए। जो तीर्थयात्री किसी कारण सीर्ध यात्रा पर आगे बढ़ न पाए उन्हें यहा रुकने की सुविधा भी दी जाती है। इस छत्रम् में दार वेदों के ज्ञाता एक शिक्षक व एक विकिन्सक रहते हैं। अनाथ बधों के शिक्षक सम्पालता है। उन्हें तीन समय भोजन मिलता है और कफड़े भी। वे जो विद्या य उद्योग सीखना चाहे वह उन्हें सिखाने की व्यवस्था की जाती है। छत्रम् में यदि किसी भी असमय भूत्यु हो जाए तो उसका अतिम सस्कार भी किया जाता है। बधों को दूष गर्भवती रुक्षी की देखभाल प्रसव होने पर तीन महिने तक उसकी देखभाल की पूरी व्यवस्था होती है।

छत्रमों के साथ सलग्र भूमि जिसका परपरागत भूमि कर उन्हें ही मिलता था अच्छी नहीं है। कल्सल अच्छी नहीं हो पाती। किन्तु इन छत्रमों का मैं बहुत आदर करता हूँ। इसलिए जो घाटा होता है उसे राज्य की ओर से अब व धन भेजकर पूरा किया जाता है। ऐसे ही कागजात केदारनाथ बद्रीनाथ से लेकर पञ्चाब बगाल राजस्थान और दक्षिण के भी सभी भागों के बारे में मिलते हैं।

केदारनाथ के छत्रमों के बारे में यह भी व्यवस्था थी कि कुछ दर्पों सक उनके लिए प्रतिवर्ष निर्धारित धनराशि पूरी न खर्च होने के कारण जो कुछ धनराशि वच जाए कुभ पर्व के अद्वार पर वह दर्पी सपूर्ण धनराशि व्यय कर दी जाए और फिर नये सिरे से उनके कोप प्रारम्भ किये जाए। अनेक श्रोता मित्रों को यहा शायद सप्ताह हर्षवर्धन की ऐसी ही प्रवृत्ति द्वा प्रसग याद आए।

१८ वीं शती ई के ब्रिटिश अभिलेखों से यह भलीभानि अनुमान हो जाता है कि भारतीय रामाज विशेषत यहा के ग्राम समाज कैसे घलते थे। १७७० ई के आसपास का विंगलपेट जिले के गावों का विवरण मिलता है जो इसकी पर्याप्त जानकारी दे देता है। १८०० ई के पहले के बगाल से समर्पित तथ्य भी इसी से मिलते जुलते हैं।

विंगलपेट जिले से समर्पित विवरण १७६० १७७० ई के आसपास २००० गावों के एक सर्वे से एकत्र विद्ये गये थे। इसमें प्रत्यक्ष गाव की बुल्ल भूमि विविध प्रयोजनों के लिए इस भूमि का उपयोग हर गाव की बुल्ल कृषिभूमि (सिवित और असिवित) तथा भान्यम के विवरण हैं। भान्यम उस भूमि को कहते हैं जिसका भूमि

कर विविध ग्राम संस्थाओं एवं गतिविधियों के लिए संचापा जाता है। ऐसी भूमि का कर विधिविहित राज्याधिकारी व व्यवस्था को देय होता था फिर वह ग्राम स्तरीय अधिकारी हो क्षेत्रीय हो या राष्ट्रीय स्तर का हो।

ऐसे भूमि कर के प्रदान से किसी सबद्ध व्यक्ति का उस भूमि पर स्वामित्व व्यावहारित रहता था। बस सबधित भूमिस्वामी या किसान को उस भूमि का कर उस व्यक्ति या संस्था को देना होता था जिसके लिए मान्यम प्रदान किया गया हो। स्थानीय व क्षेत्रीय राज्य के स्थान पर यह कर मान्यम के प्राप्तकर्ता को दिया जाता था।

इस सर्वे का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग यह है जो १८०० ई से पहले दक्षिणी भारत के अभिलेखों में उल्लिखित गावों से सबधित है। गावों में से प्रत्येक की कुल कृषि उपज में से गाव की विविध संस्थाओं तथा व्यवस्थाओं के लिए एक निश्चित अश निकाला जाता था और अन्य सबद्ध ग्रामों क्षेत्रों से सबधित अतर्गमीण संस्थाओं और फदों के लिए निर्धारित अश निकाला जाता था। इस व्यवस्था को सामान्यत 'स्वतत्रम्' कहा जाता था। स्वतत्रम् का विवरण इन आकड़ों में है। स्पष्ट है कि उत्पादन का अश विभिन्न कार्यों एवं विभिन्न संस्थाओं को पुरातन काल से यत्की आ रही प्रथाओं एवं व्यवहारों के अनुरूप ही निर्धारित किया जाता रहा है। स्पष्ट यह मात्र आर्थिक प्रबन्ध नहीं था। अपितु ग्राम्य या क्षेत्रीय राजनीतितत्र (पोलिटी)में ये अश प्राप्त करने वाले विविध घटकों की भूमिका और महत्व का निर्धारण भी इसी प्रक्रिया में होता रहा होगा ऐसा दिखता है।

हर गाव से कुल कृषिउपज का लगभग २५ से ४० प्रतिशत (एक थौंथाई से दो पथमाशा) तक अश स्वतत्रम् के रूप में निर्धारित था। यहा प्रसागवश यह भी स्मरणीय है कि प्रमुख ब्रिटिश सेनापति और बाद में मुश्वई प्रेसीडेन्सी के १८२७-३० ई में गवर्नर रहे जान माल्कम का ऐसा अनुमान रहा कि मालवा के गावों में भी ऐसे प्रयोजनों (ग्राम खर्च) के लिए कुल कृषि उत्पादन का एक थौंथाई के लगभग अश निकाला जाता था।

विंगलपेट के दूसरे कई गावों में ऊपर चर्चित कार्यों के अतिरिक्त अन्य कई उत्सर्वों या कार्यों के लिए भी भिन्न भिन्न तौर पर अश निकाला जाता था। जैसे कि कर्नाकुलर स्कूल शिक्षक मठम्, सिद्धम्, उद्घोषक बनिया फकीर तेल बेचने वाले बैटियान मस्जिद इत्यादि के लिए। इस हिसाब के अनुसार विंगलपेट जिले की कुल जोती हुई भूमि का लगभग छठा हिस्सा मान्य भूमि था। बगाल के कई जिलों में (१७७० ई के करीब) तथा मद्रास प्रेसीडेन्सी के कुछ प्पा बेलारी अनंतपुर आदि जिलों में (जहाँ थामस मुनरो ने १८००-१८०७ के मध्य ब्रिटिश सत्रा व अधिकार को सुदृढ़ किया)

तथा अन्य अनेक क्षेत्रों में ऐतिहासिक एवं पारपरिक रूप में मान्यम के नाम से वर्गीकृत भूमि उस क्षेत्र की कुल भूमि की आधी तक होती रही है। समवत भारत के अनेक हिस्सों में पूरे के पूरे जिले भी मान्यम निधारित कर दिये जाते थे। प्राय सास्कृतिक एवं धार्मिक संस्थाओं की सहायतार्थ ये मान्यम निषित किये जाते थे। किन्तु कुछेक मान्यम स्थानीय एवं क्षेत्रीय सैन्य व्यवस्था के लिए भी निषित होते थे। १८३० के अस्तपास की एक सरकारी ब्रिटिश टिप्पणी में कहा गया है कि बगाल प्रेसीडेन्सी जिसमें बगाल बिहार, व अन्य क्षेत्र आते थे के जिलों में ऐसे हजारों व्यक्ति एवं संस्थाए थीं जिनके लिए परपरा से मान्यम की व्यवस्था थी। १७७० ई के दशक में बगाल के एक जिले में मान्यम के दावेदारों की सख्त्या सात्र हजार कही गयी है।

विविध व्यक्तियों एवं संस्थाओं को किये जाने वाले अश अलग अलग स्थानों व प्रदेशों में भिन्न भिन्न हैं। किन्तु मोटे तौर पर जहा भी सिंधार्ह थी वहा कुल कृषिउपज का घार प्रतिशत सिंधार्हव्यवस्था के रखरखाव के लिए निधारित होता था। आप सब को यह जानकर शायद आश्चर्य होगा कि देवी मंदिर धर्मराज मंदिर एवं ग्राम देवता मंदिर जिनमें साधारणतया ब्राह्मण या अन्य द्विज नहीं जाते थे तथा जिनके पुजारी ब्राह्मण नहीं होते थे उनको जो कुछ स्वतंत्रम् मिलते थे वे शिव विष्णु एवं गणेश मंदिर (जिनकी व्यवस्था मुख्यतः द्विज नागरिक करते थे) को मिलने वाले स्वतंत्रम् से अधिक थे। प्रस्तुत आठ गावों में ग्राम देवता मंदिर का उदाहरण नहीं है।

यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि १८१८ ई के एक ब्रिटिश सर्वे के अनुसार दक्षिणी अर्काटि जिले में बड़े मझोले और छोटे मिलाकर कुल सात हजार से अधिक मंदिर थे तथा कई सौ मठम् एवं छत्रम् थे। मद्रास के जिन अन्य जिलों में यह सर्वेक्षण किया गया वहा किसी में ३ हजार मंदिर थे किसी में ४ हजार। एक मोटे अनुमान से १८०० में मद्रास प्रेसीडेन्सी में लगभग एक लाख मंदिर रहे होंगे। उसी अवधि में पूरे देश में ऐसे स्थानों व संस्थाओं की सख्त्या ३ लाख के लगभग रही होंगी। इनमें से लगभग ५ प्रतिशत संस्थाएं इस्लामी उपासना एवं अध्ययन के स्थल रही होंगी तथा लगभग एक हजार ईसाई उपासना संस्थाएं रही होंगी जिन में से अधिकांश दक्षिण भारत के समुद्रतटीय क्षेत्रों में थीं।

कर्णम् या कनक पित्राई वस्तुत कोई व्यक्ति नहीं अपितृ गाव के रजिस्ट्रार का कार्यालय होता था जो एक ग्रामीण सचिवालय जैसा समझना थाहिए। कर्णम् के कार्य के लिए सामान्यतः कुल कृषि उपज का तीन रो चार प्रतिशत अश दिया सलियार यानी ग्रामपुलिस (जिसमें अनेक व्यक्ति होते रहे होंगे) के लिए ।

प्रतिष्ठित अश निश्चित होता था। यह प्रसगवश यह जानना भी उपयोगी होगा की तलियार अब्र मापने वाला भूमि सीमाविवाद निपटाने वाला तथा कुछ अन्य ग्रामीण पद सामन्यत अन्त्यज (परिहा) तथा अन्य ऐसी ही जातियों के लोगों को मिलता था। महाराष्ट्र में ग्राम पुलिस (रक्षक दल) में महार लोग होते थे। सैन्य व्यवस्था का प्रमुख पालेगर कहलाता था। पालेगर सम्बवत अपने क्षेत्र का आज के फौजी कर्नल या इन्सपेक्टर जनरल पुलिस जैसा पद होता था। यदि कहीं घोरी हो जाती थी और पुलिस या पालेगर घोरी गई सपति दूध निकालने में विफल रहते थे तो उनसे यह अपेक्षा की जाती थी की वे अपने पद के लिए निर्धारित आय में से चोरी गई सपति की बतिपूर्ति पीड़ित पक्ष को करें।

इन तथा ऐसे अन्य आँकड़ों तथ्यों के अधिक गहरे विश्लेषण की आवश्यकता है पर इनमें यह तो अर्थ स्पष्ट है कि इस समाज के प्रत्येक सदस्य की एक निश्चित प्रतिष्ठा वी तथा उसकी सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति की समुचित व्यवस्था की जाती थी। भारत के सास्कृतिक प्रतिमानों को देखते हुए तथा भारतीय भूमि की उर्वरता के कारण इन प्रतिमानों का निवाह सुगम होने के कारण भी प्रत्येक व्यक्ति का यह नैसर्गिक अधिकार मान्य प्रतीत होता है कि उसे भोजन और आश्रयस्थान प्राप्त हो। मध्यकालीन भारत के एक इतिहासकार के अनुसार दिल्ली के शासकों के जिस एकमात्र व्यय का विवरण प्राप्त है वह उन लोगों को मुफ्त भोजन कराने का व्यय है जिनके लिए ऐसे भोजन की आवश्यकता पड़ती थी। सम्बवत दिल्ली के मुसलमान राज्य में भी यह राज्य का सबसे बड़ा व्यय मद रहा होगा। राज्य का यह व्यवहार भारतीय समाज के पुरातन प्रतिमानों की परपरा के आधार व मान्यताओं के अनुसार ही होगा।

ये अंशनिर्धारण मात्र आतंरिक ग्रामव्यवस्था के लिए नहीं थे। यद्यपि ग्रामव्यवस्था का यह आतंरिक तत्र भी वैविध्यपूर्ण एवं सश्लेष्ट था तथा उसी के अनुरूप अश निर्धारित थे। पर साथ ही अतर्ग्रामीण धार्मिक सास्कृतिक राजनैतिक लेखा सम्बन्धी एवं सैन्य प्रयोजनों की व्यवस्था के लिए भी ये अश निर्धारित थे। यह मानना याहिर कि अन्य सरह के उत्पादनों एवं आय स्रोतों पर आधारित किन्तु सरकनामें कुछ ऐसी ही व्यवस्थाएं कस्बों-शहरों के लिए भी रही होंगी। इस प्रकार ग्रामसमाज या कोई स्थानीय समाज जहा अपने आतंरिक प्रयोजनों एवं व्यवस्थाओं का प्रबंध करता था और इस सम्प में एक स्वायत्त गणतंत्र या निगम का प्रतीक था वही वह अन्य गावों या स्थानों से भी सबद्ध होता था। वस्तुत वह अत क्षेत्रीय व्यवस्थाएं एक ढंगे क्षेत्र से भी संबंधित रहती थी जिसे हम राष्ट्रीय क्षेत्र कह सकते हैं। इस प्रकार इन आँकड़ों एवं

विवरणों से एक ऐसे राजनीतित्र (पालिटी) का रूप उभरता है जो महस्ता बांधी द्वारा व्याख्यायित उस 'सागरीय वृत्त' वाले भोध से मिलता-जुलता दिखता है जिसमें गांधीजी के विचार से सबसे भीतरी वृत्त सर्वाधिक आतंकिक स्वायतता प्राप्त किये रहता है तथा बाहरी वृत्तों को कैसे वित्तीय नैतिक तथा अन्य सहायता व समर्थन प्रदान करता रहता है जो कि उन अन्य बचे हुए क्षमतों की पूर्ति हेतु इन बाहरी वृत्तों के लिए आवश्यक है जो काम स्थानीय स्तर पर सपने नहीं किये जा सकते।

इस प्रकार स्थानीय सामाजिक तत्र के सम्यक् संचालन एवं देखरेख के लिए तथा उसकी छोटी बड़ी सभी संस्थाओं एवं कार्यों के लिए जहाँ उत्पादन का अध्यात्म खासा अश निर्धारित होता था वही ऊपर की क्षेत्रीय व राष्ट्रीय संस्थाओं का हिस्सा बन होता था। प्रारंभिक ग्रिटिश अधिकारियों के अनुसार मालाबार में १७४० ई तक भूमि पर कर बिलकुल नहीं था। १५ वीं शती ई तक कश्म ग्रात में ऐसा कोई कर नहीं था। रामनद (जिसमें रामेश्वर है) जैसे क्षेत्रों में १७९० के दशक में भी नाममानक को भूमिकर था। त्रावण्कोर में १९ वीं शती के आरम्भ में भी भूमिकर मुक्त उत्पादन का ५ से १० प्रतिशत से अधिक नहीं था। ऊपर की संस्थाओं एवं व्यवस्थाओं के लिए भूमि पर लगने वाला कोई भी कर परपरागत बहुत कम होता था यह १८०० ई तक मान्यम की भूमि पर खेती करने वालों द्वारा मान्यम पाने वालों को दिये जाने वाले कर या कृषिउपज के अश की भात्रा से भी स्पष्ट होता है। मुसलमानों के समय जहाँ तहाँ कर शायद बढ़ा लेकिन इतना नहीं जिसना अग्रेजों के आने के बाद। आमस मुनरो के अनुसार अग्रेजों द्वारा थोपी गयी राजस्व दरों से यह परपरागत अश या कर एक चौथाई से अधिक नहीं होता था। मुनरो के अनुसार कई बार तो किसान अपनी इधरानुसार जितना घाहते थे उसना ही मान्यम प्राप्तकर्ता को दे देते थे। बगाल के कलेक्टरों ने १७७० के दशक में ऐसी ही स्थिति होने की सूचना दी है और कहा है कि ग्रिटिश भू राजस्व बहुत भारी पड़ता है (परपरागत दर से लगभग चार गुना) और जहाँ मान्यम भूमि कुल जोखी गई भूमि का आधे के लगभग है ऐसे जिलों में बड़ी सख्त्या में किसान वह भूमि छोड़ देते थे जिसका राजस्व ग्रिटिश अधिकारियों को देना होता था। उसके स्थान पर वे मान्यम भूमि पर जाकर खेती करने लगते थे। यह शायद इसलिये भी सामय हुआ कि १७६९ ७० के बड़े अकाल के बाद जिससे बगाल की एक तिहाई जनसंख्या घट गई कलानी सारी खेती की जमीन बगैर जोत के पढ़ी थी। जिस भूमि का राजस्व अग्रेजों को देना पड़े उसे हायांकर किसाम मान्यम भूमि में खेती करने लगे। यह प्रवृत्ति १८२० में भी मद्रास प्रेसीडेन्सी में विद्यमान थी। तब गवर्नर के रूप में आमस मुनरो ने धमकी दी थी कि

मान्यम के ऐसे स्वामियों का मान्यम रद्द कर दिया जायेगा जो अपनी भूमि पर ब्रिटिश राजस्व वाली भूमि छोड़कर खेती करने आने वाले विस्तारों को खेती करने देंगे।

ऊपर चर्चित अँकड़ों के सदर्भ में यह जानने योग्य है कि मुगल शासकों (१५५६-१७०७ ई) के खजाने में धन की आमद उनके राज्य के माने जाने वाले कुल जस्ते के २० प्रतिशत से अधिक की कमी नहीं हुई। जहांगीर के शासन में तो यह ५ कुल राजस्व का ५ प्रतिशत से भी अधिक नहीं होती थी। यह भी उल्लेखनीय है कि ऐतिहासिक रूप से चीन में भूमि कर कुल कृषि उपज का लगभग सोलहवा हिस्सा बाया जाता है। ऐसा मानना स्वाभाविक ही होगा कि पूर्वी एवं दक्षिणपूर्वी एशिया के ५ स्थानों में भी यही राजस्व कर रहा होगा। भारत में मनु सहिता में अधिकतम कर ज का छठा अश लिये जा सकने की व्यवस्था है किन्तु वहां भी सामान्यत कुल उपज का भारह्या अश लिये जाने का ही आग्रह है। यहां यह भी स्मरणीय है कि १७८० से आगे अंग्रेजों ने अनेक कारणों से मनु सहिता को विशेष महत्व दिया।

ई के लगभग लदन में विविध भारतीय ग्रधो एवं पाठों के अनुवाद और प्रकाशन को हस्तोत्साह किया जाने लगा। उस समय जिस एकमात्र पुस्तक के पुनर्मुद्रण विद्या गया वह कुल्लूक भट्ट की टीका सहित मनुस्मृति का प्रकाशित था।

ओर यह भी सत्य है कि पश्चिमी यूरोप में १८ वीं शती ई में वहां के "लैंड जो कर लगान वसूलते थे" वह कुल कृषि उपज का ५० से ८० प्रतिशत लगता है कि भारतीय इतिहासकारों और बौद्धिकों ने अपने पश्चिमी स्वामियों से १८ बिना गवेषणा के अभीकार कर ली है उनमें से एक यह है कि भारत में वही थी जो १८ वीं शती ई के पश्चिमी यूरोप में थी।

अपनी स्थानीय सास्कृतिक-धार्मिक सम्पदाओं एवं प्रवृत्तियों लेखा व्यवस्था

एवं सैन्य व्यवस्था या रक्षाव्यवस्था (कानूनगो देशमुख पालेगर आदि) का प्रबंध करने वाला गाव या क्षेत्र समवत् शीर्षस्थ सत्र के लिए भी लगभग ५ अश देता था। लाखों गावों एवं इकाइयों से मिलने वाली यह ५ प्रतिशत फी ५। भी कुल मिलाकर पर्याप्त से अधिक हो जाती रही होगी। यह गाव द्वारा अपनी सत्ता को या कि महात्मा गांधीजी द्वारा निरूपित वाहरी वृत्त को देय अश था। यह सत्य हो कि ऐसी व्यवस्था से क्षेत्रीय या राज्यीय स्तर पर सैनिक दृष्टि से पर्याप्त हमारी सैन्य दुर्बलता अथवा अन्य सम्प्राप्ति निर्वलताओं के कारण कुछ और ही भारतीय राजनीति-सत्र (पोलिटी) की विकेन्द्रित सामाजिक एवं वित्तीय व्यवस्था

शायद इसका कारण नहीं रही हो।

देश के विभिन्न भागों एवं क्षेत्रों में भूमि स्वामित्य एवं अधिकारी सम्बन्धी भिन्न भिन्न पद्धतिया रही हैं। एक ही क्षेत्र में भी कई व्यवस्थाएँ आसपास चलती रहती हैं। किन्तु प्रायः इन सभी व्यवस्थाओं में भूमि पर ग्राम समुदाय को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त थे। भूमि के क्रृत्य-विक्रृत्य की अनुमति एवं उसके प्रबंध सम्बन्धी सर्वोच्च अधिकारी ग्राम सम्बन्ध का ही होता था।

ऐसे भी गाव थे जहाँ ग्राम समाज समुदायम के रूप में सगटित था। सम्बन्ध समुदायम में गाव के सब परिवार नहीं होते थे अपितु भात्र किसान परिवार और मान्यम पाने वाले परिवार होते थे। समुदायम के सदस्यों का गाव की भूमि में विशिष्ट हिस्सा होता था। जिस भूमि पर वे खेती करते थे वह भूमि आपस में समय समय पर बदल भी ली जाती थी। तजावुर में १८०५ ई में इस प्रथा का विवरण मिलता है। वहाँ उस समय लगभग तीस प्रतिशत गाव समुदायम के रूप में सगटित थे। यह परिवर्तन इस आधार पर किया जाता था कि समय समय पर सभी खेतों की उर्ध्वा शक्ति में कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। जिससे समुदायम सदस्यों में आपस में विषमता की स्थिति हो जाती है। इसीलिए भूमि का नये सिरे से पुनर्वितरण आवश्यक हो जाता है।

१८०५ ई तजावुर में मिरासदारों की कुल संख्या ६२०४८ थी। मिरासदार उन्हें कहते हैं जिनका भूमि पर स्थायी अधिकार हो। इन मिरासदारों में ४२ हजार से अधिक तथाकथित शूद्र एवं तथाकथित शूद्र से भी नियती जातियों के थे। बझमहल (वर्तमान सोलम जिला) में परिहा (अन्त्यज) कहे जाने वाले किसानों की संख्या १८०० ई में कुल ६ लाख थी जनसंख्या में ३२ ४७४ की थी। विगलपेट के कलेक्टर द्वारा १७९९ ई में तैयार सूची में मिरासदारों की संख्या ८३०० दर्ज थी। पर कलेक्टर का मत था कि वास्तविक मिरासदारों की संख्या दस गुनी है। यानी ८० हजार के लगभग। सन् १८१७ में तिरुनेलवेली जिले के १०८० गावों में मिरासदारों की संख्या ३७ ४९४ अनुमानित थी। यह कहना सम्भव यहाँ आवश्यक नहीं की संपूर्ण भारत में वास्तविक भूमि जोतने वाले के अधिकार स्थायी बशानुग्रह रहते हैं। १७९० ई के बाद अग्रेजों ने ये अधिकार समाप्त करने का क्रम चलाया। एक सो इसलिए ताकि बहुत बढ़ी तुर्फ मात्रा में वे राजस्व वसूल कर सके तथा दूसरे इसलिए क्योंकि स्वामित्य की ग्रिटिश अवधारणा में जोतने वालों के ऐसे किसी अधिकार का स्वान स्वयं ब्रिटेन में नहीं था।

भारतीय अर्थव्यवस्था एवं उपभोग या खपत के ढाँचे का एक अनुमान वेदारी जिले के १८०६ ई के कुछ तथ्यों से भी होता है। जिसमें जिले भर के हर परिवार विन

औसत खपत का कुल आकलन है। पूरी जनसंख्या ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा तीन वर्गों में वर्गीकृत है और उसका खपत व्यौरा है। ये तीन वर्ग हैं—पहला अधिक समृद्ध लोगों का (कुल जनसंख्या २ ५९ ५६८) दूसरा मध्यम साधनों वाले परिवार (कुल जनसंख्या ३ ७२ ८८७) तथा तीसरा निम्न वर्ग (कुल जनसंख्या २ १८ ६८४)। इस आकलन के अनुसार इन तीन वर्गों में खपत का यह रूप था—खपत की पहली श्रेणी वालों से दूसरी व तीसरी श्रेणी वालों द्वारा उपर्योग खाद्यान्न की गुणवत्ता एवं मूल्य में अतर था। मात्रा तीनों वर्गों में एक ही थी। वह थी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आधा सेर अनाज। खपत के इस विवरण में २३ अन्य वस्तुएँ भी थीं जिनमें दाल सुपारी धी तेल सूखा व कद्दा नारियल दवाए वस्त्र ईंधन सम्मी आदि हैं। पान भी है। पहली श्रेणी के लोगों में पान की खपत छ व्यक्तियों के एक परिवार में प्रतिवर्ष ९ ६०० पान की है। दूसरी श्रेणी में यह संख्या ४ ८०० पान प्रतिवर्ष है और तीसरी में इतने ही बड़े परिवार में प्रतिवर्ष ३ ६०० पान की खपत दर्ज है। धी और तेल की खपत का अनुपात तीनों वर्गों में लगभग ३ १ १ का है और दालों का ८ ४ ३ का। प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष कुल खपत प्रथम श्रेणी में १७ रु ३ आने ४ पाई है दूसरी श्रेणी में ६ रु २ आने ४ पाई तीसरी श्रेणी में ७ रुपये ७ आने हैं।

निष्ठय ही ये व्यापक वर्ग हैं। यथार्थ में अनेक लोगों की खपत प्रथम श्रेणी की औसत से पर्याप्त अधिक रही होगी। वास्तविक संघ और निम्न लोगों के बीच अतर की मात्रा का ज्ञान १७१९ ई के एक विवरण से होता है। यह कर्नाटिक क्षेत्र का है। पर्याप्त छन्दवीन के बाद ब्रिटिश अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे की टीपू सुलतान का सबसे बड़ा अधिकारी चित्रदुर्ग के किले का गवर्नर टीपू के शासन में १०० रुपये प्रतिमाह पाता था। उस क्षेत्र में उन दिनों साधारण श्रमिक की मजदूरी की दर ४ रुपये प्रति माह थी। बाद में ब्रिटिश अधिकारियों ने नये अतर पैदा किये। उस समय भी ब्रिटिश जिला कलेक्टर को लगभग १५०० रु प्रतिमाह मिलते थे ब्रिटिश गवर्नर कॉसिल के सदस्य को ६ से ८ हजार रुपये प्रति माह। जबकि भारतीय मजदूरों का वेतन सन् १७६० से १८५० ई के बीच लगातार घटाया ही जाता रहा। १७६० में भारतीय श्रमिकों शिल्पियों आदि को मजदूरी के रूप में जो मिलता था सन् १८५० के आसपास उराका एक तिहाई ही शायद मिलता था अधिक से अधिक आधे तक।

नयी विषमताएँ मात्र ब्रिटिश अफसरों के वेतन तक सीमित नहीं थीं। जहां राजकीय नीति में आवश्यक लगा वहा भारतीय अधिकारियों राजाओं आदि के भी वेतन ऐसे बहुत बढ़ाये गये। मेवाड़ के महाराणा का निजी भक्ता बढ़ाया जाना इसका एक

उदाहरण है। भेवाड १८९८ ई में ब्रिटिश सरकार में लिया गया। उससे पूर्व तक महाराणा का भत्ता एक हजार रुपया मासिक था ऐसा टॉड ने लिखा है। सरकार में लेने के कुछ ही भाइनों में अंग्रेजों ने महाराणा का भत्ता एक हजार रुपये रोज कर दिया। पर राज्य के अन्य अनेक खर्च या तो समाप्त कर दिये या बहुत घटा दिये। कुछ ही वर्षों में महाराणा राजकाज व अपने लोगों से अलग होकर भोगविलास में पड़ गये।

साधारण लोगों की आमदनी घटायी जाती रही उनके शिल्प कौशल अधिकारों एवं आत्मगौरव को नह किया गया। उन्हें लूटा-पीटा मारा निचोड़ा और भूसा म्या अत्याचार और अपमान से जर्जर किया गया। अंग्रेजों ने ही भारत में बघुआ मजदूरी की शुरूआत की। १८५५ ई में लार्ड ऐलनबरो के लार्ड केरिंग को लिखे एक पत्र में यदि किया कि १५ वर्ष पहले ऐलनबरो ने स्वयं देखा था कि किस प्रकार शिमला के पहाड़ी क्षेत्र में लोगों से जबर्दस्ती सरकारी काम बेगार पर कराया गया। ऐलनबरो के इस पत्र के साथ शिमला में रहे भूतपूर्व पालिटिकल एर्जेंट लेफ्टिनेंट कर्नल केनेडी का एक स्मरण पत्र था। उसमें ऐलनबरो का ध्यान इस ओर खींचा गया था कि शिमला क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकार जमने के बाद जबर्दस्ती बेगार करायी जाती थी और ३००-४०० मील लंबी धार गज छोड़ी एक पहाड़ी सड़क सन् १८९८ से १८३२ ई के दीच वहां बेगार द्वारा मनवायी गयी थी। उसने यह भी लिखा था कि कुमाऊँ गढ़वाल में यह प्रथा इसनी प्रसिद्ध हो गई थी कि कुमाऊँ गढ़वाल के तत्कालीन कमिश्नर थी एवं बैटन ने सोचा कि इसे समाप्त करना बेतुका तो होगा ही साथ ही शिमला के शीर्षस्थ अधिकारियों द्वारा अपनायी गयी नीतियों के अनुरूप भी नहीं होगा। यूरोप में बेगार प्रथा परपराकृत प्रचलित थी। उसे ही भारत में शुरु किया गया। यह बेगार पूरे देश भर में कराई गई। १७७० ई से अंग्रेजों द्वारा इसे भारत में फैलाने के आंकड़े मिलते हैं। पहले पहल के आंकड़े अर्काट के नवाब के क्षेत्र से सम्बन्धित हैं। नवाब ने इस पर शिकायत की थी। बाद में हैदराबाद मद्रास बगाल उच्चर प्रदेश मध्यप्रांत समेत सर्वत्र बहूं पैमाने पर बेगार कराई जाती रही।

ब्रिटिश सेना एक स्थान से दूसरे स्थान को निरतर कूद करती रहती थी। हर टुकड़ी के साथ आटा दाल यिक्रेता मिठाई बाला पैसारी नून्हीबाला सराफ तमाङू बेघने वाला तमोली सूधी बनाने वाला नान बाई भटियारा कुंजड़ा मधुवाला यिसारी वारी ततरा कराई मास यिक्रेता मोथी तैली धी वाला जुलाहा भहूंजा ऊंठवाला खोजी छनदोज प्याटोज लोहार यदृ भुर्जवाला तोड़ी यासा कमरे दुका बनाने वाला कुली आदि ३४-३५ पैशों के लोग येगार करते चलते थे। इसके

अलावा ३०० ४०० बैलगाड़ियों व घोडे खद्दर इत्यादि बेगार में लिये जाते थे। यह अवश्यक था। नहीं तो पूरा क्षेत्र लूटकर यिनष्ट कर दिया जाता और दफ्तित किया जाता।

यहाँ विज्ञान के एक प्रसिद्ध इतिहासकार जार्ज सार्टन के शब्द स्मरणीय हैं - पश्चिमी राज्यों ने अपने पूर्वी भाईयों को न केवल लूटा शोषण किया और दास बनाया अपितु इससे भी बहुत बुरा व्यवहार किया। ये उनकी आध्यात्मिक विरासत तक को समझ पाने में अक्षम रहे उन्हें उससे भी रहित करने का प्रयास किया। मात्र उनकी भौतिक सपदा एवं वस्तुओं की लूट ही नहीं की वे उनकी आत्मा पर भी विजय पाना चाहते थे। आज हम अपने पूर्वजों के लोभ और धृष्टा का मूल्य चुका रहे हैं।

इस प्रकार अग्रेज़ों द्वारा भारतीय व्यक्तित्व भारतीय मानस भारतीय गौरव एवं भारतीय आत्मा को अधीनस्थ कर पूरी तरह रूपातरित कर भालने की सुनियोजित रणनीति की कुछ झलकियों का स्मरण किया। यह अलग बात है कि इस पर भी वे भारत में व्यक्तियों पशुओं और वनस्पतियों का बैसा व्यापक सहार नहीं कर पाये जैसा उन्होंने तथा अन्य यूरोपीयों ने अमेरिका व आस्ट्रेलिया इत्यादि में किया। उहरी मध्य व दक्षिण अमरीका में तो यूरोप की इस विनाश लीला की शक्ति के टक्कराव से वहा की १९ प्रतिशत जनसंख्या समाप्त हो गई। सन् १५०० ई में यह जनसंख्या ९ से १२ करोड़ तक थी ऐसा माना जाता है। आज कुल अमेरिका के पुराने निवासियों की जनसंख्या २ से ३ करोड़ तक है। सन् १५०० ई में पूरे युरोप की जनसंख्या ९ करोड़ से कम ही थी। आज वह जनसंख्या १२० से १५० करोड़ तक पहुच गई है और यूरोप अमरीका आस्ट्रेलिया दक्षिण आफ्रिका व विश्व के अन्य स्थानों तक फैली हुई है। भारत में १५०-२०० वर्षों के ब्रिटिश आधिपत्य के काल में शासन की नीतियों से उत्पन्न व प्रभावित दुर्भिक्षों महामारियों इत्यादि में ५-१० करोड़ लोग अवश्य अकाल मृत्यु का ग्रास बने तथा गाय बैल वैस एवं अन्य पशु कई करोड़ों की संख्या में नष्ट किये गये। अच्छी नस्ल के गाय बैल व अन्य पशु तभी से बहुत घट गये। बर्नों का क्षेत्रफल भी घटा तथा भारतीय वृक्षों का स्थान उल्लेखनीय मात्रा में यूरोपीय वृक्षों-वनस्पतियों को दिया गया। तब भी हमारा उस सीमा तक तथा उस रूप में विनाश नहीं हो पाया जैसा कि अमरीका इत्यादि में हुआ। सपूर्ण विनाश एवं विश्व विजय की अपनी अपार बमता में यूरोपीयों का अडिग विश्वास पिछले कुछ दशकों में हिलने को विवश हुआ तथा किसी न किसी स्तर में दूसरों के साथ सवाद का सम्बन्ध रखते हुए उन्हें अपने अनुकूल बनाने का विषय करने को वे वाध्य हुए। यह भारत समेत विश्व के उन सभी समाजों का यूरोपीय उद्दि एवं आत्मा को विशिष्ट योगदान है जिन्होंने पराजित एवं हतपुद्ध होने पर भी किसी

उदाहरण है। मेवाड़ १८९८ ई में ब्रिटिश सरकार में लिया गया। उससे पूर्व तक महाराणा का भत्ता एक हजार रुपया मासिक था ऐसा टौड ने लिखा है। सरकार में लेने के कुछ ही महिनों में अग्रेजों ने महाराणा का भत्ता एक हजार रुपये रोज कर दिया। पर राज्य के अन्य अनेक खर्च या तो समाप्त कर दिये या बहुत घटा दिये। कुछ ही वर्षों में महाराणा राजकाज व अपने लोगों से अलग होकर भोगविलास में पड़ गये।

साधारण लोगों की आमदानी घटायी जाती रही। उनके शिल्प कौशल अधिकारों एवं आत्मगौरव को नष्ट किया गया। उन्हें लूटा पीटा मारा-निधोड़ा और चूसा गया अस्थावार और अपमान से जर्जर किया गया। अग्रेजों ने ही भारत में बधुआ मजदूरी की शुरूआत की। १८५५ ई में लार्ड ऐलनबरो के लार्ड केनिंग को लिखे एक पत्र में यह किया कि १५ वर्ष पहले ऐलनबरो ने स्वयं देखा था कि किस प्रकार शिमला के पहाड़ी क्षेत्र में लोगों से जबर्दस्ती सरकारी फाम बेगार पर कराया गया। ऐलनबरो के इस पत्र के साथ शिमला में रहे भूतपूर्व पालिटिकल एजेंट लेफ्टिनेंट कर्नल फेनेडी का एक स्मरण पत्र था। उसमें ऐलनबरो का ध्यान इस ओर खींचा गया था कि शिमला क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकार जमने के बाद जबर्दस्ती बेगार करायी जाती थी और ३००-४०० मील लंबी धार गज घौड़ी एक पहाड़ी सड़क सन् १८९८ से १८९२ ई के बीच यहाँ बेगार द्वारा बनवायी गयी थी। उसने यह भी लिखा था कि पुमार्ह गढ़वाल में यह प्रथा इसनी प्रसिद्ध हो गई थी कि कुमार्ह गढ़वाल के तत्कालीन कमिशनर टी एच बैटन ने सोचा कि इसे समाप्त करना चेतुका तो होगा ही साथ ही शिमला के शीर्षस्थ अधिकारियों द्वारा अपनायी गयी नीतियों के अनुरूप भी नहीं होगा। यूरोप में बेगार प्रथा परपरागत प्रयोगित थी। उसे ही भारत में शुरू किया गया। यह बेगार पूरे देश भर में कराई गई। १७७० ई से अग्रेजों द्वारा इसे भारत में फैलाने के आकड़े मिलते हैं। पहले पहल के आकड़े अकर्ट के नवाब के क्षेत्र से संबंधित हैं। नवाब ने इस पर शिकायत की थी। याद में हैदरायाद भद्रास बगाल उच्चर प्रदेश मध्यप्रात समेत सर्वत्र यहै पैमाने पर बेगार कराई जाती रही।

ब्रिटिश सेना एक स्थान से दूसरे स्थान को निरतर कूद करती रहती थी। हर टुकड़ी के साथ आटा दाल विक्रेता भिटाई वाला पैसारी मून्दीवाला रसाफ तमाकू बेघने वाला तमोली सूधी बनाने वाला नान बाई भटियारा फुँजडा मधुवाला धिसाती यारी ततरा कसाई भास विक्रेता मौदी तैली धी याला जुलाहा भड़ूजा चैटवाला खोजी खनदोज प्यादोज लोहार बट्ठई मुर्गवाला तोड़ी वाला फमरे हुक्का बनाने वाला कुस्ती आदि ३४-३५ पेशों के लोग बेगार करते चलते थे। इसके

अलावा ३०० ४०० बैलगाड़ियाँ व घोडे खगर इत्यादि बेगार में लिये जाते थे। यह आवश्यक था। नहीं तो पूरा क्षेत्र लूटकर विनष्ट कर दिया जाता और दफ्तित किया जाता।

यहा विज्ञान के एक प्रसिद्ध इतिहासकार जार्ज सार्टन के शब्द स्मरणीय है - पश्चिमी राज्यों ने अपने पूर्वी भाईर्यों को न केवल लूटा शोषण किया और दास बनाया अपितु इससे भी बहुत बुरा व्यवहार किया। वे उनकी आध्यात्मिक विरासत तक को समझ पाने में अक्षम रहे उन्हें उससे भी रहित करने का प्रयास किया। मात्र उनकी भौतिक सपदा एवं वस्तुओं की लूट ही नहीं की वे उनकी आत्मा पर भी विजय पाना चाहते थे। आज हम अपने पूर्वजों के लोभ और धृत्या का मूल्य छुका रहे हैं।

इस प्रकार अग्रेजों द्वारा भारतीय व्यक्तित्व भारतीय मानस भारतीय गौरव एवं भारतीय आत्मा को अधीनस्थ कर पूरी तरह रूपातरित कर ढालने की सुनियोजित रणनीति की कुछ झलकियों का स्मरण किया। यह अलग बात है कि इस पर भी ये भारत में व्यक्तियों पशुओं और वनस्पतियों का वैसा व्यापक सहार नहीं कर पाये जैसा उन्होंने तथा अन्य यूरोपीयों ने अमेरिका व आस्ट्रेलिया इत्यादि में किया। उत्तरी मध्य व दक्षिण अमरीका में तो यूरोप की इस विनाश लीला की शक्ति के टकराव से वहां की १९ प्रतिशत जनसंख्या समाप्त हो गई। सन् १५०० ई. में यह जनसंख्या १ से १२ करोड़ तक थी ऐसा माना जाता है। आज कुल अमेरिका के पुराने निवासियों की जनसंख्या २ से ३ करोड़ तक है। सन् १५०० ई. में पूरे यूरोप की जनसंख्या ९ करोड़ से कम ही थी। आज वह जनसंख्या १२० से १५० करोड़ तक पहुंच गई है और यूरोप अमरीका आस्ट्रेलिया दक्षिण आफ्रिका व विद्युत के अन्य स्थानों तक फैली हुई है। भारत में १५०-२०० वर्षों के द्विटिंश आधिपत्य के काल में शासन की नीतियों से उत्पन्न व प्रभावित दुर्भिक्षों महामारियों इत्यादि में ५-१० करोड़ लोग अवश्य अकाल मृत्यु का ग्रास बने तथा गाय बैल व अन्य पशु कई करोड़ों की संख्या में नष्ट किये गये। अच्छी नस्त के गाय बैल व अन्य पशु तभी से बहुत घट गये। यन्हों का क्षेत्रफल भी घटा सक्ता भारतीय वृक्षों का स्थान उत्तेजनीय भात्रा में यूरोपीय वृक्षों वनस्पतियों को दिया गया। तथा भी हमारा उस सीमा तक तथा उस रूप में विनाश नहीं हो पाया जैरा कि अमरीका इत्यादि में हुआ। सपूर्ण विनाश एवं विद्युत विजय की अपनी अपार क्षमता में यूरोपीयों का अडिग विद्यास पिछले कुछ दशकों में हिलने को विदश हुआ तथा विस्री न विस्तीर्ण में दूसरों के साथ सवाद का सम्बन्ध रखते हुए उन्हें अपने अनुकूल यनाने का विद्यार करने को ये वाय्य हुए। यह भारत समेत विद्युत के उन सभी समाजों का यूरोपीय बुद्धि एवं आत्मा को विशिष्ट योगदान है जिन्होंने पराजित एवं हतमुद्द होने पर भी विस्री

न किसी रूप में सधर्व जारी रखा। महात्मा गांधी ने इस सधर्व को अधिक व्यापक अर्थ और सदर्व फिर से देने का प्रयास किया तथा भारतीय आत्मा मानस एवं व्यक्तित्व को फिर से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया। इस भीच इन तथा अनेक अन्य अनुमर्णों के कारण अग्रेजों ने भी यही उपित समझा कि भारत को अधमरा अधिष्ठित ही छोड़कर सत्ता का हस्तातरण कर दिया जाय और आवश्यकतानुसार दूर से ही प्रभावित-नियन्त्रित करने के तरीके खोजे जाते रहे तथा उन्हें व्यवहार में उतारा जाता रहे। गांधीजी के नेतृत्व में किये गये भारतीय पुरुषार्थ से आज हम एक राजनैतिक सम्प से स्वाधीन समाज हैं और आगे की सभावनाओं तथा मार्गों के बारे में सोबने का कर्तव्य और चुनौती हमारे सामने है।

### ३ भविष्य और सुपथ की विशेषणा

एक स्वाधीन समाज के रूप में हमें अब भी भविष्य की अपनी सभाव्यताओं का विद्यार करना होगा। इसके लिए अपने इतिहास समाज और परपरा का गहरा बोध एवं प्रशान्त विश्लेषण आवश्यक है। साथ ही विश्व के बारे में भी अधिकाधिक और गहरी जानकारी प्राप्त करनी होगी।

सर्वप्रथम तो हमें अपनी पराजय के ब्रास से अब मुक्त होना होगा। पराजय के बार बार स्मरण से मन की हीनता बढ़ती है और बुद्धि तथा चित्र स्वस्थ नहीं रहते। इस हीनता के प्रभाव से भरपूर पराजय का स्मरण करते रहने के कारण ही विगत ढेढ़-दो सौ वर्षों में हमें इतनी अधिक स्मृतिप्रशंसा आ गई कि विदेशियों द्वारा हमारे बारे में जो अवधारणाएं और गाथा गढ़ी गईं उन्हें ही हमने अपना ऐतिहासिक यथार्थ मान लिया। जैसा कि हम स्मरण कर चुके हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी कीशक्ति जीवनस्तर समाजव्यवस्था मानवीय सम्बन्ध एवं मानवीय सदगुणों में दूसरों से कम न होने पर भी हार के बाद हमारे नवप्रबुद्ध वर्ग को अपने समाज के परपरागत जीवन में सभी प्रकार की कमिया ही कमिया दिखने लगी। स्मृतिप्रशंसा का यह दारुण रूप है।

लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हमें अपनी पराजय के सध्य को विस्मृत कर देना है। एक श्रेयस्कर समाजव्यवस्था कैसे क्रमशः छिन्नभिन्न होती गई और अभी तक सम्पूर्ण नहीं पा रही है। इस पर विवेकार्प्पण चिंतन एवं यिर्मश तो हमारे लिए आवश्यक है।

इस्लाम के अनुयायियों के आक्रमण का हमने सतत प्रतिरोध किया। उस प्रतिरोध की शक्ति क्या थी और कमिया क्या रही इस पर पर्याप्त विचार आवश्यक है। उस आक्रमण के बाद हम पुन स्वस्थ वर्यों नहीं हो पाये यह विद्यार करना हमारे राष्ट्रीय मानसिक-बौद्धिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। हमारे साहस तितिक्षा त्याग सत्यम और वीरता में कमी नहीं रही। तथा भी अपने सपूर्ण भारतीय समाज को आक्रमण की चुनौती के विरुद्ध संगठित कर पाने में हम विफल रहे। इस विफलता के कारणों की गहरी परख की आवश्यकता है। इसके लिए अपने सपूर्ण इतिहास की प्रशान्त भाव से जाच-परख करनी होगी। ऐसा लगता है कि हमारे राजनीति तत्र (पोलिटी) के शीर्ष स्थानीय

लोगों का अपने व्यापक समाज से कुछ कट्टाव-विलगाव सात आठ सौ या और अधिक वर्षों पहले से आरम्भ हो गया। यह सही है कि भारतीय समाज अपने राज्यकर्त्तार्वार्ग के सदा ही अपने नियन्त्रण में और मर्यादा में रखता रहा है। इसका मुख्य आधार भारतीय जीवनदृष्टि में और उससे प्रेरित हमारी व्यवस्थाओं में ही विद्यमान रहा है। किंतु एक तरह के काम को या संस्थाओं प्रवृत्तियों को प्रमुख मानकर अन्यों को उनके ही अनुरूप तथा अधीन बनाने के योग्य मान पाना भारतीय जीवनदृष्टि में मान्य नहीं रहा है। अतः राज्यकर्त्तार्वार्ग को अपने स्थान पर अपनी मर्यादा में ही प्रतिष्ठा देने का भारतीय समाज अच्छास्त रहा है।

किंतु दूसरी ओर सैन्य-आक्रमण की स्थिति में प्रतिक्रिया का सीधा भार जिस सेना पर आ पड़ता है उस सैन्यशक्ति के बारे में शायद भारतीय समाज एक विशेष काल-खण्ड में पर्याप्त व्यान नहीं दे पाया। इसका भी प्रमुख कारण यही दिखता है कि विश्व में ऐसे समूहों समाजों और संस्थाओं तथा आदर्शों के चलते और विस्तार के बारे में भारतीय मनीषा बहुत कुछ अनजान रही जो दूसरे मनुष्यों और समाजों का विष्वस या उन्हें पूर्णत अधीन बनाकर उनका अपने अनुरूप रूपातरण करना अपना परम पुरुषार्थ या परम कर्त्तव्य मानते हैं और इसी में जीवन का वैभव देखते हैं। भारतीय दृष्टि ऐसे लक्ष्यों एवं दृष्टियों में जीवन का तिरस्कार मानती है और उसे अनुषिष्ट समझती है।

भारतीय मनीषा में अपनी विकल्पदृष्टि के कारण स्वयं को ही परिष्कृत सुरासूख बनाये रखने की साधना करते रहने का स्वधर्मभाव प्रबल रहा। किंतु किसी कारणवत्त परधर्म का बाहरी विश्व का पर्याप्त ज्ञान शायद आवश्यक नहीं समझा गया। ऐसी जानकारी के विस्तार को शायद व्यर्थ या उपेक्षणीय माना गया। सभवत इसी कारण अपने सैन्यवत्त से विश्वविजय एवं विश्वविष्वस के लिए तत्पर और सदिक्य समाजों या समुदायों का सामना करने योग्य आवश्यक सैन्यशक्ति का सम्भावना और सम्भवन की ओर भारतीय समाज व्यान नहीं दे पाया। मूलत यह भारतीय मनीषा की एक विफलता है। उस विफलता के लिए म्लानिभाव या हीनभाव की आवश्यकता नहीं। किंतु उसे जान समझ लेना आवश्यक है।

ऐसा लगता है कि अपनी इसी स्थिति के कारण भारतीय समाज आक्रमणकारियों को परास्त कर उन्हें लौटने को विवश कर देना अथवा समाज के एक अंग के रूप में घुलमिलकर रहने देना तो जानता रहा है। विन्तु यदि स्थायी आक्रमणभाव से राष्ट्र शत्रु लये समय तक देश के भीतर जमा टिका रहे और युद्धरत रहे तथा अधिकांश भारतीय समाज को विनष्ट करने और अवशिष्ट समाज को अपने

अनुरूप रूपातरित करने की दीर्घकालीन वैरनीति पर चल रहा हो तो ऐसे आश्रमणकारी का सामना करने की क्या-क्या नीतिया उपाय और व्यवस्थाएं हो सकती हैं इस पर शायद भारतीय मनीषा ने अभी तक पर्याप्त विमर्श नहीं किया है।

सभवत इसी कारण हम देखते हैं कि चाहे विजयनगर राज्य हो या मराठा राज्य या राजस्थान के राज्य किसी ने भी इस्लाम के अनुयायियों के आक्रमण के निहितार्थों पर विस्तार और गहराई से समीक्षा की हो विश्लेषण किया हो उसके सदर्भ में दीर्घकालीन नीति निर्धित की हो ऐसा नहीं लगता। इसी प्रकार पुर्तगाली डच फ्रेंच अग्रेजों के आने पर और भारतभूमि पर स्वय को स्थापित करने पर इसके निहितार्थों का विचार भारतीय हिन्दू या मुस्लिम राज्यों ने किया हो ऐसा नहीं दिखता। जहांगीर ने तो पुर्तगालियों के विरुद्ध अग्रेजों की मदद भी स्वीकार की और विजयनगर के राजाओं और मराठों ने यूरोपीयों से तरह-तरह की सैनिक सहायता अपने लडाई झगड़ों के समय प्राप्त की यह तो हम सब जानते हैं। यह नहीं की हमारे समाज को धर्म और स्वधर्म का बोध नहीं था या कि अपने पुन उत्कर्ष आत्मगौरव और सफलता की इच्छा नहीं थी। पर शायद यह कह सकते हैं कि परधर्म का ठीकर्णीक ज्ञान नहीं था उसके रूपों और अभियाक्तियों की पर्याप्त जानकारी नहीं थी। आगे कभी पिंज वैसी ही नई नई चुनौतिया आ जाएं और नये आक्रमण होते रहें तो क्या करना है इसकी कोई राष्ट्रीय तैयारी कभी नहीं हुई। उसका प्रयास भी हुआ नहीं दिखता।

ऐसा न होने के कारण हमारे अभिजनों और राज्यकर्ताओं का विदेशी आक्रमकों से रिश्ता प्रगाढ़ होता गया। समय समय पर वे उन पर निर्भर ही रहने लगे और इस प्रक्रिया में स्वय अपने समाज के प्रति उनका आत्मभाव समाप्त होता गया परभाव आता गया। इस स्थिति की ओर शायद संयेत रूप में कभी ध्यान ही नहीं जा पाया।

ऐसी विखणन की स्थिति में अग्रेज भारतीय समाज को विशेषत उत्तर भारत में पूरी तरह अपने नियन्त्रण में लेने में सफल हो गये। जैसा कि हमने विचार किया है हमारी इस विफलता का कारण आक्रमकों की तुलना में अपने समाज में विषमता की अधिकता या शिक्षा की कमी या विज्ञान-प्रौद्योगिकी का अभाव या सामाजिकता का अभाव अथवा मानवीय गुणों की विशेष कमी नहीं थी अपितु एक विशिष्ट राजनैतिक युद्ध का और आवश्यक धौर्द्धक-राजनैतिक निर्णयों का अभाव था।

अग्रेजी आक्रमण के बाद भारतीय अभिजनों के एक बड़े वर्ग में अपने समाज से और अधिक विलगाव आता गया तथा आक्रमकों के प्रति और अधिक दास्यभाव आता गया। अग्रेजों को सामाजिक विच्वस तथा बलात् सामाजिक रूपातरण का जन गण को

दास बनाने का बहुत लम्बा अनुभव था। और इसमें दक्षता थी। अत उन्होंने भारतीय विद्या विज्ञान संस्कृति धर्म शिल्प कला साहित्य कृषि समेत समस्त साधनों एवं जैव द्रव्यों (बायोमास) तथा वौद्धिक आध्यात्मिक प्रवृत्तियों को अपने नियन्त्रण में लेकर उन्हें अपने अनुलेप डाला। जितना विष्वस और जैसा रूपातरण आवश्यक समझा किया। उस हेतु हर क्षेत्र में नई व्यवस्थाएं बनायी ताकि एक सीमित राज्यकर्ता समूह को वौद्धिक-राजनीतिक-सास्कृतिक क्रियाशीलताओं का अधिकार रहे और शेष समाज दासों या भेड़ों या द्रव्य-राशि (मैस) की तरह रहे। इसमें शायद यह विचार भी निहित रहा होगा कि बृहत् समाज की जनसत्त्वा इतनी नियत्रित स्खी जाय साकि उसे आगे घलकर कभी अच्छी तरह पाला पोसा जा सके पशुओं की तरह उनका ठीक से पालन पोषण हो और अपने प्रयोजनों के लिए उनका उत्तम औजार के रूप में समुद्दित प्रयोग किया जाता रहे तथा वे सम इसी में अपनी धन्यता अपनी सार्थकता अनुभव करें। जैसी कि पहले घर्षा हो चुकी है यूरोप में शताव्दियों से ऐसा ही होता रहा था। भारतीय संस्कृति की भी एक ऐसी व्याख्या और छवि प्रस्तुत की जाय कि आधुनिक यूरोपीय संस्कृतिका एक 'टूल' एक औजार बनने में ही उसकी प्रासारिकता और सार्थकता दिखाने लगे यह प्रयास एवं विचार रहा दिखता है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति आधुनिक यूरोपीय संस्कृति का एक उत्तम सेवक या परिष्कृत औजार के रूप में स्वास्थित और व्याख्यायित कर दी जाय तथा इसी में उस संस्कृति का गौरव और धन्यता मानी जाय यह योजना रही है। इसके लिए व्यक्ति गई संस्थाओं और व्यवस्थाओं का पर्याप्त प्रभाव हुआ। हमारे समर्थ सपूत्रों और सुपुत्रियों तक में उसके प्रभाव देखे जा सकते हैं।

लेकिन यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि यह कोई भारत की ही अनूठी स्थिति नहीं है। पराजय की दशा में हर समाज में सरह-तरह से खिराव आता है टूटन आती है विकृतिया आती है। फिर साधना और तप से समझ और पुरुषार्थ से समाज पुनर्स्वस्थ हो सकता है तथा उत्कर्ष प्राप्त कर सकता है। पराजय विकृति या रोगों का ही स्मरण यज्ञों रहना स्वास्थ्य लाभ में बाधक बनता है। उसका निदान कर लेना पर्याप्त है। फिर उसके प्रभावों को दूर यज्ञों में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। विगत का शोक और हीनता का भाव समाज को स्वस्थ होने देने के मार्ग में यद्दी बाधा है।

विक्ष के सभी समाज पराजित भी होते रहे हैं। स्वयं ग्रिटेन इतिहास में यारह्यी शताव्दी तक बार बार पराजित हुआ। यारह्यी शती ई में नोर्मनों ने ग्रिटेन के उत्कर्षीन समाज को परास्त कर व्यस्त कर दिया और उस विष्वस में से ही अपना सशवेत राज्य रचना शुरू किया। मुख्यत उरी आधार पर ग्रिटेन तप से अप तक टिका हुआ है। सरा

भी बार बार पराजित होता रहा। आज वह विश्व की एक महाशयित है। मध्य एशिया के लोगों का तथा नार्मनों का आक्रमण रूस को शताव्दियों तक झेलना पड़ा लेकिन उसमें से वह उभर आया। चीन पर भी मध्य एशिया के विविध समुदायों के आक्रमण हुए और सन् १८०० ई के बाद तो यूरोप ने चीन को घेर ही लिया और सौ - सवा सौ वर्ष तक अपने आधिपत्य में रखा। आज धीन अपनी सम्पत्ता का पुन संगठन कर एक बड़ी शक्ति के रूप में उठा है। दक्षिण यूरोप के अनेक देशों पर एक समय इस्लाम का आधिपत्य रहा और वे उसके द्वारा अधीन रखे गये। बाद में बहुत कुछ इस्लाम की ही तरह वे स्वयं विश्व में अपना साम्राज्यवादी विस्तार करने लगे। इस अर्थ में शायद ब्रिटेन व यूरोप का उदाहरण भारतीय समाज के स्वास्थ्य लाभ के सदर्म में अप्रासाधिक है। किन्तु इस तथ्य का तो स्मरण कर ही सकते हैं कि १६ वीं शती ई के बाद अन्य समाजों को पराजित करने वाले यूरोपीय राज्यकर्ता समुदाय उससे पहले स्वयं शताव्दियों तक पराजित होते रहे थे।

सभवत जापान का उदाहरण भारत के लिए और अधिक उपयोगी हो। लगभग १५५० ई से वह पुर्तगाल और हालैंड के व्यापारी तथा जेसुइट मिशनरी जाने लगे। ऐसा कहा जाता है कि ५० वर्षों के भीतर जापान में पाँच लाख लोगों को ईसाई बना डाला गया। तब जापान सजग हुआ। उसने पुर्तगाल से सम्बन्ध तोड़ लिये। मिशनरियों को बाहर निकाला और आने से रोका। मात्र छठों को १८६० ई तक कुछ यदरगाहों वैराग्य में आने-जाने दिया। अपने मतलब का सपर्क रखा। ऐसा कहा जाता है कि इस इतने सपर्क के द्वारा ही जापान ने अपने द्वंद्व से यूरोप को यूरोपीय मुद्रि को समझ लिया। माना जाता है कि जैसे कैमरे का 'एपरघर' पूरी तरह तस्वीर ग्रहण कर लेता है वैसे ही जापानियों ने इस सीमित सपर्क से यूरोपीय व्यवित्तत्व को जान लिया और उसमें से उन्हें जो ग्रहण करने योग्य लगा वह ग्रहण कर लिया तथा आत्मसात् कर लिया। इस प्रकार विखरता व सिफुङ्हता जापान फिर से एक सपन्न सबल देश बनने लगा।

फिर सन् १८८४ ई में जापान में तीस खड़ों वाली एक दसवर्षीय योजना यनी। इस योजना का नाम था 'कोम्यो आइकेन'। इसमें कहा गया -

'जापान के उद्योगों के निर्माण में किस बात को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए। वह न तो पूँजी हो सकती है न ही नियम-व्यवस्थाएँ, क्योंकि ये दोनों भूत वस्तुएँ हैं। इनमें स्वयं प्राण नहीं हैं और ये स्वतं प्रभावशाली नहीं हैं। आत्मशयित एवं इध्या इन दोनों को गतिविधि बनाती हैं। ... यदि इनके प्रभाव के सामर्थ्य के अनुलेप हम तीनों को महत्व दें तो आत्मबल और इध्या को पाँच भाग प्राप्त होगा। विधान एवं नियम

व्यवस्थाओं को घार भाग तथा पूँजी को केवल एक भाग।

हम आज देखते हैं कि आत्मबल एवं इच्छा तथा सदनुरूप खड़ी की गई व्यवस्था के बल पर जापान सशक्त बनकर उभरा। वस्तुत ये नियम सार्वभौम ही हैं। भारत में भी यही मान्यता रही है। क्रियासिद्धि साथ से होती है 'उपकरण से नहीं' जैसी अनेक सूक्षिण्या प्रसिद्ध हैं। 'खुवश' और 'मुद्राराखस' में भी ऐसे कथन हैं। यूरोप भी जब खड़ा हुआ होगा और फैला होगा तो इन्हीं नियमों से। उन नियमों की अभिय्वित उसने अपनी दृष्टि के अनुरूप की। जब यूरोपीय समाजों ने फैलना शुरू किया तो उनके पास साधन विशेष नहीं थे। न शिक्षा न विज्ञान न प्रौद्योगिकी न कृषि न शिल्प। दूसरों की तुलना में उनके पास ये कोई विशेष अधिक नहीं थे। उत्पादन और पूँजी भी अन्य समाजों से अधिक नहीं थी। किन्तु उन्होंने सकल्पबल (स्प्येरिट) और इच्छाशक्ति के साथ संगठित ढंग से फैलना शुरू किया। वैसी व्यवस्था बनाते गये तथा पिछे साधन भी जुटते गये। विश्व के सभी समाजों तथा व्यक्तियों के लिये ये नियम सामान्य हैं।

भारत में गांधीजी ने जब समाज का पुनर्संगठन शुरू किया तब भी यही प्रक्रिया अपनायी। उन दिनों हम में हीनता गहरी आ गयी थी साधन छीने जा चुके थे समाज को दरिद्र-क्षणाल बनाया जा चुका था। गांधीजी ने आत्मबल एवं इच्छाशक्ति से समाज को संगठित करना प्रारम्भ किया तथा समाज के आत्मबल और इच्छा को बढ़ाया। उसके लिए आवश्यक वैसे संगठन खड़े किये जैसे कि उन दिनों समझ थे। तथा साधन भी जुटने से और स्वतंत्रता के लक्ष्य की ओर बढ़ना भी समझ द्युमा।

इसीलिए अपनी पराजय को लेकर क्रन्दन या विलाप या शोक करते रहना यद करना होगा। विश्व के सभी समाज जब पराजय के अलग अलग क्रमों से उतार घाड़ाय से गुजरते रहे हैं। हम अपने को बहुत अलग अनोखा या घटुत विशेष हीन न मानें।

हमारी सम्पत्ति की स्थिति सो कई तरफ से बेहतर है। हमारी अपनी विशेषताएँ भी हैं। पिछले पाँच हजार और उससे भी अधिक समय से हमारा समाज अधिकांशत उन्हीं जनराम्भों का रहा है जो तथ से अब तक पीढ़ी-दर-पीढ़ी इसी भूमि पर रहते आये हैं। अनेक देशों में तो आक्रमन्ता समुदाय ही शासक बन गैठे और पुरातन समाज को आत्मसात् कर लिया। हमारे यहाँ वैरी स्थिति नहीं आई। आक्रमकों का प्रभाव सो पहा पर छतना नहीं कि हम पूर्णत रूपात्तिरित हो उनके औजार हो जाए। हाँ हमारे अभिजातवर्ग या राज्यकर्ता एवं शक्तिशाली वर्ग में अवश्य पिछले ८००-९००० मरण में गठमधन की प्रवृत्ति प्रबल रही। समाज रो वै अधिकाधिक कट्टो गये। पर अभी भी भारतीय समाज की अपनी परम्परा प्रवाहित है। वह समाज अपनी अभिय्वित विविध

स्लोगें में करने का प्रयास भी करता रहता है। यह सही है कि अंग्रेजी राज्य के समय हमारे अभिजनों में हीनता बहुत गहरी होती गई और अपने इतिहास तथा वर्तमान तक को ये अभिजन अंग्रेजों की ही दृष्टि से देखने में धन्यता का अनुभव करने लगे। तब भी इनमें से जो सपूत्-सुपुत्रिया आगे आये उनमें देशभक्ति भरपूर थी और अपनी बुद्धि के अनुरूप उन्होंने देश को सुदृढ़ बनाने की इच्छा रखी और प्रयास किये।

द्रष्टा समाज प्रार्थना समाज जैसे ईसाइयत से अभिमूलत प्रयासों के पीछे भी शायद दृष्टि यही रही कि एक सुदृढ़ भारत का निर्माण करना है। यह अवश्य रहा कि देश की यह कल्पना इन लोगों के भीतर यूरोपीय ही रही। देश के लोगों के प्रति उनमें आत्मभाव नहीं रहा। तरस या दया का अथवा दुख-दोष का तथा करुणा का भाव प्रभुख रहा और देशवासियों के कल्याण के लिए उनका रूपातरण आवश्यक लगता रहा। यह दृष्टि रही कि वे हमारी योजना में सहमागी हों उसके अश बने तभी उनका कल्याण है। देशवासी स्वयं जो सोचते हों योजना बनाते हों उसका महत्व इन लोगों की दृष्टि में नगप्य ही रहा।

विवेकानन्द जैसी प्रतिभा इनसे भिन्न थी। उनमें भारतीय लोगों के प्रति गहरा ममत्व था आत्मीयता थी। उनकी दुर्दशा पर गहरी यत्रणा थी वेदना थी विक्षोभ था पीड़ा थी। वे इस दुर्दशा का अत चाहते थे। इस हेतु व्यग्र थे। किन्तु अपने बगाली परिवेश और बगाल के नवप्रबुद्ध वर्ग की स्सकृति से भी वे स्वामाधिक ही प्रभावित रहे। राजेन्द्र लाल मित्र जैसे आधुनिक बगाली विद्वानों की इतिहासदृष्टि को उन्होंने इतिहास तथ्य मान लिया। इस प्रकार इतिहास का भ्रान्त ज्ञान उन्हें व्याप्त किये रहा। भारत को शताङ्कियों से दरिद्र विषमताग्रस्त विज्ञानविहीन प्रौद्योगिकी रहित तथा भारत के बृहत् समाज को शिक्षा रहित असमृद्धि पिछड़े मानने वाली इतिहासदृष्टि का प्रभाव उन्हें बाधे रहा। निश्चय ही आयु भी इसमें एक कारण थी। विवेकानन्द में प्रमल प्रतिभा थी और यदि वे तीस-घालीस वर्ष और जीवित रहते तो शायद यहुत कुछ समझ लेते तथा सम्झाल लेते। यूरोपीय इतिहासदृष्टि का ऐसा ही प्रभाव यकिम इत्यादि पर भी दिखता है। यकिम के समय से लेकर अब तक शिक्षित वर्ग में यह प्रभाव बढ़ा ही है यह तो हम आज देखते ही हैं।

स्वामी दयानन्द जैसे लोगों की अलग पृष्ठभूमि रही। दयानन्द अपने सीमित परिवेश के प्रभाव से बहुत दिनों बँधे रहे। भारतीय किसानों एवं ग्रामीणों की जीवनदृष्टि और समाजदृष्टि से उनका अपरिचय रहा। पूजापाठ करने व शास्त्र वैरह पठने-पढ़ाने वाले समुदाय से ही अधिक परिचय रहा। फलत प्रगाढ़ देशप्रेम एवं सस्कृतिप्रेम होने पर

भी वे यूरोपीय मनीषा और भारतीय मनीषा के आधारमूल अन्तरों को यहां नहीं पाए। किन्तु वे एक परिश्रमी और कुशल सगठक थे। सथम और तप से सम्पन्न इनके जीवन ने अनगिनत लोगों के सस्कृतिप्रेम एवं आस्मांगैरव के भाव को प्रेरणा दी। लेकिन उनके जाने के बाद उनके मानने वाले प्रमुख व्यक्ति अधिकाशत परिमीकृत थे।

इसके पहले जो भक्त सन्त हुए उन्होंने समाज की कमियों और शवित को अपने छग से समझा था। समाज को सगठित करने के उन्होंने अनेक प्रयास किये और उन प्रयासों का परिणाम भी हुआ। वसदेवर कमीर रविदास दादू भीरा तुलसी सूर नामदेव तुकाराम ज्ञानदेव जैसे सन्तो-सिद्धों ने भारतीय समाज को पुनर्स्सगठित करने के अनेक उपाय किये। उनका कुछ प्रभाव भी हुआ। परन्तु सामाजिक दृष्टि से उच्चरी भारत में किसी भी सन्त का प्रभाव यहा के शवितशाली स्थदेशी अभिजनों में पर्याप्त रहा नहीं दिखता। उच्चरी भारत के अभिजन विदेशी आक्रमकों के प्रति दास्यभाव में अधिक दैंद्य गये दिखते हैं।

अग्रेजी राज में तो ऐसा अभिजन-समूह अधिकाधिक शवितशाली यना और अपने समाज से अधिकाधिक कट्ठ हुआ भी। इसकी परिणति जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्ति में हुई। ये परिमीकृत अभिजन यूरोप के अधिकाधिक सम्पर्क में आते गए। विशेषकर इर्लंड के। वही पढ़ने व सीखने जाने लगे। इससे परिम के प्रति लगाय और परिम के अनुकरण की प्रवृत्ति बढ़ी। इन लोगों में राष्ट्रवाद था वे राष्ट्रको सुझौ देखना चाहते थे। ये अग्रेजों से भारत को छुटकारा भी दिलाना चाहते थे। यह छुटकारा फैसे मिले यह प्रश्न था। साथ ही उनके जाने के बाद यहा की जीवनव्यवस्थाएं बेत्ती हों यह 'मॉडल' निश्चित करने का प्रश्न था।

अग्रेजी शिक्षा और यूरोपीय सम्यता से प्रभावित समूह इन प्रत्रों का योई वास्तविक उत्तर नहीं ढूढ़ पाये। अग्रेजों के अधिक सम्पर्क से इन्हें लगा कि हम भी भारत में इनकी जगह ले सकते हैं। अत अंग्रेज जाए इसके लिए तो इनमें व्यग्रता बढ़ी। किन्तु साथ ही उनकी जगह स्थय लेकर भारतीय समाज को दैसे ही घलाने की ललक भी बढ़ी जैसे कि इनकी समझ से अग्रेज घला रहे थे। जीवन वा सम्यता और समाज व्यवस्था का वही 'मॉडल' इन्हें सार्वभौम लगता था। उससे छुटकारे की वे वस्तुना तक नहीं पहर पाते थे।

उस 'मॉडल' से छुटकारा पाने की आवश्यकता गाधीजी को लगी। इसीलिए ये एक ऐसी व्यवस्था की भी लपरेखा प्रस्तुत कर पाए जो अग्रेजों के जाने के बाद भारतीय समाज एवं राज्य के सम्बन्ध का आधार बनती। गाधीजी परिम को भी छीक से रामज्ञ

पाए और अपनी चिन्तन-परम्परा जीवन-दृष्टि परम्परा से भी कटे नहीं। यह कैसे हुआ इसका ठीक ठीक कारण तो ज्ञात नहीं। शायद काठियावाड रियासत के परिवेश के कारण और साथ ही किसानों के सस्कार बुद्धि आदर्शों आकाशों से परिव्रय के कारण थे ऐसा कर पाए या अन्य कई कारण रहे होंगे। शायद वे अवतारी प्रतिभा थे। जो भी हो आधुनिक यूरोप की ठीक ठीक पहचान के साथ ही थे अपनी भारतीय बुद्धि खो देने से भी बधे रह पाये यह बड़ी बात है और इसी कारण उन्होंने जो भी संस्थायें और व्यवस्था बनाई जैसे अखिल भारतीय कांग्रेस का विद्यान उसमें वही परम्परागत भारतीय बुद्धि और व्यवस्था ले आये।

गांधीजी के पहले कुछेक सौ वर्षों से भारत में मानो क्षेत्र या अश्विनी के ही प्रतिनिधि नेता उभरते रहे। गांधीजी सम्पूर्ण समाज के नेता बने। उनमें कई सौ वर्ष बाद पहली बार सम्पूर्ण समाज ने अपनी अभिव्यक्ति पाई। इसी को शायद हमारे यहा अवतार कहा जाता है। गांधीजी ने भारतीय परम्परा की पुनर्प्रतिष्ठा की। ऐसा नहीं है कि उन्हें समाज की कमिया नहीं दिखती थीं या पुरुषार्थ और सृजनशक्ति में आ गई कमी नहीं दिखती थी। वह सब दिखता था। पर साथ ही उन्हें इस समाज की शक्ति इसका शील इसकी सृजनात्मकता भी दिखती थी। इसकी अपनी जो बोध परम्परा पुरुषार्थ परम्परा जीवन परम्परा थी उसका महत्व भी उन्होंने समझा। गांधीजी ने उसे ही वापस लाने का प्रयास किया। परम्परा को नयी अभिव्यक्ति दी। इससे समाज का भय मिटा हीनता घटी आत्मबल जगा और रचना की इच्छा जगी। यही गांधीजी का मुख्य सामाजिक योगदान है कि उन्होंने भारतीय समाज के विद्यास को फिर से प्रतिष्ठा दी शक्ति थी प्रत्यावर्तन किया। भारतीय जीवन-दृष्टि भारतीय सम्यता के अनुरूप व्यया समाज व्यवस्था राज्य व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाएं हो सकती हैं इस पर सोचने के आत्मविद्वास और इच्छा को गांधीजी ने जागृत किया और इससे भारतीय समाज में शक्ति की अनुभूति होना आरम्भ हुआ। गांधीजी ने परम्परागत 'मॉडल' की पुनर्रचना की योशिश की। उससे पूरे देश में प्राण का आत्मगैरव का और सृजनशीलता का पुनर्जनन की अपेक्षा थी। यूरोपीय सम्यता और भारतीय सम्यता के आधार लक्ष्यों कार्यपद्धति के अन्तर को समझकर उसे व्यापक बोध का आधार बनाने का प्रयास गांधीजी ने किया। सम्यता के इन आधारभूत अन्तरों को समझे मिना हम कुछ भी इय नहीं पायेंगे।

मानव जाति की विधि सम्यताएं रही हैं और हैं। इनके इतिहास और स्वरूप पर अनुसन्धान का कार्य लगातार चलता रहता है। मुख्यत तो हर समाज अपनी सम्यता की स्मृति अपने दग से जीवन्त रखता है और यह स्मृति ही सस्कार सकल्प प्रेय तथा

श्रेय रूपों में आकाशा और सर्जना के विविध पुरुषार्थ का आधार बनती है। इस स्मृति का छने रहना ही किसी विद्यार और व्यवहार को अधिग्रामाणित करता है। स्मृतिरहित कथन या विन्तन अधिग्रामाप्यरहित कथन या विन्तन हो जाता है। उसका वास्तविक बल नहीं रह जाता।

प्रत्येक समाज में स्मृतिरक्षा या स्मृतिप्रबाह की परस्परा भिन्न भिन्न होती है। स्मृति सकल्प बोध और लक्ष्य के विशिष्ट लक्षणों द्वारा ही किसी सम्यता की विशेष पहचान होती है। मनुष्य मात्र में कतिपय मूलभूत प्रेरणाएँ होती हैं। ये प्रेरणाएँ सार्वभौम हैं। इस स्तर पर सार्वभौमिकता या 'युनिवर्सेलिटी' आधारभूत तथ्य है। साथ ही प्रत्येक सम्यता में ऐसी प्रेरणाएँ विशिष्ट पुरुषार्थरूपों का आधार बनती रही हैं। समाज का जीवन समाज के आदर्श समाज के परस्पर व्यवहार विद्या सम्बन्धी बोध और विभाग विद्या की विविध शाखाओं अध्यात्म भाषा व्याकरण दर्शन शिल्प समुदाय कृषि आहार विहार भूषा भवन भोजन सज्जा शिट्टा आदि सम्बन्धी विद्यार और व्यवस्थाएँ कला सगीत नृत्य साहित्य कल्याण इतिहास या स्मृतिपरस्परा गणित विकित्सा जीवनविधि सम्बन्धित स्वास्थ्यविद्या या आयुर्विद्या विविध संस्कार अनुष्ठान घर घर की सुरक्षा घर का दैभव घर का परिवेश अपने पालतु प्राणियों तथा परिवेश के प्राणियों पशुपतियों आदि जीवों एवं वनस्पतियों के प्रति दृष्टि भाव तथा व्यवहार उपासना शिट्टाचार तथा अन्य पद्धों के अग्रभूत कर्मकङड राज्य राज्य व्यवस्था राजनीति रांत्र समाज के विविध समुदायों की स्थिति का निरूपण और उनके परस्पर सम्बन्धों के आधारों का निरूपण सैन्यविद्या एवं सैन्यादर्श सैन्य-भस-संगठन व्यापारवाणिज्य परिवर्त्यकर्म जन्म विवाह परिवार मस्लारी में परस्पर आदर या अनादर और समाज में ऐसी मान्यताओं का स्थान सतति आदि से सम्बन्धित श्रद्धा परम्पराएँ वीरता विनय और साहस सधा शिट्टा समझौता और सहनशीलता सम्बन्धी विद्यार और व्यवहार सौन्दर्य और कुलसत्ता सुरुचि और कुरुषि तथा शीत और स्वैराघार सम्बन्धी विशिष्ट बोध एवं मान्यताएँ मृत्यु तथा श्राद्ध परम्पराएँ ढठ और क्षमा सम्बन्धी विद्यार और व्यवहार आदि प्रत्येक सम्यता के विशिष्ट लक्षणों के यथा यथा कारण हुआ करते हैं यह निरन्तर अध्ययन अवधार और जिज्ञासा के विषय है। स्वयं इन लक्षणों की समझ का स्वरूप भी किसी सम्यता के ही विशिष्ट लक्षण समुदाय का अग होता है। अत ये विशिष्ट लक्षण अभिक से अधिक जानना ही किसी राम्यता को जानना है। उसके बिना मात्र सार्वभौमता को जानना वस्तुत सामग्री में जानने जैसा है। मात्र सार्वभौमता को जानना वैदिक तमस में प्रगुण

रहता है। जगत् गति का ज्ञान उससे नहीं होता। परागति के लिए जो तेजस घाहिए वह भी इस मूद्दसा की विच दशा में सम्भव नहीं होता। इस प्रकार विशिष्ट लक्षण प्रमाण-सयुक्त वस्तुतत्त्वों का विवेक ही धर्म के बोध का माध्यम होता है।

सम्यताओं के ये वैशिष्ट्य मात्र देश काल के भेद से नहीं होते। उन्हें मात्र भिन्नभिन्न देश-काल के प्रति एक ही सार्वभौम और एकलूप मानवीय धेतना की भिन्नभिन्न प्रतिक्रियाएँ या 'रेस्पासेज' मानना जीव की शक्तियों की अवहेलना करना है। रेस्पासेज स्मृति और सत्स्कार के आधार पर होते हैं। लेकिन स्मृति विशेष और सत्स्कार विशेष का एक दीर्घ विस्तृत एवं गहरा व्यापक प्रवाह होता है जो भिन्नभिन्न समाजों में भिन्नभिन्न होता है। स्वयं भाषा इन्हीं विशिष्ट प्रवाहों की बाहक होती है। अत भाषा सार्वभौमता का स्तर भाषा के परे का स्तर है। भाषा जिस स्तर से आरम्भ हो जाती है वही से सम्यता का वैशिष्ट्य भी प्रमुख हो जाता है। घट रही घटना और देख रही बुद्धि-दोनों जीव के स्तर पर साथ साथ हैं। इसीलिए किसी भी घटना क्रिया या वस्तु का बोध मात्र बाहरी वस्तुतत्र का परिणाम नहीं होता यह आन्तरिक विचतत्र का भी परिणाम होता है। हमारे यहाँ तो बाहर भी विच सच्चा मानी गई है। महाकवि सुलसीदास के शब्दों में अतरजामिहु ते बडा बाहिरजामी है राम। अत उस दृष्टि से वस्तु और विच का आम्बेकिट्व-सम्जेयिट्व वाले अर्थ में विभेद सम्भव नहीं। कह सकते हैं बाह्य वस्तुतत्र एवं आन्तरिक वस्तुतत्र दोनों ही प्रत्येक घटना क्रिया या भाव रूप के सन्दर्भ में साथ साथ हैं साथ साथ सक्रिय होते हैं। एक अर्थ में दोनों स्वायत व स्वप्रतिष्ठ हैं पर अधिक गहरे अर्थ में दोनों परस्पर आक्षित हैं एवं अभिश्व भी हैं। अत इसे ही यों भी कह सकते हैं कि बाह्य विचप्रवाह और आतरिक विचप्रवाह साथसाथ हैं प्रत्येक घटना क्रिया या भाव रूप के सन्दर्भ में दोनों का समान महत्व है।

इसीलिए मात्र देश काल का महत्व नहीं विच परम्परा का भी महत्व है यानी सम्यता विशेष का। प्रत्येक सम्यता की अपनी ज्ञान परम्परा विच परम्परा होती है। विच में विविध सम्यताएँ हैं और ये आपस में एक दूसरे को ऊंचा-नीचा श्रेष्ठ-निष्कृत देखती हैं या समान स्वतत्र अभियक्षितायों के रूप में देखती हैं या कि सागरीय वृत्तों की तरह देखती हैं-आदि भेद भी सम्भवित सम्यता की ही विशेषता होती है। निखित ही इस विच परम्परा में बहुत सी बातें सामान्य होती हैं। लेकिन बहुतसी विशिष्ट भी होती हैं। और ये विशिष्टताएँ ही किसी सम्यता का विशिष्ट लक्षण या गुणधर्म होती हैं। अत भारत और यूरोप को जानना दो भिन्न भिन्न सम्यताओं को जानना है। इन्हें किसी सार्वभौमता पर आश्रित के साथ जानने की चेष्टा पर बल देने से जान पाना असम्भव हो जायेगा।

यहा यह स्मरण स्वाभाविक है कि हजारों साल से दुनिया में विविध मानव जातियां विविध सम्यताएँ संक्षिप्त हैं। उनमें परस्पर आदान प्रदान भी होता रहा है प्रभाव ग्रहण करना और सम्प्रेषित करना निरन्तर चलता रहता है। पुरानी सम्यताओं में से घीन और भारत का उल्लेख किया जा सकता है जो अभी भी संक्षिप्त है। ये भी परस्पर प्रभावित होती रही हैं। यूरोप से भी इनका सम्बन्ध रहा है। आदान प्रदान कर रिश्ता भी रहा है। किन्तु साथ ही यूरोप की कुछ अपनी विशेषताएँ हैं। वे विशेषताएँ विगत ४००-५०० वर्षों में अपनी पराक्रांत पर पहुँची और उनसे इस पृथ्वी की सभी मानव जातियों प्रभावित हुईं। अनेक सम्यताएँ तो इस यूरोपीय प्रभाव से नह हो गई हैं। अनेक में अन्य तरह के परिणाम उभरे। इसलिए उन विशेषताओं का स्मरण आवश्यक है। हम इन विशेषताओं को अपने सन्दर्भ के साथ स्मरण करें तो अधिक सुगमता होगी।

सर्वप्रथम हम अपनी सम्यता की आधारभूत विशेषताओं का स्मरण कर लें क्योंकि उन्हें सामान्यत हम जानते हैं और वे हमारी प्रतिमाएँ हैं हमारी माप हैं। उनके प्रमाण से ही हमें अन्य विषयों की वास्तविक प्रमा यानी दोष सम्बन्ध है। इनका स्मरण इसलिए आवश्यक है क्योंकि जैसा हम देखेंगे हमारी सम्यता के इतिहास के उत्कर्ष और अपकर्ष स्वावलम्बन और अधीनता वैभव और अमाव सभी में इन प्रतिमाओं और प्रतिमाओं की निष्ठायिक भूमिका है। संकेत में इन्हें सात मुख्य आधारों के रूप में समझा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक आधार के कम से कम तीन पक्षों की सृति भी साथ साथ होती है। वैसे तो प्रत्येक आधार के अनेक पक्ष हैं -

- (१) सत्य ऋत सनातन धर्म।
- (२) अनन्तता वैदिक्य विविध धर्म।
- (३) अनन्त पथ अनन्त यज्ञ अनन्त लीला या माया।
- (४) त्रिविध शक्ति (सात्त्विक राजसिक तामसिक)
- (५) विवेक सर्कणा आमवधन।
- (६) कर्मफल कर्तव्य कर्म स्वधर्म।
- (७) अधिभूत

के तीन पक्ष।

यूरोपीय विरु परम्परा के ये

इनका विस्तार

मुख्य आधार दिखते हैं

(१) सत्त्वात्म

माध्यम

(२)

- (३) स्पिरिचुअलिटी जो सत्यदूत की शरण में जाने पर ही प्राप्त होना सम्भव है।
- (४) केथ जो स्पिरिचुअलिटी का संश्लेषण है।
- (५) लॉजिक और रेशनेलिटी। (भारतीय दृष्टि के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में विवेक शक्ति होती है जबकि लॉजिक और रेशनेलिटी विशेष प्रशिक्षण से ही सम्भव माने जाते हैं।)
- (६) फेट या डेस्टिनी। (भारत में इससे विपरीत भाष्य और कर्मफल की बात है जो व्यक्ति के अपने पुरुषार्थ का परिणाम है। फेट या डेस्टिनी पूर्व निर्धारित होते हैं।)
- (७) मैटाफिजिक्स जो इन सबका नियामक है।

ग्रीक काल से ही यूरोपीय सम्यता इन्हीं आधारों पर टिकी रही है। हर धारा में असहमतिया एवं विद्वोह उभरते हैं। अत यूरोप में भी उभरते रहे। पर कोई भिन्न प्रवाह वहा झात इतिहास में उभरा नहीं दिखता। अनन्तता का बोध जहा अनन्त सागरीय वृत्तों के बोध की ओर ले जाता है वहीं सत्यदूत द्वारा अनुशासित 'मैटाफिजिक्स' एक विशिष्ट उद्यावधक्षम युक्त समाजपद्धति को जन्म देती है। इसीलिए ग्रीक सम्यता के काल से ही वहा दास प्रथा पर आधारित समाज रहा। यहा समता-विषमता वाली बात नहीं की जा रही है। कुछ न कुछ विषमता अधिकारों और स्रोतों सम्बन्धी विषम आचार-व्यवहार सम्पूर्ण विश्व में रहे हैं। अत भारत में भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में सम्पन्नों ने विषमों के प्रति मात्र करुणा ही की। निव्य ही मारा-पीटा लूटा तभी विषमता सम्भव हुई। अपने अधिकार अधिक रखना सचारूढ़ लोगों की प्रकृति है और वह भारत में रही। अपने ही लोगों के दमन-उत्पीड़न अधीनता में रखने परमाव से देखने और व्यवहार करने के भारतीय इतिहास में भी साक्ष्य मिल जायेंगे। अधर्म और अनौधित्य से पूर्णत रहित कोई समाज शायद ही रहा हो।

अपनी अनुचित और अदर्मस्य अभिव्यक्तियों को धर्मनुकूल बताने की प्रवृत्तिया भारत में भी मिलेंगी। विन्तु बहुत थड़े पैमाने पर विशाल जनगण को दास बना रखना और इसी में परम श्रेष्ठता मानना मुख्यतः यूरोपीय परम्परा है। दास बनाने को इतना गरिमामहित और कहीं नहीं किया गया।

थोड़े से लोग मुख्यतः एक व्यक्ति चिन्तक उद्धारक पैगम्बर या मसीहा और उसके अगरूप सधे सेवक उन्हें मिलाकर बनी संस्था या निकाय ये ही सत्य और सकृति के बाहक होते हैं। उन्हें सत्य की सेवा में विशाल जनगण को नियोजित रखना

धाहिए। इन जनगण को जहा तक सम्भव हो सुप्रबन्ध में रखना धाहिए ताकि उनसे निश्चित प्रयोजन के लिए सक्षम ढग से काम लिया जा सके। ऐ एक चुस्त औंजार का काम कर सकें। इसी में उन सबका उद्दार है मुकिस है सार्थकता है। इसी उद्दार के लिए विशिष्ट सम्बन्धों को पृथ्वी पर काम करना है। यही उनका स्वामायिक अधिकार और कर्तव्य है। यह सुनिश्चित एवं प्रतिष्ठित यूरोपीय दृष्टि है। आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी इसी लक्ष्य को अपने ढग से पाने का प्रयास करती है। विश्व का समस्त जैव द्रव्य (बायोमास) अपने नियन्त्रण में रखने का दायित्व यूरोपीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी का है। विश्व के समस्त विवार अपने व्यवस्था क्रम के अन्तर्गत रखने का दायित्व यूरोपीय दर्शन और मानविकी विद्याओं का है।

इस प्रकार ये दो भिन्न भिन्न सम्यतादृष्टियाँ सम्यतादोष सम्यतानीति तथा सम्यतालक्ष्य हैं। भारत में दोनों का प्रभाव है। एक सीमित शक्तिशाली वर्ग यूरोपीय दृष्टि को मानता है। मृहृत् समाज भारतीय सत्कारों वाला है। इनकी परस्पर टक्कराहट है और एक दूसरे की अवहेलना की प्रवृत्ति भी यन गई है।

अवहेलना और टक्कराहट की यह स्थिति दूर करनी होगी। हमारे समाज की एकता और अखण्डता के लिए उसके जीवित व प्राणवान रहने के लिए तथा विश्व में अपना स्वधर्म निभाने के लिए यह आवश्यक है कि टक्कराहट और आत्मविरोध की यह स्थिति समाप्त की जाय। अभी की स्थिति चलने वाली नहीं।

भारतीय समाज आज दो भागों में विभक्त है यह यथार्थ स्थिति है। इसे अस्वीकार करने से लाभ नहीं। अत इनमें परस्पर सम्बन्ध क्या हो यह निश्चित करने की आवश्यकता है। यहा रहना सो दोनों को है। क्योंकि दोनों यही के हैं। यह देश दोनों का है। मृहृत् भारतीय समाज का तो है ही परिमीकृत भारतीयों का भी है।

परिमीकृत भारतीयों में हमारी आज की सभी सांगठित पार्टियाँ हैं विशेषत इनके शीर्षस्थ नेता हैं। उन्होंने परिवार का ही 'मॉडल' अपना रखा है कि देश के बारे में सोधने का सामर्थ्य हम थोड़े ही सोगो में है। हम राजनीति-वैज्ञानिक हैं। यह समाज हमारे वैज्ञानिक प्रयोगों और वैज्ञानिक प्रबन्ध के लिए है। इस समाज को रूपान्तरित करना है तभी वह वैज्ञानिक प्रबन्ध के योग्य बनेगा। पार्टी का फैजर रूपान्तरण की इस वैज्ञानिक प्रक्रिया का उपरेक है 'कैटलिटिक एजेंट' है। मासिज' (masses) का स्पान्तरण होना है।

इस दृष्टि के पोषण हेतु आधुनिक विद्यासंस्थाएँ हैं जो यूरोपीय 'मॉडल' पर रची गई हैं। विविध अकादमियों परिपर्दे विद्यासंगठन मिलाकर एक पूरा तन्त्र रखते हैं जो

रुपान्तरण का बौद्धिक सास्कृतिक परिवेश स्वने एवं प्रशिक्षण देने का दायित्व निभाते हैं। हमारे अधिकाश आधुनिक शिक्षाविद्, अकादमीशियन आधुनिक विद्वान् लेखक आदि इस पश्चिमीकृत हिस्से का विद्या अग है। आधुनिक अशासकीय संस्थाएँ भी इसी अग में आती हैं।

पर्यावरण के लिए आधुनिक ढग से काम करने वाले उन्नत कृषि सामाजिक वानिकी बजर भूमि विकास आदि के लिए कार्यरत अनेक संगठन भी पश्चिमीकृत वर्ग की नैतिक शाखाएँ बनते जा रहे हैं।

आधुनिक राज्य तत्र के दो-दाई लाख व्यक्ति पश्चिमीकृत वर्ग की प्रशासनिक शाखा है जिन्हें यूरोप की भाषा में भारत का 'अफिसर वलास' कहा जा सकता है।

सन् १७५० से १८५० ईस्वी तक तो भारत में व्यवस्थाओं खेती व शिल्प उद्योग आदि के तत्र और सामाजिक शैक्षणिक व सास्कृतिक संस्थाओं के बिगड़ने का समय ही रहा। अंग्रेजों ने इन सौ वर्षों में जो स्थापित भी किया उसका ध्येय केवल भारत पर विजय प्राप्त करना भारत के जनमानस को दासता में बाधना और भारत से हर सरह से जितना भी धन व पैदावार ले जायी जा सके उसको सीधे व मिश्र मिश्र रास्तों से यूरोप पहुंचाना था। सन् १८५० ई तक भारत की व्यवस्थाएँ तत्र व संस्थाएँ उजड़ ही गयी थीं। जहाँ कहीं कुछ बची थीं तो वह बदना या तो सिसकने जैसा था या वह एक तरह के अटूश्य (अप्टर्याउड) स्तर पर ही रहा।

सन् १८५० के बाद भारत की स्थिति अधिक बिंगड़ी। जिसका परिणाम यह भी होने लगा कि खेती की पैदावार घटने लगी लोगों की खपत की शरित नहीं के बराबर रह गयी और हर जगह भुखमरी दारिद्र्य व कमाली दिखने लगी जिससे लोगों में इंगिश राज्य के प्रति अरुणि और क्रोध बढ़ता ही गया। ऐसी ही स्थिति में अंग्रेजी राज्य ने भारत में यूरोपीय तरीकों के माध्यम से यातायात उद्योग व खेती में भी नयी व्यवस्थाएँ व तत्र खड़े करने के प्रयास प्रारम्भ किये। इन प्रयत्नों में से रेलें निकली डाक-तार व्यवस्था बनने लगी कुछ पक्की सड़कें बनीं और कुछ यूरोपीय ढग से कपड़े व शक्फर इत्यादि बनाने के कारखाने बनने शुरू हुए। यूरोप में १९०० ईस्वी के फरीद या उसके बाद से बिजली व पेट्रोल से घलने वाली मोटर लारी ट्रक इत्यादि आरम्भ होने पर इनका भी भारत में प्रसार हुआ। इसी समय कुछ लोहे व इस्पात के यूरोपीय ढग के कारखाने भी स्थापित हुए १९४७ ईस्वी तक कपड़े व शक्फर बनाने के कारखाने तो भारत में काफी बनाये जा चुके थे। सन् १९३६-१९४५ के यूरोपीय युद्ध के समय कुछ बन्दूक यारम्ब इत्यादि के कारखाने भी बने। इन-गिने ट्रैक्टर व कुछ रासायनिक

उर्वरक भी १९४७ ईस्वी तक भारत में आने शुरू हो गये थे।

१८५० ई के बाद अग्रेजी राज्य ने भारत में जो नये दिखने वाले काम किये उनका उद्देश्य पहिले से बहुत मिश्र नहीं था। उद्देश्य तो यही था कि कैसे भारत की पैदावार का एक बड़ा हिस्सा भारत में अग्रेजी साम्राज्य घलाने के लिये बराबर मिलता रहे कैसे उनका कुछ भाग ब्रिटेन जा सके और ऐसे ब्रिटेन के बढ़ते वस्त्रोदय व दूसरे उद्योगों के सामान भारत में बेचे जा सकें। सन् १८५० के बाद नहरों इत्यादि के बनने व भरम्भत का जो काम शुरू हुआ या दक्षिण के एक लाख से ऊपर सिंधाई के तालाबों पर सौ वर्ष के बाद जो कुछ थोड़ा बहुत खर्च हुआ उसका व्येय ब्रिटिश सामान बेचना व भारत का धान व पैदावार ब्रिटेन में जाते रहने के प्रबन्ध को पक्का करना ही था। भारत में आधे से अधिक फसल को सरकारी भूमिकर में नेने के खिलाफ सन् १८५०-७० के करीब ब्रिटेन में जो घर्षा चली वह इसी तथ्य को लेकर थी कि अगर भारतीय विस्तार व नागरिक इतना भारी कर ब्रिटिश सरकार को देता है तो ब्रिटेन के कारखानों का कष्ट इत्यादि भारत में कैसे बिकेगा।

सन् १९४७ ई से अब तक स्वतंत्र भारत में जो हुआ वह बही सीमा तक सन् १८५० ई के करीब अग्रेजों ने जो यहा आरम्भ किया था उसी का विस्तार है। सन् १९४७ ई तक भी यूरोपीय दण के उद्योगों या खेली में जो जो परिवर्तन इत्यादि भारत में किये गये वे यूरोप में हो रहे कार्यों से २० से ५० वर्ष पीछे ही थे। यहां तक कि भारत के विश्वविद्यालय भी आकसफर्छ व कैम्ब्रिज के 'मॉड्स' पर न बनकर इस्वी सन् १८२५-३० में लन्दन युनिवर्सिटी का जो 'मॉड्स' बना था उस पर बनाये गये। लन्दन युनिवर्सिटी का 'मॉड्स' तो ५०-६० वर्ष बाद बदल दिया गया। लेकिन भारत में अभी तक वही पुराना १८२५-३० ई का 'मॉड्स' ही मुख्यत घलता है। इस 'मॉड्स' के होने से ही भारत के लगभग सभी १००-१५० विश्वविद्यालयों में आधे के करीब विद्यार्थी वी ए व बी एस सी की परीकाओं में हर वर्ष असफल बना दिये जाते हैं। जिस सरह का उत्पादन विश्वविद्यालयों में होता है वैसा ही अधिकाशत भारतीय वैज्ञानिक एवं औद्योगिक प्रयोगशालाओं में उद्योगों में विकिस्ता में व खेती इत्यादि में होता है। एक विद्वान मित्र की मान्यता है कि बाहर से सकूर बीज व उर्वरकों से हम आज जो गेहूं आदि पैदा करते हैं वह यूरोप व अमेरिका में सो पत्तु ही खाते हैं। हमें अगर गेहूं का विदेशों में नियंत्रित करना होगा तो उसके लिये ही दूसरे बीज व तरीके बरतने पड़ेंगे। सन् १९४७ ई से अब तक पक्षियों व अन्य देशों से हमारे यहा जो भी सामान आता है वह यहुत कर के कठरा ही है - ये थाहे लडाकू विमान हों पम्हुम्बियों हों बन्दूकें और

बारूद हो दवाई व उनके पेटेण्ट हों विजलीघरों की मशीनें हों कम्प्यूटर हों व अनाज दूध पावड़र बटर ऑयल उर्वरक जो भी हों। हमारे बड़े नेताओं का जो काग्रेस की सन् १९३८ई में बनायी हुई राष्ट्रीय योजना समिति के कर्णधार थे सोधना भी आज जो सब हुआ है या हो रहा है उससे भिन्न नहीं था। उनका मौद्दल सन् १९१० व १९२०ई का यूरोप व अमेरिका व रूस था वे पश्चिम की घकाधीष से मोहित थे और पश्चिम का क्षाढ़ भी उनकी दृष्टि में मोती और जवाहिरात जैसा था। आज के अनेक युवा वैज्ञानिकों का मानना है कि आज तो हम अमरीका यूरोप रूस इत्यादि से सरकारी तत्र व बड़े औद्योगिक तत्र की मार्क्ट पैसा देकर व उधार खरीदते हैं उसमें से अधिकाश अमरीका के बाजारों में हमें चौथाई दाम पर मिल सकता है। केवल कुछ मेहनत की और खरीदे जाने वाले समान की पहचान की जरूरत है।

अपनी इस बरबादी के रास्ते पर जो हम चलते रहे हैं वह किसी एक व्यक्तिविशेष के कारण नहीं। अधिकाशत तो ऐसा चलना हमें ऐतिहासिक विरासत में अप्रेजी साम्राज्य से व्यवस्था तत्र शिक्षा और मान्यताओं के रास्ते मिला है। भारत में जो दो लाख के करीब परिवार देश की व्यवस्था औद्योगिक-वाणिज्य और विद्युतीय तत्र देश के विज्ञान प्रौद्योगिकी व शिक्षा संस्थाओं देश की रक्षाव्यवस्था देश की ससदीय व्यवस्था व न्याय व्यवस्थाओं इत्यादि को समाले हुए हैं वे सब इस बरबादी के काम में पागीदार हैं। इनमें से अधिक तो मानसिक दृष्टि से देश के आधे ही नागरिक हैं उनका विच तो विदेशों में ही भटकता है और वहीं कुछ रस पाता है। उनमें से अधिकाश के परिवारों में से कोई न कोई अधिकाशत विदेश ही रहता है और इन दो लाख में से अधिकाश हर वर्ष नहीं तो दो चार बरस में एक बार विदेशों में अपने दिल व दिमाग की ताजगी के लिये जाते ही हैं।

भारत में १२-१५ करोड़ परिवारों में से केवल दो लाख परिवार ही भारत की हर तरह की व्यवस्था की देखभाल करते हैं यह कोई निराली बात नहीं है। पश्चिम के सभी देशों में 'ऑफिसर क्लास' और साधारण प्रजा का ऐसा ही अनुपात शायद प्लेटो के समय से ही मिलेगा। लेकिन फर्क इतना है कि पश्चिम की 'ऑफिसर क्लास' में स्वयं पहल करने वा सामर्थ्य है उसमें शक्ति की समझ है और उसके प्रयोग करने में कोई दुविधा नहीं। शक्ति के इस्तेमाल में स्वयं को भी परेशानी होती है यह पश्चिमी सम्यता अर्से से जानती है। इसी समझ में से प्लेटो के 'फिलासफर किंग' की व भीसवीं सदी में बनाई शर्तों के 'सुपरमेन' की बात निकलती। किन्तु हमारे इन दो लाख परिवारों का ध्येय तो आलस व समस ही है और कहीं भी खतरा दिखने पर या तो विदेश माणे वी

सोधना व विदेशी सरक्षण में जाना। पवित्र से दूसरा बड़ा भेद भारत में यह है कि हमारी 'ऑफिसर क्लास' की जीवन शैली व जीवन का मुहावरा विचार और व्यवहार के स्वप्न एवं अभियविस्त-विधिया अभारतीय हो गये हैं। उत्तर भारत में तो यह कई सौ बरसों से होने लगा था। लेकिन पिछले दो सौ वर्षों में और विशेषकर पिछले ४० वर्षों में इन दो लाख परिवारों और बृहद भारतीय समाज के १२-१५ करोड़ परिवारों के मध्य परस्पर सवाद के माध्यम और मार्ग ही समाप्त होते जा रहे हैं। क्योंकि आज के समय में यह सम्भव नहीं है कि ये सौ लाख इन १२-१५ करोड़ को फिर दासता की बेड़ियों से ज़क़र दें और इसके बाद भारत में समृद्धि व शक्ति ला पायें। इसलिये यह अब आवश्यक हो गया है कि 'ऑफिसर क्लास' और भारत के बृहद समाज को या तो किसी तरह एक सूत्र में बाँध दिया जाये या फिर इनके बीच में आवश्यक दूरी स्थापित कर दी जाय।

पिछले चालीस बरसों में भारत में बनों और जल का अकाल बढ़ता जा रहा है। भारत की कृषि भूमि की उर्वरता भी बहुत घटती जा रही है। बरसात की बार्धों का स्वप्न भी तीव्रतर हुआ है। अब की पैदावार नये बीज कृत्रिम खाद्य व बढ़ती सिवाई के कारण अवश्य बढ़ी है लेकिन भारत के आधे के कर्तीय लोग आज भी फैलोरी के हिसाब से भी पूरा खाना शायद वर्ष में कभी ही खाते हों। पौष्टिक विटामिन इत्यादि के हिसाब से तो शायद ८० ९० प्रतिशत लोगों का ईंटिक भोजन पोषण की किसी भी तरह की तराश्च पर नहीं पैठता। इस तराजू पर भी नहीं कि शरीर स्वर्य ही किसी भी तरह के भोजन को यानी केवल कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन को आवश्यकता के अनुसार प्रोटीन इत्यादि में बदल लेता है। अगर यह 'थियोरी' और खोज ठीक होती तो कोई आवश्यकता नहीं भी की भारत का सब दूध फल सम्बन्धी भारत के गांवों और दूसरे पैदावार वाले स्थलों से खिलकर भारत के महानगरों व दूसरे मढ़े नगरों में इकट्ठी हो जाती। जैसा की पिछले २०-३० वर्षों में बड़ी व्यापकता से होता जा रहा है। आज के भारत के कोई ही ग्राम ऐसे होंगे जिनमें वहां पैदा होने वाला ५ प्रतिशत दूध भी (या उस दूध का बना दही मक्खन घी व छाँच) वहां के अपने इस्तेमाल के लिये ग्राम में रह जाता है। ग्राम में पैदा हुए फल व सम्बन्धी भी ग्राम में तो शायद खाने को नहीं मिलते। कहीं ये फल व सम्बन्धी ग्राम में ही न रह जायें। इसी की सम्भावना को दूर रखने की दृष्टि से (जल्दी नहीं कि यह सब सुनियोजित प्रयासों का परिणाम हो यह आज के केन्द्रीय विवार खोत का परिणाम ही शायद हो) इन फलों सम्बन्धी की किस्में ही बदल ढाली गयी हैं। देसी आम का स्थान कलमी आम ने लिया है अमरुद का स्थान सेप ने। और इस तरह से दूसरे फलों व

सम्बिर्यों को इस तरह से बदला गया है कि वे ज्यादा दिन टिक सके और उनका यातायात आसान बने। यह कहने में शायद अतिशयोकि नहीं होगी कि आधा प्रतिशत भारतीय परिवारों ने आज के तर्क में बैंधकर एक राक्षसी रूप धारण कर लिया और १९५ प्रतिशत भारतीय जनता मानो इस राक्षसी वृत्ति का आहार ही रह गयी है। अगर आज की स्थिति ही घलती रही तो जल और वृद्धों के क्षेत्र में भी शायद ऐसा ही हो जाये जो दूध फल और सम्बिर्यों के क्षेत्र में हुआ है।

भारत के साहित्य कला सगीत नृत्य खेलकूट नटकरतव व नटविद्या वाले कौशल (एकोडेटिक्स) इत्यादि के क्षेत्रों में भी ऐसा ही हुआ दिखता है। हो सकता है भारत के सैकड़ों व हजारों गावों में जो आग पर घलने की प्रथा आज भी प्रचलित है—आज से सौ वर्ष पहले तो यह उत्तम कम से कम दक्षिण व मध्य भारत के हर क्षेत्र में मनाया जाता था—वह भी दस बीस वर्ष के बाद भारत के अभिजनों के लिये ही रह जाये। तब ऐसा तो शायद अवश्य हो सकता है कि भारत के इस फायर वॉर्किंग का सार्वभौमीकरण हो जाये और वह विवर के औलम्पिक्स का एक बड़ा खेल यन जाये। ऐसा होने पर साधारण भारतीयों का जीवन इससे भी बदित रह जायेगा जैसा कि वह सगीत नृत्य कला साहित्य से बदित रह गया है। टेलीविजन की बढ़ीलत दर्शक होने की अनुमति उसे अवश्य है शायद समय बीतते बीतते दर्शक होना उसका कर्त्तव्य ही माना जाने लगे। लेकिन साझेदारी से उसका रिश्ता टूट ही गया है और यह टूटना पक्का हो जाये इसका प्रयत्न हर तरह से जारी है। कला सगीत नृत्य इत्यादि से बदित होने से पहले ये १९५ प्रतिशत परिवार अपनी खुली शरीर चिकित्सा शिधा-दीक्षा जल प्रक्षन्ध ग्राम और नगर नियोजन और रूपाकृति-रचना से अधिकाशत बदित हो ही चुके थे। जहा कानूनन उनके इन कार्यों की मनाही नहीं हुई वहा उनके इन क्षेत्रों में कार्यों को अन्यविधास माना गया उनकी बात बात पर खिली उठाई गयी उन्हें लज्जित किया गया और सबसे अधिक उनके पास ऐसे साधन नहीं रहने दिये गये कि वे ऐसे किंसी भी काम को कर सकें।

ऐसे यह सब जो हुआ ससार में नया नहीं है। जिसे प्रजातत्र का गढ़ माना जाता है उस ब्रिटेन में तो आकसफोर्ड व फैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों का यह प्रयत्न रहता ही है कि हर क्षेत्र का क्षेत्र व्यक्ति (खिलाड़ी तैराक नाविक गायक इत्यादि सब उसमें शामिल है) जहा तक हो सके उन विश्वविद्यालयों में से ही निकले और ऐसे निपुण लोग कहीं और से निकल भी आयें तो उनको ये विश्वविद्यालय या इनका सहायक तत्र समायोजित करता घला जाये। यूरोप और अमरीका के देशों में स्थिति इससे मिलती-जुलती ही

होगी। प्राचीन ग्रीस में तो ऐसा होता ही था।

इस पश्चिम के दिये हुए लक्ष्यों के अनुकरण में हमने भारत की सब तरह की स्वदेशी व्यवस्थाओं और प्रतिभाओं को या तो बेकार बना दिया या उन्हें समेटकर संग्रहालयों व अभिलेखागारों में रख दिया या उन्हें भारत के आधा प्रतिशत लोगों के सुपुर्द कर दिया। इसका नतीजा है कि भारत ने एक 'स्लम' का रूप ले लिया है। और हमारे जैसे बुद्धिजीवी इसको कह देते हैं कि यह तो भारत का परम्परागत रूप है। अपनी वास को साधित करने के लिये जहा तहा से विदेशियों के (किन्हीं खोज निकाले गये अथवा प्रसिद्ध प्राचीन भारतीयों के भी) बयान जोड़ दिये जाते हैं कि भारत में तो हमेशा दुख ही दुख रहा है। हम सब जानते हैं कि और तो और कार्ल मार्क्स ने भी भारतीय जीवन व सम्पत्ता को गयी धीरी दिखलाने की दृष्टि से इसी तरह की बातें लिखीं।

इतने सब घफ्फों के बावजूद भी भारत के लोग अपने जीवन में एक सन्तुलन काम करने के लिये अपने निरन्तर दुख दर्द और दारिद्र्य को भूलने के लिये उनसे जो कुछ बन पढ़ता है और जो कानून व उसके एजेण्ट उन्हें करने देते हैं या जो उनसे छिपा करके किया जा सकता है करते ही हैं। लोग सब कठिनाइयों और रुकावटों के रहते हुए भी कुछ हँधर उधर की यात्रा करते ही हैं मटिरों के छोटे-मोटे उत्तस्व मनाते ही हैं जहा-तहा जब तब यह सुनकर कि कहीं कोई देवी या सन्त प्रकट हुए हैं उस तरफ भगते ही हैं कहीं कहीं समय पर नगे होकर उत्तरवों में आनन्दोलासम्प्र नृथ करते ही हैं। एक तरह से ये सब जहा भी हो सकता है पहल अपने हाथों में लौटाने के उनके तरीके हैं और अगर उन्हें एक खेत्र में पहल का अवसर मिलता है तो वह दूसरे क्षेत्रों में भी मिल ही जायेगा ऐसी उनकी सोच है। लेकिन हमें तो यह सब अच्छा नहीं लगता। प्लेटो यूरोपीय ईसाईयत पश्चिमी रैशनलिज्म मार्क्सीय समीक्षात्मक विश्लेषण पद्धति सबके बोझ से हम लटे हैं। हमारे प्राचीनतम धर्मग्रन्थों के बोझ से भी हमर्म से काफी दबे हैं।

ऐसा हम कैसे होने दें। जो भी राजनैतिक सत्ता हमारे पास है जो भी पुलिस व अस्वशस्त्र हमारे अधीन है वह सब हम इन बातों को रोकने के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन बहुत कुछ सफलता कम से कम इन क्षेत्रों में तो नहीं मिलती। नैतिक सत्ता या किसी तरह की अध्यात्मशक्ति तो हमारे पास है नहीं। हमारे सन्यासियों व धर्मगुरुओं के पास तक ऐसी नैतिक व आध्यात्मिक शक्तियों का हास हुआ है। परिपाम यह है कि भारत दो भागों में बंट गया है। एक भाग है उन आधे प्रतिशत लोगों का जो भारत के तंत्र और साधनस्रोतों को नियंत्रित करते हैं और दूसरा है उन ९९.५ प्रतिशत का (इनमें

से १५-२० प्रतिशत शायद आधे फीसदी के सहायक व नौकर माने जा सकते हैं और सुरक्षा व अधिकारिक आमदनी का लोग इन्हें काफी समय तक बाकी ८०-८५ प्रतिशत से अलग रख सकता है) जो केवल अपने सीमित व अवशिष्ट बल पर जी रहे हैं और जिनका किसी भी तरह का बौद्धिक व सामाजिक सम्पर्क भारत के शासक वर्ग व आफिसर वलास' से नहीं है।

यह स्थिति तो अधिक नहीं चल सकती। दो गाई हजार वर्ष से पहिले में अपनाये जा रहे हल भी (जिनके मार्फत १९५ प्रतिशत को पूरी दासता में बाध दिया जाता उन्हें मशीन की तरह माना जाता जैसे अरस्तू ने दासों को माना ही था) हमारे यहाँ आज तो नहीं चल सकते। ऐसी शक्ति व मानसिकता भी हमारे ऑफिसर वलास' की नहीं है।

अगर आज ससार में और देशों के सम्पर्क में रहने की बात नहीं होती तो हमारी यह दुषिधा कुछ आसानी से हल हो सकती थी। बाहर का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध और आना जाना नहीं होता तो हमारे समाज के इन दोनों भागों का एक दूसरे से आदान-प्रदान द्विया-प्रतिद्विया आवश्यक हो जाती। उनमें टकराहटें छागड़े होते शायद कुछ खूनखराबा भी हो जाता लेकिन इस सबसे या विषेक के जगने से ये दो भाग करीब ही आते। इन दोनों की अभिव्यक्ति-पद्धति एक बनती जीवन की शैली एक आधार पर खड़ी होती और ये एक दूसरे कि लिये अजनबी न रहते।

लेकिन आज के ससार से सम्पर्क टूटना तो सम्भव नहीं। परन्तु इस ससार की धियेरीज अवधारणाओं और सरक्षण से तो हम निकल ही सकते हैं। इसी सदी में महात्मा गांधी ने स्वतन्त्रता संग्राम के समय हमारे में से अधिकाश को 'इन धियेरीज' अवधारणाओं और सरक्षण से निकाल लिया था। कभी से कभी इतना करना तो अभी भी असम्भव नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि हम गांधीजी के विद्यार्थों पर आधारित राज्य समाज और अर्थव्यवस्था ही मानें। हम आज भारत के लिये एक नया अवधारणात्मक आधार व रूपरेखा जो भारत के मानस व प्रकृति से मेल खाती हो बना सकते हैं। भारत के लिये एक नयी 'युनीफाइड धियरी' एक नया 'एकीकृत सिद्धान्त' निकाल सकते हैं जिसके सहारे भारत भारतीयता न खोते हुए आज के रासार से बराबर का रिश्ता रख सके और पहिली (यूरोपीय अमरीकी और रूसी) सैन्यवाद के इस काल में अपनी सुरक्षा के लिये आवश्यक राजनीतिक व भौतिक दण से तैयार रह सके। जापान ने यह सब किया है और एक सरह से धीन भी इस तरह के प्रयत्न में काफी सफल ही रहा।

पिछले ढालीस वर्षों में भारत में इतने सब विरोधाभासों के बाबजूद इतना तो हुआ ही है कि हजारों भारतीय युवक युवतियों ने न केवल अपने बृहद् समाज के खुड़ने व एकरूप होने के प्रयत्न यित्ये हैं विन्तु परिमी सम्पत्ता के उपकरणों को भी काफी हद तक समझ लिया है। ऐसे व्यक्ति अब पाक्षात्य सम्पत्ता से ऐसे घकाघीघ नहीं हैं जैसे कि ४०-५० वर्स सहले तक के भारतीय शिक्षित होते थे। इनमें से बहुतों ने अपने पुराना को भी समझने की कोशिश की है और ऐसा लगता है कि काफी बड़ी सब्द्या में हमारे यहाँ ऐसे युवक और युवती तैयार हो रहे हैं जो भारतीयता को छोड़े बिना उसमें परिम के जिन उपकरणों को और उनकी विद्या को आज की स्थिति में आत्मसात् करने की आवश्यकता है उतना शीघ्र ही कर पायेंगे। ऐसे युवक और युवती भारत के मिश्र मिश्र क्षेत्रों और विशेषज्ञताओं में फैले हैं और इनमें देश प्रेम बृहद् समाज से मानसिक आत्मीयता भरपूर है। पाक्षात्य विद्या पर भी इनका अधिकार आज कम नहीं है।

आज की स्थिति में यह विचारणीय है कि भारत में बृहद् समाज को साधन व स्वातंत्र्य मिले जिससे बृहद् समाज की इकाहर्यों अपनी मान्यताओं व्यवस्था की अपनी प्रणालियों और सकनीकी ज्ञान के आधार पर चल सकें। भारत में कृषि व प्रौद्योगिकी या ऐसे अन्य क्षेत्रों में ८० प्रतिशत उत्पादन तो आज भी परम्परागत भारतीय प्रतिभा के बल पर ही होता है। साधन व स्वातंत्र्य रहेगा तो यह प्रतिभा परिष्कृत ही होगी और इनके परिष्कृत होने पर यह भी सम्भव हो पायेगा कि परिम के ज्ञान और भारतीय बृहद् समाज के ज्ञान में कुछ सवाद और लेनदेन कायम हो सके। बृहद् समाज के पास आवश्यक साधन व स्वातंत्र्य आना आज के भारत के परिमीकृत अग के लिये भी शुभ होगा इस अग को भी स्वातंत्र्य मिलेगा इसका मानसिक व भौतिक योग्य घटेगा और इस योग्य के घटने से इसकी अपनी सृजनात्मकता की अभियावित्त तथा परिमीकृत ज्ञान की समझ व पहचान और इसमें भारत के लिये उपयोगी और आवश्यक है ऐसे ज्ञान को आत्मसात् करने का एक बड़ा अवसर मिलेगा। अत यह आवश्यक है कि परिमीकृत वर्ग अपने ऊपर लाद लिये गये योग्य से स्वयं भी मुक्ति पाये और बृहद् समाज के प्रति अवहेलना भाव को भी स्थाने उससे सद्भाव स्थापित करे। प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र ग्राम या ग्राम समूह को तथा शहरों के मुहाले या वार्ड को आवश्यक स्थानीय स्वायत्ता दी जा सकती है। शिक्षा आवास उत्सव भनोस्जन आहारविहार के प्रबन्ध सुरक्षा स्वास्थ्य स्वच्छता विकिस्सा कृषि सिंचाई शिल्प हुनर स्थानीय एवं लघु उद्योग सास्कृतिक व्यवस्थाएं धार्मिक क्रियाशीलताएं सवाद एवं सधार माध्यम स्थानीय परिवहन यातायात आदि मामलों में मिश्र मिश्र स्तर पर स्वसंबंद्ध दी जाए। इसमें

पक्षपात आदि होने का भय त्याग देना चाहिए। वह पक्षपात अभी केन्द्र व प्रदेशों के स्तर पर कम नहीं चलता। स्थानीय इकाइयों में इससे अछाही चलेगा परस्पर का नैतिक दबाव रहेगा।

भारत के सुरक्षा के संघर व महानगरीय क्षेत्रों की पश्चिमीकृत आवश्यकताएँ (जिनकी इन क्षेत्रों की 'जप्टन्ट्री' को आदत पढ़ गई है।) पश्चिमीकृत ढग से भारत के महानगरों ये इनसे मिलते जुलते ५०-१०० क्षेत्रों में बनायी जा सकती हैं। बाकी सब बृहद् समाज के क्षेत्र में बनेगा बृहद् समाज के अपने तरीकों व रूपाकारों के अनुसार। लेकिन जहां जहां बृहद् समाज को पश्चिमीकृत ज्ञान व सासाधनों की आवश्यकता होगी (जैसे कि ऊर्जा के क्षेत्र में इधन गैस और प्रकाश विस्तेषण के द्वारा बनी विजली की) वहां पश्चिमीकृत क्षेत्रों का यह कर्तव्य होगा कि इस तरह के आत्मसातीकरण में बृहद् समाज के कहने पर उसका हाथ बटाएँ।

इस तरह के दैट्यारे में यह आवश्यक है कि आज तक पिछले ४० वर्षों में भारत में सरकारी व गैरसरकारी स्तर पर जो नयी योजनाएँ कलकारखाने सिचाई व विजली बनाने के कार्यक्रम यातायात इन्तजाम भकान बनाने के रूपाकार आदि के तरीके चले हैं उनकी पूरी तरह से समीक्षा हो। हो सकता है कि समीक्षा होने पर यह पाया जाये कि इनमें से काफी काम मुख्यतः आवश्यक ही रहे हैं और इनकी व्यवस्था व रूपाकारों में कोई बड़ी त्रुटिया नहीं रही है। लेकिन जब तक ऐसी समीक्षा पूरी नहीं हो जाय तब तक लगभग सभी क्षेत्रों में नये काम उठाना या पुरानों को बदाना बन्द किया जाय। यह भी मान लिया जाय कि भारत की जल व्यवस्था वन व्यवस्था कृषि और पशुपालन क्षेत्र शक्ति और भवननिर्माण सामग्री से सम्बन्धित कार्य बृहद् समाज की जिम्मेदारी रहेंगे और पश्चिमीकृत क्षेत्रों को इन बारों में अपनी आवश्यकताओं व प्राथमिकताओं को बृहद् समाज की इस जिम्मेदारी के अन्तर्गत ही रखना होगा।

लेकिन भारत में दो सौ वर्ष के विनाश और उपेक्षा के कारण यहुत से क्षेत्रों में यहे बड़े प्रश्न खड़े हो गये हैं। भारत को न केवल अपनी जल वन कृषि लघु उद्योग की व्यवस्था का पुनरुद्धार करना है न केवल नदियों की गहराई बदानी और उनका प्रदूषण घटाना है किन्तु भारत के विद्या व सास्कृतिक केन्द्रों की पुर्वस्थापना यन्स्नी है। दो सौ वर्ष सक भारत की हर विद्या व हुनर का हास हुआ है। इस पुनर्स्थापना के लिये यह तो आवश्यक है ही कि शिक्षा की विषयवस्तु और व्यवस्था का विस्तेषण होकर एक नयी विषयवस्तु की शिक्षा (शिशु शिक्षा से विज्ञविद्यालयों और उपस्तरीय शोध संस्थाओं तक) पुन स्थापित हो। इसमें सबसे पहला काम जो एक दो वर्ष के अन्दर ही देश मर-

में स्थापित किया जा सकता है यह है 'पडोसी स्कूलों' की स्थापना। यीस पश्चीस वर्ष से ऐसा करने की बात चलती रही है। हर क्षेत्र में व शहरों के हर वर्ग किलोमीटर में उस क्षेत्र के सभी घरों के बग्दे एक ही स्कूलों में जाए। अगर किन्हीं बच्चों को विशेष शिक्षा देनी है तो वे सब आवासीय स्कूलों में ही रहें जैसा कि अभी हर जिले में नवोदय स्कूल के मार्फत होने की बात है। इसी तरह हर ग्राम या आवास क्षेत्र व शहरी मुहालों में विकित्सा के लिये एक ही तरह का प्रबन्ध होना चाहिये। घनी व शक्तिशाली जन भी इन स्कूलों व खिकित्सा केन्द्रों का इस्तेमाल करेंगे तो इनका स्तर सुधरेगा ही। भारत की परम्परागत विकित्सा प्रणाली इत्यादि भी तब जीवित हो जायेगी।

इसी तरह रहने के घरों इत्यादि के विषय में सोचना होगा और स्थानीय सामग्री और लपाकारों के आधार पर ज्यादा से ज्यादा घर बनें इस पर ध्यान देना होगा। हर घर में पानी शौच इत्यादि की उचित व्यवस्था हो यह भी सोचना होगा। नहीं तो भारत के घनी क्षेत्र भी 'स्लम' ही बनेंगे। सरकारी तन्त्र के मार्फत जितने कम मकान भारत में बनें उतना ही देश के लिये शुभ है। दस बीस वर्स में तो सब सरकारी घर (चाहे उसमें मत्री रहते हों या सरकारी अधिकारी) समाप्त होने ही चाहिये।

'भारतीय आकिसर वलास' द्वारा वृद्धि भारतीय समाज की बुद्धि प्रतिभा विद्या ज्ञान और सौदर्य बोध एवं सुरुचि बोध से अपने को काट रखने के कारण उनमें एक आन्तरिक हीनता और दैन्य आस्या है तथा उनके जीवन में एक आन्तरिक प्रयोजनहीनता आई है। इस प्रयोजनहीनता का सर्वसे प्रकट रूप है अर्थशास्त्र के प्रधानता दिया जाना। अर्थशास्त्र सदा से राजनीति शास्त्र की एक अधीनस्थ विद्या है। वह सास्कृतिक-राजनैतिक लक्ष्यों की सिद्धि का एक माध्यम है। राजनीति सास्कृति का अग है सस्कृति की सेवा के लिए है। सस्कृति का बोध इतिहास परम्परा दर्शन-परम्परा समेत समाज जीवन की समग्र परम्परा से होता है समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र राजनीतितत्र (पोलिटी) के अग है। इस प्रकार अर्थशास्त्र का स्थान सस्कृति में बहुत बाद में है। यह नहीं की यह महत्वपूर्ण नहीं। पर यह लक्ष्य नहीं है अनेक साधनों में से एक है। पूँजी और धन स्वयं में किसी के भी लक्ष्य नहीं होते। वे तो साधन ही होते हैं। प्राकृतिक साधन-स्रोत उनके उपयोग और व्यवहार का कौशल तथा मानवीय युद्धि के अन्य कौशल हुनर और परिश्रम ही मूलभूत पूँजी हैं। उस पूँजी को क्या स्पष्ट दिया जाना है यह किसी सम्यता और समाज के बोध एवं लक्ष्यों पर निर्भर है। उन लक्ष्यों का सहायक साधन है धन की वृद्धि व धन के व्यवहार और उनका विचार करने वाला अर्थशास्त्र।

कार्ल माकर्स ने अर्थशास्त्र को प्रमुखता दी क्योंकि कार्ल माकर्स में बहुत गहरा और प्रबल यूरोपीय तथा ईसाई सर्स्कार सवेग और बोध था। उस बोध और सर्स्कार के कारण कार्ल माकर्स का मानना था कि सम्पूर्ण विष्व के लिए राजनैतिक लक्ष्य तो एक ही है और वह यूरोप के शासक वर्ग का राजनैतिक लक्ष्य ही है। शेष विष्व उन्हीं राजनैतिक लक्ष्यों की पूर्ति का औजार है साधन सम्पर्चि है। इसीलिए इस विष्व को औजार या सम्पत्ति के रूप में रहना है और सम्पत्तिशास्त्र अर्थात् अर्थशास्त्र के नियमों से शासित होना है। वह एक तरह से ससाधनशास्त्र है। यूरोपीय दृष्टि में समस्त मनुष्य तथा अन्य समस्त जीव एव वनस्पति वन भूमि जल खनिज इत्यादि साधनस्रोत शासकों के विद्वार और व्यवहार रूपी सम्यता के ससाधन हैं। अर्थशास्त्र की प्रमुखता का यही अभिप्राय है। स्वयं माकर्स के अपने जीवन में या कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के जीवन में अर्थशास्त्र प्रमुख नहीं होता राजनीति ही प्रमुख होती है।

परन्तु भारत में यूरोप को बिना समझे अनुसरण करने वाले तथाकथित युद्ध जीवियों का एक बख ढेर तैयार हो गया है जो अर्थशास्त्र को ही देश की प्रमुख विद्या मानता है। समस्त देश को अर्थशास्त्र से नियन्त्रित रखना धार्ता है इसमें वह दास्य - भाव से भरी युद्ध ही प्रमुख कारण है। यदि किसी व्यक्तिविशेष की इसमें मुख्य भूमिका है तो वह जवाहरलाल नेहरू की है। जवाहरलाल नेहरू जैसे आदमी इस प्रकार के विद्वारों में पहुँच गये यह इसी तथ्य की निशानी है कि हम किस दशा में पहुँच गए थे हमारी यित्तनी मानसिक-बौद्धिक गिरावट हुई होगी।

भारत को अब अपनी पुनर्योजना सास्कृतिक राजनीति को आगे रखकर करनी होगी। इस पुनर्योजना में अर्थशास्त्र नियामक सिद्धान्त कदापि नहीं हो सकता। प्रत्येक सम्यता में विविध अवधारणाओंकी एक क्रमाव्यवस्था रहती है। किन्तु अर्थशास्त्र किसी भी सम्यता में प्रमुख नहीं होता। अपनी सम्यता से कटे हुए और यूरोपीय सम्यता के रूप से अनजान तथा उसके प्रति दास्यभाव से भरे हुए भारतीय शासकवर्ग को ही अर्थशास्त्र प्रमुख दिखता है। यूरोपीय शासक वर्ग तो हमें अपनी सम्यता का मानवीय ससाधन मानकर हमारे लिए अर्थशास्त्र को प्रमुख मानता रहा है। अब हमें अवधारणाओं को प्रधान-गौण-क्रम का यह उलट गया बोध फिर से व्यवस्थित करना होगा उसे सही क्रम में समझना और रखना होगा।

इन विपरीतताओं का मुख्य कारण यह रहा कि हमारी विद्या-युद्ध ही छिप-मिप हो गई। हमारे अभिजनों और शासक वर्ग को विद्याओं की समझ ही नहीं रही। बहुत समाज की विद्याएँ उसे अविद्या दिखने लगीं। अब इस विपरीत मति को फिर से स्वस्थ

सहज बनाना होगा।

भारतीय किसान के पास अत्यन्त सम्प्रश्न विद्यासम्पदा एवं विद्या परम्परा है। भिट्ठी के विविध रूप उनकी क्षमताएँ उनकी आवश्यकताएँ ऊपरी पपड़ी का स्तर नमी का स्तर उनकी सम्भावनाएँ भूमि की जुताई की आवश्यकता का स्वरूप व स्तर मौसम की जानकारी वर्षा सम्बन्धी मिश्र मिश्र रूपों और सम्भावनाओं की जानकारी ठड़ पाला कुहासा धुध ओसा शीतलहर आदि के रूपों और प्रभावों सथा उस सन्दर्भ में आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी घास और गर्मी सम्बन्धी जानकारी हवा के मिश्र मिश्र रूपों रखों खेंग और प्रभावों सथा उपयोग की जानकारी सिवाई सम्बन्धी विविध रूपों और व्यवस्थाओं की जानकारी बीज की किस्मों और सामर्थ्य का ज्ञान फसल के अकुरण विकास वृद्धि और पकने सम्बन्धी विविध दशाओं का ज्ञान कटाई गुडाई उडावनी बीज और फसल के प्रबन्ध सथा भंडारण का ज्ञान अलग अलग अनाजों के गुणों और प्रभावों का ज्ञान कृषि के उपकरणों सम्बन्धी ज्ञान अपने गाय बैल बैंस बकरी की किस्मों गुणों सामर्थ्य जरूरत पोषण रक्षण प्रेम अनुशासन आदि सम्बन्धी ज्ञान कुचे विद्धी बन्दर खरगोश विडिया सथा विविध पशुपक्षियों सम्बन्धी ज्ञान शिटाधार और व्यवहार के सूक्ष्मातिसूक्ष्म अर्थ उनके प्रभावों का ज्ञान आदि विस्तृतगहरा ज्ञान किसान नरनारियों को सथा अन्य ग्रामीण नरनारियों को रहता है। यह हम भी सभी जानते हैं। ये सब विद्या के ही स्पष्ट हैं। आज मौसम आदि की जानकारी के लिए आसमान में जाने वालों का सूक्ष्म एवं अत्यत महगे उपकरणों से निरीक्षण आदि करने का विस्तृत तत्र है जिसमें शायदीय धन का बड़ा व्यय होता है। अत किसानों की इस विद्यासामर्थ्य का समादर किया जाना चाहिए कि वे बिना ऐसे भारी खर्च के ही यह विद्या सुरक्षित व गतिशील रहे हैं। भारतीय किसान नारियों एवं ग्रामीण नारियों को इन विद्याओं के अतिरिक्त उन अन्य महत्वपूर्ण विद्याओं का भी समृद्ध ज्ञान होता है जो अधिकांश भारतीय नगरों की मारियों को भी होता है। यह भी हम सभी जानते हैं। विविध अन्य फलों शाक कन्द मूल आदि सथा दूध दही धी छाँड़ आदि के गुणों और प्रभावों का उनके पकाने या बनाने के विविध रूपों और गुणों का ज्ञान तेल धी मसाले आदि सम्बन्धी विस्तृत विद्या घर बर्तन सथा घरेलू सामान घरेलू उद्यान घर का परिवेश घर की सुरक्षा और सज्जा आदि की विद्या परिवार के विविध सदस्यों के साथ विविध प्रकार के व्यवहार की विद्या लेन देन रख रखाव मान उपेक्षा आदि सम्बन्धी विस्तृत और गहरा ज्ञान धर्म उपासना रीतिरिवाज ब्रत-अनुष्ठान अल्पना रागों सिलाई कठाई स्वास्थ्य स्वाधत्ता घरेलू विविस्सा सम्बन्धी अनगिनत जानकारिया

दर्थों के पालनपोषण की विद्या समृद्धि में सयम और गरिमा तथा विषदा में धैर्य और गम्भीरता की विद्या तथा तेज ये सब हमारी नारियों के सम्माननीय विद्यारूप हैं जिसकी हम सभी को जानकारी है। स्मरणीय है कि प्राय सभी धर्मग्रन्थों में कुलाचार और लोकाचार के बारे में अन्तिम निर्णय की अधिकारी घर की जानकार सिया ही मानी गई हैं। इसी प्रकार बेत्र के विविध लोकाचारों के बारे में अन्तिम अधिकारी उस बेत्र के जानकार शूद्र (साधारण जन) माने गये हैं। ये जानकारिया महत्वपूर्ण विद्याए ही हैं। आधुनिक विद्या सस्थाए ऐसी जानकारियों के साथ ह सम्पादन विष्णेषण आदि में पर्याप्त घन व्यय करती और व्यक्तियों का श्रम लगाती तो ये विद्याए उभर आती।

ग्रामीण व परम्परागत शिल्पियों को लकड़ी लोहा धमड़ा धाँस सोना धौंदी ताँबा कॉसा आदि विविध धातु मणिमालिक्य हीरे जवाहर तथा स्त्न लाख रेशम ऊन सूत और मिट्टी से सम्बन्धित भिन्न भिन्न कौशलों का ज्ञान और सामर्थ्य है ही। किसानों और म्यालों चरवाहों आदि को गाय-बैल भैंस-बकरी चैंट भेड़ धोड़े आदि से सम्बन्धित विस्तृत ज्ञान है। सूअर कुत्ते खरगोश आदि के बारे में विशेषज्ञता से सम्पन्न परिवार भी परम्परागत समाजो में है। तैराकी नौकाचालन तीरन्दाजी खेल व्यायाम नट-कौशल बाजीगरी आदि विद्याओं में समर्थ व निपुण व्यक्तियों की समाज में कभी नहीं यह भी हमें विदित ही है। चूस कर तथा अन्य तरीकों से विष उतारना ढूटी हड्डी को हरताल आदि जड़ी बूटियों से जोड़ देना तथा जड़ी बूटियों औबधियों के विस्तृत प्रयोग की विद्या हमारे यहा रही है। अब इन विद्याओं की पिछले १०-१२ वर्षों से कुछ घर्चा होने लगी है। आग पर चलने की विद्या के प्रति इधर कुन्तूहल बढ़ा है। ये सभी विद्याए समादरणीय हैं। इनके लिए बृहत् भारतीय समाज को पर्याप्त साधनस्रोत सुलभ रहने देना चाहिए। ये साधनस्रोत स्थानीय स्वायत्त इकाइयों के नियन्त्रण में रहने देना चाहिए। राष्ट्रीय या प्रादेशिक केन्द्र के नाम पर ये स्रोत छीनने नहीं चाहिए न इन पर मुझी भर लोगों का नियन्त्रण होना चाहिए। केन्द्रीकृत नियन्त्रण से इन विद्याओं का पिनाश ही होता है।

विद्या के इन विस्तृत विराट रूपों के प्रति सम्मान का अभाव और अवहेलना का भाव रखने के कारण हमारे अभिजनों और शासकर्वा में विद्यामुद्दि का हास हुआ है अविद्या और भ्रान्ति यदी है। अब इन विद्या रूपों का महत्व समझनेर इनका समादर फैसना चाहिए। तथा इनको पर्याप्त साधनस्रोत उपलब्ध रहने देना चाहिए। इनकी उपेक्षा से राष्ट्रीय विद्या शक्ति का ही हास होता है।

हमारी अध्यात्म (परा) विद्या के ग्रन्थों तथा धर्मग्रन्थों का भी गहराई से व्यापक

अध्ययन आवश्यक है। इन पर फिर से विषेक बुद्धि से विधार कर इनकी व्याख्या करनी होगी। इस विषय मे किसी एक या कुछ प्राचीन विद्वानों के मत ही 'अन्तिम वबन' नहीं है। उनकी पुनर्व्याख्या आवश्यक है। पश्चिमी लोग तो इस विषय में मुख्य अधिकारी हो ही कैसे सकते हैं। जिस प्रकार हम पश्चिम के बारे में कितना भी जानें पर पश्चिम के बारे में हमारा मत निर्णयिक और अन्तिम कभी नहीं माना जा सकता। उसी प्रकार कितना भी बड़ा या प्रसिद्ध विदेशी विद्वान हो वह भारत के बारे में अन्तिम अधिकारी नहीं माना जा सकता।

अपने शास्त्रों धर्मग्रन्थों अध्यात्म-साधना-ग्रन्थों एवं पद्धतियों तथा सास्कृतिक आदर्शों और व्यवस्थाओं का हमें विस्तृत ज्ञान प्राप्त कर उनके बारे में फिर से सोचना होगा और आवश्यक व्यवस्थाएं करनी होंगी। विद्या के ये सभी रूप हमारे शास्त्रीय ज्ञान के विविध अंग हैं। ज्ञान विहीन तो सस्कृति हो ही नहीं सकती। इनके ज्ञान को जीवत एवं व्यवस्थित तथा गतिवान रखना प्रमुख राजनैतिक लक्ष्य और कर्तव्य है। इनसे मिन्न कोई राजनीति वस्तुत राजनीति नहीं है। सम्यता के विविध विद्यारूपों तथा कर्म रूपों को व्यवस्थित रखने तथा प्राणवान प्रवाहमय रखने के अतिरिक्त और कुछ राजनैतिक कार्य हो ही क्या सकता है।

स्पष्ट है यह राजनीति किसी एक केन्द्रीय 'केंद्र' या समूह के द्वारा हो पानी असम्भव है और ऐसा प्रयास अपने ही राजनैतिक आदर्शों के विरुद्ध भी होगा। विविध स्वायत्त इकाइयों वाले किन्तु परस्पर गहरी एकात्मता से समृद्ध राष्ट्रीय समाज द्वारा ही ऐसी राजनीति सम्भव है। दल तथा अन्य सस्थाएँ इस समाज के एक सामान्य अंग के रूप में हो ही सकते हैं। उसमें दलों का स्थान रहे या वह भूमिका अन्य रूप वाली प्रतिनिधि सस्थाओं को सौंपी जाय यह निर्णय राष्ट्रीय समाजों द्वारा होता रहेगा। सस्थाओं के रूप तो बदलते ही रहते हैं और फिर अनन्तरूपता तो हमारी जीवनदृष्टि का मान्य तत्त्व है।

अपने राजनीतितत्र (पोलिटी) के पुनर्गठन की प्रक्रिया में हमें समाज की विविध इकाइयों के आज के सम्बन्ध बदलने होंगे तथा अपनी मान्यताएँ भी विवेक की कस्तौटी पर कसते रहनी होंगी। जिस प्रकार अभिजनों में बृहत् समाज से अपने सम्बन्ध की मान्यता विकृत हुई है वैसी ही कई अन्य मान्यताएँ भी विकृत हुई हैं। परम्परामत मान्यताओं के स्वरूप के सम्बन्ध में भ्रान्तिया बढ़ी है तथा समझ गतित हुई है। भ्रान्ति को मिटाना होगा तथा समझ को सही करना होगा।

भारत में नर-नारी के घीण परस्पर आदर कर जो सम्पद रहा है वह भी

पराजय के दौर में बहुत यिगड़ा है। एक तो नर और नारी का संसार अलग होता गया। पुरुष नये सस्कारों नयी सस्कृति के प्रभाव में आते गये। स्त्रियाँ परपरागत सस्कारों को जीवित रखे रहीं। इससे दोनों के मानसिक-बौद्धिक जगत में अन्तर बढ़ता गया। ऐसे जब दो मिश्र और बहुत कुछ परस्पर विपरीत सम्यताओं का मिश्रण होता है तो यह समस्या प्राय आती है। विश्व के अनेक समाजों में यह स्थिति आती रही है। फिर जब दोनों का बोधजगत फिर से एक हो जाता है तो फिर सम्बन्ध स्वस्थ और सामजस्यपूर्ण हो जाते हैं। पश्चिमीकृत वर्ग में जो आधुनिक शिक्षा और सस्कारों को आत्मसात कर भुक्त परिवार हैं उनमें नरनारी का बोध जगत एक सा होने लगा है और इसीलिए उस तरह की तकलीफें वहां नहीं होतीं। व्यापक समाज में नर-नारी के बोध जगत का यह आपसी अन्तर बढ़ता ही गया है। इससे स्थिरों के कट तो बढ़े ही हैं पुरुषों के भी कट बढ़े हैं। सर्वाधिक चिन्ता की बात यह है कि घरों में भी नरनारी के मध्य बौद्धिक वैवाहिक-भावात्मक सदाद समाप्त हो चला है। बहुत सीमित बातधीत होती है। बौद्धिक-मानसिक साक्षेदारी जो सम्बन्ध का वास्तविक आधार है समाप्त है।

अपने विद्या सस्कारों से कट जाने के कारण पुरानी अनेक मान्यताएँ विलक्ष्य गलत समझी जाने लगी हैं। शास्त्रों में अधिकाशत जहां पुत्र की प्रशस्ता है वहां सन्तति से ही तात्पर्य है। उसमें पुत्री की प्रशस्ता आ जाती है। परम्परा से भारत में पुत्रियों के प्रति भावना कम नहीं रही है बराबर ही रही है। समाज के विखराव के दौर में गलतफहमियाँ बढ़ीं और भ्रान्तिया फैलीं। पुत्र का अर्थ केयल 'पुत्र' समझा जाने लगा। इसी अवधि में दहेज भी एक रोग के रूप में फैलने लगा। दहेज का यह विफृत स्वरूप नई धीज है। अग्रेजी राज के समय में ही फैला है। यह ऐतिहासिक तथ्य है। १७५० के ड्रिटेन के बड़े परिवारों में दहेज की प्रथा काफी प्रथलित थी।

अब तो पढ़ेलिखे वर्ग में एक नयी प्रवृत्ति उभरी है। गर्भस्थ शिशु लड़का है या लड़की इसका गर्भपरीक्षण होने लगा है। लड़की होने पर उससे छुट्टी पा ली जाती है। इससे अधिक राक्षसी काम कुछ भी नहीं हो सकता। यह राक्षसी वृत्ति स्वयं समाज को खा जायेगी। इसका प्रधान प्रतिरोध अत्यावश्यक है।

विविध परम्परा समूहों के मध्य बहुत ही निता आ गई है। उनका आपरी सम्बाध यिगड़ा है। विदेशी विद्वानों की व्याख्याएँ ही हमारे शिक्षात्र में आसाध्यन मानी जाती हैं जिससे जाति तथा अन्य समुदायों के प्रति बोध विकृत हुआ है।

आधुनिक दास्यभाव याली मान्यताओं के प्रधार से सामाजिक कलह तीव्रतर

होता जाता है। यास्तविक विद्या और ऐतिहासिक तथ्यों का ज्ञानविस्तार ही इन समस्याओं का समाधान है। जातियों के मध्य आपसी कटुता इतिहास के अज्ञान का फल है। जातिया समाज की स्वाभाविक इकाई रही है और यदि अब उस इकाई का स्वल्प भिन्न होता है तो उसका विधारविमर्श और निर्णय सामाजिक बुद्धि सामाजिक विमर्श एवं सामाजिक सवाद से ही हो सकता है। नवप्रबुद्ध वर्ग के अज्ञान को बृहद् समाज दिव्य ज्ञान के रूप में ग्रहण कर ले और अपनी बुद्धि तथा विदेक को तज दे यह सम्भव नहीं है।

समाज और राजनीति का रूप और तन्त्र क्या होगा 'मॉडल' क्या होगा यह निर्णय व्यापक भारतीय बुद्धि से ही होगा। पवित्रीकृत समुदाय इसमें चिन्ता न करे न इससे डरे। बृहद् भारतीय समाज में अधिक आत्मविकास आने की आवश्यकता तो ही ही। आरम्भ में जो भी बनेगा उसमें कमिया तो होंगी ही। पिछे अनुमति और विचार से वह बदलता जायेगा। किन्तु 'मॉडल' परम्परा का ही होगा। और कोई रास्ता भी नहीं है। न कभी होता ही है।

जब व्यापक समाज अपना अश प्राप्त कर स्वतंत्र बना से काम करेगा तब उसमें अपव्यय आदि भी होगा ही। पवित्रीकृत वर्ग को अपना अपव्यय दिख नहीं पाता। बृहद् समाज से वह बहुत भित्यव्यपिता की अपेक्षा करता है।

भारतीय दृष्टि के अनुरूप हर क्षेत्र में सयुक्त संघ का समुद्धय का सबके प्रतिनिधित्व का दाखा ही उभरेगा। मुख्यतः स्वायत्त इकाईयों के महासंघ या महासाम्राज्य स्थिति होगी जिनमें एक अन्तर्निहित एकता का बोध होगा। उसे ही विखराव या असागठन मान बैठने का डर छोड़ना होगा।

हमारे अभिजनों और शर्यतशाली जनों द्वारा पवित्र का विमूढ़ अनुकरण एक पीड़ाप्रद दुर्घटना है। अधिकेक और विमूढ़ता की यही स्थिति समाप्त करनी होगी तथा अपने भविष्य के लक्ष्य व दिशा के बारे में राष्ट्रीय बुद्धि से निर्णय लेना होगा। अनिर्णय अज्ञान और आत्मविरोध की स्थिति किसी भी स्वाधीन समाज को शोभा नहीं देती और इस स्थिति में स्वाधीनता अधिक दिन टिक भी नहीं पाया करती।

अतः यह भटकाव त्यागना होगा। प्रमाद एवं अविदेक को यिदाई देनी होगी। आन्तरिक हीनता दूर करनी होगी। अपने इतिहास का अपनी परम्परा का स्मरण करना होगा बोध प्राप्त करना होगा तथा आत्मपत्त एवं इच्छा को जगाना होगा। वही सार्वभौम और सनातन उत्कर्षपथ है सस्कृतिपथ है शुजु पथ है। उसी पथ को अपनाना होगा।

## विभाग ३

### स्वदेशी और भारतीयता

- १ स्वदेशी और भारतीयता
- २ जारी हैं गांधी पर नेहरू के हमले
- ३ हिंदुस्तानी तासीर दफनाने के लिए  
अग्रेजोंने बनवाई काग्रेस
- ४ अपना नियन्त्रण खत्म हुआ तो न स्वायत्ता रहेगी  
न स्वावलम्बन
- ५ आम आदमी की ताकत पहचानने से ही बनेगा स्वदेशी मॉडल
- ६ पश्चिमीकरण को मानने वाले आज भी दो फ़िसदी
- ७ भारतीय मॉडल सपत्ति जोड़ने का नहीं बटवारे का है
- ८ विकास का सवाल
- ९ भारतीय समाज बनाम पश्चिमी समाज व्यवस्था-१
- १० भारतीय समाज बनाम पश्चिमी समाज व्यवस्था-२
- ११ भारत का पुनर्निर्माण
- १२ हमारे सपनों का भारत ?
- १३ अग्रेजी शासन और तन्त्रव्यवस्था
- १४ कहा हैं पश्चिमीकरण की जड़ें

## १ स्वदेशी और भारतीयता

१

स्वदेशी की पुनर्प्रतिष्ठा के द्वारा भारत वर्ष फिर से सबल-सशक्त तेजस्वी राष्ट्र बन कर समकालीन विश्व में स्वधर्म को निभाये यह आकाशा देश के अधिकाश लोगों की है ऐसा मैं मानता हूँ। यद्यपि पिछले ५२-५४ वर्षों में हम जिस रास्ते पर चले वह तो हमें स्वदेशी से दूर ही ले गया। ऐसी स्थिति में स्वदेशी शील व्यवहार और स्वधर्म की पुन विरासत कैसे सम्भव होगी यह विचारणीय है।

स्वदेशी और भारतीयता की प्रतिष्ठा के लिये जहाँ प्रबल भावना का महत्व है वही उसकी प्रतिष्ठा आज कैसे सम्भव है इसकी समझ और उसे प्रतिष्ठित कर सकने की शक्ति की भी साधना आवश्यक है।

२

स्वदेशी अत्यन्त प्राधीन अवधारणा है। शायद जब से धरती पर जीवन है तभी से स्वदेशी का भाव और व्यवहार भी है। शायद स्वदेशी ही जीवों के व्यवहार की सहज प्रवृत्ति है। सभी मनुष्य समाज तथा सभी प्राणी समाज सहज ही स्वदेशी व्यवहार करते हैं। क्योंकि जैसी कि महात्मा गांधी ने १४ फरवरी १९१६ को भट्टाचार्य में ईसाई मिशनरियों के एक सम्मेलन में दिए गए अपने भाषण में स्वदेशी की परिभाषा की थी 'स्वदेशी वह भावना है जिससे कि हम आसपास के परिवेश से ही अपनी अधिकतम आवश्यकतायें पूरी करते हैं और उनसे ही अधिकाधिक व्यवहार सम्बन्ध रखते हैं' सथा स्वयं को उनका सहज अभिन्न अग समझते हैं न कि दूरस्थ लोगों और वस्तुओं से स्वयं को छोड़ने लाते हैं। स्वदेशी की यह भावना जब होगी तब हम अपने पूर्वजों के धर्म को ही आगे बढ़ायेंगे न कि किसी अन्य धर्म को अपनाने लाएंगे। अपने धर्म में जो वास्तविक कमी आ जाएगी उसे सुधारेंगे। राजनीति में हम स्वदेशी संस्थाओं का ही उपयोग करेंगे और उनकी कोई सुस्पष्ट कमिया होगी तो उन्हें दूर करेंगे। आर्थिक क्षेत्र में हम आसपास

के लोगों तथा स्वदेशी परम्परा और कौशल द्वारा उत्पादित वस्तुओं का ही उपयोग करेंगे और उन्हें ही सक्षम तथा श्रेष्ठ यनायेंगे।

महात्मा गांधी द्वारा की गई स्वदेशी की इस परिभाषा को शायद आज और अधिक स्पष्ट करना पड़े या शायद उसे कुछ परिवर्तित या परिमार्जित और परिस्कृत करना पड़े। जो भी हो इस पर गहरे विचारपूर्वक निश्चय करने की आवश्यकता है।

स्वदेशी की भावना का उपयोग १७ वीं १८ वीं शती ई में इस्टैंड में भी किया गया। तब अंग्रेज व्यापारी बड़े व्यापारिक लाभ के लिए भारतीय वस्तों को इस्टैंड तथा यूरोप में ले जा रहे थे और वहाँ के बाजारों में भारतीय वस्तु छा- से गये थे। इस्टैंड के बुनकरों और उन्नी तथा सन से बने वस्तु उद्योग के अन्य शिल्पियों ने हस्तक्षण किया और अपने द्वारा स्वदेशी वस्तों का ही ध्यान किए जाने पर यत दिया और दाव ढाला।

भारत में १९०५ ई में स्वदेशी का एक सशक्त आन्दोलन उभरा जो बगाल के विभाजन के विरोध में उठा था। इस स्वदेशी आन्दोलन की प्रमुख प्रेरणा स्वामी विदेशीनन्द थे और इसके सर्वाधिक सक्रिय नेताओं में थे श्री अरविन्द घोष।

फिर कर्मवीर महात्मा गांधी जब जनवरी १९१५ से भारतीय सार्वजनिक जीवन में आये तब से स्वदेशी के भाव और विचार में पुनः बैग आया। लगभग तीस पैंतीस वर्ष स तक स्वदेशी भारतीयों का मन्त्र बना रहा और स्वदेशी स्वराज तथा स्वधर्म की प्रतिष्ठा भारत के राष्ट्रीय जीवन का लक्ष्य - सा दिखने लगा।

आज यदि उस स्वदेशी के भाव और विधार को फिर जाग्रत करना संगठित करना और प्रबल बना कर राष्ट्रीय जीवन व्यवहार का उसे स्वभाव बनाना है तो स्वदेशी की परिभाषा और स्वल्प पर फिर से और अधिक विचार विमर्श तथा गहराई से मनन करना होगा। समकालीन विश्व सन्दर्भों को जानते तथा स्मरण रखते हुए उसकी सम्भावनायें देखनी समझनी तथा जाँचनी परखनी होंगी और उन शक्तियों को भी पहचानना होगा जो कि स्वदेशी और भारतीयता की पुनर्प्रतिष्ठा कर सकेंगी या उसका माध्यम और वाहन बनेंगी।

### ३

बाहर से कहाँ से वया वया और कहाँ तक सीखना और लेना है यह विधार भी स्वदेशी का अभिष्ठ अंग है।

यौं तो ससार भर में लोग एक दूसरे से सीखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यूरोप

ने छपाई की कला और प्रयोग विधि नाविकों का कम्पास और उसकी प्रयोगविधि बारूद बनाने का शास्त्र और विधि तथा कागज बनाने की विधि १३ वीं १४ वीं शताब्दी में चीन से सीखी। इसी तरह चेचक का टीका ब्रिटेन में पहली बार १७२० में तुकी से सीख कर लाया गया। बाद में भारत से उन्होंने चेचक के टीके की अधिक परिष्कृत और उन्नत विधि सीखी। आधुनिक शल्य चिकित्सा का उदागम भी भारतीय चिकित्सा विज्ञान से जुड़ा है। १७९०-१८१० के बीच विशेषत पुणे क्षेत्र से अग्रेजो व यूरोपीयों ने यह विज्ञान सीखा।

बढ़िया लोहा और इस्पात बनाने की तकनीक भारत में प्रचलित थी। सम्भवत उससे ब्रिटेन के लोहे और इस्पात उद्योग ने १९ वीं शताब्दी में बहुत कुछ सीखा।

जापान ने २० वीं शती ई के आरम्भ में पश्चिमी व्यवस्थाओं तकनीकों और उत्पादनों का अपने ढग से गहराई से निरीक्षण किया। ऐसा कहा जाता है कि १९१० के लगभग जापान ने अमेरिका से बीस रेलवे इजन खरीदे। इसमें से शायद एक का ही उपयोग कर जापान ने उसकी विधि को सीख समझ लिया। बताते हैं कि जब ये २० इजन जापान पहुँचे तो जापानियों ने उसमें से एक इजन को पूरी तरह से खोल डाला और उसके सब कल्पुर्जे भलीभांति देख-समझ तथा जाँच लिये और फिर उसी रूप में उन्हें जोड़ दिया।

अत एक बार हम यदि किसी तकनीक को जो हमें अपने अनुकूल लगती है आत्मसात् कर लेते हैं और उसे अपने अनुकूल ढाल लेते हैं तो फिर कोई भी याहरी तकनीक शायद स्वदेशी - सी ही बन जाती है। क्या स्वदेशी की धारणा में ऐसा कुछ समायोजन करने योग्य है? जो भी हो इस विषय में बहुत गहराई से और बही सावधानी से छानबीन कर ही किसी निश्चय पर पहुँचना होगा।

परन्तु हमारी समकालीन प्रवृत्तियों तो स्वदेशी और भारतीयताकी दिशा से विपरीत दिशा में ही चलती दिख रही हैं। यह तो है कि दिल्ली में बाबा खड़कसिंह मार्ग में हमें देश में बनी कलाकृतियों व देसी शिल्प वाली वस्तुयों मिल सकती हैं। यम्बई मद्रास कॉलकाता जैसे शहरों में भी ऐसी जगहें हैं।

लेकिन भारत के ५ लाख से भी अधिक गायों कस्त्रों और जिला केन्द्रों के बाजारों में तो सामान्य देसी वस्तुएँ भी दुर्लभ ही हो चली हैं। भारतीय सामग्री से यनी भारतीय शिल्पियों द्वारा भारतीय शिल्प परम्परा और भारतीय रूपाकृतियों में यनी वस्तुएँ तो हमें प्राय अपने बाजारों में नहीं दिखतीं।

आटे की हाथ चक्की तेल पिराई की घानी गन्ना पिराई की हाथ वाली मशीनें

मिट्टी के घड़े और पश्चल-दोने आदि तो अब हमारे सामाजिक जीवन में प्रतिष्ठा की दीर्घी नहीं रहे और उनका धीरे धीरे लोप ही हो चला है। १९२० से अली खादी भी अब कम ही हो रही है। उसके लिए क्षेत्र मिलना ही कठिन हो गया है। ऐसे ही जैसे कि पिछले १००-१५० वर्षों में लोहा बनाने वालों के लिए लोहा बनाने के पत्थर (आग जलाने वाला कोयला) का मिलना असम्भव कर दिया गया था। गोवश के प्रति श्रद्धा भाव तो अब भी है परन्तु गोवश निस्तर घट रहा है और उस पर हमारे सभ्य समाज में कोई वैद्यनी या विन्ता नहीं दिखाई पड़ती। हमारे भोजन की सामग्री भी आज अधिकतर तो और भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रक्रिया के द्वारा ही तैयार की जाती है। यहाँ तक कि छात तक खातेही घरों में भी दुर्लभ हो चली है।

तब ऐसी स्थिति में स्वदेशी की भावना का प्रसार किन शक्तियों के बल पर होगा यह प्रश्न स्वामानिक है। यह विद्यार भी अपेक्षित है कि क्या स्वदेशी में यह ड्रास अथवा स्वदेशी की यह संपेक्षा अंग्रेजी काल से शुल्क हुई या पहले से?

दिखता तो यह है कि अंग्रेजों से पराजय से पहले से भी हमारे शासक समूहों और सम्पन्न जनों में स्वदेशी का महत्व स्थान स्थान पर घटने लगा था। दिन्ती और बहुमनी के इस्लामी शासकों के आधिपत्य वाले भारतीय क्षेत्रों के असर से सन् १६०० के आसपास मराठा शासकों और मराठा कुलीनतत्र में फारसी भाषा और यैशमूवा तथा तौर-तरीकों का प्रभाव छा गया सा दिखता है। परन्तु फिर शिवाजी के समय मराठा क्षेत्र में स्वदेशी का उभार आ गया था ऐसा कहा जाता है। उस समय वहाँ फारसी मुहावरों आदि का प्रयोग भी घटा। लगता है कि १५५० से १७५० के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में भी इसी तरह स्वदेशी में गिराव व उभार आता रहा।

१८०० तक हम ब्रिटेन से हार चुके थे और ब्रिटेन का कम्जा पूरे भारत पर होता चला गया। इस हार से ब्रिटेन और युरोप के प्रति अधीनता का भाव भी दिखा। १८३० में ब्रिटिश गवर्नर जनरल बैटिक इस पर सतोष व्यक्त करते हुए कहते हैं कि 'सम्पन्न और प्रतिष्ठित भारतीय अब पश्चिमी शिक्षावाच तथा व्यवहार की विधियाँ अपनाने लगे हैं और भिकुओं सन्यासियों और ब्राह्मणों को दान देना छोड़ रहे हैं। अब उसकी जगह वह घन यूरोपीयों का आठम्बरपूर्ण छग से मनोरजन करने में लगाया जाने लगा है।'

**सम्भवतः** ऐटिक का निरीक्षण दीक्षित ही था। सम्पन्न भारतीय जन तब तक स्वदेशी तौर तरीके छोड़ने लगे थे। यह सब फ्रमशः दिखता गया।

उदाहरण के लिये कुछ वर्ष पहले मैं हरिद्वार के वित्ती पंडे की पुरानी यही पलट रहा था। मैंने देखा कि उसमें अच्छी सुस्पष्ट अंग्रेजी में घार-पोंच पवित्रियाँ लिखी हैं

और १८९५ की वह प्रविटि मेरे ही कर्त्त्वे के किसी निवासी की थी। बाकी वही हिन्दी में थी।

१८९१ से १९३१ के बीच के भारतीय जनगणना के अंग्रेजों द्वारा तैयार आँकड़े उपलब्ध हैं। उनमें शिक्षा के बारे में घार मुख्य श्रेणियाँ हैं -

१) कुल निरक्षर २) कुल साक्षर ३) देसी भाषा में साक्षर और ४) अंग्रेजी में साक्षर। जनगणना के ये आँकड़े दिखाते हैं कि तब भारत के बहुत से नगरों व क्षेत्रों में ऐसी भाषाओं में साक्षरता का जो प्रतिशत है वह अंग्रेजी में साक्षरता के प्रतिशत से केवल चार गुना है। बाकी क्षेत्रों में यह प्रतिशत आठ गुना के लगभग है। यह तो होगा कि देसी भाषाओं में किसी को साक्षर इन जनगणनाओं में तभी लिखा गया हो जब वह स्कूली प्रमाणपत्र दिखाए इसीलिए शायद देसी भाषाओं में साक्षरता का प्रतिशत अंग्रेजी साक्षरता से केवल छैगुना या आठ गुना दिखता है। भारतीय भाषाओं की पवाई में कमी का मुख्य कारण पूरे देश में घलाई जा रही ब्रिटिश नीति ही होगी।

प्रत्येक भाषा एक विशद अर्थपरम्परा दर्शनपरम्परा और विद्यार परम्परा की अभिव्यक्ति होती है। जब हम विदेशी भाषा को अपनाते हैं तो प्राय स्वय को और विश्व को व्यक्ति समाज सम्प्राणाओं मान्यताओं तथा लक्ष्यों रुद्धियों आद्वारा आदि को भी हम उसी भाषा परम्परा और संस्कृति परम्परा से देखने लगते हैं।

इसलिए न केवल उत्पादन और वस्तु निर्माण के क्षेत्र में स्वदेशी का ड्रास हमारे यहाँ हुआ है वरन् दर्शन समाज धिन्तन विधिविधान राजनीतिशास्त्र आत्मविन्तन शिक्षा आर्थिकविन्तन आदि सभी क्षेत्रों में हम यूरोपीय बुद्धि से शासित हो चले हैं। हमारी जो आत्मछयि है वह भी यूरोपीय 'इडोलॉजी' के विद्वानों द्वारा गढ़ी गई छयि है जो उन्होंने अपने ही प्रयोजन से रखी थी। हमारे जैसे पढ़े लिखे आज अपने स्वभाव धर्म धर्मशास्त्र शिल्पशास्त्र आदि को भी यूरोप द्वारा सिखाई गई आत्मछयि के माध्यम से ही देखने लगे हैं।

#### ४

तो क्या स्वदेशी के संस्कार बचे ही नहीं हैं ? ऐसा नहीं है। निजी जीवन में और अपनों के प्रति व्यवहार में हमारे साधारण जन की स्वदेशी भावना झलकती है। सम्प्रवत इसे ही भारतीयता कहा जा सकता है।

भारतीयता हमारे निजी जीवन व्यवहार और हमारी धार्मिक व्यवस्थाओं में अभी भी आडे कुछ प्राणहीन रूप में ही सही जीवित है। व्रतउपवास आदि में क्या खाएं क्या

न खाएँ पूजाअर्चना में किन वस्तुओं का किन्स तरह के पेड़ोंपतियों और फूलों का प्रयोग करें किनका न करें विवाह आदि में कैसी व्यवस्था तथा व्यवहार करें इन सबका विचार करते समय हमारे जो सस्कार उभर आते हैं और व्यवहार में व्यक्त होते हैं वे हमारे भीतर भारतीयता के सस्कारों की गहराई के सूचक हैं। भोजन वस्त्र औषधि आदि में ऐसे भारतीय सस्कार अभी पश्चास वर्ष पूर्व तक व्यापक और प्रबल दिखते थे। आज वे महुत कम हो चले हैं। तो इससे शायद यह निष्कर्ष भी निकल सकता है कि सुव्यवस्थित प्रयास से वे सस्कार फिर से प्रबल बनाए जा सकते हैं।

भारतीयता पर अधिक कुछ कहने का अधिकारी तो मैं नहीं हूँ किन्तु दक्षिणपूर्वी एशियाई देशों में कुछ विशेष लक्षण और प्रवृत्तियों हैं। उन्हें हम भारतीयता के सप में पहचान सकते हैं। परिवेश से उनका स्पष्ट मैद भी हम भलीभाति देख सकते हैं। परिवेश से मेरा आशय यूरोप रूस और अमरीकी महाद्वीप तथा अरब क्षेत्रों से है।

भारतीयता के तथा भारत से जुड़े क्षेत्रों के मुख्य लक्षण समान हैं। एक तो घरावर की पवित्रता का सिद्धांत है। सत्य और श्रुत का अग है। इसमें यह दृष्टि है कि जीवमात्र पवित्र है और आदरयोग्य है। इनमें व्यावहारिक स्तर पर कुछ घट-बढ़ या तारतम्य तो रहता है। पर जीवन का कोई भी रूप जीवन के दूसरे रूपों से इस अर्थ में श्रेष्ठ नहीं है कि एक रूप की रक्षा के लिए दूसरे रूपों को समाप्त कर दिया जाय या पूर्ण अधीनता की दशा में ले आया जाय।

इसके साथ ही हमारे यहाँ जीवन को केवल मनुष्य में या कि कुछ प्राणियों में ही सीमित कर के नहीं देखा गया। बल्कि उसे सर्वत्र देखा गया है। समग्र संषाही जीवन है। नदी पर्वत सागर दृक्षयनस्पति सभी समग्र सत्ता के महत्वपूर्ण अग हैं। मनुष्य की अपनी संघी हसी समग्र सत्ता का अभिष्म अश है। मनुष्य अन्य जीवसत्ताओं से कुछ नितान्त भिन्न या विरोधी या श्रेष्ठतम् जीव नहीं है।

मनुष्य की श्रेष्ठता का जहाँ कही महाभारत आदि में बखान है भी तो वह इसी अर्थ में कि मनुष्य को इस समग्र संषाही का सम्मान करना है इसके प्रति अपना कर्तव्य निष्पाना है उनका सरक्षण नहीं बल्कि उनके प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह उनसे मनुष्य जो लेता है उसे लौटाना क्रमशोधन करना है। यह कहीं नहीं कहा गया है कि मनुष्य श्रेष्ठ है इसलिए शेष सब उसके मोगसाधन हैं और वह उन सबके बाहे जैसे उपयोग का अधिकारी है। मनुष्य का गौरव सबके प्रति मैत्री प्रेम तथा करुणा की अभिव्यक्ति और अनुभूति में ही है हमारी धाक्कवर्त्य की धारणा तक में दूसरों के समव वीरता के प्रदर्शन का भाव ही प्रयान है उनके गौरव को समाप्त करने का नहीं। दूसरों के अपने

संस्कृतिलुप्तों को समाप्त करना तो चाक्रवर्त्य में भी निहित नहीं है। हमारी जीवन दृष्टि और हमारी सामाजिक सास्कृतिक राजनैतिक संस्थायें सभी का मुख्य आधार परस्परता स्वभाव में प्रतिष्ठित स्वर्धम् स्वाधीनता तथा अमय रहा है। इसलिए हमारे यहाँ पूरे सामाजिक संगठन में ऐसी ही व्यवस्थायें थीं।

भारत में भूमि हो जल हो या बन उस पर वहाँ के निवासियों का ही स्वामित्व रहा है। वनों पर बन के जानवरों घूमन्तू जातियों तथा बनवासियों का अधिकार भारत में परम्परा से मान्य रहा है। हमारे सामाजिक संगठन में यह व्यवस्था रही कि एक कुल-समूह या जाति समूह के एक ही तरह के प्राकृतिक साधन स्रोतों से विशेष सम्बन्ध रहे। किसी का भूमि से किसी का पशुओं से किसी का पक्षियों से किसी का वनों से किसी का जल से। फिर इनमें भी व्यवस्थित वर्गीकरण रहे। व्यापक सामाजिक विधि निषेध थे जो सर्वमान्य थे। हर समूह की सामाजिक उपयोग की मर्यादायें निश्चित थीं। वनों के बारे में भी यह बात लागू होती है। धराई का समय शिकार का समय बनस्पतियों जड़ीबूटियों को तोड़ने या प्राप्त करने का समय सदा प्राकृतिक व्यवस्था ऋतुघक्का और प्रकृति के अपने नियमों की समझ द्वारा निर्धारित मर्यादायें थीं। पवित्र माने जाने वाले पेड़ों और प्राणियों का शिकार भी निषिद्ध था। उनके जलाशय पवित्र घोषित होते थे। उनमें न शिकार सम्भव था न ही उनका कोई निजी उपयोग। हर गाय के पास अपना सार्कजनिक चारागाह और अपना सामुदायिक बनक्षेत्र या बृद्धक्षेत्र होता था। इन सामाजिक विधि नियेधों का उल्लंघन राज्यतत्र के लिए असम्भव था। ऐसा राज्यतत्र अधम मानकर बहिष्कृत और समाप्त कर दिया जाता था। मर्यादा का महत्व और व्यापक धर्म से अनुशासित स्वर्धम् की प्रतिष्ठा भारतीय जीवन दृष्टि का केन्द्रीय भाव है। राजधर्म लोकधर्म का एक अग है। लोक और लोकधर्म व्यापक हैं। राज्य लोक से अनुशासित होता है। मनुष्य समेत सभी जीव संसार्यों लोक से ही अनुशासित रहती है। लोक का अर्थ मानव समाज मात्र नहीं है। वस्तुत 'मैनकाइंड' के अर्थ में मानव समाज भारतीय जीवन दृष्टि की कभी धारणा ही नहीं रहा। क्योंकि प्रत्येक मानव समूह अपने जनपद और अपने परिवेश का ही सहज तथा अभिन्न अग है। इसलिए किसी भी जनपद के मनुष्य का उस जनपद के अन्य जीवों पशुपक्षियों जलधर-थलधर-नभधर सभी जीव जन्तुओं वृक्षवनस्पतियों आकाश नदी पर्वत तालाब-झरने कुए़ याकड़ी फस्त फूल अनाज आदि से अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध और आत्मीयता है बनिस्वत यहुत दूरवर्ती किसी अन्य मानव समूह से। इस प्रकार मध्य देश के निवासी मनुष्यों के सहज आत्मीय तो मध्य देश के ही जीवजन्तु तथा धराधर जागत हैं न कि सयुपत राज्य

अमरीका या और किसी अतिदूरवर्ती देश के मनुष्य। कुछ अश तक तो यह रिश्ता आज के सासार के दूसरे देशों में भी व्यापाहारिक रूप में घलता ही है। धराधर जीवों और जीवन से आत्मीयता के ये सास्कार अभी भी व्यवहार में प्रकट होते हैं। धीटियों कौनों कुठों के लिए अश निकालने बन्दरों को चने आदि खिलाने गायों की सेवा करने साह आदि को मुक्त छोड़ने मछलियों को खिलाने नदियों के प्रति आदर और शब्द का भाव तालाब कुए़ यावडियों यनवाने को पुण्य कर्म मानना धिक्षियों तथा विविध पक्षियों को चुगने के लिए दाने डालना शेर मगर जैसे भयकर माने जाने वाले जीवों के लिए भी गहरी आत्मीयता तथा परस्परता का भाव रखना और उनसे किसी अतिरजित भय को न पालना साप को दूध पिलाना शादीवियाह में नदियों-यावडियों कुओं आदि को पूजना और न्यौतना-ये सब हस्ती भारतीय जीवन दृष्टि के अभिन्न अवयव हैं।

इस भारतीयता में मनुष्य कोई सृष्टि का केन्द्र नहीं है। सहज अश है। रामस्त जीवनरूप पूज्य हैं पवित्र हैं और जीवन रूपों की विविधता सहज है। रक्षणीय है सभा सम्मान योग्य है। मानवीय स्वभाव का वैविध्य जीवों की ही तरह सहज और अनिवार्य है। जनपदों और कुलों के आधार पर मनुष्यों की समाजिक पहचान ही स्वाभाविक हैं और अपने परिवेश से अभिन्नता की अनुभूति भी उसनी ही स्वाभाविक है। इसी कारण हमारे यहाँ ऐसी कोई परम्परा कभी नहीं रही कि मनुष्य किसी एक मानव जाति के केन्द्रीय संगठन से अनुशासित और संयोगित होने योग्य है और मानव का संगठन हमारे यहाँ इस दृष्टि से तो कभी सौचा ही नहीं गया कि प्रकृति और प्राणिमात्र उसके शत्रु हैं और उनसे उसे अपनी रक्षा करनी है।

## ५

इसके विपरीत यूरोप की ईसाईयत की विश्वदृष्टि में मनुष्य ही केन्द्रीय सत्ता है। इस्लाम की दृष्टि भी ऐसी ही है। यही रामस्त सृष्टि का केन्द्र है। यह सम्पूर्ण जगत् जीवजन्तु और वृक्ष वनस्पतियों उसी के भोग के लिये और उसी की सेवा में है। और मनुष्य सम्पूर्ण प्रवृत्ति का तथा रामस्त जीवों का स्वामी और नियन्त्रक है तथा वह नियन्त्रक बने यही यहाँ स्वाभाविक माना गया है। यूरोपीय सम्पर्क जब यित्र के पिष्ठ भिष्ठ देशों से बढ़ा और जब वह धीरे धीरे स्वयं को प्रकृति का स्वामी मानने लगा तब से ही आधुनिक पश्चिमी मनुष्य ने मानव जाति की धारणा रखी है। मानव जाति की यह प्रारणा मनुष्य को प्रकृति के विलम्ब तथा अन्य सभी जीवों के पिलम्ब रखकर देखती है। इस धारणा यो मान लेने के बाद यही स्वाभाविक है कि पिष्ठ पिष्ठ यस्तीटियों के आपार

पर मानवजाति की विविध श्रेणियों बनाई जायें और इस श्रेणीक्रम में जो लोग ऊंचे सोपान पर हैं उन्हें शेष सबके जीवन को नियन्त्रित करने का स्वाभाविक अधिकार मान्य किया जाये। इसे ही साकार करने के लिये दर्शन साहित्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ऐसी दिशाएँ और ऐसे सम्प्रदान विकसित किये गये और उन्हें ऐसी दिशाओं में नियोजित किया गया तथा उनकी ऐसी व्याख्याएँ की गईं जिससे कि इस मानव-केन्द्रित दृष्टि की निर्विवाद प्रतिष्ठा हो और अन्ततः विकसित उच्च श्रेणी के यूरोपीय या पश्चिमी मनुष्य के लक्षणों की रक्षा और पोषण हो सके।

यूरोपीय सफलता के चकार्चांध के कारण भारतीय शासकसमूहों भारतीय राज्य की सेवा के इच्छुक प्रतिस्पर्धी समूहों तथा सम्प्रदान लोगों में भी यूरोपीय मानवकेन्द्रित मान्यताएँ आज एक सीमा तक पैठ चुकी हैं। हम इस रास्ते पर कहाँ सक विज्ञान और कैसे चल पायेंगे यह पूरी तरह सोचने समझने का समय निकाले दिना ये मान्यताएँ अपना ली गई हैं। इसी के प्रभाव से भय की और दूसरे को शत्रुभाव से देखने की मनोवृत्तियाँ भी इन समूहों में बढ़ती जा रही हैं। हमारा पुलिसबल भी समाज को भयभीत रखकर ही व्यवस्था की रक्षा कर पाना सम्भव समझने लगा है। इसलिए अपने सस्कारों के कारण वह अपने समाज का प्रत्यक्ष दमनउत्पीड़न शायद उतना अधिक नहीं भी कर पाता हो परन्तु उसके विन्स्टे हवा में फैले और समाज के सर्वसाधारण लोग उससे आतंकित भयभीत रहे उसका यह प्रयास प्राय दिखता है। राज्यसंस्था की दण्डशक्ति का लक्ष्य केवल दुष्टों को त्रास देना होता है जिससे समाज में स्वर्घर्मणालन के लिए अभय और आत्मीयता का परिवेश सुदृढ़ बने। समाज में भय का संचार करने वाला या उसमें फूट और भेदभाव बढ़ाने वाला राज्य तो हमारे यहाँ कुराज ही कहा गया है। आतंतायी राज्य को तो समाज आत्मीय भाव से देख नहीं पायेगा। इसलिए भारतीय राज्य के सेवकों तथा सेवा के इच्छुक प्रतिस्पर्धियों को भी राज्य और समाज के रिश्तों में परस्पर भय अलगाव अविश्वास तथा विरोध भाव को बढ़ावा देना त्यागना चाहिए।

हमें कौन सी दिशा अपनानी है यह निश्चित तो हमें ही करना पड़ेगा। प्रमाद और सवेदनशूल्यता की अभी की स्थिति तो हमें आत्मक्षय और आत्मविलोप की ओर ही ले जाएगी।

दुविधाग्रस्त मनोदशा में रहकर तो हम कहीं भी नहीं पहुच पायेंगे। गहराई से आत्मसमरण और मनन करना होगा और स्पष्ट निर्णय लेना होगा। अगर स्वयं को यूरोपीय सांघे में ही ढालने का हमारा मन घुका है तो उसी दिशा में सुनियोजित प्रयास करें। हो सकता है हम उसमें सफल होकर सशक्त और उन्नत समाज तथा राष्ट्र

सर्कें।

लेकिन यह अधिक सम्भव है कि इस दिशा में बढ़ने पर पश्चिम और शेष विश्व हमारी निर्भरता आज जैसी ही बनी रहे या बदती जाये तथा हम पश्चिमी जीवन शैली एक तीसरे दर्जे के अनुयायी ही बने रहें। अपने देश के ८० से ९० प्रतिशत लोगों के हम अभी की तरह उदासीन बने रहे और उन सब लोगों को घुटघुटकर जीने के विवश करने वाली अपनी वर्तमान जीवनशैली जारी रखें। इससे उनकी घुटन और ती अली जायेगी तथा हम अपनी लालसाओं में एव अपने अपेक्षाकृत छोटे पड़ोसियों प्राथ अन्ताहीन झागड़ों में और भी अधिक उलझते चले जायेंगे।

परन्तु मुझे तो आशा यही है कि भारत के करोड़ों युवा जन ऐसी हीनता नेता तथा उस पर निर्भरता को उचित नहीं मानते और यह जीवन शैली उन्हें प्रिय है। और इसलिए मेरा विश्वास है कि वे भारत की पुनर्रचना के बारे में विचार मन तथा मनन प्रारम्भ करेंगे जिससे कि भारतीय जीवन की समृद्धि विशेषता और स्त जीवन जगत के प्रति आत्मीयता तथा सामजस्यपूर्ण सम्बन्धों वाली जीवनशैली से साकार हो सके और नये नये रूपों में अभिव्यक्त हो सके।

## ६

भारत की प्राचीनता और विविधता भारत के लिये एक बड़ा करदान ही रही। न के बहाव में यह अवश्य हुआ होगा कि इस विविधता से भारत में कुछ उलझनें भी हुई होंगी। कुछ विविधताएँ तो काल के प्रभाव से मृतप्राय ही रह गयी होंगी अवशेषों री।

भारतीय साहित्य मात्रा में तो विराट ही ही इसकी रचना की कालावधि भी दीर्घ है। विश्व के और साहित्यों की तरह इसमें भी नयी नयी कृतियाँ विद्यार इस्थाएँ जुड़ती रहीं और समय समय पर पहले कही गयी मार्तं नये नये ढाँगों से कही गी रही। इस प्रकार के बदलाव सभी क्षेत्रों में मिलेंगे जाहे वह ज्योतिषशास्त्र हो या उर्द्वेद या राज्य और अर्थनीति या रामायण ही। महर्षि वाल्मीकि के रामायण के माद कों रामायण रथे गये और उन सबमें अलग अलग तरह से पुराना कुछ कुछ बदलता ही और नया कुछ कुछ जुड़ता गया। भारत की सनातनता एक तरह से भारतीय प्रवाह ही उसके ग्रन्थों व स्थिरता में नहीं।

इस्लाम के शासकों ने जहाँ जहाँ उनका कुछ प्रमुख रहा वहाँ भारतीय सनातनता को मांधकर देखने की कोशिश की जैसा कि विदेशियों को अपरिधित

स्थानों विधारों व सामग्रियों के साथ अपनी समझ के लिये करना पड़ता है। उन्होंने भारतीयता को जहां सहा बाधना चाहा उसमें स्थिरता और शिथिलता लानी चाही। लेकिन उनसे यह अधिक नहीं हो सका।

युरोप और विशेषत अंग्रेज इस दिशा में और कार्य में अधिक तीव्रता से आगे बढ़े। अंग्रेज पूरे भारत को राजनीतिक और आर्थिक तौर पर अपने अधीनस्थ भी कर पाये। अपने राज्य को पक्का करने के लिये उन्होंने भारतीय ग्रन्थों में से वह सब छाट छाटकर इकट्ठा किया जो उनके काम का था और उसे ही ऊपर उछाला। उसी में से एक सरह का भारतीय इतिहास रचा गया और भारत की व्याख्याएँ बनाई गई। ऐसे इतिहासों और व्याख्याओं में सब असत्य या काल्पनिक ही हो ऐसी बात नहीं है। लेकिन यह सब जो वित्रण किया गया यह सन्दर्भ रहित हो गया। इसमें भारतीय चित आत्मा और मानसिकता एकदम किनारे रख दी गई। यह वित्रण जो अंग्रेजों द्वारा किया गया इससे १८६०-१८७० के बाद भारत में एक बड़ी टूटन हुई। धीरे धीरे सन्दर्भ अदृश्य जैसे हो गया और टूटा एवं बिखरा भारत हमारे पास रह गया।

स्वराज आने का लक्ष्य यह था कि हम भारत के अपने सन्दर्भ को फिर से पायें तथा बिखरे और रींदे हुए भारतीयता के लाखों टुकड़ों को भारत के सन्दर्भ से फिर से जोड़ें। यह काम हम अभी तक नहीं कर पाये हैं। शायद अभी तक हमें यह सूझा भी नहीं है कि इस तरह का सन्दर्भ खोजना और बिखरे टुकड़ों को इससे जोड़ना भी हमारा काम है।

पुराने अवशेषों के अलावा अब हमारे यहाँ बहुत ही अधिक पिछले २००-४०० वर्षों में बनी व्यवस्थाओं कानूनों तन्त्रों बीमार मानसिकताओं का ढेर कमाड़ इकट्ठा हो गया है। हमें जीवित रहना है तो इन सब को हटाकर कहीं जलाना व दफनाना ही पड़ेगा। तब ही ठीक तरह से सन्दर्भ मिलेगा और जैसा भी जुङाय हम आज घाहते हैं वह यन सकेगा।

## २ जारी है गाधी पर नेहरू के हमले

क्या अंग्रेजों ने भारत के बौद्धिक वर्ग के पश्चिमीकरण को अपने सुरक्षा क्षवव की तरह इस्तेमाल किया और जब सत्ता देने की बारी भी आई तो सत्ता उन हाथों में सौंपी गई जो पश्चिमपरस्त थे और जिनको अपने देश के विकास के लिए स्वदेशी मॉडल बनाने में कोई रुचि नहीं थी? क्या सत्ता हस्तान्तरण को भी औजार के रूप में इस्तेमाल किया गया और नेहरू इस काम में अंग्रेजों के नजदीकी मददगार बने पर सत्ता और सत्ता को सभाल सकने की जो बुनिदायी घटुराई उनमें थी उसने उनको बेनकाब नहीं होने दिया?

अंग्रेजों ने भारत के बौद्धिक वर्ग का राजनीतिक इस्तेमाल किया। १९२० में 'सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स' ने बाह्यसराय को लिखा कि जमीदार वर्ष पर बचाव का भरोसा मत रखो। इस काम में बौद्धिक वर्ग को लगाओ। बौद्धिक वर्ग से यह काम १८ वीं सदी के उच्चराष्ट्र से ही लिया गया होगा। इस देश की आम जनता का जो रुख था उसे देखते हुए अंग्रेज इस देश में अपने निजाम की सुरक्षा के बारे में कभी आश्वस्त नहीं थे। मेटकाफ भारत में इस्लैंड से अंग्रेजों को बड़ी सख्त्या में लाने की सिफारिश करते हुए यह कहता है कि 'यह ठीक है कि यहाँ के लोग स्वामिपत्र हैं। पर भरोसे में मत रहिए। हवा का रुख बदला तो स्वामिपत्र का घोला उत्तर जाएगा और हमारी खैर मही'। १९२० के बाद तो ऐसा हुआ कि जितने राजनीतिक वर्ग और धाराएँ थीं अंग्रेजों की कोशिश उन सबमें अंग्रेजियत माननेवाले लोगों को दाखिल करने और जमाने की रही जिनको जलरत पड़ने पर पीटा भी जा सके पर जिनके साथ धैठकर घाय भी पी जा सके। आखिर मोहीलाल नेहरू गवर्नर के साथ टैनिस खेलते थे न। कुछ उसी तरह का मामला। जरा १९४२ में भी देख लीजिए। अगस्त १९४२ में ड्रिटेन सरकार के एक मंत्री को रुझवेल्ट समझाते हैं कि सत्ता हस्तान्तरण का बक तो ड्रिटेन को ही तय करना है। पर उसे यह भी तय करना चाहिए कि आज्ञादी के बाद भारत पश्चिम के असर में रहे। यीन के विदेश मंत्री ने भारत को एशियाई राष्ट्र कहा है। रुझवेल्ट उसे चुनौती देते हैं कि नहीं भारत के लोग यूरोपीय समुदाय के हैं। हमारे कजिन (यद्येरे भाई) हैं। यह

रिश्तेदारी हमारे पढ़ेलिखे लोगों के मन में बहुत दिनों से समाई थी। जिनकी सख्त्या लगातार बढ़ी थी। नीरट घौघरी वगैरह यही चर्चेरे भाई हैं न।

लेकिन स्वदेशी और भारतीयता को प्रतिष्ठित करने में महात्मा गांधी कहा मात खा गए? उनसे धूक कहा हुई? इसके बारे में मुझे लगता है कि १८ वीं शती के उत्तरार्थ में देश के अंग्रेजीदा पाच फीसदी लोगों ने जो राजनीति तुरु की उसके केन्द्र में सत्ता में भागीदारी की मांग तो थी ही साथ ही अंग्रेज और अंग्रेजियत को अपने से बड़ा माना गया था। मान लिया गया था कि हम लोग तो हजार साल से ज्यादा समय से गुलाम ही हैं। दूसरों पर निर्भर ही रहे हैं। भागीदारी की मांग में कमतर होने की स्वीकृति भी थी। इस कार्य को महात्मा गांधी ने १९२० में राजनीति की मुख्यधारा से बाहर कर दिया। कुछ अद्यतात्त्व हो गए। कुछ सार्वजनिक जीवन से हट गए। कुछ उदारतावादी हो गए। पर ज्यादातर लोग कांग्रेस में ही बने रहे। गांधी की शक्ति और चमक से वे ढरे। कुछ ने यह भी सोचा होगा कि घलों कुछ देर तक चलने दो यह चमक। कुछ में भक्तिभाव भी पैदा हुआ होगा कि शायद गांधी ही सही सोच रहे हो। १९४० तक वे किनारे पर रहे। पर उसके बाद उन्होंने गांधी को अलग ठेल दिया। इन तबकों के सामने गांधी की मजबूती का जरा अदाज लगाइए। सुशीला नायर की ढायरी में हैं। १९४३ में गांधी जी जेल गए तो कहते थे कि जल्दी ही छूट कर बाहर जाऊँगा। फिर वे कहने लगे कि नहीं अब सात साल जेल में ही रहूँगा। १९४४ में तो वे बाहर जाने के लिए तैयार नहीं थे। आगे का फैसला लेने में उन्हें दो तीन महीने लग गए। गांधी की ऐसी प्रोग्रामिंग भी थी। वे ऐसा करते थे। और अहमदनगर जेल में नेहरू उनके लिये क्या सोच रहे थे। यही कि अब एक और उपयास हो जायेगा। नेहरू के दिमाग में पिछले को देख देख कर यही यना था गांधी का मॉडल। १९४३-४४ में अपने अलग थलग पह जाने का आभास केवल गांधी को ही नहीं रहा दूसरों को भी हो गया। अंग्रेजीदा लोग गांधी को उनकी महानता से तो बेदखल नहीं कर सके पर वास्तविक अर्थों में गांधी की बेदखली हो गई।

इसी के साथ स्वदेशी की कम्फी भी शक्तिहीन हो गई। पर क्यों? महात्मा गांधी का अपना खड़ा किया कांग्रेस का ढांचा भी इस काम के लिए माकूल नहीं था। १९२० में कांग्रेस के ढांचे का झापट गांधीजी ने खुद बनाया। ढांचा यह है कि नीये मेंररशिप है। फिर जिला फिर प्रदेश फिर अखिल भारतीय समिति है। फिर अध्यक्ष है। अन्तिम फैसले की ताकत ऊपर है। उसी में नीये वालों की राय भी मान ली जाती है। देश नीये हैं और उसकी लीडरशिप ऊपर। सरकार का मॉडल ही कांग्रेस का भी मॉडल हो गया। यही कलेक्टर कमिश्नर गवर्नर मॉडल। गांधीजी को शायद लगा कि अंग्रेजों से लड़ाई

उनके जैसा फैद्रित मॉडल बनाकर ही लड़ी जा सकती है। तो वैसा ही मॉडल बना तो उसे घलाने के लिए वैसे ही लोग भी आगे रखने थे।

इस युद्ध में नेहरू पश्चिमी मॉडल के प्रतीक हैं। गांधी भी उन्हें ऐसा ही मानते हैं। पर यह भी मानते हैं कि नेहरू को मोड़ा जा सकता है। वे सोचते हैं कि पश्चिमी मॉडल को हराने के लिए इस नेहरू को जीतना है। इसे जीत लिया तो फिर सबको जीत लिया। उन्हें अपनी जीत का भरोसा भी होता है। पर यह जीत वे हासिल नहीं कर पाते। गांधी अत्तरराष्ट्रीय ताकतों के दखल को भी ठीक से समझ नहीं पाए। यह मान कर थलते रहे कि उनकी कोई दखलदाजी नहीं होगी और सब कुछ आपस में सुलटने के लिए जस का तस स्थिर रहेगा। पर १९४४ के बाद तो इन ताकतों ने गांधीजी को हाशिए पर ढेल दिया।

नेहरू? १९४५ में तो नेहरू ने साफ कहा कि गांधी के स्वदेशी राग को उन्होंने कभी यिधार के लायक भी नहीं माना। कांग्रेस ने भी स्वदेशी की यात्रीत १९३७ में ही छोड़ दी थी। नेहरू तभी तक यह नेता बन चुके थे। गांधी मूल में सम्मता का सर्वथा तो लड़ रहे थे पर उनका मूल प्रश्न पहले आजादी हासिल करने का था। उन्हें समझते करके घलना पड़ता था। उनकी मजबूरी उस सेनापति की मजबूरी थी जो अपनी सेना की ट्रूट नहीं चाहता। वे सोचते थे कि युद्ध में सबको साथ लेकर थलो। आजादी मिली तो फिर सब कुछ सभल जाएगा। उन्होंने पश्चिमपरस्त लोगों और उनके नेता नेहरू को सन्तुलित करने के लिए कोशिशें कम नहीं की। गांधी सेवा सघ बनाया गया। सघ पश्चिमपरस्त सबके के खिलाफ दबाव बनाने का साधन ता। १९३८ में नेहरू जब विदेश जा रहे थे तो उन्होंने सघ के खिलाफ हमले का विगुल बजाया कि सघ राजनीति यह रहा है। फिर सुमाप धंड बोस लाली मजबूत बनी तो महात्मा गांधी को १९४० में सघ को सर्पेंड करना पड़ा। विसर्जित उन्होंने नहीं किया। कहा कि फिर जिंदा करने की जरूरत पड़ सकती है। गांधी पर सबसे पड़ा दबाव तो टैगोर कम पड़ता था। सुमाप नेशनल प्लार्निंग कमेटी गठित करना और नेहरू को उसका अध्यक्ष बनाना चाहते थे। तो मेघनाद साहा जुटे। टैगोर से बात हुई। टैगोर ने गांधी को मनाया। नेहरू अध्यक्ष बने। नतीजतन विकास का पश्चिमी मॉडल कांग्रेस के नीति मॉडल में हावी हो गया। और गांधीजी ने नेहरू के अपना उत्तराधिकारी ही घोषित किया। १९४० की कांग्रेस कार्यसमिति में गांधी योस मौरह के खिलाफ अपने लोगों की एकत्रिता जीत थाहते हैं। भेहर समर्थक एक तिहाई हैं। तो समर्थन लेने के लिए बातचीत में कह देते हैं कि मेरा उत्तराधिकार सो नेहरू को ही मिलेगा। असली खेल बाद में हुआ। कुछ दिनों बाद

अखदारवाले गांधी के पास पहुंचते हैं। और उनसे सवाल पूछ पूछ कर मुह से निकली बात को कबूलवाया जाता है। यात रिकार्ड में ला दी जाती है। नेहरू इसे गाठ में बाध लेते हैं। और जब यक्ति पछता है तब यह यात १९४४ में उछालकर सामने ला दी जाती है।

महात्मा गांधी जम ताकत में रहते हैं उनके सामने सब कुछ दबा रहता है। पर ताकत कम होते ही मामला उलट जाता है। १९२७ में नेहरू विदेश प्रवास से लौटकर आते हैं तो उनको आगे कर आजादी का प्रस्ताव पास किया जाता है। आजाद रूप से। इसमें गांधीजी के स्वदेशी स्वराज आदि के सन्दर्भों में उन्होंने १९२० से जो कुछ किया उसको चुनौती है। गांधी चाँकते हैं। और फिर जरवरी १९२८ में एक-दूसरे को चिट्ठिया लिखी जाती है। गांधी आर पार लड़ाई की चुनौती दे ढालते हैं। आजादी मनाघ स्वराज का लेख लिखते हैं। जानते हैं कि आज कौन लड़ेगा। सदक सिखा रहे हैं। और मामला वहीं खत्म कर देते हैं। पर दूसरे ? दो टूक शब्दों में कहूं सो नेहरू और उनके लोगों ने पिछले ५० साल में गांधी के साथ धौतरणा बदला लिया है। उन पर गिन गिन कर अनगिनत हमले किए हैं। उन्हे अपमानित करने की कोई चेष्टा नहीं छोड़ी है। गांधी से उनका युद्ध अभी भी जारी है।

### ३ हिंदुस्तानी तासीर दफनाने के लिए अंग्रेजों ने बनवाई कांग्रेस

स्वदेशी और स्वदेश को जानने-समझने के लिए क्या पिछली दो सीन सदियों के इतिहास को उधाड़ने की फौरी जल्दत है कि जिस आपरेशन के बिना असलियत का पता नहीं लग पाएगा ? लेकिन अगर इस काम से एक से एक मूर्धन्य महापुस्तकों का मानभजन हो गया तो ?

मुझे इस काम से कोई एतराज नहीं है। बल्कि देश में बेहतर मानवीय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक सम्बन्ध कायम करने के लिए मैं इसे जल्दी मानता हूँ। कहाँ थी कुचाल ? लॉर्ड विलियम १८३० में कहता है कि हमारे प्रयासों का भारतीयों पर असर तो पढ़ा है। लोगों ने अंग्रेजियत अपनाई है। उनकी परम्पराएँ टूटी हैं। अंग्रेजीदाँ वर्ग में पैसा यूरोपीय तर्ज के मनोरजनों पर बहाया जा रहा है। १८७० आते-आते यह अंग्रेजीदाँ वर्ग इस बात के लिए अकुलाने लगा कि जब हम अंग्रेजों की सरह रहना जानते हैं उन्हीं की सरह अंग्रेजी बोल लेते हैं राजनीति और दर्शन वौरह पर भी बात कर लेते हैं तो फिर वे हमें थोड़ा बराबरी का दर्जा क्यों नहीं देते ? रिघर्ड टैपुल १८८०-८२ में कहता है कि इन लोगों को कानून वौरह पढ़ा देने से ऐसा हुआ है। थोड़े होशियार हुए हैं तो होशियारी दिखा रहे हैं और बराबरी की मांग करते हैं। अब इन्हें जरा विज्ञान की जलक खिलानी चाहिये जिससे ये लोग हमारी भौद्धिक दासता स्वीकार यर्दे।

भारतीय तासीर का अंग्रेजी जासन और अंग्रेजियत के खिलाफ मौलिक विरोध के रूप में १८७० के आसपास उत्तर प्रदेश और बिहार में गोहस्या के खिलाफ जबरदस्त जन आन्दोलन उठ खड़ा हुआ। तत्कालीन बाइसराय के मुताबिक इसकी ताकत १८५७ के स्वाधीनता संग्राम जैसी ही थी। रानी उसे धिन्ही भेज कर साक्षान रहने को कहती है कि आन्दोलन हमारे ही खिलाफ है मुसलमानों के खिलाफ नहीं। गोमांस हम अंग्रेज ही उपादा खाते हैं। देश के दूसरे हिस्सों में भी इस तरह के दूसरे देशी विरोध उठ रहे थे। इसे मोड़ कर नह करने और अंग्रेजीदाँ वर्ग में उठी बराबरी की मांग को शर्तोप देने के लिए ही कांग्रेस का जन्म हुआ। स्वदेशी को खत्म करना लो कांग्रेस के गर्भनाल में है।

अंग्रेजों की श्रेष्ठता मान लेने से बौद्धिक वर्ग ने अंग्रेजों का काम ही आसान किया। अंग्रेजों ने अपने राज्य को वैधता देने के सिलसिले में भारत के हजार साल से गुलाम रहने का रट्टा खढ़ा कर दिया। कब था भारत हजार साल से गुलाम? गजनवी वैरह तो लूट के लिए आए। मुसलमानों का कम्जा तो १२०० से शुरू हुआ। लेकिन कितनी दूर? उचर भारत के कुछ हिस्सों में। वह भी पाकेट्स में। ऐसा नहीं था कि साग-बथुए की तरह यहाँ के लोग दब गए थे और मुस्लिम निजाम घारों ओर पसर गया था। मुसलमानों को अंग्रेजों की तरह जिला-जिला पहुँच कर प्रशासन की सीढ़ी बनाना नहीं आता था। इसे अन्त तक देखें। हिन्दुस्तान कोई मुसलमानों के हाथ से अंग्रेजों के हाथ में नहीं गया। हिन्दुओं के हाथ से गया। मराठों ने दिया। बगाल के राजाओं ने दिया। सिराजुद्दौला वैरह की तो नाम मात्र की सचा थी।

फिर अंग्रेजों ने हर्में अपने नजदीकी समयबोध से भी काट दिया। जैसे हिन्दुस्तान में २०००-३००० साल की अवधि में सामाजिक सरचनाओं का समय के मुताबिक कोई विकास ही नहीं हुआ। पुराणों उपनिषदों और सहिताओं से उदाहरण ढूँढ़ कर हमारी अठारहवीं सदी का फैलावा होने लगा। भारतीय धर्मशास्त्रों के कमाल कमाल के विशेषज्ञ निकल आये। यह साधित किया जाने लगा कि मनुस्मृति में वर्णित वर्णश्रम धर्म ही समाज का मानक है। मनु उभार कर सामने लाए गए तो दलित आशकाए भी उभरी। अठारहवीं सदी के हिन्दुस्तानी समाज की क्या कोई तस्वीर नहीं थी? थी। शोध साधित करते हैं कि उन मुरे दिनों में भी हिन्दुस्तानी मजदूर की मजदूरी इस्लैंड में दी जा रही मजदूरी से ज्यादा थी। बगाल पर पूरे कम्जे के बाद १७६५ में सवाल उठा कि किसानों से मालगुजारी क्या ली जाए? ये किसान तब छठा-आठवा हिस्सा ही देते थे। जबकि इस्लैंड में तब के बटाईदार जमीदार को आधा हिस्सा देते थे। अब अंग्रेजों को वसूलना आधा है तो फिर उसके लिए चलो पुराने टैक्स्ट (Taxt) ढूँढ़ो। तो अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में पहुँचते हैं। वहाँ सवाल-जवाब में सलाहकार खिलजी को बता रहे हैं कि मैरमुसलमान से राजा उत्पादन का ५० फीसदी हिस्सा भी कर में ले ले तो गलत नहीं है। खिलजी का यह सवाल जवाब प्रमाण बना दिया गया। यह कह कर के कि जब अच्छा प्रशासन होता है तो लोग ५० फीसदी कर देते हैं। अब तक छठा-आठवा हिस्सा इसलिए देते थे कि अब तक अच्छा प्रशासन नहीं था। १७८०-८५ में घनारस में एक ग्राहण पर हत्या का झलजाम लगा। यह कुछ धरने वैरह में हुई मौत थी। काफी पहले से हमारे यहाँ इस प्रकार के दण्डों के लिये काला टीका करके देश निकाला देने का रिवाज था। मामला कोलकाता जाता है। विलियम जोन्स के पास। वे भारतीय धर्मशास्त्र

राजनीति में होनी थी। हम लोग तो उसकी आर्थिक अभियांत्रिक करने में ही लग गए और मारे गए। स्वदेशी यानी यही कुछ कपड़ा यपड़ा। कुछ तेल बेल खाने-बाने की बातें। इसमें तत्र व्यवस्था मर्यादा पर प्राथमिकताओं पर बात नहीं थी। स्वदेशी तो प्राथमिकताएं होती हैं। वे तय होंगी तो उन्हें कैसे पूरा करना है। इसका रास्ता बनेगा। इस काम के लिए कुछ उधार भी लेना होता तो लेफ्टर उसे अपने में मिला लेते। उसका स्वदेशीकरण हो जाता। १९०५ की स्वदेशी की बगाल बाली विधारधारा सताह पर ही थी। नीचे धसती तो यहस होती। अरविन्द जैसे लोग कुछ सैद्धांतिक व्याख्या कर गए। बस।

स्वदेशी क्या हो। इसे तय करने के लिए राज्य और समाज कैसे व्यवस्थित हो। इस सवाल पर जाना होगा। इनके आपसी रिश्ते क्या हैं और इनके मूलाधार क्या हैं। यह तय करना होगा। अपने यहाँ जातिया ही नहीं रही उनमें अदरुनी विभाजन भी जोर का रहा है। १९०१ की जनगणना में पजाम में १७०० खानों में जाट बटे हैं। ये शायद १७०० कुल रहे होंगे। यह कुल प्राथमिक इकाई रही है। परिवार नहीं कुल। कैसले इसी इकाई में होते हैं। ये कुल इकट्ठा होते हैं तो कुछ सधीय सा सयोजक बाधा बनता है। इस दाये में कैसलों की प्रक्रिया कई स्तरों में रही होती। १००-२००-५०० साल पहले के कुलों की रक्षा विदेशी नीति आदि की जसरत दूसरी थी। आज हमारी जसरत दूसरी है। पर इस बात की सोच नहीं बढ़ी। यह मानने की आदत से कि भारत ऐसा रहा है और ऐसा ही रहेगा। फिर छोटे समूह में रहने की आदत थी। ढेर सारे कुल थे। गुरु की चेलहाई के आधार पर। पथ के आधार पर। पर यह नहीं कि इन कुसों का आपस में कोई सम्बन्ध नहीं है। आपस में शादी व्याह और खानपान नहीं हैं पर इसका अर्थ यह नहीं कि वे एकदूसरे को छोटा मानते हैं। भिन्नता वहीं तक है। याकी सब बातों के लिए लोग इकट्ठे होते होंगे और व्यवस्था का सघालन होता होगा।

फिर यह विभाजन कि लड़ने का काम केवल धन्त्रिय का है। आदि आदि तो यह बात मूल में महीं रही होगी। मूल में तो लड़ाई के तत्र में तमाम लोग लगे थे। इरा बात को समझकर ही ढाचा बनाया जाना था। १८०० का भारत ऐसा ही था और वही अपने हिसाब के सरबनाए बनाई गई होती तो दो चार पीढ़ियों में स्वदेशीकरण हो जाता। यह आज भी हो सकता है। पर यह समझकर कि ज्यादातर सोगों का बास्ता भौतिक उपति से ही है। उन्हें वह घाहिए। और यह दिया जा सकता है। दूसरे यह कि दुश्मन तो कभी खत्म होते नहीं। इनसे बघाय सो करना ही होगा। इस खाके में भौतिक दाये (उत्पादन

वगैरह) की बात चलती तो कहीं पहुचा जा सकता था। स्वदेशी का वह जो ठेठ अर्थ है कि इलाके में बना सामान ही खरीदना चाहिए आदि आदि वह गिर जाता है। राजनीति और व्यवस्था उससे नहीं मिलती तो उसे सहारा नहीं मिलता। १९४५-६० में महात्मा गांधी ने यह जो घरखें की बात पकड़ी तो गुजरात में उस वक्त चर्खों का घलन नहीं रहा होगा। पर प्रजाबंध वगैरह में तो १९४५०-६० तक घर्खा खूब घलता ही था। भारतीय कपड़ा उद्योग पर जो शोध हुए हैं वे यह नहीं कहते कि आर्थिक चुनौती से कपड़ा उद्योग हारा। हारा वह राजनैतिक प्राजय से। उसकी वजह से लगे शुल्क (कर) से।

आज का उदारीकरण यदि देश के विकास की सुविधारित रणनीति के तौर पर हो रहा हो पूरे मन से हो रहा हो तो इससे भी बेहतरी हो सकती है। १९५०-६० में जापान इस रास्ते चला तो ५ १० साल बड़ी खलबली रही। पर उन्होंने सैन्यीकरण भी किया। आज उसने कई मायर्नों में अमेरिका को पछाड़ रखा है। विश्व बाजार की प्रक्रिया पर उसने महारत हासिल कर ली। यह महारत हमारा इरादा हो तो इस नई आर्थिक नीति के भी फल निकल सकते हैं। पर हम लोगों ने अपने लोगों को रक्षी मान लिया है उसकी वजह से यह मानसिकता होगी इसका भरोसा नहीं होता।

नई आर्थिक नीति के खिलाफ उठने वाली आवाजें बज नहीं रहीं। कारण विरोधियों के पास मुकाम्बिल सोच नहीं है। अपना मॉडल नहीं है। लोग बहुराष्ट्रीय कपनियों का विरोध कर रहे हैं। जैसे आजादी बघाओ आन्दोलन है। जार्ज फन्डीझ है घट्रशेखर हैं। तो ईस्ट इस्टिया कपनी क्या थी? बहुराष्ट्रीय ही थी न। यूरोप और पश्चिम तो ऐसी कपनियों से ही चलता है। यही वहा का घलन है। यथा इसे नहीं समझना चाहिए? यदि घट्रशेखर जार्ज आदि-आदि के पास स्वदेशी की परिभाषा होती उसका मॉडल होता तो यहस हो जाती और लोग सोधते। पर वह नहीं होगा। इसलिए कि व्यवस्था और तत्र के स्वदेशीकरण की नहीं सोची गयी है। तय तो पहले प्राथमिकताएं की जानी चाहिए। फिर कुछ उधार भी लेना होता तो लेकर ढाला जाता। स्थिर अपने हाथ में होगा तो उधार का भी स्वदेशीकरण हो जाएगा। अभी सो पश्चिम से हम सब कुछ पैकेज में ले रहे हैं।

इस बात की अनदेखी किए हुए कि उधार में लाई जा रही तकनीक और रिक्षात फी अपनी भी स्वायत्ता होती है। हमें तो अपनी जरूरत की थीजों से ही सारोकार रखना था। थौथे दशक की नेशनल प्लानिंग की उपसमिति की वर्षा बैठक में गांधी जी ने कहा

कि पहले उत्पादन का लक्ष्य तय किया जाए। फिर यह आपस में तय हो जाएगा कि किसना उत्पादन देशी तरीके से होना है और किसना औद्योगिक तरीके से। मामला बस इतना होगा कि ससाधन बाहर से नहीं आएंगे। दानों क्षेत्र भीतर के ही ससाधन बरतेंगे। तो व्यवहार को भानक बनाए तो कहीं कोई दिक्षत नहीं है। पर नियन्त्रण अपना होना चाहिए। अपना नियन्त्रण खरू हुआ तो न स्वायत्ता रहेगी न स्वावलम्बन।

## ५ आम आदमी की ताकत पहचानने से ही बनेगा स्वदेशी मॉडल

गांधीजी खुद स्वदेशी का एक कच्चा सा मॉडल बना पाये थे। पश्चिमी रग में रो नेहरू के लिए तो इस कच्चे मॉडल को आगे बढ़ाने का सवाल नहीं था। इसलिए कांग्रेस में नेहरू के शक्तिशाली होते ही गांधीजी का यह कच्चा मॉडल भी धराशायी हो गया।

देश न स्वदेशी मॉडल पर टूट रह सका और न विदेशी मॉडल अपना सका। और उसके हाथ में भीख का कटोरा ही है। इसके पीछे क्या कोई और कारण है? आजादी के बाद जवाहललाल नेहरू और उन जैसे लोगों ने देश की आम जनता को फिर से उसी अत्महीनता की ओर ठेल दिया जिस ओर विदेशी शासन उन्हें पहले ही ठेल चुका था। लोगों को यार बार इस बात का अहसास कराया गया कि आप तो २०० साल पिछले हो। दरिद्र हो। कमज़ोर हो। बेकार हो। जो अच्छा है और अच्छा हुआ है वह तो पश्चिम में है। विदेशी शासन के दौरान देश को बचाए रखने के लिए अपने लोगों की तारीफ करने का तो सवाल ही नहीं रहा। नेहरू और उन जैसे लोग कभी इस बात के शुक्रन्युजार नहीं रहे कि इन्हीं भूखे और दरिद्र लोगों ने अपनी हँडियों को निघोश निघोश कर इस देश को बचाया है। इन्हीं की कुर्यानी के कारण गुलामी की जजीरों के बीच भी यह देश बघा रहा है।

इतना ही नहीं आजादी की लड़ाई में उमड़े जनसमुदाय को भी यह कह दिया गया कि जाइए आपका काम पूरा हुआ। जाकर अपनी खेती-किसानी करिए। देश हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। देश हम सभाल लेंगे। इस बात की कोई भावना नहीं रही कि आप सबने मिल कर बड़ा काम किया। कुछ विकृतियाँ आई हैं। आइए, उन्हें हम और आप मिल कर दूर कर लें। लोगों को एहसास कराया गया कि न्याय तो दिल्ली मुम्किन कोलकाता घोषित सखनऊ पटना भोपाल से ही हो सकता है। देश सेंट स्टीफेन्स में पढ़े लोग ही चला सकते हैं। आम हिन्दुस्तानी में वह मादा कहाँ। वह तो झाझग सम में ठीक से फर्नीचर रखना भी नहीं जानता। देश याने में उसकी घली तो वह तो देश को बरबाद करके ही रख देगा। १९२० तक तो इस देश के आम आदमी को हीन कहा ही जा रहा था। नेहरू ने लोगों में वह हीनता फिर से भर दी। उनका यह राष्ट्रसे बड़ा

योगदान है कि उन्होंने लोगों के मन में यह विचार दिया कि तुम दरिद्र हो। येकार हो। नतीजा? गाँव में पचायत भी मनेगी तो उसे वह सुपरवाइजर घाहिए जो सब कुछ सरकारी जुषान में बदल फ़र रख दे।

जब तक हम इस खोए हुए आत्मविश्वास को फिर से वापस नहीं लाते तब तक न देश स्वदेशी घल सकता है और न विदेशी। धीर्जों को देखने का पूरा नजरिया ही बदल गया है। आज बहुत से लोग यह कहने में सकोथ नहीं करते कि हिन्दुस्तानी तो केवल हुई पालीधीन की थैली से भी नई थैली बना लेता है। यह कहने वालों की भी कमी नहीं है कि इसमें लगे लोग अच्छी तरह कमाई भी कर लेते हैं। पर वे यह नहीं देखते कि यह तो कमाली का ही आलम है। ऐसा काम कोई प्रेम से नहीं किया जा रहा है। ये भगार (कूड़ा-कर्कट) बीनने-बटोरने वाले कैसी जिंदगी जी रहे हैं यह भी आखों से ओझल कर दिया जाता है। हम यह भूल जाते हैं कि इससे जो धीज सामित होती है वह यह है कि हमारो लोगों में जीवट अदम्य है। आम लोगों को हिकारत से देखने का नजरिया कलेक्टरों ऊंचे बगों और राजनीतिकों में ही नहीं है सेवाग्राम और पवनार जैसी ऊँची जगहों में भी आए नवयुवकों को यही सिखाया जाता है कि गाव वालों से ज्यादा सम्पर्क न करो। ये अच्छे लोग नहीं हैं। जल्दी नहीं कि यह मानसिकता अग्रेजों की ही दी हुई हो। यह मानसिकता हमारी धर्मध्यवस्था और मनुवाद से भी निकली हुई हो सकती है। पर जब तक यह मानसिकता बरकरार है सब तक देश का आम आदमी खड़ा नहीं हो सकता। और जब तक वह नहीं खड़ा होता तब तक न तो स्वदेशी घल सकता है न विदेशी।

अपने को हीन देखने और अपनेपन को छोड़ने की यह मुराई प्रभाव विकसित हुई है। दरअसल यह ५००-६०० साल पुरानी ही है। कमज़ोरी पहले भी रही होगी। पर जब तक अपने तरीके से क्रम घलता रहा आश्वस्तकारी आते रहे और इसी धर्मध्यवस्था में जास्तियों आदि के खाने में खपते रहे मूल्यों पर कोई बढ़ा आश्वस्त नहीं हुआ। सब तक शिथिलता सामने नहीं आई। मुसलमानों का प्रभावी राज्य तो १७०० के आसपास ही खत्म हो गया। इसके बाद तो शाजे रजवाहे जगह जगह रहे हो गए। देश को पुनर्जीवित करने की कोशिशें भी हुईं। इस प्रकार की कोशिशें विजयनगर राष्ट्राज्य ने कीं। मराठों ने भी कीं। धैतन्य जैसे लोगों ने कीं। पर भास्त नहीं मिला। १७४८ में सो यूरोप का बड़ा हमला ही देश पर हो गया। इस बीघ १०० साल भी मिल गया होता सो भारत परिषिम को उसी सरठ समझ लेता जैसे जापान ने समझा। लोग बिलपुस्त ही रो नहीं रहे थे। १७५४-५५ में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खा कहते हैं कि ये यूरोपियन कहते सो यह है

कि वे आपस में लड़ रहे हैं। पर कभी हमारी जमीन पर करते जा रहे हैं। और अग्रेज तो इनमें सबसे खत्स्नाक हैं। तो हमारे लोगों में समझनेवालों की कमी नहीं थी पर उन्हें कुछ करने का वक्त नहीं मिल पाया।

अग्रेजों ने राज्य मुसलमानों से नहीं छीना। राज उन्होंने इन हिन्दू राजे-रजवास्तों से ही छीना। पर उन्हें मुसलमानों से राज छीना दिखा कर अपने शासन के लिए थैथा कायम करनी थी। राजनीति में मुसलमान कोण घुसाना था। इसलिए बार बार दिल्ली से राज लेने की बात कही गई। १७५६ के पहले फारसी दगाल की भाषा नहीं थी। कर वसूली में फारसी लिपि अग्रेज लाए। मुस्लिम प्रतीकों को दक्षिण में मुसलमान भी नहीं ले जा सके थे। अग्रेजों ने इन प्रतीकों को दक्षिण में भी कायम कर दिया। सर थामस रो जहांगीर के दरबार में आता है। और जहांगीर उससे कहता है कि सूरत बौरह से पश्चिम में व्यापार के लिए जाने वाले हमारे जहाजों की आप रक्षा कीजिए। तो दिल्ली की बादशाहत तो उसी दिन खत्म हो गई। ऐसा इसलिए किया गया कि जहांगीर का भारत से लगाव नहीं था। सुम भी विदेशी और हम भी विदेशी। अफेले जहांगीर ही नहीं ऐसे लोग और भी रहे हो सकते हैं। हमें समय मिलता तो हम भी सुधर जाते। १८५५ में जापान को समर्पण करने का अमेरिकी अल्टीमेटम मिलता है। समर्पण यत्ना पहला है। १०-१५ साल वहां भी समाज में तूफान घलता है पर जापान पश्चिम के तरीके से सैन्यीकरण के रास्ते पर चलने का फैसला करता है। अपने लोगों को सीखने के लिए बाहर भेजता है। थोड़े समय के लिए प्रशिक्षण देने को बाहर के लोग बुलाए जाते हैं। और आज कई मामलों में वह अमरीका से आगे है। जापान की जीत पर गाधीजी बहुत खुश होते हैं। हिंसा अहिंसा का सवाल नहीं उठाते। उसास भरकर यही कहते हैं कि पर हिन्दुस्तान में ऐसा नहीं हो सकता।

अग्रेजों ने हमारी मानसिकता को पश्चिमीकरण की ओर सायास मोड़ा। मानसिकता बदलने का काम उन्होंने १००-१५० साल में किया। इसके लिए आधार भी हमारी पोथियों में ही जुटाए गए। हर पुराने समाज में हर तरह के विचार पढ़े रहते हैं। जो हित के होते हैं वे उभर कर रहते हैं। याकी कोने में पढ़े रहते हैं। उन कोने में पढ़े विचारों की पोथिया भी बनी हो सकती हैं। विदेशी शासन अपनी थैथा दूढ़ने के सिलसिले में उस समाज के भीतर से ही अपने हित के मूल्य इस तरह से दृढ़ता है कि वे विदेशी और थोड़े हुए न लगें। इस कोशिश में उन्होंने मनु को हमारे समाज के मानक के तौर पर उठा कर सामने रख दिया। १७५० के पहले मनुस्मृति हमारे लिए कोई वर्णीय बात नहीं थी। १७८४ में मनुस्मृति का पहली बार अंग्रेजी अनुवाद हुआ। १०-१२ और

भी ग्रन्थ छापे गए। १८९२ में सवाल उठा कि इस काम को आगे जारी रखना है क्या? तो लन्दन से हुक्म आया कि इसे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है पर मनुस्मृति को शीरिंग्ट किया जा सकता है। भारतीय समाज की परिभाषा के लिए मनुस्मृति उनके माकूल बैठती थी। जबकि अपना ढाढ़ा दूसरा था। भारतीय समाज की वर्णव्यवस्था मनुस्मृति की वर्णव्यवस्था नहीं थी। पर अंग्रेजों ने १८ वीं सदी के अपने समाज की अवधारणाओं को हमारे समाज पर लाद दिया। हमारे गावों में आमदनी की विषयता एक और तीन के अनुपात से अधिक नहीं थी। अंग्रेजों ने जो समाज बनाया उसमें १८४०-५० के बाद कारीगरों आदि के रहने की गुजाहश गावों में बच्ची ही नहीं। उनके अधिकारों में कट्टैती कर दी गई। आमदनी में एक और दस का फर्क हो गया। जमीनें छीन ली गई। लोगों को दास घनाने की कोशिश हुई तो वे गावों से भागे। अब हमारे सर्वोदयी रोते हैं कि गावों से तेल की धानी गायब हो गई। जुलाहे गायब हो गए। घमडे यह काम करने वाले गायब हो गए। तो १०० साल से जय हमारी मानसिकता लोगों को गुलाम बनाने वाली हो गई और उसमें मनुस्मृति मिहा दी गई तो कारीगर गायब यहाँ नहीं होंगे? स्वदेशी मौँढल तो तभी बन सकता है जय आर्थिक और सामाजिक बराबरी पने। इसके पैर इस बात की फल्पना करना येमानी है।

## ६ पश्चिमीकरण को मानने वाले आज भी दो फीसदी

स्वदेशी और पश्चिम की पूरी अवधारणा को समझने के लिए १८ वीं सदी के अंग्रेजी समाज को समझना जरुरी है ! पश्चिम का विकास का मॉडल केन्द्रीकृत रहा है। अधिकार और धन के केन्द्रीकरण का। जिनके पास इनका केन्द्रीकरण रहा उन्हीं के पास ज्ञान और व्यापार का भी केन्द्रीकरण हुआ। उनके सामन्ती समाज के उन्हीं १० १२ प्रतिशत बड़े लोगों की वहाँ के व्यापार में भी हिस्सेदारी रही। दुनिया भर से दौलत निचुक कर आई तो १७५० के आसपास वहाँ व्यापारी वर्ग का विस्तार हुआ। पर हुक्मसत सामन्तशाही के हाथ में ही रही। १८३० तक तो इस्टैंड में दसियों चुनाव क्षेत्र ऐसे थे जिनमें मतदाता १०-१२ से ज्यादा नहीं थे। ५००० से ज्यादा मतदाता तो किसी भी क्षेत्र में नहीं थे। चुनाव स्थानीय लाहर्स की जेब में ही रहते। कुल मिलाकर पूरी राजनीति समाज और व्यापार उन अभिजात परिवारों के ही हाथ में था जो ५०० साल से स्थापित थे। अपने यहाँ ३०-४० साल के सर्वोदय के काम पर हरिवल्लभ पारीख जिस तरह कई चुनाव क्षेत्रों में अपने लोगों को जिताकर लाते थे इसी तरह से अंग्रेजों के ये सामन्ती परिवार करते थे। तो इसी तरह जब ज्ञान का भी केन्द्रीकरण हो जाता है तो उसमें से लाइब्रेरी बनती होगी रिफरेंस कार्ड बनता होगा। ज्ञान का और हजाफा होता होगा। एक व्यवस्था बनती है। और उसमें से प्रयोगशालाएं निकलती हैं।

इसी मानस ने मनु को हमारे समाज पर थोपा। पश्चिमीकरण की अवधारणा सिलसिलेवार उतारी गई। शुरू में हजार में एक ने माना होगा। यद्दृष्टा और सच्चा से जुड़े समाज ने इसे अगीकार करना शुल्क किया। शुरू में सोचा होगा मानसिकता ले लें जीवन पद्धति छोड़ दें। पर मानसिकता के साथ जीवनपद्धति तो अपने आप उतरने लगती है। इसलिए यह साज्जुब की बात नहीं कि हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा आज जीन्स और स्कर्ट पर जीने लगा है। इस प्रश्निया में तो अमेघ किले भी टूट जाते हैं। मारवाड़ियों की जैनियों की दक्षिण के ब्राह्मणों के बे तबके जिनके यारे में माना जाता था कि ये नहीं टूटेंगे उनकी भी जीवनपद्धति बदलती है।

पर आज भी पश्चिमीकरण को मानने वालों की सख्त्या हमारे समाज में दो

भी ग्रथ छापे गए। १८९२ में सवाल उठा कि इस काम को आगे जारी रखना है क्या ? तो लन्दन से हुक्म आया कि इसे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है पर मनुस्मृति को रीप्रिंट किया जा सकता है। भारतीय समाज की परिभाषा के लिए मनुस्मृति उनके माकूल पैठती थी। जबकि अपना ढाचा दूसरा था। भारतीय समाज की वर्णव्यवस्था मनुस्मृति की वर्णव्यवस्था नहीं थी। पर अग्रेजों ने १८ वीं सदी के अपने समाज की अवधारणाओं को हमारे समाज पर लाद दिया। हमारे गावों में आमदनी की विषमता एक और हीन के अनुपात से अधिक नहीं थी। अग्रेजों ने जो समाज यनाया उसमें १८४०-५० के याद कारीगरों आदि के रहने की गुजाइश गावों में थी ही नहीं। उनके अधिकारों में फटीती कर दी गई। आमदनी में एक और दस का फर्क हो गया। जमीनें छीन ली गई। लोगों को दास बनाने की कोशिश दुई तो ये गावों से भागे। अब हमारे सर्वोदयी रोते हैं कि गावों से तेल की धानी गायब हो गई। जुलाहे गायब हो गए। घमड़े का काम करने याले गायब हो गए। तो १०० साल से ज्य हमारी मानसिकता लोगों को गुलाम बनाने वाली हो गई और उसमें मनुस्मृति भिड़ा दी गई तो कारीगर गायब दयों नहीं होंगे ? स्वदेशी मौँडल तो तभी बन सकता है जब आर्थिक और सामाजिक बरापरी बने। इसके बगैर हस यात की कल्पना करना योगानी है।

## ६ पश्चिमीकरण को मानने वाले आज भी दो फीसदी

स्वदेशी और पश्चिम की पूरी अवधारणा को समझने के लिए १८ वीं सदी के अंग्रेजी समाज को समझना जरुरी है। पश्चिम का विकास का मॉडल केन्द्रीकृत रहा है। अधिकार और धन के केन्द्रीकरण का। जिनके पास इनका केन्द्रीकरण रहा उन्हीं के पास ज्ञान और व्यापार का भी केन्द्रीकरण हुआ। उनके सामन्ती समाज के उन्हीं १०-१२ प्रतिशत बड़े लोगों की वहाँ के व्यापार में भी हिस्सेदारी रही। दुनिया भर से दौलत निचुण कर आई तो १७५० के आसपास वहाँ व्यापारी वर्ग का विस्तार हुआ। पर इकूलत सामन्तशाही के हाथ में ही रही। १८३० तक तो इस्टर्न्ड में दसियों छुनाव क्षेत्र ऐसे थे जिनमें मतदाता १०-१२ से ज्यादा नहीं थे। ५००० से ज्यादा मतदाता तो किसी भी क्षेत्र में नहीं थे। छुनाव स्थानीय लाइर्स की जेब में ही रहते। कुल मिलाकर पूरी राजनीति समाज और व्यापार उन अभिजात परिवारों के ही हाथ में था जो ५०० साल से स्थापित थे। अपने यहा॒ ३०-४० साल के सर्वोदय के काम पर हरिवल्लभ पारीख जिस तरह कई छुनाव क्षेत्रों में अपने लोगों को जिताकर लाते थे इसी तरह से अंग्रेजों के ये सामन्ती परिवार करते थे। तो इसी तरह जब ज्ञान का भी केन्द्रीकरण हो जाता है तो उसमें से लाइब्रेरी बनती होगी रिफरेंस कार्ड बनता होगा। ज्ञान का और इजाफा होता होगा। एक व्यवस्था बनती है। और उसमें से प्रयोगशालाएं निकलती हैं।

इसी मानस ने मनु को हमारे समाज पर धोपा। पश्चिमीकरण की अवधारणा सिलसिलेवार उतारी गई। शुरू में हजार में एक ने माना होगा। विद्वता और सता से जुड़े समाज ने इसे अगीकार करना शुरू किया। शुरू में सोचा होगा मानसिकता ले लें जीवन पद्धति छोड़ दें। पर मानसिकता के साथ जीवनपद्धति तो अपने आप उतरने लगती है। इसलिए यह साज्जुब की बात नहीं कि हमारे समाज का एक यड़ा हिस्सा आज जीन्स और स्कर्ट पर जीने लगा है। इस प्रक्रिया में तो अभेद्य किले भी टूट जाते हैं। मारवाड़ियों की जैनियों की दक्षिण के ब्राह्मणों के बीच के जिनके बारे में माना जाता था कि ये नहीं दूर्टेंगे उनकी भी जीवनपद्धति बदली है।

पर आज भी पश्चिमीकरण को मानने वालों की सख्त्या हमारे समाज में दो

फीसदी से ज्यादा नहीं है। ऊपरी सबके के कुछ लोगों के अलावा ये सरकारी और गैरसरकारी संगठित क्षेत्र में केन्द्रीयकृत व्यवस्था में जी रहे जो तीन करोड़ लोग हैं जिनकी तनख्याएँ दूसरों से तिगुनी हैं पश्चिमीयत्व का व्यापोह उनमें ही है। उनमें निवले स्तर पर तो देखादेखी का ही मामला है। फिर विदेशों में गए हमारे कुछ व्यावसायिक क्षेत्रों से जुड़े लोग हैं। और उनके यहाँ के नातेरिश्तेदार हैं जो उनकी उपलब्धिया बखानते जी रहे हैं। हमारे यहा विदेश रिटर्न होना भी उपलब्धि भाना जाता है न इसलिए। गांधीवादी आश्रमों में भी विदेश आते जाते हिन्दुस्तानी को सफल हिन्दुस्तानी कहा जाता है न! बीच में १९५४ में यह होने लगा था कि विनोदा के बारे में पश्चिम क्या सोधता है? इस विसंगति पर पूछने पर अन्दरखाने बताया जाता था कि पश्चिम में आदर मिल जाता है तो यह दिल्ली में भी सुनवाई होने लगती है। अपनी बात के समर्थन में किसी पश्चिम के व्यक्ति की बात न आए तो फिर क्या। आजकल तो भाजपा वालों के भी भाषण विदेशियों के दो दर्जन उद्घरणों के बाहर पूरे नहीं होते। लेकिन इन सबमें से कुल मिलाकर पश्चिमीकरण के असली हिमायतियों की सच्चिया दो फीसदी के भीतर ही ही है।

पर पश्चिमी मॉडल हमारी व्यवस्था में बैठ गया है। यह व्यवस्था तो ऊपर के स्तर पर अफसरों से बात करने के लिए बनी थी। पर वही छली आ रही है। काग्रेस ने ही नहीं समाजवादियों भाजपा आदि समने वही मॉडल लिया। वकीलों डॉक्टरों आदि की भी सम्मान उसी मॉडल पर बनी। ७०-८० साल में जिन लोगों ने मॉडल बनाया दे हिन्दुस्तानी मॉडल को समझ ही नहीं सके। बनाने काले लोग थे तो वही विद्वान लोग। सेंट स्टीफेन्स वाले। पर इनका नाता अपने समाज से टूट गया था। हमारे यहाँ यह जो अति पर न जाने की बात है धीरों को जो नाशवान देखा जाता है जो समय बरतने की बात है वह तुलसीदास का बस्तात की रात में सासुराल पहुंच जाना जो उनकी पत्नी को भी नहीं भाया न उसे देखते हुए यह परखने की कोशिश ही नहीं हुई कि इस व्यवस्था में भी शवित और सत्य का सिखार बनाया जा सकता है? कोशिश होती हो शायद कोई सम्भावना उसके भीतर से भी निकलती। पर बात तो ऐसी बैठी है कि अब राहकारी सम्भावनाओं का जो साल फसलों से जुड़ा था ३० जून को पूरा होता था वह भी अब ३१ मार्च को पूरा होने लगा है। समिलनामु सरकार लोगों को पानी पीने के लिए जो मटके बाटती है वे भी प्लास्टिक के ही होते हैं। देहांतों सक मैं आज ९० फीसदी माल हिन्दुस्तानी नहीं रहा है।

यह स्वदेशी वाले अब रोते हैं कि गाँव उजड़ गए। दस्तकार उजड़ गए। ३०-४०

साल पहले कोई बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन सबसे बड़ी गलती यह हुई कि गांधीजी को उनके ही लोगों ने जकड़ लिया। गांधी को बहते व्यक्ति के बदले एक बन्द व्यक्ति में सम्बद्ध कर दिया गया। गांधी समय के हिसाब से थीजों को ढालते हैं यह मुला दिया गया।

लडाई के दौरान कांग्रेस का डॉचा ब्रिटिश साम्राज्य के ढाचे पर बना। जिससे लड़ना था उससे लड़ने के लिए समानता दूरी गई। पश्चिमी तरीके के लोग उसमें रखे गए। माना गया होगा कि समय इन्हें बदल देगा। जो गांधी खादी को आन्दोलन का प्रतीक बनाते हैं वे ही १९४४ में खादी के सम्मेलन में कहते हैं कि मैं तो कृषि को प्रतीक बाहता था पर दिक्त देखते हुए खादी को प्रतीक बनाया। खादी जो बनाए वही पहनें। बाकी न पहनें। फिर कहते हैं कि गाव में एक ऐसा आदमी होना चाहिए जिसके पूछे और बाहरी व्यवित वहा हस्तक्षेप न कर सके। फिर नई तालीम में १९४६ में वे हिन्दुस्तान की व्यवस्था के लिए ओसियानिक सर्कल्स (Oceanic Circles) की बात करते हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण समूह इलाका होगा। फिर १९४७ में वे कांग्रेस को खत्म करने की बात करते हैं। इसलिए नहीं कि उसमें बहुत दोष आ गया था। दोष तो १९२४ की बेलगाव कांग्रेस के जमाने में भी था। कांग्रेस को खत्म करने की बात इसलिए करते हैं कि जिस काम के लिए उसका ढाचा बना था वह काम पूरा हुआ। अब आजादी के बाद के काम के लिए दूसरे डॉचे की जरूरत है। उनके कर्तीकी लोगों ने लोक सेवक सघ आदि बनाकर यह काम करने की कोशिश भी की। गांधी १९४६ में जब नोआखली जाते हैं तो निर्मल बोस उनके साथ रहते हैं। तब गांधीजी का रोज का कहा या तो रिकार्ड किया जाता है या फिर गांधी जी उसे खुद लिखते हैं। उस समय के कहे को देखें तो ऐसा दुखी उस समय उन्हे हम लोग मानते हैं वैसे दुखी वे दिखते नहीं। हिन्दू मुसलमान की कोई बात नहीं। वे तो इस बात की धर्घा में लगे हैं कि आने वाले भारत को किस सरह का बनाया जाना चाहिए। फिर ४७ में खिदेशियों से मिलते हैं। वहा भी यही पुनर्रचना की बात है। वे जो पाकिस्तान जाने की बात करते हैं वह भी वही पुनर्रचना की ही बात है। कोई मरे हुए लोगों को जिन्दा करने नहीं जा रहे हैं वे। जल्दी नहीं कि उससे कुछ निकलता। पर क्रिया थी। लेकिन उनकी उन्हीं हिन्दू-मुसलमान की बातों को उभार दिया गया और उनकी पुनर्रचना की बात पीछे छोड़ दी गई। इन सबको समझने की कोशिश होती तो गांधीवादियों की समझ में भी यह आ सकता था कि पिछले २०-२५ सालों में गांधी ने एक कठ्ठा भौंडल ही मनाया था। और इसके काव्येपन को वे खयूंगी जानते थे। पर गांधी को तो 'सीज' कर दिया गया। यह भी मुला दिया गया कि

हिंदुस्तानी समाज जमा हुआ समाज नहीं है। उसकी गति अलग किल्स्म की है पर गति है। लेकिन घूंकि गति की परिभाषा बदल गई आधुनिकीरण ही उसका पैमाना हो गया इसलिए अपने समाज के ऐड्वेचर्स उसके खूटे उसका बहाव नहीं दिखाई पड़ा। तो इसमें तो पिर दरिद्रता ही दिखाई देती है।

गांधीजी खुद जानते थे कि जो डाचा लड्हाई के दौरान वे बना रहे हैं वह कथ्या है। और इसे बदलना है। लोगों ने जब कहा कि अत्यज शब्द अराव है इसे बदल देना चाहिए। तो गांधीजी ने कहा कि पहले तो ठीक ही रहा होगा। फिर लोगों के सुझाव पर हरिजन शब्द लाते हैं। इसलिए नहीं कि यह शब्द हजारों साल घलने वाला है। इस शब्द से उन्हें कोई विशेष लगाव नहीं है। ये सो समय के हिसाब से व्यवस्थाए बना रहे हैं। और हरिजन शब्द समय के मुताबिक सही लगता है सो मान लेते हैं।

## ७ भारतीय मॉडल सम्पत्ति जोड़ने का नहीं बटवारे का है

विकास के स्वदेशी और पश्चिमी मॉडल के बीच का असली फर्क क्या है ? यह फर्क केन्द्रीकृत और विकेन्द्रीकृत मॉडल का है। फर्क सम्पत्ति का नहीं है। केंद्राधार्य मन्दिर की सम्पत्ति के कागजात लन्दन में पढ़े हैं। नेपाल के राजा ने कुछ जमीन मन्दिर के नाम की थी। मन्दिर का मुख्य खर्च यात्रियों को खाना खिलाना था। सम्पत्ति पत्र में इस बात का भी निर्देश है कि हर यात्री को खाने का खर्च किस्तना देना है। यहाँ आय जोड़ने का प्रावधान नहीं है। कुछ बच जाए तो फिर उसे १२ साल में जो कुम्भ होगा उसमें खर्च ही कर देना है।

सप्राट हर्ष धर्मन का मामला भी सामने ही है। हर साल की आय वे खर्च कर देते हैं। और स्थिति यह रहती है कि यमुना में नहाकर बाहर निकलने पर बहन राजश्री की ओर से भेट में दिया वस्त्र ही उनकी कुप्ल पूजी होता है। भारतीय मॉडल इन सबसे निकलता है या ये सब उस मॉडल के प्रतीक हैं। भारतीय मॉडल सम्पत्ति जोड़ने का नहीं है उसके बटवारे का है।

मुगल बादशाहों के खर्च के हिसाब देखने के लिए पढ़े हैं। बादशाह का खर्च उसके निजी खर्च कुछ बनवा रहे हो तो उसके खर्च और लोगों को खाना खिलाने के खर्च तक का ही था। औरंगजेब ने राज्य के आय-व्यय के हिसाब में लिखा है कि अकश्वर कुछ धन छोड़ गए थे। जहांगीर आए तो आय ६० लाख रुपये हुई। खर्च ढेढ़ करोड़ रुपये का रहा। अकश्वर के वधाए धन में से खर्च होता रहा। शाहजहान ने खर्च थोड़ा घटाया और आय ढेढ़ करोड़ पर पहुंची। अब पहली नजर में लगता है कि औरंगजेब यह क्या लिख रहे हैं ? बादशाहत की आय लो १०-१२ करोड़ रुपए की थी। पर गौर से देखें तो औरंगजेब हफ्तीकृत बखान रहे हैं। बादशाहत की आय में से नीचे के स्तरों पर क्रमिक तौर पर खर्च घलता था। ऊपर बादशाह के पास ६ से १५ फीसदी के बीच ही कोई रकम पहुंचती थी। औरंगजेब ने इसे १५ फीसदी पर पहुंचाया होगा। उनके अलोकप्रिय होने का एक मुद्दा कारण यह भी है। यह ऊपर से नीचे पहुंचाना भारतीय अवधारणा नहीं है। यह ऊपर से नीचे पहुंचाना पश्चिमी मॉडल है। अब राजाओं के पास

कुछ सुरक्षा तामक्षाम को छोड़ दें तो कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। जो राजा जितना लोकप्रिय हुआ जरूरत पड़ने पर आम जनता के बीच से लड़ने के लिए उतने लोग खड़े हो जाते थे। वही सेना बन जाती थी। स्थायी सेना तो यूरोप में भी १७०० के आसपास ही खड़ी होती है।

भारतीय समाज की मूल इकाई 'कुल' है। कुल रक्त सम्बन्धों या फिर कर्मकाढ़ के प्रतीकों से जुड़े थे। दूसरी मूल इकाई इलाका रही होगी। १८९१ की जनगणना में अग्रेज बड़े पैमाने पर जातिगत वर्गीकरण करते हैं। प्रारम्भ में ५० ००० जातियों की गिनती है। जाटों में ११ ००० जातियों की और राजपूतों में ८५०० की। लगता है कुलों की गणना जाति के बतौर की गई है। शुरू में दो लाख के आसपास कुल रहे होंगे जो याद में ५ ७ लाख तक पहुंचे होंगे। पर यह कुल सात पीढ़ी तक ही स्थिर रहता है। शास्त्र में तो तीन पीढ़ियों तक ही नाम स्मरण चलता है। फिर बाकी के लिए अनाम श्रद्धाजलि दें दी जाती है। अब रघु के कुल की बात चलती है। लेकिन वह बड़ी इकाई है। आपसी पहचान के लिए बीच में से किसी दादा-परदादा का नाम निकलेगा। तो इस इलाके और कुल के योग से स्थानीय राजनीतिक इकाई बनती होगी। वही बढ़ कर राज्य बनता होगा। राज्य भारत बनता होगा। और उसमें से चक्रवर्ती निकलता रहा होगा।। अगर रघु दिव्यिजय के लिए निकलते हैं तो कोई विशेष लक्ष्य नहीं हुई होगी। जैसे तूफान के आपे पौधे हुक जाते हैं फिर खड़े हो जाते हैं वैसे ही होता होगा। दिव्यिजयी कोई अपने गवर्नर क्लेक्टर तथ नहीं करसा। केवल आधिपत्य जम जाने और साल में कुछ भैट बगैरह आने की बात थी। इस भारतीय मॉडल में किसी को मिटाने की बात नहीं है। उसे घूस कर कोप मरने की भी बात नहीं है। कुल और इलाका जुड़े हैं। एक गाव में एक ही कुल के लोग हो सकते हैं। और कई कुलों के लोग भी। वसावट अवसर स्वपूरक समूह के रूप में होती थी। कभी कभी किसी इलाके में जो प्रभायी कुल रहा दूसरे भी उसी कुल के कहलाने लगे। अब जाटों की जहाँ मजबूत खांपे हैं वहाँ गैर जाट भी उसी खांप के मान लिए जाते हैं। १८९१ की जनगणना में अग्रवाल नाम थीसों जातियों में मिलता है।

जातिया बंधी नहीं थी। बदहू का लक्ष्य २० पीढ़ी बदहू ही भी रहता होगा। गांधीजी के लिए भी तो मुख्य काम न कर सके तो २० और काम गिनाए गए हैं। ऐसे ही काम दूसरी जातियों के लिए भी यताए गए हैं। अंतरजातीय बहाव कम नहीं रहा होगा। गांधीजी ही जब हरिजन शब्द निकालने लगे तो हरिजनों में से यहुतों ने कहा कि हम यह बाहर जाते हैं और टीका बगैरह लगाते हैं तो हमें कोई दिक्षा नहीं होसी। गांधीजी ने कहा

कि यह भी एक रास्ता है। यह नहीं कहा कि यह तो धोखा देना हुआ। यह जो चाढ़ाल के अपने को चाढ़ाल कहते चलने के किस्से हैं वे सही नहीं होंगे। ऐसा कहने की जरूरत नहीं थी। इलाके में हर आदमी जानता है कि कौन क्या है। कोई ५०० मील दूर जाकर वहसे तो अपने पिछले को बताना उसके लिए जरूरी नहीं है।

तो जो नया राजनीतिक-सामाजिक उभार आया है लोगों में आत्मविज्ञास झलका है वह या यह मन्दिरों के ईर्द-गिर्द युवा लोगों की त्योहारों पर जो भीड़ बढ़ रही है वह क्या यह वर्ग देश को अपनेपन की ओर ले जाएगा? मुझे लगता है कि अपनेपन की ओर वापसी का कोई रास्ता बन रहा है। इस समूह की दिशा को जाचा जाना चाहिए। इस युवा वर्ग को यदि लगता है कि हमारे बाप-दादा जो कर रहे थे यह आज के लिए ठीक नहीं है और इसे यह जो कुछ नया हो रहा है वह करना चाहिए तो वह उसी ओर आगे बढ़ेगा। उदाहरण के लिए यह मद्रास का पीपीएसटी समूह देखें। एक अमेरिकन महिला उन्हें देखने के बाद लिखती है कि लेकिन ये लोग क्या कर सकते हैं ये तो द्वाषण हैं। इनकी सुनेगा कौन? जिस बात को वह महिला समझी उसे हम लोग नहीं समझे। तो हम जैसे द्विज मानसिकता के कुछ लोगों की प्राभिमिकता स्वदेशी हो सकती है। पर यदि नए उमरते हुए लोग अमेरिकी तर्ज पर चलना चाहें तो उनकी बात चलनी चाहिए। और यह जो बढ़ती धार्मिकता की बात है तो यूरोप में भी विज्ञान के साथ जन्मकुण्डली घल रही है। ये युवा ऐडवेंचर के तौर पर मन्दिरों में जाते हों तो उससे स्वदेशी ही नहीं दूसरी धीर्जे भी निकल सकती हैं। नवरात्रि जागरण और फैक्स मशीन बनाने के गणित में वे शायद मैल बिठा ले रहे होंगे। अभी यह दोनों तरह का दिमाग घल सकता है। पर समस्या अन्त में १००-५० साल बाद आ सकती है। यह आत्मविश्वास परिवर्मीकरण की गति को तेज भी कर सकता है। अब ये पजाय के कारीगर जो छोटी मशीनें जोड़ लेते हैं वे सिखाने पर हवाई जहाज भी जोड़ सकते हैं। उनकी ओर से नई खोर्जे भी सामने आ सकती हैं।

यह फैसले का बक्त है। मॉडल पर जनमत सग्रह हो जाना चाहिए। अगर ज्यादातर लोगों को लगता है कि प्लास्टिक युग में ही जाने में भलाई है पिछले पर लौटने में फज्जीहत है बाहरी ताकरों पिछले पर साष्ठूत नहीं लौटने देंगी तो दूसरों को समाज को इस दिशा में जाने में रोड़ा नहीं बनना चाहिए। ताकि यह काम १०-२० साल में ही पूरा हो जाय। बल्कि कोशिश इस दिशा में जाने की गति बढ़ाने की होनी चाहिये। फैसे भी समाज उस दिशा में चलना चाहेगा तो न उसे सर्वोदयी रोक पाएगे और न समाजवादी। और न सधी। समाज आगे बढ़कर उसमें से भी रास्ता निकाल लेगा। अप-

पश्चिम में भी कोई मॉडल बनाकर विकास थोड़े ही हुआ था। शुरुआत तो मूल से हुई। भौतिकी आदि के वैज्ञानिक तो उसमें से बाद में निकले। बाचा टूटा। जाम तो यह बाद में हुआ। और यही हमें मिला। बाचा टूटता है तो वही भार-काट होती है। हमारे लोग पीपीएसटी जैसे समूह को उठाकर फेंक देंगे। जाम मॉडल भी तोड़ देंगे। इन सबके बीच में यह गाब-दाढ़ भी थलता रहेगा।

आज काशीराम और मायावती गाधीजी के खिलाफ बोलते हैं फिर उनके विरोध में हम लोग बोलने लगते हैं। हमारा यह विरोध इसलिए है कि काशीराम और मायावती हम लोगों से ऊची भाँत कर रहे हैं। वे पूरे भारतीय समाज को गाली दें तो हम लोगों को और भी अच्छा लगेगा। यूरोप के लोग जब हमें गाली देते हैं तो वह हम लोगों को आखिर अच्छा ही लगता है न। यह वक्त इस हीनता से निजात पाने का है। पैंसले का वक्त है।

## ८ विकास का सवाल

१

तिलपति में हाल ही में सम्पन्न भारतीय विज्ञान कॉर्प्रेस में अनेक विशिष्ट वैज्ञानिकों ने भारत सरकार के प्रौद्योगिकी नीति सम्बन्धी ताजे वक्तव्य पर महुत वैदेनी प्रदर्शित की। उनमें से एक के अनुसार हमारे यहाँ पुराने विज्ञान की ही पढाई की जाती है (स्नातक उपाधिधारियों के लिये) कई मासलों में ४० बरस पुराने प्रयोग ही पढ़ाये जाते रहते हैं। एक अन्य वैज्ञानिक का कहना था कि पिछले ३३ बरस में उसने वैज्ञानिक नीति पर अनेक वक्तव्य पढ़े-देखे हैं किन्तु उनमें से एक पर भी अपल होते नहीं देखा। उनका कहना था कि मेरी रुचि और मेरा लगाव अपने देश के लोगों के लिये विज्ञान की प्रगति में है। पर यहाँ फाईलों (आधिकारिक) और माध्यम हमें वहाँ ले जाते हैं जहाँ और अधिक फाईलों के सिवाय कुछ नहीं। 'एक अन्य वैज्ञानिक के अनुसार आधिकारिक पदों पर भी ज्यादातर लोगों का किसी भी ताजे शोध के प्रति रक्ता यह होता है कि क्या और कहीं ऐसा हुआ है ? नई सूझों नये विवारों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। यदि पश्चिम में वैसा हुआ है तो वे उसका समर्थन करेंगे। अन्यथा नहीं। भारतीय विज्ञान समाचार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि नई नीति 'इच्छाजनित विश्वास का वक्तव्य मात्र है। (देखें हिन्दू मन्दास १० जनवरी १९८३ के अक में छपी रिपोर्ट)

डॉ नायदम्मा (जवाहरलाल नेहरू विश्व विद्यालय के पूर्व उप कुलपति) के अनुसार पश्चिमी दार्शन पर आधारित मौजूदा शिक्षा पद्धति ने न तो सही किसी की मानवीय शक्ति उत्पन्न की और न ही जनता की शिक्षा के स्तर को उत्पन्न करनाया। पारम्परिक तकनीकी और स्थानीय मेधा की अवहेलना से अपने लोगों का आरम्भिक्यास घटा है और स्थानीय प्रौद्योगिकी द्वारा बुनियादी स्तर पर समस्याओं के समाधान की कमता पर भी असर पहा है (देखें हिन्दू मन्दास १० जनवरी १९८३)

इसी अवधि में अन्यत्र सम्पन्न एक समा में एक विशिष्ट और राजनीतिक संघ

प्रशासनिक सत्ता के यहुत करीब रहे व्यवित ने यह अभिभव व्यक्त किया कि मौजूदा न्यायिक पद्धति नागरिकों के हित सरकार की दृष्टि से बहुत सकेदनाहीन येहद धीमी और देहद खर्चीली है। बँगलूर में राजाजी जयन्ती पर व्याख्यान देते हुए जम्मू काश्मीर के राज्यपाल भी के नेहरू ने इसी सिलसिले में आगे कहा कि भारतीय सविधान को अपूर्ण करने का कोई उपयोग नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि हमें अब ऐसी स्थायें बनानी होंगी जो अपने समाज में अन्तर्निहित प्रवृत्तियों के अनुरूप हों। साधारण नेतृत्व इन्हें नहीं समझ सकता। जिस ढंडे नये परिवर्तन का उन्होंने सुझाव दिया वह था परोक्ष निर्वाचन की पद्धति के साथ साथ विधायिकाओं के चुनावों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था। सीधे चुनाव सिर्फ पघायतों या नोटीफाईड एरिया कमेटियों या नगर पालिकाओं अथवा नगर निगमों के लिये है। इससे अगली कही इस पद्धति में होगी जिला परिषदें जो कि विधानमण्डलों को छुर्नेंगी। राज्य विधान मण्डल द्वारा केन्द्रीय विधायिका की लोकसभा का निर्वाचन किया जायेगा। (देखें हिन्दू मध्दस जनवरी १९८३)

कुछ ही समय पहले भारत एशियाई १९८२ की मेजबानी कर चुका है। यह सथ है कि उसकी तैयारी तीन-चार साल घली और इस सन्दर्भ में अस्सी करोड़ से बारह सौ करोड़ रुपयों तक स्थर्थ होने की कथाएँ कही गई हैं। यह स्कम दिल्ली महानगर को एशियाई ८२ के लिए तैयार करने में स्थर्थ हुई। उसके बाद जैसा कि स्पष्ट हुआ इस तैयारी का भारतीय खेल क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा दिखता। खेलों में दौँचा स्थान भारत को नहीं पूर्वी एशिया के धीनी गणतन्त्र और दोनों कोरिया जैसे देशों को मिला। जापान का अग्रणी रहना तो अप्रत्याशित नहीं था। खेलों में तो भारत देहतर भूमिका महीं निमा पाया पर तो भी हिसाब लगाने में दक्ष लोग हिसाब लगाकर बता रहे हैं कि एशियाई की मेजबानी से हमें क्या क्या लाभ हुए। सामान्यत यह दावा किया गया है कि इस एशियाई की तैयारी में हमने अपनी उस तकनीकी दक्षता का अनुभव बढ़ाया जो कि विकसित देश ही रखते हैं। यातायात नियन्त्रण को अदाध बनाये रखने और एशियाई खेलों के दौरान कानून और व्यवस्था के विधाताओं द्वारा सापारण भारतीय पदयात्री के साथ सहानुभूति व्यवत फरने में भी हम विकसित देशों द्वारा ऐसे अवसरों पर किये जाने वाले व्यवहार से पीछे नहीं रहे। अतरराष्ट्रीय व्यापार में तथा विश्व मानसों की हमारी सरकारी समझ में प्रगति के भी लाभ गिनाये जाते हैं। इन खेलों का विशेषत जिमनास्टिक और कन्सरती सस्कृति वाले खेलों का भारत के सामान्य बच्चों ने खेल-धेतना पर क्या प्रभाव पड़ा यह जानकारी महाघोर्ष सिद्ध हो सकती है।

एशियाई ८२ की मेजबानी जैसी अनेक घटनाएं विभिन्न देशों में भारत की

उपलब्धियों के तौर पर गिनाई जा सकती है। और इनमें से अधिक्तर मार्च १९५० में प्रथम योजना आयोग के गठन के जरिए प्रारम्भ हुई योजना एवं विकास की प्रक्रिया का परिणाम बताई जा सकती है। बहरहाल पिछले दो दशकों से भारत में इस नियोजित विकास के प्रति विश्वोभ जगा है। हाल ही में यह विश्वोभ तीव्रतर हुआ है। यह विश्वोभ सिर्फ हमारी आवश्यकता को देखते हुए अत्यधिक पर्याप्त विकास के कारण ही नहीं है बल्कि इससे भी ज्यादा इस बात को लेकर है कि क्या सिर्फ इन्हीं परिणामों के लिए भारत में १९२० १९३० तथा १९४० के दशकों में स्वाधीनता आन्दोलन छेड़ा था।

इसी सन्दर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि सविधान सभा में नवम्बर १९४८ में इस प्रश्न पर गरम झड़प हो गई थी कि सविधान में भारतीय गॉवों का स्थान क्या हो ? सविधान का मसविदा वकीलों की एक समिति ने तैयार किया था। इनमें से सिर्फ एक ने ही समिति के वास्तविक विचार विमर्श में जमकर भाग लिए। इस मसविदे से सविधान सभा के महुत कम सदस्यों को सन्तोष हुआ। सदस्यों का सामान्य अभिमत यह था कि यह मसविदा भारतीय चिन्तन एवं विचार का विरोधी है। सदस्यों ने आश्वर्य से पूछा कि यह किसके कल्याप के लिये है ? श्री टी प्रकाशम् ने पूछा यह मुझीभर लोगों के हितसाधन के लिये है या इसमें उन करोड़ों लोगों के भी हित का कहीं विचार है जो राजस्व और कर देते हैं ? कुछ अन्य लोगों का मत था - 'गांधीजी का और कॉर्ट्रेस का दृष्टिकोण यह रहा है कि भारत का भावी सविधान पिरामिड जैसी सरचना बाला होगा और ग्राम पचायत उसकी मुनियाद होगी। इस स्तर पर सविधान सभा के सदस्यों और मसविदा समिति के दीय मध्यस्थता-सी कर रहे थे कि सतानम् तक का यह मत था कि ग्राम पद्धायतों के अस्तित्व को सविधान में मान्यता देनी होगी वर्योंकि आगे चलकर हर गॉव की स्थानीय स्वायत्ता से ही इस देश की भावी स्वाधीनता का आधारभूत ढंचा निर्मित होगा। बहरहाल अनेक कारणवश यह सविधान बदला नहीं गया। जिनमें से एक कारण यह कहा जाता है कि मुनियादी मर्सोदे को बदलने की दृष्टि से महुत विलम्ब हो थुका था। लेकिन शायद यहा कारण यह था कि इस परिवर्तन के प्रति लों भीमराव आमेड़कर जैसे लोग और सम्भवत पंडित नेहरू तथा सरदार पटेल भी (दोनों ही इस पूरी बहस में मौन रहे थे) अनुत्साही अनादर युक्त तथा आक्रमक दिख रहे थे। किया सिर्फ इतना गया कि सविधान सभा के विष्वाष सदस्यों को शान्त करने हेतु सविधान में एक अतिरिक्त अनुच्छेद जोड़ा गया (वर्तमान में अनुच्छेद ४०) इसमें राज्य से फहा गया था कि 'ग्राम पद्धायतों को समर्थन करने के लिए कष्टम उठाये जाए और वे स्वायत्त-शासन की इकाईयों के रूप में काम करने में सक्षम रहें इस दृष्टि से उन्हें आवश्यक

अधिकार और सत्ता साँपी जाय।

नियोजित विकास की उपलब्धियों के मूल्यांकन के लिए या विशेष की पद्धति को समझने के लिए भी शायद यह जल्दी है कि भारत के हाल के अतीत में कुछ ज्ञाका जाय। सन् १९२९ तक भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन की घोषित प्रेरणा भी तत्कालीन ब्रिटिश राजनैतिक पद्धति के अन्तर्गत ही किसी तरह की समानता की उपलब्धि। किन्तु दिसम्बर १९२९ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश राज्य से पूर्ण स्वतन्त्रता की उपलब्धि फा लक्ष्य निश्चित किया और महात्मा गांधी द्वारा तैयार स्वातन्त्र्य प्रतिज्ञा में कहा गया हमारा विश्वास है कि हर एक समाज की तरह भारतीय जन का भी यह अहस्तान्तरकर्त्त्वीय अधिकार है कि वह स्वाधीन रहे और अपने परिश्रम के फल का आनन्द ले तथा जीवन की जलरतों से इस प्रकार युक्त रहे कि उनके पास विकास के सम्पूर्ण अवसर हों। हमारा यह भी विश्वास है कि यदि कोई सरकार लोगों को इन अधिकारों से वित्त करती है और उनका उत्पीड़न करती है तो लोगों को यह अधिकार भी है कि वे उस सरकार को बदल दें या समाप्त कर दें। भारत में ब्रिटिश सरकार ने न केवल भारतीय जनों को स्वाधीनता से वित्त किया अपितु जन समुदायों के शोषण की भी अपनी बुनियाद बनायी है तथा भारत का आर्थिक राजनैतिक सास्कृतिक और आध्यात्मिक विनाश किया है। इसीलिए हमारा विश्वास है कि भारत को ब्रिटिश सम्बन्ध तोड़ देना चाहिए और पूर्ण स्वराज प्राप्त करना चाहिए (गांधी यात्रा अंग्रेजी खड़ ४२ पृष्ठ ४२७)। यहाँ स्परणीय है कि इस समय तक और आगे भी सन् १९३४ तक जब तक कि गांधीजी कांग्रेस की सदस्यता से मुक्त नहीं हो गये सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज और प्रस्ताव गांधीजी स्वयं तैयार करते थे।

अंग्रेजों ने भारत का आर्थिक राजनैतिक सास्कृतिक और आध्यात्मिक विनाश किया है और पूर्ण स्वराज पाने पर ही भारतीय जन विकास के पूर्ण अवसर पायेंगे यह मुद्दा एक हृद तक उस भारतीय सविधान द्वारा भी पुन फुट किया गया जो कि भारत ने जनवरी १९५० से अपने पर लागू किया। उसमें प्रतिज्ञा की गयी थी कि सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित होगा -

न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक।

स्वाधीनता : विधारों अभिव्यक्ति विश्वास आस्था और उपाराना की।

समता स्थिति और अवसरों की तथा सभी के बीच यदायी जायेगी व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता को आख्यस्त रखने वाली यन्त्रुता।

इन्हीं विचारों और प्रतिज्ञाओं के अनुकूल प्रथम मोजना आयोग के गठन

सम्बन्धी भारत सरकार के मार्च १९५० के प्रस्ताव में कहा गया था भारतीय सविधान ने अपने देश के नागरिकों को कतिपय बुनियादी अधिकारों की गारंटी दी है तथा राज्य के कुछ नीतिनिर्देशक सिद्धात प्रतिपादित किये हैं। विशेषकर यह कि सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय वाली सामाजिक व्यवस्था की प्राप्ति और सुरक्षा के जरिए लोगों के कल्याण के प्रोत्साहन हेतु राज्य प्रयासरत रहे एवं राष्ट्रीय जीवन की समस्त स्थानों को इससे अवगत कराये तथा अन्य के साथ ही इन बारों की प्राप्ति की दिशा में अपनी नीतिया निर्देशित करें।

- (अ) कि समस्त नागरिक नरनारियों को समान रूप से आजीविका का उधित जरिया पाने का अधिकार हो।
- (ख) कि समाज के भौतिक साधनओं के स्वामित्व और नियन्त्रण का वितरण ऐसे किया जाय कि सर्वोर्चम रीति से सबका सामान्य हित पोषित हो।
- (ग) कि आर्थिक व्यवस्था इस तरह से क्रियाशील हो कि उसके फल स्वरूप सर्वसाधारण के लिए हानिकारक रूप में धन और उत्पादन के साधनों का केन्द्रीकरण न होने पाये। (प्रथम पद्धतिगत योजना दिसम्बर १९५२ भूमिका)।

यद्यपि १९३० की स्वाधीनता की प्रतिज्ञा की शब्दावली का किसी सीमा तक सविधान में समाप्तेश किया गया और वह भारत के नियोजित विकास का निर्देशक विचार (सिद्धात) इनी साधापि ऐसा प्रतीत होता है और पिछले सीन दशकों की प्रवृत्तियों तथा घटनाओं से पुह भी होता है कि व्यवहार में उसे अधिक गम्भीरता से नहीं लिया गया विशेषकर उनमें से ज्यादातर लोगों के द्वारा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नेतृत्व के पदों पर अथवा स्वाधीनता पाने पर दिल्ली में वनी सरकार के प्रमुख पदों पर थे। शायद उनके लिये यह प्रतिज्ञा वाग्मिता थी या आलकारिक उवित। पूर्ववर्ती यथार्थ का या भविष्य के लक्ष्यों का कथन शायद उनकी दृष्टि में उस प्रतिज्ञा में अभिव्यक्त नहीं हुआ था। यह सही है कि भारत के राजनैतिक और आर्थिक विनाश के प्रेक्षण को बड़े पैमाने पर मान्यता मिली। किन्तु भारत का सास्कृतिक और आध्यात्मिक विनाश किया गया है और जिसका निहित अर्थ है कि इस समाज को विपरित और विस्थापित किया गया है और उसके जनसाधारण के आत्मगौरव का अत्यन्त हनन हुआ है प्रतिज्ञा के इस आशय याले याक्याश की उन लोगों के बीच और उनके काम पर कोई अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं परिलक्षित हुई।

जिन्होंने १९४६ के बाद आगे भारत में शासन करना शुरू किया। लगता है कि वे (और सद्यमुच इनमें व्यावहारिक रूप से भारत के विशेषाधिकार भोगी हर सबके लोग शामिल थे भले ही वे किसी भी विचारधारा का अनुमोदन करते हों) अपने आसपास के सासार की चकार्धीय से ज्यादा ही धौधिया गये थे। साथ ही जिन सामाजिक और आर्थिक सैद्धांतिक स्थापनाओं से उनके विचारों की बुनियाद रखी गयी और जो इतिहास उन्होंने पढ़ा (इनमें से ज्यादातर इतिहास ग्रन्थों का उद्गम पश्चिम में मुख्यत अग्रेजीभाषी इंग्लिश में हुआ था) उसमें वे अभिभूत दिखते हैं। यहा तक कि दिसम्बर १९५३ में भी पछिं जवाहरलाल नेहरू का विश्वास था कि पिछले दो हजार वर्षों के विश्वइतिहास के मानवजीवन को परिवर्तित करने वाला कोई भी सत्त्व इतना शक्तिशाली नहीं रहा जितना कि औद्योगिक क्रान्ति और उसकी अनुगमी 'क्रियाए'। जरूर वे यह भी सोचते थे कि अपने जोखिम भरे नजरिये के सिलसिले में वे जनता के विशाल समूह को विश्वास में लें और उन्होंने देखा कि 'जनता के विशाल समूह में यह उत्तेजना भरनी होगी कि वे राष्ट्र को गतिशील रखने के विराट उद्यम के सहभागी हैं सरकार में और उद्योग में साझीदार हैं। (दृष्ट्यु-जवाहरलाल नेहरू भाषण (अग्रेजी में) खण्ड ३ पृष्ठ ५९ ६० 'ईलगाढ़ी मोटर गाड़ी जेट विमान' १९५८ में प्रकाशित)।

ऐसी सहभागिता के लिये पंचायती राज इत्यादि विविध कार्यक्रमों के जरिए आधेअधूरे मन से प्रयास किये गये। किन्तु इन योजनाओं और कार्यक्रमों का भी गठन शेष भारतीय राज्य पद्धति की ही तरह हुआ था और शीघ्र ही ये भी उसी गतिरोध की स्थिति में जा फसे।

किंकास में लोगों की भौतिक शारीरिक सहभागिता की कुछ गुजाहश जरूर थी किन्तु घाहे सिर्फ शासन तत्र हो या विकास का भासला किन्ती में भी हम ऐसे मार्ग नहीं खोज पाये जिनके जरिए भारत के छत्तीस करोड़ (उपर्युक्त भाषण पुस्तक के पृष्ठ ४ के छपे भाषण का जो पठिं नेहरू द्वारा १३ अक्टूबर १९५४ को दिया गया था शीर्षक 'छत्तीस करोड़ समस्याए') लोग सामूहिक तौर पर अपनी मेघा एवं प्रतिभा उरा दिशा में तथा उन कामों में लगा सकें जिन्हें वे उपर्युक्त समझते हैं तथा जो वे सृजन यसना चाहते हैं। यह मात्र अप भलीभाति विदित हो चुकी है कि जो नई वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं स्वाधीन भारत में स्थापित हुईं तथा जिन महान वैज्ञानिकों ने उन्हें सद्यालित-निर्देशित किया उनके पास कम से कम १९५० के दशक तक जन सामन्य की महत्वपूर्ण समस्याओं की तरफ ध्यान देने की पुरस्त नहीं थी। एक अर्थ में लोगों को पिर रान १९१५ की स्थिति में धकेल दिया गया जब कि रार्जनिक सामाजिक जीवन में

महात्मा गांधी का उदय हुआ था और तब उन्हे सार्वजनिक जीवन में वापस लाया गया था। अपने शुभेच्छु विदेशी मित्रों की तरह जो तब भी ऐसा सोचते थे और अब भी सोचते हैं हम लोग भी यह मान देंगे कि ये सामान्य भारतीय देशवासी अपनी मानसिक क्षमता पूरी तरह खो देंगे हैं और सागरनिक मामलों में या तकनीकी के ब्यौन में किसी सृजनात्मक योगदान की उनमें क्षमता नहीं है। हाँ वे दैहिक बल या यात्रिक दुहराव की अपेक्षा वाले कार्यक्रमों में अपना योगदान दे सकते हैं।

यहाँ यह उल्लेख भी प्रासादिक होगा कि आधुनिकता की शक्तिशाली धार के दबाव से अप्रभावित अनेक व्यक्ति एव समूह १९५० में और आगे भी भारत में मौजूद रहे हैं (व्यक्तियों में से कुछेक के नाम गिनाने हों तो राममनोहर लोहिया जयप्रकाश नारायण और आद्यार्थ विनोबा भावे के नाम लिये जा सकते हैं)। ऐसे अनेक व्यक्ति थे जिन्होंने दिल्ली के शक्ति केन्द्र द्वारा सचालित प्रक्रिया के विरुद्ध व्यापक सार्वजनिक असहमति को बाणी दी थी। कई समूहों ने विशेषकर समाजवादियों ने छोटी मशीनों की यात भी कही (शायद भारत के लिये उपयुक्त प्रौद्योगिकी के सन्दर्भ में जो कि स्वदेशी उपकरण माल तथा साधनों से विकसित हो सके) तथा 'धौखम्मा राज्य आदि शब्दावलियों के सहारे देश के लिये अधिक उपयुक्त राजनैतिक ढावे की यात कही और दीर्घकालिक सामाजिक एव रथनात्मक सेवाकार्य के लिये विशाल भूमिसेना की यात की। सम्पूर्ण गाव की ग्राम सभा ग्रामसमुदाय तथा लोकशक्ति के विद्यार के आधार पर भारतीय राजनैतिक स्वरूप (पोलिटी) को पुष्ट करने वाला सर्वोदय आन्दोलन भी उभरा। किन्तु सामान्यता: बड़े पैमाने पर इन विचारों का स्वर अधिकाशत अस्पष्ट और अस्फुट था। इस सन्दर्भ में एक बुनियादी दस्तावेज जो १९५८ में सामने आया यह था-जयप्रकाश नारायण लिखित ए प्ली फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पोलिटी (A plea for the Reconstruction of Indian Polity)।

## २

जो लोग किसी न किसी तरह भारत के मामलों के प्रबन्ध से जुड़े हैं सार्वजनिक तौर पर उनके द्वारा कही गयी यारें सुनी जारे साथ ही उनकी निजी प्रतिक्रियाए देखी जाए तो ज्ञात होता है कि जो काम उन्होंने अपने जिम्मे ले रखा है वह उनके लिये महा योग बना हुआ है। आकाशवाणी दूरदर्शन पर समाधार प्रसारणों के पूर्व अक्सर प्रसारित होने वाले नेताओं के वक्तव्यों और सन्देशों में यह दुहराया जाता रहता है कि १९२१ में भारत की आवादी इतनी थी और अब इतनी है तथा २००१ में इतनी होगी। इन

वक्तव्यों में यह अपेक्षा ध्वनित होती है कि श्रोता इस महान ब्राह्मणी पर इस शोकप्रद विभीषिका पर विद्यार करें। पश्चिम ने अपने बारे में बहु प्रधारित किया कि यूरोपीय मनुष्य का हतिहास और उसकी प्रेरणायें तथा सैद्धांतिक निरूपण सार्वभौम हैं। हमने इसे कबूल कर लिया। फलत हम यह भानने लगे कि पश्चिम ने अपने १००० वर्षों के इतिहास में जो कुछ किया है उसे अपने यहाँ दुहारने में हम भी समर्थ हैं। पश्चिमी मनुष्य की जो छवि हमारे मन में बस गई है वह या तो सोलहवीं सत्रहवीं और अठाहवीं शताब्दी के लुटेरे व्यक्तियों की है या फिर बीसवीं शताब्दी के परिष्कृत सुनियादार दूसरों का लिहाज रखने वाले परोपकारी तथा कम से कम सैद्धांतिक स्तर पर सभी लोगों के बीच समता और बन्धुता की वकालत करने वाले व्यक्ति की। हम यह समझने के तत्पर नहीं दिखते कि इस छवि के अतिरिक्त भी यथार्थ बहुत कुछ है और पश्चिमी मनुष्य का विकास उन विश्वासों और विवारधाराओं (दर्शन) में से हुआ है जिनका भीतरी रूप कठोर है। भले ही याहरी हिस्से सौम्य दिखें। पश्चिम की वर्तमान सर्वमान्य समृद्धि तथा कल्याणवाद मुश्किल से ५० साल पुराने हैं। वस्तुतः यह विधारणीय है कि वया पश्चिम की मौजूदा समृद्धि तथा कल्याणवाद इन तथ्यों की दिशा में पश्चिम के अनुपालन का सीधा परिणाम है अथवा यह ऐसे प्रयासों और छलथलों का एक अनिवार्य परोक्ष परिणाम है जिनमें लक्ष्य पूर्णत अलग तरह के हैं। हम समझ नहीं पाते कि आज की घकार्चीघ मरी स्थिति तक पहुँचने के लिये पश्चिम को कठोर फूर और शोषक होना पड़ा है। यह शोषकवृत्ति और यह फूरता सिफ़ और पश्चिमी सासार के प्रति नहीं थी अपितु शताब्दियों सक पश्चिमी शासक संग्रह अपने ही समाजों का फूर शोषण करते रहे।

यह अनुमान कि पश्चिम आज के लोकतात्रिक और कल्याणकारी प्रबन्धों तक इसलिए पहुँचा है वर्योंकि यह गुण तथा यह सक्य इसके मध्य कलिक सत्था प्रारम्भिक-आधुनिक दौर में अन्तर्निहित थे वैसी ही अशोल कल्पित कथा है जैसी वि यह कपोल कल्पित कथा कि भारतीय जनगण हजारों वर्षों से दरिद्रता तथा राजनैतिक उत्पीड़न का जीवन जीते रहा है।

इसी रान १८०० के आसपास जब भारतीय समाज के महे हिस्से को यूरोपीय राजनैतिक शक्ति ने छिपभिष्य कर दमित कर रखा था उस समय भी भारत के अधिकारी हिस्तों में लोगों के बीच अधिक समानता थी और यहाँ के सापारण श्रमिक ड्रिटेन के जनसाधारण से अधिक मेहनताना पाते थे। यह सध्य इस वाल के अनेक अध्येताओं के अध्ययन से जाना जा सकता है।

थोंमस मुनरो के अनुरार पेलारी जिले में उच्च मात्रम और निम्न वर्गों में

प्रतिव्यक्ति उपभोग-दाधा १७ ९७ के अनुपात में था। १८२२-२५ में मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी शिक्षा सम्बन्धी एक सर्वेक्षण के अनुसार वहाँ उन दिनों स्कूल में पढ़ रहे लड़कों का एक घौथाई भाग प्रेसिडेंसी की १२००० पाठशालाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहा था। इसके साथ ही घर पर बड़ी सख्त्या में शेष बच्चे पढ़ रहे थे (मद्रास शहर में की गई एक गणना के अनुसार शालाओं में जाने वाले बच्चों की सख्त्या की गई एक गणना के अनुसार शालाओं में जाने वाले बच्चों की सख्त्या से घार गुने बच्चे घरों में पढ़ रहे थे)। तमिलभाषी खेत्र में पाठशालाओं में (यहाँ सर्वत्र आशय देशी पाठशालाओं से है अग्रेजी व्यवस्था द्वारा सचालित स्कूल तब नहीं थे) पढ़ रहे कुल बच्चों में शूद्र जाति के और तथाकथित अन्त्यज जातियों के बच्चों की सख्त्या ६० से ८० प्रतिशत थी। १८०४ के 'एडिनबरो रिप्पू' के अनुसार इसवी सन १८०० के आसपास भारतीय खेतिहार श्रमिक की धास्तविक मजदूरी दरें ब्रिटेन के खेतिहार मजदूरों से बहुत अधिक थीं। यह सख्त्य भी अब सुविधित हो चुका है और स्वीकार किया जाता है कि १८०० के आसपास भारतीय कृषि उत्पादन ब्रिटेन के कृषि उत्पादन से बहुत अधिक था भारतीय इस्पात अधिक श्रेष्ठ स्तर का था और देश के बहुत से इलाकों में उसका उत्पादन होता था तथा भारत के मुवाई हल (वपित्र) जैसे कुछ कृषि उपकरणों की क्षमता तत्कालीन ब्रिटेन की ऐसी वस्तुओं से कहीं अधिक थी। एडिनबरो रिप्पू' के ही अनुसार उन दिनों गेहू आदि के बीज की दरें ब्रिटेन में बही थीं जो कि भारत में थीं किन्तु भारत का उत्पादन यहुत अधिक था।

**सम्भवतः बौद्धिक प्रमादवश** हममें से ये लोग जो देश का प्रबन्ध कर रहे हैं राजनैतिक सगठन अथवा विकास या शिक्षा इतिहास एवं विज्ञान के सिद्धार्थों के बारे में अपने उन आधारवाक्यों पर पुनर्विचार हेतु प्रस्तुत नहीं हैं जिन पर ३५-४० वर्ष या और अधिक समय से ये विषयके रहे हैं। शायद हम यह सोचकर घपरा उठते हैं कि यदि हमने इस तरह की विज्ञासा और प्रश्न भाव विकसित किया ऐसे ऐसे सवाल स्वयं से करने लगे तो फिर जिन मार्तों के आधार पर हम घलते रहे हैं और घल रहे हैं (पिछले ४० या अधिक वर्षों से) ये रेत पर यने महल की तरह भरभराकर ढह जायेगी। वर्योंकि हमारा यह महल यह दुर्ग एक ऐसी इमारत है जिसकी कोई वास्तविक नीव है ही नहीं। न तो वह भारतीय अनुभवों की नीव पर न राष्ट्रीय चरित्र के अनुकूल और न ही भारतीय जन की प्राथमिकताओं का विधार कर खड़ा किया गया है।

इस प्रकार भारत के विकास के परिषेक्ष्य' को लेकर उठी किसी भी यहस के सामने यह एक बड़ा प्रस्तुतिष्ठ है। यह नहीं कि पिछले तीस साल से ज्यादा समय से

जारी नियोजित विकास ने भारतीय राष्ट्र की शक्ति में कोई वृद्धि नहीं की है उसे कुछ अधिक आत्मविश्वासयुक्त नहीं बनाया है अथवा विविध क्षेत्रों में व्यवसायदक्ष लोगों तथा विशेषज्ञों को वही सच्चाया में नहीं पैदा किया है। ऐसा तो हुआ है। साथ ही औद्योगिक उत्पादन और कृषि दोनों में गुणात्मक वृद्धि भी हुई है। किन्तु साथ ही इस प्रक्रिया ने व्यापक पैमाने पर जगलों का विनाश भूमि क्षय तथा बाढ़ और सूखे की लगातार वृद्धि भी की है। इसी प्रक्रिया में पर्यावरण अधिकार्थिक विपाक्त होता जा रहा है। अधिक सुरुचिपूर्ण और अधिक व्यवस्थित जीवन का सृजन करने के स्थान पर इस प्रक्रिया ने पस्तुत साधारण जीवन को अधिक अस्थिर अधिक असुरक्षित और निश्चय ही ज्यादा बदसूरत बना डाला है। यह कहना शायद गलत न होगा कि हमारे कस्तों शहरों और महानगरों में भी कुछ सौ वर्ग भीलों में फैले केन्द्रीय क्षेत्रों और सिंधिल लाइनों के अतिरिक्त शेष क्षेत्र का विगत तीन दशाम्बियों में हर दृष्टि से ह्रास ही हुआ है और इन स्थानों में से अधिकाश जैसी से एक विशाल 'स्लम' की दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। इसके विपरीत भारत के गाँव जो यदाकदा कुल्लीन वर्ग की गहरी दिलचस्पी के केन्द्र बनते रहते हैं अत्यधिक दरिद्रीकरण और बुनियादी जन सुविधाओं के अभाव के बावजूद व्यवस्था और निवास की योग्यता में तुलनात्मक दृष्टि से अभी भी बहुत बेहतर हैं। कई सोग कह सकते हैं कि राष्ट्रीय साधन स्रोतों और राष्ट्रीय पूजी का अधिकाश जिन कस्तों शहरों सधा महानगरों पर खर्च किया जा रहा है उनकी 'स्लम' जैसी दशा होते जाना स्वयं नियोजन या आयोजन का सीधा परिणाम नहीं है। निश्चय ही यह दशा इस सम्बन्ध का फल है कि जो सोग यह सब प्रबन्ध करने में जुटे हैं उनमें से अधिकाश यम व्यवहार विधारविहीन हैं। वे सृजनात्मकता से रिवत हैं अपने दिमाग से काम लेना पन्द्र कर पुके हैं सच्चा जिन लोगों जनगण के लिए वे काम कर रहे होने का दावा करते हैं उन सर्वसामान्य लोगों की तनिक सी भी सम्मति की इन व्यवस्थापकों के आपराष में कोई जगह नहीं है।

हमारे आधुनिक मकानों में से अधिकाश का खाका (विशेषता उनका जो साधारण या मध्यमस्तरीय लोगों के लिए बनाये जाते हैं अथवा छात्रावासों अतिथि निवासों आदि का) अपनी कुरुक्षता और असुविधा के साथ इस बात का राक्षय प्रस्तुत करता है कि हमारे आयोजक और विकासकर्ता सघमुद्र विवेकशून्य हो पुके हैं। हमारे निजी निवास छात्रावास होटल आदि में पश्चिमी ढंग के शौधालयों का निर्माण जारी है जबकि कोई बिल्ला भारतीय ही इनका उपयोग करने में गुणिता का अनुभव करता होगा। यह स्थिति एक मायने में हमारे विकास के बहुताश की विजातीय भीव और

परदेसी रूपविधान का प्रतिनिधित्व करती है। यदि यह तर्क दिया जाये कि लोगों का आराम महत्वपूर्ण बात नहीं है तब भी यदि इस मामले में तनिक भी विचार से काम लिया जाता तो अकेला यह तथ्य ही इन शौचालयों की स्थापना को रोक देने को पर्याप्त होता है कि इस यूरोपीय ढग के शौचालयों में बहुत अधिक पानी फलश के लिये जरूरी होता है और पानी मोटे तौर पर हिन्दुस्तान में एक दुर्लभ वस्तु ही है। इस लेखक को एक बार हमारे महान वैज्ञानिक और शिक्षाविद् डॉ धौलत सिंह कोठारी ने एक घटना बताई थी। बात इसी सन् १९४० की है जब दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्वानों के लिए आवासगृहों का निर्माण हो रहा था। पश्चिमी ढग के शौचालय बनाये जाते देख ये लोग परेशान हो उठे। कारीगरों से कहा तो उन्होंने उत्तर दिया कि वे खुद तो खाके में कोई फेरबदल कर नहीं सकते। सिर्फ उपकुलपति सर मौरिस वायर ही इस विषय में अधिकारी हैं। यानी उनकी अनुमति से ही भारतीय ढग के शौचालय बन सकेंगे। तब विद्वत् परिषद की ओर से अन्ततः डा कोठारी सर मौरिस से मिले। यद्यपि सर मौरिस ने सम्भवत ऐसा प्रतिनिधित्व पसंद नहीं किया तथापि वे आधी बात मजबूर करने को राजी हो गये। यानी यह कि जो आवासगृह अभी भी बनने हैं उनमें से जिनमें दो दो शौचालय होने हैं उनमें से एक भारतीय ढग का भी होगा। जबकि जिनमें सिर्फ एक ही शौचालय होगा (यानी कनिष्ठ अध्यापकों के निवास) उनमें वह सिर्फ पश्चिमी ढग का ही होगा।

हममें से कई लोगों का यह विश्वास हो सकता है जैसा कि कार्लमार्क्स का और उनके पहले कुछ लोगों का विश्वास था और कार्लमार्क्स के बाद से अनेक लोगों का है कि भारत सभ्य कहला सके इसके पहले उसे पश्चिमी होना होगा। जहाँ तक हो सकता हम इस प्रयोग का प्रयास करते रहे हैं। प्रथमत हमने भारतीय सविधान को मुख्यत पश्चिमी विचारों व्यवहारों के अनुकूल ढाला। द्वितीयत जो प्रशासनिक पद्धति अंग्रेजों ने मूलत १७७० से १८३० के दौरान अपने विजित देश को शासित करने के लिए रची उसे बनाये रख कर आगे उसमें प्रधुर वृद्धि तथा विस्तार करते रहे। और तृतीयतः हमने ऐसा किया अपने नियोजित विकास और वैज्ञानिक प्रयोगों का वह दाया रथकर जिसमें आयोजक तो सर्जक तथा निर्देशक हैं और दाता है तथा भारत की जनता उनसे उपकृत हो रही समझी जाती है। इसका परिणाम यद्यपि यिन्कुल निराशाजनक नहीं रहा है तथापि ऐसा भी नहीं है कि हम दाया कर सकें कि हम एक पश्चिम जैसा समाज बनाने जा रहे हैं। यह तो हो सकता है कि लगभग पाँच-पाँचास लाख भारतीय घरों में आज ऐलीविजन सेट हों रेफीजरेटर हों गैस या पिजली के थूले हों शायद दस लाख कारों हों तथा ऐसा ही कुछ और हो लेविन इन्हीं (सणावर्गीय) चोतों के अनुसार भारतीय

जनता का आधा हिस्सा 'गरीबी रेखा' के नीचे रहता है और 'गरीबी रेखा' से ऊपर वाले लोगों का अधिकाश हिस्सा घटों तक परिवहन दूध चीनी मिट्टी के तेल खाद्य पदार्थ आदि के लिए लाईन लगाने में खर्च करने को विवश है।

इन गतिविधियों के पिछले तीस वर्षों की प्रशस्ता में अधिक से अधिक कुछ कहा जा सकता है तो यही कि इस दौरान भारत को वे घलाये रखे रही हैं। यह सम्भव है कि भाष्यवश हम इसी रास्ते पर घलते हुए कुछ समय तक और जिंदा रह लें।

## 3

लेकिन जिस रास्ते पर हम घलते रहे हैं उसी पर घलते रहकर शायद भारत एक राजनैतिक इकाई बना भी रहे तो भी भारत के जनसाधारण की यानि कुल आशादी के लगभग १५ प्रतिशत की मुनियादी जरूरतों तक की पूर्ति की सम्भावना इस रास्ते में अत्यन्त अल्प है। इससे भी बुरी बात यह है कि इस मार्ग के अवलम्बन से भारतीय जन बहुत अधिक पराश्रित हो गये हैं। यहाँ तक कि आज का किसान भी नई सकन खेती और उसकी जरूरतों के सन्दर्भ में कम सृजनात्मक और नवाचार में कम समर्थ हो गया है। उसकी स्वयं की सृजनात्मकता सधा नवाचार की मेद्या आज उससे भी अधिक अवरुद्ध कर दी गयी है और भौमी बना दी गयी है जितनी और जैसी कि ब्रिटिश राज्य के आरम्भ में दी गई थी। यदि भारत को एक सम्पूर्ण समाज के रूप में बदे रहना है तो उसे वर्तमान प्रग्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न आज की इस किञ्चर्तव्य विमूद्रता की दिशा में से कोई और रास्ता निकालना होगा। एक और जनसंख्या के बहुत बड़े हिस्से के कल्याण की तो बात ही दया उसे भोजन वस्त्र और निवास तक दे पाने में केन्द्रीयकरण अवधि हो चुका है और दूसरी ओर समस्त साधन स्रोतों तथा सगठनात्मक ढांधों पर एकाधिकार और विनियोजन के कारण यह केन्द्रीयकरण जनगण द्वारा स्वप्रदाय के रास्ते में रकावट बना रहा है। १९ वीं शताब्दी में तथा २० वीं शताब्दी थे आरम्भ में भी यानि उस सम्पूर्ण अवधि में भी जब भारतीय किसान की अपने खेतों में निवेश की कमता निम्नतम बिन्दु तक पहुँचा दी जा चुकी थी और उसके कृषि औजार सधा मालमवेशी यही मात्रा में यवराद कर दुर्दशाग्रस्त बनाये जा चुके थे किसान ने देश को पर्याप्त अनाज देकर जीवित रखा यह तथ्य उसकी सामर्थ्य और प्रतिमा का पर्याप्त दृष्टान्त है। यही बात भारतीय शिल्पियों कारीगरों के बारे में भी सच है।

भारतीय जनगण अपेक्षाकृत सौम्य प्रकृति का है। और कई पीढ़ियों तक उन्हें दमाकर रखा गया उनकी खिल्ली उड़ाई गई उन्हें पीसा जाता रहा तथा उनकी

सार्वजनिक क्रियाशीलता प्रतिबन्धित रही। फलत १९ थीं और प्रारम्भिक २० वीं शताब्दी के प्रारम्भ में भारतीय जन अपनी निजी सीमा में ही सिमट गये थे। इसका यह मतलब नहीं कि वे अन्याय और अनौपचित्य का बुरा नहीं मान रहे थे। जैसा कि मार्च १९४४ में किसी ने गांधीजी से कहा था भारतीय दृश्य पर उनके उदय से पूर्व तक फिरोज शाह मेहता जैसे लोग भी अग्रेंजों से बोलते थकत दब्बू और विनीत होते थे। गांधीजी ने स्वीकार किया कि १९१५ तक ऐसी स्थिति थी पर साथ ही यह भी कहा कि 'मैंने जो कहना शुरू किया वह वही था जो लोग दिलों में महसूस करते थे पर अपनी बात खुद कहने में समर्थ नहीं थे। इस प्रकार १९१६ के बाद से अगले ३० बरसों तक वे जनता के प्रवक्ता थे। वे भारतीय जनता की प्रशस्ता करते और आवश्यकतानुसार झिल्लकर्ते भी। पर दुर्भाग्यवश उनके उत्तराधिकारियों ने विशेषकर जो स्वाधीन भारत के प्रबन्धक यने उन्होंने ब्रिटिश राज्य के समय का व्यवहार का ढांचा अपना लिया। (उन्होंने ऐसा क्यों किया यह मनोविश्लेषकों पर छोड़ देना ही बेहतर होगा। या शायद यह कारण रहा हो कि ब्रिटिश शिक्षा और ट्रेनिंग की उन पर उससे अधिक गहरी छाप थी जितनी गांधीजी के साथ बिताये गये उनके समय की छाप उन पर थी।) वे पश्चिम से अभिभूत थे फिर यह सोवियत सघ हो या अमरीका अथवा यूरोपीय औद्योगिक क्रान्ति का प्रारम्भ हो इस सन्दर्भ में इन सबका एक ही अर्थ है। इस कारण उन्हें भारत की हर वस्तु आदिमकालीन अत अपरिष्कृत सकीर्ण अधिविश्वास-युक्त इत्यादि प्रतीत होती थी। उनकी दृष्टि से जिसे वे भारत का अभिमान या प्रगति समझते थे उसकी राह में भारत के लोग वस्तुत एक व्यवधान थे राह के रोड़े थे और इसलिए ये भारतीय जन निर्णय और कर्म के क्षेत्र से (सिवाय लकड़िया थीरने पानी खींचने और कभीकभी इस उस की साजसज्जा के काम से) जितना ही दूर रहें उतना ही उनके सपनो के भारत के लिए बेहतर है। यह सम्भव है कि यह दृष्टिकोण सार्वजनिक तौर पर खुलकर अधिक व्यक्त न किया गया हो पर दृष्टि यही थी। इस दृष्टि वालों में से किसी को कभी यह याद नहीं आया कि वे ही भारतीय जन हैं जिन्होंने निम्नतम सम्भव पूँजी नियेश उपकरणों और उस पशुसम्पदा के जरिए भी भारत की रक्षा की थी तथा पालन किया था जो उन्हीं की तरह अस्थिपजर मात्र यना साला गया था। उनकी प्रशस्ता यहने और उनकी स्वीकृति प्राप्त करने के स्थान पर उन्हें यस्तुतः यह बताया गया कि वे निकम्मे हैं। सर्वसामान्य भारतीय जन को इस तरह रट पत्र देने और यहिष्कृत कर देने के बाद यह आश्वर्य की यात नहीं कि इस भारतीय बुल्लीन यर्ग के लिये शासन प्रबन्ध और विकास की समस्याएँ इतनी यहीं शोझ मन गयीं।

समुद्रीय वृत्ति सम्बन्धी अवधारणा के लिये २८ जुलाई १९४६ का हस्तिन' दृष्टिय है। इसमें स्वराज शीर्षक से अपने लेख में गांधीजी ने स्वराज लोकतान्त्र की स्परेखा प्रस्तुत करते हुए कहा था 'यह एक सामुद्रिक वृत्ति होगा जिसका केन्द्र होगा व्यक्ति जो गाय के लिए उत्सर्ग को सदा तत्पर रहेगा गाव ग्रामसमुदाय के लिए उत्सर्ग हेतु तत्पर रहेगा यही क्रम चलता रहेगा और सम्पूर्ण समाज का ऐसे व्यक्तियों से बना एक अखड़ जीवन होगा जो अपने मन्त्राय से कभी भी आक्रामक न होगे सदा विनययुक्त होंगे तथा उस सामुद्रिक वृत्ति की महसा के भागीदार होंगे जिसकी कि ये अभिन्न इकाइयाँ हैं। आगे उन्होंने लिखा असत्य गावों (और स्वाभाविक ही कर्सों तथा शहरों) से युक्त इस सरधना में निस्तर फैलने वाले किन्तु कभी भी प्रभुत्व न दिखाने वाले वृत्ति होंगे। सबसे बाहर वाले वृत्ति (यानी राज्य) द्वारा अपने समस्त भीतारी वृत्तों को सुदृढ़ रखने के लिए तथा उनसे शवित पाने के लिये ही शक्तिसंवय किया जायेगा न कि उन्हें दबाने कुचलने के लिये।

शासन सम्बन्धी इन सुझावों की पर्याप्तता पर बहस सम्भव है। किन्तु भारत की तथा साथ ही पश्चिम की सम्भवता का उनका विश्लेषण तथा अपने स्वदेशी जनगण की तथा उनके द्वारा पोषित समाजिक नैतिक विद्यारों की गांधी की समझ अतुलनीय रही है और वह आज भी उतनी ही प्रामाणिक है जितनी ६० ७० वर्ष पहले थी। (सम्भवता सम्बन्धी उनका यह विश्लेषण सर्वप्रथम १९०९ में 'हिन्द स्वराज' में सामने आया। यह प्रस्तोत्र शैली में है और उसमें गांधीजी ने उस समाज और राज्य के स्वरूप पर प्रकाश ढाला है जैसा कि स्वाधीन भारत में देखना चाहते थे।) जिन लोगों को दरिद्र मनने को यिवश किया गया है जो व्यापक वदना के शिकार बनाये गये हैं और जिनका आत्मगौरव छीना गया है उन्हीं करोड़ों लोगों की सृजनात्मक एवं प्रदर्शनकारी मेघा को मुक्त तथा जागृत करके ही विकास की समस्या को हल करना सम्भव है। वर्योंकि अन्तत विकास का मूल अभिप्राय है भीतर के विकास' तथा आत्माभिष्ठित आत्मविस्तार अपु से महर् की ओर बढ़ना। अत विकास की परिभाषा में ही यह निहित है कि वह तभी प्रसन्न होगा जब भारतीय जनगण स्वयं अपना विकास करने में सक्षम होते हैं अर्थात् जब व्यवितरण में तथा समूह के अंग के रूप में वे खिलना प्रस्कुटित होना शुरू करते हैं।

आजादी के बाद से जो दृष्टिकोण जो कार्यविधि तथा जो उपकरण व्यवस्था भारतीय मामलों में गतिशील रही है वह अप और यादा समय तक अपेक्षित कार्य नहीं कर सकती यानी सतोषप्रद रूप में परीक्षी कम करने वा तभा सर्वसामान्य भारतीय जन में आत्मगौरव तथा पहल की प्रवृत्ति पुन प्रतिष्ठित करने का काम नहीं कर सकती यह

कहने का अभिप्राय इन दृष्टिकोणादिक की भर्त्सना करना नहीं है। १९४७ के बाद की स्थितियों में विशेषकर १९४५ से आगे भारत जिस दिशा में बढ़ा यहाँ के युल्लीनवर्ग खासकर प्रशासन वर्ग और अर्थशास्त्री समूह ने अपनी दक्षता भर कार्य किया। इस क्रियाशीलता से हिन्दुस्तान से अभाव दरिद्रता और पराम्रश के समुद्र के बीचों बीच पश्चिमीपन और अति समृद्धि के कुछ सौ नखलिस्तान तथा परकीय अन्त क्षेत्र विकसित हो गये हैं तथा समस्त नैतिक आचरण और मानवण्ड क्षतविक्षत हो चुके हैं। इन सधका दायित्व उन्हीं पर छालने की जरूरत नहीं है। किन्तु भारत के स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए यह स्वीकार करना होगा कि ये नजरिये बौरह अब प्रासारिक नहीं हैं और वे वस्तुत भारतीय समाज के तानेयाने को ही नष्टप्रट करने वाले हैं। ऐसी परिस्थितियों में भारतीय राजनैतिक व्यवस्था को तथा जीवन के हर क्षेत्र में सक्रिय विचारशील भारतीयों को उन भागों तथा साधनों को खोजना होगा जिनमें राष्ट्र की एकता सुरक्षित रहने के साथ साथ देशजन को स्वतन्त्रता अवसर और आनुपातिक राष्ट्रीय साधनस्रोत उपलब्ध हो सकें जिसमें विविध स्तरों पर लोग जीवन की अधिक आवश्यक और बुनियादी समस्याओं पर विचार करना तथा उनका समाधान करना प्रारम्भ कर सकें।

अब हमारे पास भारतीय मामलों के प्रबन्ध का पैंतीस वर्षों (अब ५० वर्षों) का अनुभव है और साथ ही अन्तरराष्ट्रीय जगत का अधिक यथार्थपरक परिचय है और शायद औद्योगिक क्रान्ति की उपलब्धियों की शकाचार्य से भी हम कुछ मुक्त हुए हैं यह तथ्य अवश्य नये मार्गों तथा साधनों के सृजन को अधिक व्यावहारिक बना देता है। जहाँ यह सत्त्व है कि एक ओर हमारी समस्याएं पैंतीस साल पहले की सुलना में अधिक जटिल हुई है और उनका दबाव बढ़ा है दूसरी ओर पहले से बड़ी सरल्या में हमारे युवकर्जन अव और अधिक बौद्धिक तथा व्यावसायिक दक्षता से युक्त हैं तथा शायद उनमें सकल्प निर्णय और मौलिकता भी है जिससे वे याहित परिवर्तन और रद्दोवदल करने में समर्थ हो सकते हैं। यह ध्यान में रखते हुए कि यदि हम चाह भी तें सो भी हम विश्व के दबावों से सहसा अलग थला ग पड़कर नहीं रह सकते यह हो सकता है कि कुछ समय तक हमें दो भिन्न भिन्न रास्तों पर संकेत्य रहना पड़े। एक मार्ग है बाहरी दबावों और रिश्तों से व्यवहार का। दूसरा हमारे नैतिक और सामाजिक मूल्यों के अनुकूल है। इस प्रकार हम दैनन्दिन जीवन में सहभागिता और सृजनस्थकता का प्रवर्तन कर सकते हैं तथा एक या दो दशकों में अपने समाज को पूर्ण स्वस्थ बना सकते हैं।

किन्तु ऐसे समझौते और तालमेल वाले मार्ग को अपनाने पर भी पांचरितारा सरकृति के परित्याग की आवश्यकता सो पड़ेगी ही तथा कम से कम कुछ दशकों के तिए

हम सभी को अधिकाश मामलों में ग्रामीण झोपड़ी के जीवन जैसा जीवन अपनाना होगा। यह तो सभी जानते हैं कि अन्य समाजों में भी ऐसे ही प्रयास हुए हैं और उन्हें उन्नेखनीय सफलता मिली है।

यह सम्भव है कि आगामी दशकों में भारत स्वयं किसी तरह की आधुनिकता के तथा उपयुक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी को छुने। भारतीय योजनानिर्माताओं तथा उनके स्वामियों और प्रेरकों की बहुत गम्भीर गलती यह रही है कि उन्होंने देवताओं की तरह व्यवहार करने का प्रयास किया (या आधुनिक विष्वविद्यान से बास करें तो कहना होगा कि उन्होंने उस महान श्वेत मनुष्य की तरह व्यवहार करने की कोशिश की जो ससार के जगली लोगों के लिए दिव्य उपहारों का बोझ लेकर आया थताया जाता है।) उन्होंने चरा जनता के लिये जिसे उसने अपना श्रद्धालु भक्त समझ लिया था योजना और विकास का वरदान लेकर आने वाले जैसा व्यवहार किया। पर क्योंकि न तो वह भूरा साहस था न तो देवता अत अधरज नहीं कि स्थितिया इस तरह की हो गयी। सायद यह सम्भव है जबकि हम वैज्ञानिक दृष्टि के साथ ही सामाज्य बुद्धि का प्रयोग करे और आज की दृष्टि द्वारा वास्तविकता से एक एक कदम आगे बढ़े। जैसा कि गांधीजी कहते थे तथा हर बार यह भली भौति देख लें कि जो कदम हम उठा रहे हैं वह ठोस आधार पर टिका है तथा हमारे उद्देश्य की दिशा में है और उसका पोषक है। एक बार हमारा समाज क्रियाशील हो उठे अर्थात् जब उसके उत्पादन मात्र उसके भौतिक निवेश का परिपाम न हो अपितु अधिक सृजनशीलता तथा प्रवीणता का फल हो तब फिर अमूर्ख मुट्ठों पर वहस के लिए पर्याप्त समय बना रहेगा।

## १ भारतीय समाज बनाम पश्चिमी समाज व्यवस्था - १

हमारे देश में या तीसरी दुनिया के दूसरे देशों में परिवार शिक्षा और समाज की जो अवधारणा आज प्रचलित है उनकी नीव ग्रेट ब्रिटेन या अमेरिका में १९ वीं सदी के दौरान पड़ी थी। उन दिनों वहा जो सिद्धात बनाए जा रहे थे और जो विचार शक्ति ले रहे थे उन्हीं से इनका अर्थ निश्चित हुआ था। पुराने यूनानी दिनों से लगा कर १९ वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप में परिवार और शिक्षा का सम्बन्ध राजनीतिक सत्ता या सम्पत्ति छासिल करने से जुड़ा रहा है। यूरोप में सम्पत्ति और राजनीतिक शक्ति बहुत थोड़े से लोगों में ही सीमित रही है। इन थोड़े से लोगों ने ही अपने व्यवितरण जीवन में या उन्होंने जो साहित्य लिखा उसमें परिवार या शिक्षा से होने वाले लाभ के बारे में सोचा - सामझा है।

पिछले दो हजार साल में परिवार का स्वरूप उसका ढांचा और उसका अर्थ बदलता रहा है। यही बात शिक्षा के बारे में भी कही जा सकती है। प्लेटो या अरस्तू ने यूरोपीय ढांचे में परिवार की जो अवधारणा की थी वह सामती अभिजात व्यापारिक या मध्यकालीन पश्चिमी यूरोप के साहुकार परिवारों से बहुत ज्यादा बिलती जुलती नहीं दिखाई देती। इसी तरह प्लेटो की अकादमी १९ वीं शताब्दी के आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से बिल्बुल अलग दिखाई दे सकती है। लेकिन पुराने स्पार्ट में जहा नब्बे प्रतिशत आबादी दास या अजनबी लोगों की थी और जिन्हें कोई नागरिक अधिकार छासिल नहीं थे या १९ वीं शताब्दी के ब्रिटेन में जहा सिर्फ एक प्रतिशत लोग जेंटलमैन समझे जाते थे परिस्थितिया बहुत अलग नहीं थीं। परिवार या शिक्षा की सारी समझ १८ वीं शताब्दी के आरम्भ से शुरू हुए यूरोपीय पुनर्जागरण काल तक इन्हीं थोड़े से ताकतवर लोगों के दृष्टिकोण पर आधारित थी।

अठारहवीं शताब्दी के पुनर्जागरण के दौरान जो बहसें चली और उनमें से जो सिद्धात निकले उन्होंने इस सम्भावना की तरफ इशारा करना शुरू किया कि परिवार और शिक्षा रूपी इन दोनों विशेषाधिकार को पश्चिमी यूरोप के सभी या अधिकाश लोगों तक फैलाया जा सकता है। क्रान्ति के ठर ने उन्हें ईसाई व दूसरी नैतिक मान्यताओं पर

आम लोगों तक फैलाने के लिए प्रेरित किया। इसी भय से उन्हें परिवार की अवधारणा को आम लोगों में फैलाने की जल्दत महसूस हुई ताकि वैधानिक रूप से स्थापित हुई सत्ता की अधीनता मानने की आदत लोगों में ढाली जा सके। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही उनमें शिक्षा के प्रसार की बात सोची गई थी। और उनमें नई तर्क्यादी मान्यताओं का प्रसार किया गया था। पुनर्जागरण काल के तर्क्याद ने इस धारणा को भी पैदा किया कि अगर उचित सम्प्राप्ति खड़ी कर दी जाए और उचित माहौल बना दिए जाए तो सभी लोग सम्पर्कित और ताकतवर हो सकते हैं। इस तरह की मान्यताएं बनाने के लिए नई अवधारणाओं और नए मिथकों की जरूरत थी। इसी से परिवार और शिक्षा की मौजूदा अवधारणाओं को जन्म मिला।

यूरोप में एक और ताकतवर विद्वार प्रचलित था। यह विद्वार है भौतिक जीवन में व्यक्ति को स्वतन्त्र मानना। इस विचार का यूरोप की केन्द्रीय नियत्रण की प्रवृत्ति से गहरा सम्बन्ध रहा है। व्यक्ति की स्वतंत्रता के विद्वार के आधार पर यूरोप में कुछ लोगों को दिना किसी बन्धन और मर्यादा की अफ़्यन महसूस किए सत्ता और सम्पत्ति पर केन्द्रीय नियंत्रण सम्भव बनाने में काफी आसानी हुई। दूसरी तरफ लोगों को समुदायों की जैविक इकाइयों से तोड़ कर अकेला कर दिया गया। १९ वीं शताब्दी तक भौतिक जीवन में स्वतंत्रता का उपभोग मुख्य भर लोगों तक ही सीमित था। फिर भी जो लोग यहुत दुस्साहसी उद्यमी या हताश होते थे ऐसे लोगों की रास्त्या धारे किसी छोटी माझूली यदों न निकले पर यहुसङ्घर्षक आदादी के ऐसे लोग भी अपने देश के भीतर या दूरदराज इलाकों में राजनैतिक सत्ता या सम्पत्ति हासिल यन्हें में सफल हो जाते थे। ऐसे लोगों के किसी आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के दौर यी शुरूआत से पहले भी मिल जाएंगे। उन्हें व्यवितरण स्वतंत्रता का फायदा उठाने का मौका मिल जाता था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दौर शुरू होने के बाद ऐसे लोगों की रास्त्या में हजारों गुना धृष्टि हो गई होगी।

व्यवितरण स्वतंत्रता के उपभोग का दायरा यह जाने के कारण और विज्ञान य प्रौद्योगिकी की विशाल उपलब्धियों के कारण १९ वीं शताब्दी में जो आदर्शवादी यापे यनाए गए थे उनसे भी मुक्ति पाने में मदद मिली है। इसका सप्तरे उपादा असर परिवार पर पड़ा है। इन परिवारों का कोई व्यापक या गहरा कुलीय आधार तो था नहीं। न ही उन पर देसी समाज के रीतिरिवाजों का कोई प्रभाव था। उनका आधार तो सम्पत्ति और सत्ता ही रहा था। इसलिए परिवार की आदर्शीकृत अवधारणा तो दूटनी ही थी। लेपिन यूरोप या अमेरिकी परिवार में जो वास्तविक परिवर्तन हुआ है वह ऐतिहारिक रूप से

चतना धोकाने वाला नहीं है जितना आज हमें बताया जाता है। आज के पश्चिम परिवार कुछ कुछ सराय जैसा दिखाई देता है जिसमें रहने वाले लोगों में कुलीय भा जैसी कोई धीज नहीं होती। इन परिवारों में आम तौर पर सम्पत्ति जैसा कुछ नहीं दिर देता। मगर पहले भी हालात कोई इससे बहुत अलग नहीं रहे। यह बात विशेष कर लोगों को समझनी चाहिए जो पश्चिमी समाज को अपने लिए प्रकाश पुज उ समझते हैं कि वहा खासतौर पर ब्रिटेन और अमेरिका में बहुत कमज़ोर परिवारा व्यवस्था रही है।

दास प्रथा सामतवाद या सर्वहारा जैसी परिस्थितियों के कारण पश्चिमी सम में परिवारिक सम्बन्धों के पनप सकने लायक भाँहौल ही नहीं रहा। आज हम यूरोप जिस परिवार के दूटने की इतनी बात करते हैं वह केवल परिवार की एक १९ वीं र बाली आदर्शीकृत अवधारणा का दूटना ही है। यही वजह है कि इस दूट की या पश्चिमी समाज के वे मध्य स्तरीय लोग ज्यादा बात करते हैं जिन्हें अपनी शिक्षादीक्षा दौरान परिवार की यह आदर्शीकृत अवधारणा घुटाई गई थी या फिर हमारे जैसे ह उसकी ज्यादा बात करते हैं जो इस तरह की रूमानी अवधारणाओं को पाले हुए पश्चिम का सामान्य व्यक्ति जिसे अपने यहा की परिस्थितियों का सहज ज्ञान परिवार के दूटने की ऐसी बात करके चिन्तित नहीं होता।

पश्चिमी यूरोप या अमेरिका में सत्ता और सम्पत्ति के केन्द्रीकरण व व्यक्ति स्वतंत्रता सम्बन्धी विचारा ने इस बात की तो कोई गुजाहश ही नहीं छोड़ी थी कि व समाज जैसी कोई धीज उभर सके। यूरोप के स्लाव इलाकों में समुदाय बनाने की ता प्रवृत्ति जरूर दिखाई देती है जैसा कि रूसी भीर से दिखता है। हो सकता है कि यु जर्मन इलाकों में भी ऐसी ही प्रवृत्ति रही हो जैसी कि जर्मन मार्क से लगता है। इस अलावा सत्ता और सम्पत्ति के केन्द्रीकरण व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विचार के बायज पश्चिमी यूरोप में समाज की मान्यता पूरी तरह नहीं भर पाई। समय समय पर यिनि समुदाय बनते रहे। लेकिन वे ज्यादातर असहमत लोगों द्वारा बनाए गए। उन लोगों द्वा जो उस समय के धार्मिक या ऐचारिक आग्रहों के खिलाफ खड़े हुए थे। यह समुदाय ए केन्द्रीकृत और व्यक्तिवादी ढाये में दुर्लभ सामाजिक इकाईयों की तरह थे।

भारत और एशिया व अफ्रीका के बहुत से इलाकों में यहा सक कि यूरोपी लोगों का नियन्त्रण होने से पहले तक अमेरिका में भी समाज की अवधारणा गहरे रू पर रही है। इसलिए यहा व्यक्ति की स्वतंत्रता को एक दूसरी दृष्टि से देखा गया। परिव और शिक्षा के स्वरूप और उनकी स्थायाओं के अर्थ और ढाये के बारे में भी यहा

लोगों ने भिन्न तरीके से सोचा।

काफी पुराने समय से भारत के लोग अपने आपको गाव कस्बे या तीर्थों को फैल्द्र बनाकर अथवा जाति या उद्योग-धर्घों को फैल्द्र बना कर संगठित करते रहे हैं। लेकिन इनमें से कोई भी संगठन दूसरे से अलगथलग नहीं होता था। उदाहरण के लिए हर व्यक्ति स्थानीय इकाई का भी सदस्य होता था जाति का भी और शिल्प या उद्योग व्यापार सम्बन्धी श्रेणी का भी। इसी तरह स्थानीय इकाइयों जातिया और विभिन्न शिल्पों की श्रेणिया भी अपनी तरह की दूसरी इकाइयों से या दूसरी सरह के संगठनों से जुड़ी होती थीं। कोई आदमी किसी एक जाति का सदस्य है तो इसका यह भौतिक नहीं है कि वह दूसरे उद्देश्यों से बने संगठनों में अपनी इच्छा से भाग लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है। उदाहरण के लिए वह किसी भी विद्या परम्परा कस्ता परम्परा धार्मिक सम्प्रदाय या शिल्प से जुड़ने के लिए स्वतंत्र था। दुनिया के दूसरे देशों की तरह इन सम्प्रांतों से और वर्गों से उसके सम्बन्ध अस्थायी ही थे जबकि अपनी जाति या अपने देश से वह कहीं गहरा और स्थायी सम्बन्ध महसूस करता है।

भारत के बारे में महत्वपूर्ण यात यह है कि एक सम्प्रता के नाते सो वह महत्व पुराने जमाने से ही इकाई माना जाता रहा है लेकिन उसकी बुनियादी राजनैतिक इकाइया तो किसी छोटे इलाके में ही सीमित होती थी। भारत के इतिहास में ये राजनैतिक इकाइया सैकड़ों में नहीं तो दर्जनों में सो रही ही हैं। यह घटन्यर्ती राजा यी अवधारणा भी रही है। राम अशोक या घदगुप्त विश्वमादित्य को घटन्यर्ती सम्राट माना जाता रहा है। इसी तरह घोल या विजय नगर के राजा यहाँ तक कि अकबर घटन्यर्ती राजा होने का सपना सजोते रहे। लेफिन घटन्यर्ती राजा सो एक पद या जिरो दूसरे राजा श्रेष्ठता के कारण सम्मान देते थे। उसी सरह जिस सरह कि किसी सन्यासी छपि किसी महान कवि या विद्वान को श्रेष्ठ समझ कर उसे सम्मान दिया जाता है।

घटन्यर्ती सम्प्रांतों में अनेक गुप्त होते होंगे या अनेक तरह की प्रतिभाएं होती होंगी। लेकिन उनकम्ब भारत पर प्रशासन नहीं चलता था और न ही उन्हें देश के सभी हिस्सों का राजस्य हासिल होता था। उन्हें पूरे देश की रोना के सर्वोच्च अधिपति जैरा भी कुछ नहीं माना जाता था। यह सब वाम और अधिकार सो उन लोगों के पास थे जो बुनियादी राजनैतिक इकाइयों में शारन करते थे। इन बुनियादी राजनैतिक इकाइयों में हजारों स्थानीय इकाइयों या नाड़ू और खाप जैसी यहे क्षेत्र में फैली हुई इकाइयों शामिल थीं। जिस सरह के सम्बन्ध घटन्यर्ती राजाओं और स्थानीय राजाओं के बीच थे उसी तरह वे सम्बन्ध इन राजाओं और स्थानीय इकाइयों के बीच रहे होंगे। इस तरह सम्प्रभुता सो

दरअसल स्थानीय इकाई में ही होती थी। उससे ऊपर की राजनैतिक इकाइयों के पास तो केवल वही अधिकार और कर्तव्य तथा साधन होते थे जिन्हें उनको सुपुर्द किया गया हो। ये अधिकार और कर्तव्य या राजस्व सम्बन्धी साधन कुछ इलाकों में काफी मात्रा में उन्हें सुपुर्द किए गए हो सकते हैं। लेकिन ऐसे मामलों में भी उनकी शक्ति मुख्यतः प्रशासनिक ही थी।

इन राजाओं को अपने आप में कानून नहीं माना जाता था। शासन के विधिनियों की व्याख्या तो धर्म द्वारा स्थानीय रीतिरिवाजों द्वारा पहले से ही हुई रहती थी। इस व्याख्या को समय समय पर जातियों या औद्योगिक श्रेणियों द्वारा सामूहिक विचार-विमर्श के जरिए बदला या सुधारा जाता रहता था। सम्यता के नीति निर्देशक तत्त्वों के बारे में बड़े ऋणियों या विद्वानों द्वारा नई नई व्याख्याएं की जाती रहती थीं। इस सारी व्यवस्था में बहुत सी कमजोरिया रही होगी। उसके कुछ पहलू बराबरी की मानवीय भावना भी कभी कभी लाघते नजर आ सकते हैं। यह व्याख्या व्यवितरण या जातीय महस्त्वाकाङ्क्षाओं से भी प्रभावित होती रही होगी। ये सब कमजोरिया हमारे यहा भी उसी तरह आती रही होंगी जिस तरह दूसरे सभी राजनैतिक और सामाजिक संगठनों में पाई जाती हैं। इन सब कमजोरियों के बावजूद जिस तरीके से भारत के लोग अपने आपको संगठित करते रहे वह हमारे लिए महत्व रखता है। इसके आधार पर हम अपने यारे में सही समझ बना सकते हैं। हमारे यहा आज भी नए नए समुदाय उसी पुराने तरीके पर बनते रहते हैं और अपने दायरे में वे काफी स्वाधरता हासिल कर लेते हैं।

## १० भारतीय समाज यनाम पश्चिमी समाज व्यवस्था - २

इस तरह हमारे यहां परिवार एक व्यापक और अन्तर्राष्ट्रिय समाज का अंग रहा है। वह अनिवार्य रूप से कुटुम्ब गोत्र जाति और देश से जुड़ रहा है। इसलिए यह पतिपत्नी और बच्चों की छोटी इकाई में कभी सीमित नहीं रहा। परिवार के दैनिक काम जैसे निवास भोजन बनाना साफसफाई आदि इस बुनियादी इकाई में सीमित रह सकते हैं। लेकिन सम्बन्धों के मामले में पतिपत्नी या बच्चे सभी अनेक स्तरों पर जुड़े होते हैं। हमारे यहां विवाह को शायद ही कभी व्यक्तिगत घटना माना जाता हो वह तो एक सामाजिक घटना है। विवाह के सूत्र में बधने वाले युवक या युवती के भीष्म में घाँट जितना गहरा आकर्षण रहा हो उनका विवाह तो उनकी जाति और गोत्र या कुटुम्बों के भीष्म हुआ रिश्ता ही माना जाता था और स्थानीय समाज के लिए वह एक महत्वपूर्ण घटना होती थी। इन सामाजिक सम्बन्धों के कारण कभी कभी विवाह के इष्टुक युक्त और युवतियों की स्वतंत्रता में जरूर वाधा पड़ती होगी लेकिन मुसीयत में या जल्दत पढ़ने पर यह कौटुम्बिक और सामाजिक रिश्ते ही जीवन की अनेक समस्याओं को आसान कर देते होंगे।

इन सामाजिक सम्बन्धों और विवाह सम्बन्धों के फारम शिक्षा या दूसरे सभी सामाजिक कार्य समाज की जरूरतों और समुदायों के अपने काम धर्ये की जरूरतों से नियारित होते रहे हैं। यही यजह है कि अधिकाश लोगों यि शिक्षा ऐसी संस्थाओं में होती थी जिन्हें हम आज पढ़ोस के स्कूल जैसी कोई सज्जा दे सकते हैं। शिक्षा के बारे में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह विभिन्न शिल्पों के विशेषज्ञ माने गए लोगों द्वारा दी जाती थी। ये लोग छात्र के मातापिता भी हो सकते थे। शास्त्री या अधिक विशेषता वाली शिक्षा तो विद्यालयों और विद्यापीठों में ही दी जाती थी और वे आज के स्कूलों और कॉलेजों या उच्च शिक्षा संस्थानों जैसे ही थे।

हमारे भारतीय समाज में जीवन की दिशा तय करने के बारे में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में और सामाजिक सुरक्षा के बारे में वया स्थिति थी और प्राचीन यूरोप या आज के यूरोप के स्थीरुपसचों और बच्चों को जो कुछ और जितना कुछ हसिल हो

रहा है इन दोनों की तुलनात्मक स्थिति को तो गहरे विश्लेषण और बहस से ही समझा जा सकता है। इस विश्लेषण और बहस के जो भी नतीजे निकले लेकिन हमें अपने भविष्य के बारे में फैसले लेने से पहले यह गारटी जरूर कर लेनी चाहिए कि दोनों सम्प्रताओं की दुनियादी अवधारणाओं के बारे में कोई घालभेल और गलतफहमी न रहे। हर सम्प्रता को अपने विचारों का ढाया समझ लेना चाहिए और उसके हिसाब से दुनिया को देखते और समझते हुए अपने भविष्य की तस्वीर बनानी चाहिए।

हमारे यहाँ आज पुराने ढाये और तौरतरीकों के अवशेष तो दिखाई दे सकते हैं लेकिन वह तेजस्विता नहीं जो १९५० के आसपास भी दिखाई रेती है। करीब दो सौ साल पहले अंग्रेजी शासन के शुरु होने के साथ साथ हमारे समाज और हमारी राज्य व्यवस्था में एक गहरी दरार पड़ गई थी। उससे भी पहले उत्तर और पश्चिम भारत के मुस्लिम शासित इलाके में भी राज्य और समाज में खाई देखी जा सकती है। मुस्लिम शासकों का शासन करने का ढग और मुहावरा भी भारतेतर विचारों में ढला था। राज्य और समाज के इस अलगाव ने मुस्लिम शासन के दौरान दोनों को ही एक दूसरे के बारे में शकांगस्त रखा और उससे दोनों ही कमज़ोर हुए होंगे। इस ज़रूता और कमज़ोरी के कारण ही थाद में यूरोपीय लोग हमें जीत सके और पराधीन बना सके।

अंग्रेजों के जमाने में राज्य और समाज की खाई के और खतरनाक परिणाम निकले। उसने भारतीय समाज को सब तरह से बाँट और तोड़ दिया। समाज की दुनियादी इकाईया जीवनमरण के सघर्ष में पड़ गई और अपने भीतर सिकुद्दती घली गयी। इसने भारत को कायरता गरीबी और अराजकता में पहुंचा दिया। दूसरी तरफ राज्यतत्र निरक्षण होता चला गया। उसमें कर्तव्य की सारी भावना नष्ट हो गई और वह आशकाओं से इतना भर गया कि लोगों में होने वाली जरासी फुसकुसाहट उसे अपने लिये बड़ी चुनौती नज़र आने लगी और वह उसमें अपने अस्तित्व के लिये ही सकट देखने लगा।

राज्य के बड़ी नाज़ुक स्थिति में होने की यह भावना अंग्रेजों के समूदे शासन काल में बनी रही। खास तौर पर १८२० में १८५७-५८ में और १८९३ के गोहत्या विरोधी व्यापक आन्दोलन के दौरान तो अवश्य ही। तथा १९३०-३१ के नमक सत्याग्रह के दौरान वह काफी गहरी दिखाई देती है। उस समय तो इस भावना का थोड़ा बहुत होना समझ में आ भी सकता है। भगव यह भावना तो अंग्रेजों के जाने के थाद भी हमारे राज्यतत्र में बनी हुई है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारे राजनैतिक ढाये में कहीं कोई भारी गड़बड़ी है।

## १० भारतीय समाज बनाम पश्चिमी समाज व्यवस्था - २

इस तरह हमारे यहा परिवार एक व्यापक और अन्तर्राष्ट्रीय समाज का अंग रहा है। वह अनिवार्य रूप से कुटुम्ब गोत्र जाति और देश से जुड़ रहा है। इसलिए यह पतिपत्नी और बच्चों की छोटी इकाई में कभी सीमित नहीं रहा। परिवार के दैनिक क्रम जैसे निवास भोजन बनाना साफसफाई आदि इस बुनियादी इकाई में सीमित रह सकते हैं। लेकिन सम्बन्धों के मामले में पतिपत्नी या बच्चे सभी अनेक स्तरों पर जुड़े होते हैं। हमारे यहां विवाह को शायद ही कभी व्यक्तिगत घटना माना जाता हो वह तो एक सामाजिक घटना है। विवाह के सूत्र में बधने वाले युवक या युवती के बीच में चाहे जितना गहरा आकर्षण रहा हो उनका विवाह तो उनकी जाति और गोत्र या कुटुम्बों के बीच हुआ रिश्ता ही माना जाता था और स्थानीय समाज के लिए वह एक महत्वपूर्ण घटना होती थी। इन सामाजिक सम्बन्धों के कारण कभी कभी विवाह के हृद्युक्त युवक और युवतियों यी स्वतंत्रता में जरूर याधा पहली होगी लेकिन मुसीबत में या जरूरत पहने पर यह कौटुम्बिक और सामाजिक रिश्ते ही जीवन की अनेक समस्याओं को आसान कर देते होंगे।

इन सामाजिक सम्बन्धों और विवाह सम्बन्धों के बारण शिक्षा या दूसरे सभी सामाजिक कार्य समाज की जरूरतों और समुदायों के अपने काम धर्ये की जरूरतों से निपटारित होते रहे हैं। यही काज है कि अधिकाश लोगों की शिक्षा ऐसी संस्थाओं में होती थी जिन्हें हम आज पढ़ोत्त के स्कूल जैसी कोई सज्जा दे सकते हैं। शिक्षा के बारे में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह विभिन्न शिल्पों के विशेषज्ञ माने गए लोगों द्वारा दी जाती थी। ये लोग छात्र के मातापिता भी हो सकते थे। शारीरी या अधिक विशेषता वाली शिक्षा तो विद्यालयों और विद्यापीठों में ही दी जाती थी और ये आज के स्कूलों और कॉलेजों या उच्च शिक्षा संस्थानों जैसे ही थे।

हमारे भारतीय समाज में जीवन की दिशा सय करने के बारे में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में और सामाजिक सुरक्षा के बारे में वया स्थिति थी और प्राचीन यूरोप या आज के यूरोप के स्त्रीपुरुषों और बच्चों को जो कुछ और जितना कुछ हासिल हो

रहा है। इन दोनों की तुलनात्मक स्थिति को तो गहरे विश्लेषण और बहस से ही समझा जा सकता है। इस विश्लेषण और बहस के जो भी नतीजे निकले लेकिन हमें अपने भविष्य के बारे में फैसले लेने से पहले यह गारटी जरूर कर लेनी चाहिए कि दोनों सम्पत्तिओं की बुनियादी अवधारणाओं के बारे में कोई घालमेल और गलतफहमी न रहे। हर सम्पत्ता को अपने विचारों का ढाचा समझ लेना चाहिए और उसके हिसाब से दुनिया को देखते और समझते हुए अपने भविष्य की तस्वीर बनानी चाहिए।

हमारे यहा आज पुराने ढाचे और तौरतरीकों के अवशेष तो दिखाई दे सकते हैं लेकिन वह तेजस्विता नहीं जो १९५० के आसपास भी दिखाई देती है। करीब दो सौ साल पहले अग्रेजी शासन के शुरू होने के साथ साथ हमारे समाज और हमारी राज्य व्यवस्था में एक गहरी दरार पड़ गई थी। उससे भी पहले उत्तर और पश्चिम भारत के मुस्लिम शासित इलाके में भी राज्य और समाज में खाई देखी जा सकती है। मुस्लिम शासकों का शासन करने का ढग और मुहावरा भी भारतेतर विचारों में बढ़ा था। राज्य और समाज के इस अलगाव ने मुस्लिम शासन के दौरान दोनों को ही एक दूसरे के बारे में शकाग्रस्त रखा और उससे दोनों ही कमज़ोर हुए होंगे। इस ज़रूरा और कमज़ोरी के कारण ही बाद में यूरोपीय लोग हमें जीत सके और पराधीन बना सके।

अग्रेजों के जमाने में राज्य और समाज की खाई के और खतरनाक परिणाम निकले। उसने भारतीय समाज को सब तरह से बॉट और तोड़ दिया। समाज की बुनियादी इकाईया जीवनमरण के सघर्ष में पड़ गई और अपने भीतर सिफ़ुक़ती चली गई। इसने भारत को कायरसा गरीबी और अराजकता में पहुंचा दिया। दूसरी तरफ राज्यतत्र निरकुश होता घला गया। उसमें कर्तव्य की सारी भावना नष्ट हो गई और वह आशकाओं से इतना भर गया कि लोगों में होने वाली जरासी पुस्फुसाहट उसे अपने लिये बही चुनौती नज़र आने लगी और वह उसमें अपने अस्तित्व के लिये ही सकट देखने लगा।

राज्य के बही नाजुक स्थिति में होने की यह भावना अग्रेजों के समूद्रे शासन कमल में बनी रही। खास तौर पर १८२० में १८५७ वर्ष में और १८९३ के गोहत्या प्रियोगी व्यापक आन्दोलन के दौरान तो अवश्य ही। तथा १९३०-३१ के नमक सत्याग्रह के दौरान वह काफी गहरी दिखाई देती है। उस समय तो इस भावना का थोड़ा बहुत होना समझ में आ भी सकता है। मगर यह भावना तो अंग्रेजों के जाने के बाद भी हमारे राज्यतत्र में बनी हुई है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारे राजनीतिक धारे में कहीं कोई भारी गड़बड़ी है।

इस गठबंधी की जड़ें तो दरअसल और भी ज्यादा गहरी हैं। १९४७ से पहले आजादी हासिल करने के लिये या जैसा कि अंग्रेजों ने कहा है सत्ता के हस्तान्तरण के लिये जिस तरह की बातचीत चली और जिस तरह के समझौते किये गये उनका बाद में जो कुछ परिणाम हमारे सामने आ रहा है उस पर काफी असर पढ़ा है। इन रामझौतों का मुख्य उद्देश्य उन लोगों के पक्ष में इतिहास का चक्र मोड़ना था जो पश्चिमी विद्यारों के द्वाये में ढल चुके थे और उन लोगों को किनारे करना था जो देसी तौर तरीकों की वकालत करते रहते थे। पश्चिमी विचारों में ढले हुए आधुनिकतावादी और अपने समाज से कटे हुए लोग कोई रातों रात नहीं पैदा हो गये थे। वे लोग कोई एक शास्त्रीय में फले फूले हैं। विशेषकर १८२९ में जब ब्रिटिश गवर्नर जनरल बैटिक ने यह लिखा था कि पुराने जमाने में जो साधन गरीबों और ब्राह्मणों को बाटने में खर्च किये जाते थे उन्हें अब यूरोपीय लोगों के स्वागत और मनोरञ्जन पर खर्च किया जाता है। बैटिक इस समावार से सन्तुष्ट हुआ था कि निरर्थक कामों में खर्च किया जाने वाला पैसा बहुत यहीं हृद तक घटा दिया गया है।

१९४६ से १९४९ के द्विव स्वतंत्र भारत का सविधान जिस तरह तैयार किया जा रहा था उससे भी इन परिस्थितियों को समझा जा सकता है। स्वतंत्र भारत के जन प्रतिनिधि इस सविधान पर विचार करने के लिये सविधान सभा के रूप में बैठे जरूर पर करीब करीब हर मामले में उन्हें अगूठा लगाने की ही भूमिका निभानी पड़ी। इस सविधान को बनाने के लिये विशेषज्ञों की कई समितियां बनाई गयी थीं। मगर उनके अधिकार सदस्य दूसरे कामों में व्यस्त थे। इसलिये हमारे सविधान का प्रारूप भारत पर शासन करने के लिये खड़े किये गये अंग्रेजी ढाँचे के आधार पर ही बनाया गया था। उसमें जहाँ ताहाँ यूरोप के देशों या अमेरिका के सविधान के प्रारूप के अनेक पहलूओं पर काफी गरमागरम बहस हुई। लेकिन उसके बुनियादी ढाँचे में कोई खास परिवर्तन नहीं किया जा सका। इसके लिए यह तर्क दिया गया कि कोई बड़े परिवर्तन किये गये तो सविधान निश्चित कर दी गयी तारीख तक तैयार नहीं हो पायेगा और लटक जायेगा। सविधान का यह प्रारूप दो लोगों ने कानून मंत्री और संवैधानिक सलाहकार ने तैयार किया था।

पहले से तथ की गयी निश्चित तारीख तक सविधान बना देने की भजबूरी की बात संवैधानिक सलाहकार ने सविधान सभा के अध्यक्ष के सामने तब रखी जय इस बात को सेकर गरमागरम बहस छिली हुई थी कि हमारे नये राजनैतिक ढाँचे ये बुनियादी इकाई क्या होनी चाहिए। वे स्थानीय इकाईयां जो पुराने जमाने से हमारे राजनैतिक ढाँचे की बुनियाद बनी हैं या कि बालिग व्यक्ति जैसा कि पश्चिमी दुनिया में होता है। इस

मुद्दे पर पूरी तरह विचार नहीं होने दिया गया। सविधान बनाने की तारीख को कुछ इस तरह पवित्र मानकर यह बहस रोक दी गई जैसे कि कोई शुभ मुहूर्त टल जाने वाला हो। सविधान के प्रारूप में नयी बातें जोड़ी जरूर गयीं लेकिन उनसे सविधान का परिमाण ही बढ़ा होगा और उस सविधान को तकनीकी दृष्टि से धुस्त दुरुस्त बनाया गया होगा। लेकिन जहाँ तक भारतीय पद्धतियों के अनुरूप ढालने की बात है कुछ नहीं किया गया। भारतीय जलरतों के लिहाज से यह सविधान विलुप्त ही बेमेल है और अनजाने ही उसने हमारे राजनीतिक ढाचे को अग्रेजी शासन वाले जमाने से भी ज्यादा ज़ह बना दिया है।

## ११ भारत का पुनर्निर्माण

कुछ वर्ष पहले हमारे देश में स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगाँठ का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। उत्सव के शुरू में धार पाँच दिन तो भारत की लोकतामा व राज्य सभा में इस स्वतंत्रता की परिभाषा और आधारों को लेकर काफी कुछ कहा गया। देश के अपने आदर्शों मर्यादाओं विज्ञान और तकनीक पर चर्चा रही। वर्ष के अन्त में देश की अपनी कला से सम्बन्धित उत्सव हुए और इनमें न केवल भारत के कोने कोने के गान नृत्य कथाये सामने आई अपितु निकटवर्ती बौद्ध देशों के विद्वानों और कलाकारों ने भी भाग लिया। काशी में रामायण और मध्यप्रदेश में आल्हा-ऊदल प्रमुख रहे और कुछ ही दिन पहले केरल में एक वर्ष की भगवद्गीता का अभियान भी आरम्भ हुआ।

इस तरह का उत्सव मनाना तो ठीक है। लेकिन इस पचास वर्ष की स्वतंत्रता के बाद अधिकाश लोगों को शायद जो भारत का तत्र घलाने में लगे हैं उनको भी लगा कि इस पचास वर्ष की उपलब्धियाँ नये भारत को खड़ा करने में चसका आधार बनाने में काफी नहीं हैं। १९४२ में जब कि भारत में जोरो से कहा जा रहा था अंग्रेजों वापिस जाओ चस समय अंग्रेजी और अमरीकी सरकार के बीच भारत का क्या किया जाए इस विषय में कुछ बातचीत चलती थी। उस समय अगस्त १९४२ में अमरीकन के राष्ट्रपति रङ्गवेल्ट का अंग्रेजों को यह सुझाव था कि वे चाहे जो भी क्षम भारत के बारे में उठाएं लेकिन उन्हें यह ध्यान रहे कि (अन्त में पश्चिमी दृष्टि यह है कि) भविष्य का भारतवर्ष पश्चिम की 'ऑरिंग्ट' में छत्रछाया में जीए। रङ्गवेल्ट ने तो यहाँ तक कहा कि भारतवर्ष के लोग एशियाटिक (एशिया के) नहीं कहे जा सकते वे तो इहो-यूरोपियन हैं और इसलिए यूरोप और अमरीका के जूनीब हैं और सम्बद्धी जैसे हैं।

१९४७ में हम जाने अनजाने रङ्गवेल्ट की इस सोच पर धलने लगे और जैसा पश्चिम चाहता था उसकी ऑरिंग्ट में छत्रछाया में रहने लगे। इससे हम देश के और स्वतंत्रता के ध्येय से तो हटे ही अंग्रेजों द्वारा स्थापित फिर गए शासन तत्र से (जिरामें शिक्षा सफाई स्यास्थ्य बैंक स्टॉक मार्केट और अन्त में कृषि व पशुपालन भी बंध गया) घनिछता से बंध जाने के कारण देश के ९०-९५ फीसदी लोगों से भी अलग हो

रहा है इन दोनों की तुलनात्मक स्थिति को तो गहरे विश्लेषण और बहस से ही समझा जा सकता है। इस विश्लेषण और बहस के जो भी नतीजे निकले लेकिन हमें अपने भविष्य के बारे में फैलते लेने से पहले यह गारटी जल्लर कर लेनी चाहिए कि दोनों सम्पत्ताओं की बुनियादी अवधारणाओं के बारे में कोई घालमेल और गलतफहमी न रहे। हर सम्पत्ता को अपने विचारों का ढाया समझ लेना धाहिए और उसके हिसाब से दुनिया को देखते और समझते हुए अपने भविष्य की तस्वीर बनानी चाहिए।

हमारे यहा आज पुराने ढाये और तौरतरीकों के अवशेष तो दिखाई दे सकते हैं लेकिन वह तेजस्विता नहीं जो १९५० के आसपास भी दिखाई देती है। करीब दो सौ साल पहले अंग्रेजी शासन के शुरू होने के साथ साथ हमारे समाज और हमारी राज्य व्यवस्था में एक गहरी दरार पड़ गई थी। उससे भी पहले उचर और पश्चिम भारत के मुस्लिम शासित इलाके में भी राज्य और समाज में खाई देखी जा सकती है। मुस्लिम शासकों का शासन करने का ढग और मुहावरा भी भारतेतर विचारों में ढला था। राज्य और समाज के इस अलगाव ने मुस्लिम शासन के दौरान दोनों को ही एक दूसरे के बारे में शकाग्रस्त रखा और उससे दोनों ही कमज़ोर हुए होंगे। इस जड़ता और कमज़ोरी के कारण ही बाद में यूरोपीय लोग हमें जीत सके और पराधीन बना सके।

अंग्रेजों के जमाने में राज्य और समाज की खाई के और खतरनाक परिणाम निकले। उसने भारतीय समाज को सब तरह से बॉट और तोड़ दिया। समाज की बुनियादी इकाईया जीवनमरण के सघर्ष में पड़ गई और अपने भीतर सिकुद्दती चली गयी। इसने भारत को कायरता गरीबी और अराजकता में पहुंचा दिया। दूसरी तरफ राज्यतत्र निरक्षा होता चला गया। उसमें कर्तव्य की सारी भावना नष्ट हो गई और वह आशकाओं से इसना भर गया कि लोगों में होने वाली जरासी फुसफुसाहट उसे अपने लिये बढ़ी चुनौती नज़र आने लगी और वह उसमें अपने अस्तित्व के लिये ही सकट देखने लगा।

राज्य के बड़ी नाजुक स्थिति में होने की यह भावना अंग्रेजों के समूचे शासन काल में बनी रही। खास तौर पर १८२० में १८५७-५८ में और १८९३ के गोहत्या विरोधी व्यापक आन्दोलन के दौरान तो अवश्य ही। सथा १९३०-३१ के नमक सत्याग्रह के दौरान वह काफी गहरी दिखाई देती है। उस समय तो इस भावना का थोड़ा बहुत होना समझ में आ भी सकता है। यद्यपि यह भावना तो अंग्रेजों के जाने के बाद भी हमारे राज्यतत्र में बनी रही है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारे राजनैतिक ढाये में कहीं कोई भारी गड़बड़ी है।

करना चाहिए। विदेशों को हमारी कुछ पैदावार की विशेष आवश्यकता रहे तो हमें उन्हे कुछ एक फीसदी के करीब तक देना चाहित ही है।

भारत केवल कृपिप्रधान देश नहीं था। पिछले १०-१२ बरसों के अध्ययन ने यह बतलाया है कि १७५० के करीब भारतवर्ष और धीन के क्षेत्र में कुल विश्व का ७३ प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन होता था। १८२० में भी यह उत्पादन ६० प्रतिशत तक रहा। सैकड़ों वस्तुएँ तब बनती होंगी। यह सब हमें दोषारा आज की आवश्यकता के अनुसार स्थापित करना पड़ेगा।

हमारे बच्चों का पालन और शिक्षा पिछले १५०-२०० वर्षों में दूरी तरह से बिगड़ी है। इसे फिर से ढग से व्यवस्थित करना होगा। गाँवों कस्बों व शहरों के मुहल्लों में नई शुरुआत तो अभी से हो सकती है। इसमें आवश्यकता है कि स्थानीय युवा वर्ग का इस काम में सहयोग मिले। शिक्षा का रूप क्या होगा इस पर सोचना और उसको कम्पन्नित करना हमारी दूसरी प्राथमिकता है। ६ से १२-१३ बरस तक की शिक्षा का ध्येय तो यह होगा कि इन बरसों में हमारे बच्चे सृष्टि प्रकृति और उसमें रहने वाले सब जीवों से परिचित हो जाएं उनका जीवन और स्वभाव समझे उनसे मित्रता बनाएं और १२-१३ बरस की उम्र में अपने को अपने देश और गाँव नगर इत्यादि का नागरिक मानने लगें और समाज की वार्ता में बराबर का भाग लेने लगें। जो भी जीवन को चलाने का काम उन्हें करना होगा वह मुख्यतः तो इसके बाद दो तीन बरस में सीखा जा सकता है। अगले एक बरस में अगर देश की मित्र भिन्न भाषाओं में ८-१० पुस्तकें इतिहास मू़गोल स्थानीय प्रकृति और दूसरे जीव इत्यादि पर लिखी जा सकें तो इस शिक्षा की रूपरेखा बनाने में बहुत सहायक होंगी।

अपने पढ़ोसियों को भी जिनके साथ हमारा हजारों वर्षों का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है फिर से समझना जरूरी है क्योंकि आज हम यूरोप व अमरीका से धालित दुनिया में रहते हैं इसलिए इनको भी और इनकी मान्यताओं स्वभाव इत्यादि को भी समझना हमारे लिए आवश्यक है। वैसे यूरोप और अमरीका से हम मित्रता रखते हुए भी उनसे आवश्यक दूरी रख सके तो वह हमारे लिए ही नहीं सभी के लिए शुभ रहेगा।

यह आवश्यक है कि हम अपने करीब के देशों से - विशेषत धीन कोरिया जापान थाईलैण्ड कम्बोडिया इण्डोनेशिया वियतनाम श्रीलंका नेपाल म्यामार (पर्म) शास्त्रादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान झूरान से करीबी सम्बन्ध दोबारा जनयम करें। पिछले ५०० बरसों में हमारे ये सम्बन्ध टूटे और शिथिल हुए हैं। लेकिन इन देशों के सोच व स्वभाव हमारे देश के सोच व स्वभाव से पहुंच मिलता जुलता है। यहाँ तक

पशु व शेष प्रकृति के समान हैं। आवश्यकता होने पर राजपुरुष उन्हें बगैर किसी कानूनी व्यवस्था में पढ़े मार सकते हैं जैसे कि किसी पागल कुत्ते को। पिछले १००-२०० वर्ष की यूरोप व अमरीका की समृद्धि व बदलाव के होते हुए भी मूलत यूरोप और अमरीका के लोग आज भी दासत्व के स्तर पर ही हैं। अगर ऐसी मूल स्थिति उनकी है तो वाकी संसार के मनुष्य और दूसरे प्राणियों को तो कभी भी समाप्त किया जा सकता है।

ऐसी स्थिति में से हम निकलना चाहते हों तो हमें अपने देश की परम्पराओं मान्यताओं विद्याओं और भारतीय स्वभाव के आधार पर नया भारत बनाना शुरू करना चाहिए। अग्रेजों से मिले तत्र व व्यवस्था को पूरी तरह छोड़ने का हमें शीघ्र ही निश्चय कर लेना चाहिए और ऐसी योजना बनानी चाहिए कि अधिक से अधिक २०-२५ वर्स में हम अपने पाँवों पर खड़े हो जाएं, हमारी अपनी व्यवस्थाएँ पूरी तरह स्थापित हो जाएं और अग्रेजों के दिए तत्र व्यवस्था को हम साक्ष पर रखें पुराने लेखायारों में कभी अद्ययन के लिए रख दें।

हमें सभी याते कुछ नए सिरे से कल्पनी होंगी। हमें ऐसा मान लेना चाहिए कि पिछले २००-२५० वर्स हमारे लिए विप्रचि के ही रहे हैं और उनमें जो कुछ हुआ उससे भारत वर्ष में रहने वालों का विनाश ही हुआ। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमारी शुरूआत १७०० या १७५० में जो था उसी से होगी। पिछले दो ढाई सौ वर्स में हमारे यहाँ जो बदला है उसमें से शायद कुछ हम अपने काम में ले पाएं। आगे भी वाकी पृथ्वी पर पिछले पचास वर्सों में जो बदलाव आए होंगे उनमें से भी कुछ हमारे काम के हो सकते हैं। लेकिन बाहर का जो भी हम अपनाएंगे वह हमारे अपने विधारों आधारों और स्वभाव के अनुकूल होगा तभी वह हमारे काम का होगा।

आज सबसे पहले तो हमें अपनी कृषि वन्यवस्था व पशुपालन पर ध्यान देना होगा। ये ही हमारे समाज के मुख्य भौतिक आधार हैं। पश्चिम से आए हुए तरीकों को छोड़कर हमें अपने तरीकों बीजों फसलों सिंचाई व्यवस्थाओं पर आना होगा और जो आवश्यक बदलाव उनमें करने हो वे भी कर्त्त्व होंगे। हमें अपनी उपज भी बदनामी होगी जैसे कि वह १८०० से पहले होती थी और यह भी देखना होगा कि देश में कोई भी (मनुष्य पशु या अन्य जीवजन्तु) मूर्खा नहीं रहे। पशुओं और मनुष्यों का भूखे रहना हमारे लिए सबसे बड़ा अभिशाप है।

यह भी अत्यन्त आवश्यक है कि भारतवर्ष जल्दी से जल्दी विदेशों से अनाज तेल और खानेपीने के दूसरे सामान लेना चाह दर दे। हमारे महाद्वीप जैसे देश में सभी कुछ पैदा किया जा सकता है। किसी पदार्थ की कमी होगी तो हमें उतनी कमी के सहन

करना थाहिए। विदेशों को हमारी कुछ पैदावार की विशेष आवश्यकता रहे तो हमें उन्हें कुछ एक फीसदी के करीब तक देना उचित ही है।

भारत केवल कृषिप्रधान देश नहीं था। पिछ्ले १०-१२ बरसों के अध्ययन ने यह बतलाया है कि १७५० के करीब भारतवर्ष और चीन के क्षेत्र में कुल विश्व का ७३ प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन होता था। १८२० में भी यह उत्पादन ६० प्रतिशत तक रहा। सैकड़ों वस्तुएँ तब बनती होंगी। यह सब हमें दोबारा आज की आवश्यकता के अनुसार स्थापित करना पड़ेगा।

हमारे बच्चों का पालन और शिक्षा पिछ्ले १५०-२०० वर्षों में बुरी तरह से बिगड़ी है। इसे फिर से ढग से व्यवस्थित करना होगा। गाँवों कस्बों व शहरों के मुहल्लों में नई शुरुआत तो अभी से हो सकती है। इसमें आवश्यकता है कि स्थानीय युवा वर्ग का इस काम में सहयोग मिले। शिक्षा का रूप वया होगा इस पर सोचना और उसके क्षयन्वित करना हमारी दूसरी प्राथमिकता है। ६ से १२-१३ बरस तक की शिक्षा का ध्येय तो यह होगा कि इन बरसों में हमारे बच्चे सृष्टि प्रकृति और उसमें रहने वाले सब जीवों से परिचित हो जाएँ उनका जीवन और स्वभाव समझें उनसे मित्रता बनाएँ और १२-१३ बरस की उम्र में अपने को अपने देश और गाँव नगर इत्यादि का नागरिक मानने लगें और समाज की वार्ता में बराबर का भाग लेने लगें। जो भी जीवन को चलाने का काम उन्हें करना होगा वह मुख्यतः तो इसके बाद दो तीन बरस में सीखा जा सकता है। अगले एक बरस में अगर देश की भिन्न भिन्न भाषाओं में ८-१० पुस्तके हस्तिहास भौगोल स्थानीय प्रकृति और दूसरे जीव इत्यादि पर लिखी जा सके तो इस शिक्षा की रूपरेखा बनाने में बहुत सहायक होंगी।

अपने पढ़ोसियों को भी जिनके साथ हमारा हजारों वर्षों का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है फिर से समझना जरूरी है क्योंकि आज हम यूरोप व अमरीका से धालित दुनिया में रहते हैं इसलिए हनको भी और इनकी मान्यताओं स्वभाव इत्यादि को भी समझना हमारे लिए आवश्यक है। वैसे यूरोप और अमरीका से हम मित्रता रखते हुए भी उनसे आवश्यक दूरी स्थ तक तो वह हमारे लिए ही नहीं सभी के लिए शुभ रहेगा।

यह आवश्यक है कि हम अपने करीब के देशों से - विशेषत चीन कोरिया जापान थाईलैण्ड क्योंडिया इण्डोनेशिया वियतनाम श्रीलंका नेपाल भ्यामार (बर्मा) माल्दीव देश पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान से करीबी सम्बन्ध दोबारा कायम करें। पिछ्ले ५०० बरसों में हमारे ये सम्बन्ध टूटे और शिथिल हुए हैं। लेकिन इन देशों के सोध व स्वभाव हमारे देश के सोध व स्वभाव से बहुत मिलता जुलता है। यहाँ तक

कि हन सब देशों में गौतम बुद्ध का प्रभाव भारत से गया। उसी समय या उससे भी पहले से इनमें से अधिक देशों में रामायण व महाभारत का प्रसार भी रहा और इन सब में भी अयोध्या नाम के नगर तो मिलते ही हैं मथुरा नाम के भी। अयोध्या व मथुरा नाम के नगर तो तकरीबन १५०० तक इन देशों की राजधानियाँ हुआ करती थीं।

अपने को समझने और पहचानने के लिए अपने पुराने समाज और जीवन के भौतिक तथ्य जानना भी आवश्यक है। यह काम शीघ्र ही विद्याकेन्द्रों के द्वारा पी एच डी व इसी तरह के अध्ययन कार्यक्रम में होने चाहिए। अगले ६-७ महीने देश के १०-२० क्षेत्रों जिलों इत्यादि में ऐसी स्कॉल शुल की जा सके तो ५-७ बरस के अन्दर हमें अपने पुराने समाज की व्यवस्था उसका जीवन विद्या हुनर इत्यादि के बारे में काफी जानकारी मिल जाएगी।

नए भारत की रचना तभी ठीक तरह से सम्भव होगी जब हम अपनी परम्पराओं मान्यताओं धारणाओं और स्वभाव को समझ पाएँ। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद उसमें जो हुआ और उससे जो परिणाम निकला उन्हें समझने के लिए हमारे क्षम्पि व दूसरे विद्वान वरसों सक नैमित्तारप्य में देंठे और आने वाले समय को केन्द्र में रखकर दीते उक्त काल खड़ को समझने में लगे रहे। आज का समय भी महाभारत के उक्त काल से कुछ मिलता जुलता ही है। हमारी परम्पराओं दर्शन और गए समय पर ध्यान रखते हुए आज विचार आवश्यक है। इसके लिए ३-४ नए विद्या केन्द्र स्थापित हों सो ४४ भविष्य में कैसे क्या करना है यह निश्चित कर सकेंगे।

अगर सब देशों के दार्शनिक समाजशास्त्री मनुष्य की आज की स्थिति को और पिछले ५०० वर्षों में जो स्थिति बनी है कैसे मनुष्य (पुरुष और स्त्री दोनों) का आत्मसन्नान घटा है अकेलापन बढ़ा है और कैसे दोनों एक दूसरे के लिए केवल क्षमिक भोग की वस्तु रह गए हैं को रामझने का प्रयास करते तो हो सकता है पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों का आत्मसन्नान कुछ लोट्टा और उनके छोटे छोटे प्राकृतिक समूहों में परस्परता फिर से पनपने लगती और व्यक्तियों का आलस्य व उदासीनता कम होती। लेकिन ऐसा तो अधिकतर सासार में अभी होता दिखता नहीं है। फिर भी यह सम्भव है कि जिन क्षेत्रों में धौद मत का प्रभाव रहा है और जहाँ भारतीय व चीनी (इसमें जापान कोरिया यमोज इडोनेशिया सभी आ जाते हैं) मान्यताओं व परम्पराओं का असर रहा है वहाँ सब जीवों का आत्मसन्नान उनकी अपने राम्भों में पारस्परिकता व स्पतंत्रता काफी हद तक शीघ्र ही वापस लाई जा सकती है। आर्थिक समृद्धि अपने में जल्दी है विशेषतः ऐसे क्षेत्रों में जो पिछले २००-३०० वरसों में विश्वभित्र हो गए हैं और जहाँ

अधिक लोगों में पिछले १५०-२०० वर्ष से क्याली का बोलबाला है। लेकिन आत्मसम्मान परस्परता और सामूहिक स्वतंत्रता आएगी तो आर्थिक समृद्धि भी क्रमशः आ ही जाएगी और समृद्धि की परिभाषा भी नए रूप लेने लगेगी।

जहाँ तक भारतवर्ष की बात है उसका पहला काम तो आज आत्मसम्मान साहस परस्परता और समूहिक स्वतंत्रता को देश में शीघ्रतिशीघ्र स्थापित करना है। यह हो जाएगा तो अन्य जटिल प्रश्न भी हल होने लगेगे।

## १२ हमारे सपनों का भारत ?

हमारे सपने १९४७ के दिनों में व १९४२ के करीब क्या थे यह सोचना आज शायद आसान है। उन दिनों तो एक तीव्र भावना थी अच्छे अच्छे ल्याल थे कि स्वाधीन होना है और स्वाधीन होंगे तो सबको सम्मान से भोजन कपड़ा मकान मिलेगा सामुदायिक जीवन होगा शान्ति से रहेंगे और विश्व में शान्ति का ही सन्देश देगे इत्यादि।

लेकिन किसी भी स्वप्न या लक्ष्य का स्वरूप आत्मबोध तथा आत्मधित्र के आधार पर ही निर्धारित होता है। उस दृष्टि से देखें तो लगता है कि हमारा आत्मधित्र तो यहुत समय से हमारा अपना नहीं है। उन दिनों भी यही स्थिति थी। हमें अंग्रेजों ने और अंग्रेजी शिक्षा ने जो जो सिखा दिया था उसे ही हम अपना वास्तविक स्वरूप मानने लगे थे। जैसे अंग्रेजों या उनकी शिक्षा का कहना या उनकी शिक्षा थी कि भारत के ऊपर तो सदैव दूसरों ने ही राज किया है भारत कभी स्वाधीन नहीं रखा। वे यह भी कहते थे कि उन्होंने हमें बधा रखा है नहीं तो इस्त्तमाम य पश्चिम के इस्त्तमामी देश भारत को खा जायेंगे। हमारे इतिहास तथा शास्त्रों के बारे में भी वे जो कहसे थे उसे ही हम पढ़े लिखे लोगों ने सत्य मान लिया था। बहुत से सुधार आन्दोलन भी उरी मान्यता में से उपजे थे। अपने इतिहास के प्रति म्लानि तथा हीनता का भाव शिक्षित भारतीयों में गहराई तक घर कर गया था। यह आवश्यक है कि हम में से जो स्वाधीनता की तीव्र भावना से भरे थे वे भारतीय अतीत के इस तरह से हीन दिखाने के प्रयासों को अस्वीकार करते थे।

यह भी था कि गांधीजी ने 'हिन्द स्वराज' में पूर्व और पश्चिम की दो मिश्र मिश्र सम्पत्तियों की बात उठाई और यह के जनमानस में पहले से ही पैदी अपनी सम्पत्ता की विशेषताएँ दिखाई। उसका भी कुछ प्रभाव हमारे ऊपर था लेकिन आधुनिक शिक्षित वर्ग में ऐसातर तो ह्या एक ही थी कि पश्चिम महुत आगे यढ़ गया है हमें भी उसी रस्ते पर तेजी से आगे यढ़ना है। ज्ञान और प्रेरणा दोनों के लिए हम पश्चिम की ओर देखते थे। अपने वृहत् समाज के लोगों की उश्शक्ति करनी है कल्याण करना है विकास करना है

## १२ हमारे सपनों का भारत ?

हमारे सपने १९४७ के दिनों में व १९४२ के करीब क्या थे यह सोधना आज शायद आसान है। उन दिनों तो एक तीव्र भावना थी अच्छे अच्छे यात्रा थे कि स्वाधीन होना है और स्वाधीन होंगे तो सबको सम्मान से भोजन फपड़ा मकन मिलेगा सामुदायिक जीवन होगा शान्ति से रहेंगे और विश्व में शान्ति का ही सन्देश देंगे इत्यादि।

लेपिन किसी भी स्वप्न या लक्ष्य का स्वरूप आत्मघोष सथा आत्मघित्र के आधार पर ही निर्धारित होता है। उस दृष्टि से देखें तो लगता है कि हमारा आत्मघित्र तो बहुत समय से हमारा अपना नहीं है। उन दिनों भी यही स्थिति थी। हमें अंग्रेजों ने और अंग्रेजी शिक्षा ने जो जो सिखा दिया था उसे ही हम अपना वास्तविक स्वरूप मानने लगे थे। जैसे अंग्रेजों या उनकी शिक्षा का कहना या उनकी शिक्षा थी कि भारत के ऊपर तो सदैव दूसरों ने ही राज किया है भारत कभी स्वाधीन नहीं रहा। वे यह भी कहते थे कि उन्होंने हमें बचा रखा है नहीं तो इस्त्ताम व पश्चिम के इस्त्तामी देश भारत को खा जायेंगे। हमारे इतिहास तथा शास्त्रों के बारे में भी वे जो कहते थे उसे ही हम पढ़े लिखे लोगों ने सत्य भाव लिया था। बहुत से सुधार आन्दोलन भी उसी मान्यता में रो उपजे थे। अपने इतिहास के प्रति म्लानि तथा हीनता का भाव शिक्षित भारतीयों में गहराई तक घर कर गया था। यह आवश्यक है कि हम में से जो स्वाधीनता की तीव्र भावना से भरे थे वे भारतीय अरीत के इस सरह से हीन दिखाने के प्रयासों के अस्वीकार करते थे।

यह भी था कि साधीजी ने 'हिन्द स्यराज' में पूर्व और पश्चिम की दो भिन्न भिन्न सम्प्रताओं की यात्रा उठाई और यहाँ के जनमानस में पहले से ही ऐंटी अपनी साम्प्रता की विशेषताएं दिखाई। उसका भी कुछ प्रभाव हमारे ऊपर था लेपिन आषुनिक शिक्षित वर्ग में ज्यादातर तो हवा एक ही थी कि पश्चिम बहुत आगे बढ़ गया है हमें भी उसी रस्ते पर तेजी से आगे यदना है। ज्ञान और प्रेरणा दोनों के लिए हम पश्चिम की ओर देखते थे। अपने बृहत् समाज के लोगों की उपति करनी है कल्याण करना है विकास करना है

यह भाव तो था पर अपने समाज से कुछ सीखना भी है वह स्वयं भी रास्ते की रक्खतें हट जाने पर कुछ कर सकता है यह भाव बहुत कम था।

विष्णु के बारे में हमारी जो धारणा थी उसमें पश्चिम की शक्ति और सफलताएँ ही प्रमुख थीं उसकी विकृतिया ऐतिहासिक दूरताएँ बर्बरताएँ हमारे ध्यान में नहीं थीं। वे संसार के बारे में क्या विचार और धारणाएँ रखते हैं यह हमारी जानकारी में नहीं था। इस प्रकार न तो हमें स्वतंत्र आत्मबोध था न ही सही विष्णुबोध। अपने बारे में भी हमारी मान्यताएँ किसी अध्ययन या स्वयं की सोच-समझ पर आधारित नहीं थीं।

इसका कोई मामूली असर नहीं हुआ। अधिकाश सुधार आन्दोलन भारतीय इतिहास के प्रति स्लानि का भाव जगाने वाले बन गए। और तो और 'स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है' का उद्घोष करने वाले लोकमान्य बाल गगाधर तिलक ने भी 'ओरायन' में आर्कटिक होम इन ध वेदाज' में इतिहास की पश्चिम वालों की ही दृष्टि अपनाई।

ऐसा नहीं है कि स्वतंत्र विवेक में यह कभी ब्रिटिशकाल में ही आई। वस्तुत समाज पर पहुँचे वाले दबावों का प्रभाव साहित्य आदि में भी होता है। इसलिए हमारे जो पहान ग्रन्थ हैं महाकाव्य हैं उनको भी उनकी रक्षा के समय और परिवेश के सन्दर्भ में ही देखना चाहिए। यह नहीं मानना चाहिए कि सभी कुछ प्राचीन काल से एक सा ही है। वाल्मीकि रामायण और तुलसी की रामायण (रामचरित मानस) वे जो अन्तर हैं वह अधिकाश समय के भेद से ही है। भिन्न भिन्न स्मृतियों में भी अलग अलग व्यवस्थाएँ हैं इसका कारण भी यही समय का अन्तर है। आगर हम विवेकबुद्धि से उन सबको नहीं देखेंगे तो भ्रान्तिया स्वाभाविक हैं।

संसार के बारे में हमें आज अधिक जानकारी प्राप्त है। उसके प्रकाश में हमें संसार को और स्वयं को समझना चाहिए। लेकिन अभी तो दिखता यह है कि हमारा जो स्वल कर्ता है वह अपने समाज से बौद्धिक और भावनात्मक स्तर पर बहुत समय से दूर होता रहा गया है। ब्रिटिश काल में इसने अंग्रेजों के आवारण्यवहार और शोली तथा अभियक्षित की विधियों को आगीकार कर लिया। इससे ऐसी दृष्टि बनी कि हमारे एक अभिजन राजनेता ने १९४५ में गांधीजी से कहा कि क्तोर्ह यह कैसे कमूल कर सकता है कि गाव के लोगों में भी कोई सदगुण और सामर्थ्य है वे तो पूर्णतया मूर्ख ही हैं।

फलत समाज के विकास के लिए हमने वे ही तरीके अपनाने शुल किए जो पश्चिम के थे। १९३८ई में श्री सुभाषघन्द्र बोस ने ही एक राष्ट्रीय योजना समिति बनाई थी जिसके संयोजक वे स्वयं थे और अध्यक्ष थे श्री जवाहरलाल नहेसा उस रामिति ने

भी योजना का जो रूप सोचा वह परिमी ढग का ही था।

इस तरह स्वतंत्र भारत में हम जिस रास्ते पर चले उसकी नींव तो बहुत पहले पड़ गई थी। अब हमें यह समझना होगा कि हर सम्यता और सस्कृति की अपनी अपनी परम्पराएँ होती हैं। उसके अनुसार ही वे सम्यताएँ विकास किया करती हैं। जैसे १८५० के यूरोप में जो विज्ञान व तकनीकी विकसित थी वह चीन में २००० वर्ष पूर्व ही विकसित हो चुकी थी। लेकिन चीन ने शारद दनाने की विधियों से उत्सर्वों आदि में काम आने वाली आतिशायाजिया व पटाखे बनाए जबकि यूरोप ने अब से पांच छ सौ वर्ष पहले वही विधि जानकर युद्ध और हिंसा के लिए हथियार बनाये। यह सम्यताओं की दिशा की मिश्रता के कारण ही हुआ। ऐसा नहीं है कि दक्षिणी या पूर्वी एशिया के लोग विज्ञान और सकनीकी में उप्रत नहीं थे लेकिन उनकी सम्यता उन्हें मर्यादा सिखाती थी और हिंसक दिशाओं में बढ़ने से रोकती थी। यह उनकी अक्षमता नहीं उनका प्रयोक्ता था। भारत में भी इस्पात सथा लोहे के निर्माण की अपनी विकसित विधि थी। सन के पौधे के उपयोग से कागज बनाने सथा इसी तरह अलग अलग बनस्पतियां आदि से रगाई के विविध रसायन बनाने की प्रौद्योगिकी भी विकसित थी। हर्वर्धन के समय में और १८ वीं सदी में भी उत्तर प्रदेश मिहार इस्यादि में पानी से बर्फ बनायी जाती रही है। खेती और सिंचाई तथा जलप्रबन्ध की अत्यत विकसित प्रौद्योगिकी तो थी ही। लेकिन हमने उसमें से कोई विशालकाय और थोड़े से लोगों के पूर्ण नियन्त्रण में घलने वाले टाट नहीं खड़े किए।

यूरोप का स्वभाव प्राचीन काल से ही हिंसक रहा लगता है। विशेषकर इर्टीड और अमेरिका तो पिछले पांच सौ वर्षों से पूरी तरह हिंसक स्वभाव ये रहे हैं। वे दूसरों के अस्तित्व का आगे बढ़ना सह महीं पाते सबको अपने अधीन ही रखना चाहते हैं। पिछले सप्ताह यहीं दिल्ली में अमरीकी विद्वान चोम्सकी ने तो कहा ही है पर यह देश स उनकी यात नहीं है यद्कि यह सर्वमान्य है कि यूरोप और अमेरिका स्वभाव से ही हिंसक हैं। और देशों में भी समय समय पर हिंसा तो रही ही है लेकिन वे अधिकाशत हिंसा को मर्यादित यन्त्रते रहे हैं। दक्षिण व पूर्व एशिया के सोग स्वभाव से मुख्यत अहिंसक ही रहे हैं ऐसा कहा जा सकता है। फिर भी हमने तो यूरोप की ही शिक्षादीक्षा विकासदृष्टि सथा जीवनदृष्टि अपना ली।

स्वतंत्रता मिली हमें लगा कि अमत्कार हो गया। पर आगे वया फूर्ना है इराक फोर्म स्पष्ट चित्र नहीं था। १८ वीं शताब्दी ये इस यूरोपीय विद्वार से ही हम भी भरे हुए थे कि यदि अवसर उचित रहे सो हम लोग भी उनके रास्ते पर घलते हुए उनके भीसवीं

सदी के स्तर पर पहुँच जाएगे। हमने मान लिया था कि पश्चिमी चिन्तन ही सारे संसार को जीत लेगा इसलिए जल्दी जल्दी उसी राह पर हम बढ़ चले। लेकिन एकस्थल से पराई राह पर अनधीनहीं अपरियित राह पर चलना सबको तो नहीं आता। जिन्हें आता था वे आगे बढ़ गए पश्चिमीकृत हो गए बाकी यों ही पढ़े रहे। इस तरह समाज के शवित्रशाली व सम्प्रभु लोगों की साधारण समाज से बृहत् समाज से दूरी बढ़ी विलगाव बढ़ा आत्मीयता घटी।

फलत समाज में कई स्तरों पर विभेद उमरे। पहले पुरुषों को अधिक आधुनिक शिक्षा दी गई तो वे कुछ पश्चिमी उपकरणों वस्तुओं साहित्य मनोरूपन आदि का उपयोग करने और आनन्द लेने में समर्थ बने। पर भारतीय सिद्धान्त में नहीं पढ़ी उनकी भारतीय मानसिकता और सोच टिकी रही। इसलिए घर के भीतर ही खिड़की हो गया बाहर के कार्यक्षेत्र की बात घर पर कर सकना सम्भव नहीं रहा और सिद्धियों और पुरुषों के संसार अलग अलग होते चले गये। मेरी मा पूछती-बेटा क्या पढ़ रहा है तो मैं उन्हें बता नहीं पाता कहता तुम समझोगी नहीं। पहले जो लोग रामायण भागवत रघुवंश गीता महाभारत पुराण गणितज्योतिष पञ्चतत्र हितोपदेश व्याकरण आदि पढ़ते थे तो सरलता से भा को व परिवार की दूसरी सिद्धियों बहनों व बेटियों को उनके विषय में बता सकते थे वर्णोंकि वे भी उन्हें समझ सकती थीं पर अब यह सम्भव नहीं रहा। खेती या पुराने हुनर शिल्प कलाकौशल उद्योग आदि के बारे में तो घर की सिद्धा भी उतना ही जानती थीं जितना पुरुष बल्कि प्राय सिद्धा कुछ अधिक ही जानती थीं। तो पहले ऐसा खिड़की नहीं था कार्यक्षेत्र के बारे में घर पर बात की जा सकती थी अब यह नहीं रहा।

इसी प्रकार सम्प्रभु लोगों और बृहत् समाज के धीर सवाद घटता गया। मेटकाफ (अग्रेज अधिकारी) ने जब १९३० के करीब कलकत्ता में कहा कि हन भारतीयों का कुछ ठिकाना नहीं है ये तो हथा के साथ चलते हैं जाने कम हमारे विरुद्ध हो जाए तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल विलियम बेप्टिक ने कहा कि नहीं कलकत्ता के समाज के बड़े लोग तो बदल रहे हैं हमारे अनुकूल हो रहे हैं अब वे गोपालन गोसेवा द्राह्याणभोजन मिथा आदि में खर्च करना बन्द कर रहे हैं हमारे मनोरजन में हमारे सेवा-सत्कार में ज्यादा से ज्यादा खर्च कर रहे हैं इसलिए हमारे अनुकूल वर्ग मढ़ रहा है।

यह विभेद यह विलगाव तो शायद १८३० के करीब से बढ़ता ही गया। अभी युग्म वर्ष पहले मैं हरिद्वार गया था तो वहा हमारे पढ़े की बही मैं हमारे ही कस्मे के एक अवित की लिखत थी-१८८५ की जो अग्रेजी में थी। जब इतने वर्ष पहले उत्तर प्रदेश

के एक घट्टवे में एक व्यक्ति अंग्रेजी को प्रभुत्व की प्रतिष्ठा की भाषा मान रहा था तो स्पष्ट है कि भेद सो बढ़ रहा था। वह याद में गहरा ही होता चला गया।

इस तरह अंग्रेजों की योजना ही सफल हुई। जो उन्होंने धाहा था अधिकाशत्रु वही हुआ। वे हमारी अपनी विद्याबुद्धि तो नए करना ही चाहते थे। मैकाले के स्माने कुछ अंग्रेज अफसरों ने यह तर्क रखा था कि यह बगाल में तो एक लाख देशी स्कूल पहले से हैं उन्हें हम दस दस लूपया भी प्रति वर्ष दें तो उनका काम छलता रहेगा। उसी में अपने काम के लोग भी निकल आएंगे या हम उनमें से छाट लेंगे। उस पर मैकाले ने कहा कि नहीं उन्हें कुछ भी देने का कोई औधित्य नहीं है वह तो व्यर्थ होगा। पहले हम अपने प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करें फिर वे शिक्षणसंस्थाओं को बनायें और उनके माध्यम से काम करें तभी हमारी विद्यादृष्टि का, ज्ञान इन भारतीयों को होगा। तो इस तरह हिन्दुस्तान को उन्होंने कोरी स्लेट मान लिया था और हमारे भी कुछ लोग तभी से यही मान पैठे थे। उनकी विद्यादृष्टि शिक्षणसंस्थाओं घौरह के द्वारा हम तक पहुंची और हमने उसे ही अपना लिया यिना मनन किए। पिछले ४०-५० वर्षों में सो यह विद्यार मानस पर छा ही गया। जो लोग १९५० के करीब से ग्राम पुनर्र्यना सामुदायिक विकास (कम्यूनिटी डिवेलपमेंट) इत्यादि चला रहे थे उन पर तो और भी अधिक।

अभी कुछ दिन पहले प्रलयात दार्शनिक विद्वान दयाकृष्ण यहा दिल्ली में बतला रहे थे कि १८५० के करीब से जब अंग्रेजों ने भारत में विद्यविद्यालय स्थापित करने शुरू किये हमारा आत्मवित्त और आत्मसमृद्धि यिंगहनी शुरू हुई। हम तबसे स्कूल को और अपने समाज व ज्ञातिहास को अंग्रेजों की दृष्टि से देखने लगे। यह कुछ दुर्भाग्य ही है कि हमें यह समझ इतनी देरी से आयी। मेरे विद्वान भित्र श्री रामेश्वर मिश्र 'पक्ष्म' का तो यह भी मानना है कि यह समझ भी हमारे काम की तभी होगी जब हम अप तक की मारामध्दी और गलतियों व मूर्खताओं के लिए प्रायोगित कर सेंगे। गलती के लिए प्रायोगित यसना ही हमारा धर्म है यह तो हमारी पुरानी मान्यता है। रूस के प्रसिद्ध लेखक एलेक्जेंडर सोल्ज्नेनित्सिन भी अपनी सभ्यताओं की मान्यताओं के आधार पर प्रायोगित यो इरी सरह प्रतिष्ठा देते हैं।

यह तो हमने रोधा ही नहीं कि यह हमारी अपनी विद्यार परम्परा में से आने वाला अध्यवा उससे पुष्ट होने वाला विद्यार नहीं है बल्कि यह तो परिष्कार का ही विधार है। शायद प्लेटो का भी यही विद्यार रहा हो पूजीवाद और मार्कर्सवाद यस तो है ही कि लोग कुछ नहीं हैं ये तो हमारे द्वारा सुपारे जाएंगे पीटे छासे जाएंगे फिर जिधर हम चाहेंगे उपर वे चलते चले जाएंगे हम यद्दो चले जाएंगे। जब यह उनका विद्यार है तो उनमें

इतनी शक्ति भी होती है कि एक समय तक वे पूरे समाज को एक दिशाविशेष में हाक्कर ले जाते हैं। जैसे सोवियत सघ ही था। मारपीट बौरह जो भी की पर सचर साल तक गर्कर्वाद वहा चला शायद कुछ बनाया भी। हो सकता है रूस के लोगों को शवित भी मिली हो और उनका सामाजिक आत्मविश्वास तो बढ़ा ही है।

लेकिन वैसी कठोरता हमारे बश की नहीं। और अपनी शक्ति के उदात्त रूपों की परम्पराओं की हमारी सृति जैसे जैसे धुधली होती गई वैसे वैसे कोई काम शक्तिवान लोगों की तरह कर पाने में असमर्थ होते गये। भारत में जहा लोगों को भोजन उपलब्ध कराने का लक्ष्य पूर्ण होना तो कुछ कठिन नहीं था हमसे वह भी नहीं हो पा रहा है। न ही हम सोच पाए कि यह हमसे हो सकता है। हमारे भन में तो केवल सबको काम देने की बात थी। वह भी ऐसे नए काम जो हम घाटते थे कि वे सीखें। उनका अपना हुनर अपनी युद्धि अपनी विद्या अपनी सृजनाशीलता भी सम्माननीय है यह तो कभी हमें लगा नहीं। न ही उनकी श्रेष्ठ परम्पराओं को प्रोत्साहन देकर और आत्माभिव्यक्ति के अवसर देकर हमने उन्हें कोई श्रेयस्कर काम करने दिए।

नतीजा यह हुआ कि कुछ उत्पादन बौरह तो बढ़ाया पर वह सब निष्प्राण सा रहा। उसमें समाज का भन मुद्दि पुरुषार्थ प्राणशक्ति खिलकर नहीं लगी। नई धीजों की समझ भी पूरी तरह नहीं बनी और सम्बन्ध भी विकसित नहीं हुए। इससे जो कुछ काम हुआ भी उससे कमाड़ ही बढ़ा। ५० वर्षों में हमने बहुत नया क्षयाड़ इकट्ठा कर लिया। पुराना क्षयाड़ भी बहुत सारा था ही। छाटने का विवेक खोकर हम यस सग्रह करते गये। अलग अलग धीजों क्षयाड़ जैसी पड़ी रहीं उनका आपस में कोई रघनात्मक सम्बन्ध बनाना तो हमने सीखा नहीं। विचार के क्षेत्र में मान्यताओं के क्षेत्र में रुचियों के क्षेत्र में भाषा वेशभूषा भवन और भोजन के क्षेत्र में जो भी नवनिर्माण इधर हमने किया वह तो क्षयाड़ जैसा ही है। उससे कोई राष्ट्रीय उल्कर्य तो सम्भव नहीं है। इस क्षयाड़ को तो हटाना ही होगा। नया ही सुजन करना होगा। यथा करना है यह मुख्यत अपने ही लोगों से सीखना होगा। उनसे जिनमें अपनी शवित के उदात्त रूपों की और परम्पराओं की सृति अभी बची है।

अपनी स्थानीय मान्यताओं को यिना यिसी कुछ के समझना होगा। अपनी 'पालिटी' को अपने राजनीतिकों सही सही रामझना होगा। हमारे बारे में जो जो सिखाया पढ़ाया गया है उसके यारे में सन्देह करना भी सीखें। सद्यकमें निर्देश मानकर स्वीकरन करते थले यह यहुस जरूरी है।

यूरोप ने हमें जिस तरह से देखना सिखाया उसे पुष्ट करने याते तत्र भी उन्होंने

रचे। उनका यह स्वभाव ही है। समुद्रत राज्य अमेरिका में रेड इंडियनों (वहाँ के मूल निवासियों) की गणना पुरानी जनगणनाओं में कभी थी ही नहीं जाती थी यद्योंकि यूरोप से आए लोग रेड इंडियनों को मनुष्य नहीं मानते थे। इस दृष्टि के फलस्वरूप करोड़ों की सल्ला वाले रेड इंडियनों का वशनाश ही कर डाला। अफ्रीका से लाये गये 'लैक्स' की भी वे पूर्ण मानव नहीं मानते थे। १८५० के करीब शायद पाथ 'द्वैयस' को मिलाकर एक मनुष्य मानते रहे। मनुष्य पूरी तरह तो वे केवल खुद को मानते हैं बाकी उनके लिए आदिम पिछड़े घर्वर अविकसित मनुष्य कमतर मनुष्य हैं।

भारत में भी श्रिटिश जनगणना सनकी दृष्टि के द्विसाम से की जाती रही। हमारे यहाँ जाति तो कभी समाज की उस रूप में इकाई रही नहीं। 'जात शब्द प्रयोग कुलविशेष में जन्मे व्यक्तियों के अर्थ में ही किया जाता रहा है। जाति य वर्ग कोई सामाजिक वर्ग कभी नहीं रहा। पर अंग्रेजों ने उसे इसी तरह से दिखाया। १८८१ व १८९१ की जनगणना में अनेक जातियों में कई कई हजार उपजातियां दिखाई मई यह तप से 'मुख्ल' रहे होंगे ऐसा लगता है। पञ्चाम में १८८१ में जारी में १० हजार के करीब उपजातियां दिखाई गई थीं। वे सम्भवत आज कहीं जाने घाली खाप थीं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में १८८१ की जनगणना में अनेक जातियों में दो दो घार घार हजार उपजातियां दिखाई गईं। ऐसा ही तमिलनाडु में रहा। स्पष्ट है कि यह 'कुलसमूह' ही थे जिन्हें उपजाति कहा जा रहा था। याद में कई उपजातियों को एकजुट बनके दर्ज किया जाने लगा। फिर जाति ही मूल इकाई बताई जाने लगी। फलत हमारा विकित वर्ग भी उसे ही प्राचीन और स्वाभाविक मौलिक इकाई मानने लगा।

इस तरह हर क्षेत्र में हमने समाज की अपनी स्वाभाविक आत्माभिव्यक्ति को अवस्था फिया थापित किया। दूसरी ओर याहर से भी जो लिया उसे ठीक से आत्मसात् नहीं कर पाये अपना नहीं बना पाये। संसार में सभी समाज और सम्यताएं एक दूसरे से सीखते रहते हैं पर वे सीखी हुई विद्या जानकारी और हुनर यों अपना बना लेते हैं। आत्मसात् करने का यह काम भी हम नहीं कर पाए। इससे केवल विद्या और योग्य बढ़ता रहा।

१९४० में महात्मा गांधी राष्ट्रीय योजना रामिति (मेशनल प्लार्निंग यैस्टी) एवं ग्रामोद्योग उपसमिति (विलेज इंडस्ट्रीज रायवर्सिटी) की वर्धा की बैठक में मौजूद थे। निर्मल युम्बार योस के अनुसार उस समय गांधीजी यी सलाह थी कि परम्परागत (ट्रैडिशनल) और आधुनिक (मौर्हन) दोनों आस्थाओं व विवारों पे लोग अपनी अपनी रामयवद्व विस्तृत योजना बना लें और पतलार्ये कि उनमें से क्या निवन्त्रेता और क्या

शुरू करें। इस सुझाव में गाधीजी की शर्त थी कि ये दोनों योजनाएं विदेशों से यिन्सी तरह से धन व साधन नहीं लेंगी और जो भी धन व साधन जरूरी होंगे वे भारत के अन्दर से ही लिए जाएं। मुझे लगता है कि गाधीजी के इस सुझाव पर आज फिर विचार और खुली घर्घा होनी आवश्यक है।

पिछ्ले १५०-२०० वर्षों में यूरोप की सम्पत्ता ने भीमकाय और घमकीले दाढ़े तो आवश्य बनाये। उन्हें अधिक उत्पादक भी माना जाता है और कहा जाता है कि ये मनुष्य की मेहनत को हल्का और आसान करते हैं। यूरोप का स्वधालन (आटोमेशन) का विचार तो २३०० वर्ष पहले अरस्तू ने भी उठाया। परन्तु यह यूरोप के यनाम्ये सत्र व द्वारे कुल मिलाकर विश्व को व मनुष्य समाजों को कितना अधिक देते हैं इस पर विचार करना आवश्यक है। ४०-५० वर्ष पहले हमारे मित्र रामस्वरूप ने अपनी पुस्तक 'कम्युनिज्म एंड द पीजेट्री' में आधुनिक उत्पादन (मॉर्डर्न प्रोड्यूशन) के विषय में कुछ प्रक्र उठाये थे। उनका कहना था कि इसका भीमकाय रूप तेज रफ्तार और चमकीलापन एक भ्रम पैदा करता है और इसकी जड़ें इसी भ्रम पर टिकी हैं। उनका मानना था कि कुल मिलाकर मॉर्डर्निज्म से अधिक उत्पादन नहीं होता उसका भ्रम ही रहता है। रामस्वरूप ने इसको 'साइकिलक प्रोडक्शन' का नाम दिया था। हमें इस तरह के मूलभूत प्रत्रों पर भी सोचना शुरू करना धाहिये।

प्रक्र उठता है कि आगे वया करें? आज के ससार से हमारे पक्षिमीकृत वर्ग ने जो ज्यादा ही सम्बन्ध बना लिया है वह अभी ट्रूटता दिखता नहीं। अत युछ समय तक तो पक्षिमीकृत समुदाय या वर्ग भी रहेगा और यृहत् समाज भी रहेगा। भारतीय मान्यताओं में सो ससार ने सभी तरह के जीवों को लोगों को और समाजों को रहना ही है। हिंसकों के लिए भी यहां जगह है। हिंसा पूरी तरह समाप्त हो यह सम्बद्ध नहीं है लेकिन हिंसा भयादित रहे यह आवश्यक है।

आज की स्थिति में यह विचारणीय एवं आवश्यक लगता है कि भारत में यृहत् समाज को समुचित साधन व स्वतंत्रता मिले जिससे यृहत् समाज की इण्डिया अपनी मान्यताओं व्यवस्था की अपनी प्रणालियों और अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर धल रहें। भारत में कृषि व उद्योग या ऐसे अन्य क्षेत्रों में ८० प्रतिशत उत्पादन तो आज भी परम्परागत भारतीय प्रतिभा के लोग ही करते हैं। आवश्यक साधन व स्वतंत्रता रहेंगी तो यह प्रतिभा फूले फलेगी परिष्कृत होगी और इसके परिवृत्त होने पर यह भी सम्भव हो पायेगा कि पक्षिम के ज्ञान और भारतीय यृहत् समाज के ज्ञान में कुछ सवाद और सेन दैन यायम हो सके। यृहत् समाज वे पास आवश्यक साधन व स्वतंत्रता आ जाये पर्याप्त

खुली जगह (स्पेस) मिल जाये तो यह आत्माभिव्यक्ति करने लगेगा। उसकी आत्माभिव्यक्तिया ही समाज को स्वस्थ संबल और समृद्ध बनाएगी।

अभी के आधुनिकीकृत समूहोंने तो समस्त राजनीतिक सत्ता और बल का प्रयोग इन आत्माभिव्यक्तियों को वाधित करने के लिए ही किया है। परिणाम यह है कि भारत दो भागों में बटा है। पर यह बटवारा हर्में सामाजिक विनाश की ओर ही ले जाता है। एक भाग है उन आधे प्रतिशत लोगों का जो अपने सहायक तथा सेवक वर्ग के सहारे जो कि लगभग १५-२० प्रतिशत बैठता है भारत के तत्र और साधन क्षेत्रों को नियंत्रित करते हैं। दूसरा भाग उन ८०-८५ प्रतिशत लोगों का है जो अपने अति सीमित साधनों और अवशिष्ट बल से ही जी रहे हैं।

यह सही है कि पक्षिम को इसका अभ्यास रहा है कि १० वया १९ प्रतिशत तक की आमादी को एक प्रतिशत प्रभुवर्ग दासत्व में बाधकर रखे और उन्हें मज़ीन जैसा बनाकर काम ले। समय समय पर पक्षिम के औजार इत्यादि बदलते रहे हैं लेकिन रिता स्वामी और दास का ही बना रहा है। हमारे यहा तो यह संस्कार ही नहीं रहा। इसलिए यहा के लोग जो स्वाधीनता संग्राम के कारण उसके संस्कारों के प्रभाव से सम्पन्न वर्ग के प्रति अब सक आत्मीयता और सहनशीलता रखे हुए थे वे अधिक समय इसे रख और सह नहीं सकेंगे। अत ननमाने टक्काव तथा हिंसा का रास्ता खुला छोड़े रखने से अच्छा है कि दोनों का स्पष्ट न्यायसंगत विभाजन हो जाए। पक्षिमीकृत लोग अपने पक्षिमी किस्म के छायों के साथ महानगरों आदि में रहें परन्तु उनके साधनस्रोत जल्द घटाने होंगे। अभी की तरह ८५-९० प्रतिशत साधनों का उपयोग केवल उन्हें हि तो नहीं करने दिया जा सकता। लेकिन न्यायपूर्ण साधनस्रोतों के आधार पर अपना जीवन चलाने की पूरी स्यतत्रता रहे। दूसरी और ८०-८५ प्रतिशत लोगों को अपने राधनस्रोतों का स्वयंवेक से आत्माभिव्यक्ति के लिए प्रयोग करने दिया जाए। उनसे गलतिया भी होगी पर गलतिया आधुनिक वर्ग से भी तो कम नहीं हुई है।

इस तरह के न्यायसंगत बटवारे में यह आवश्यक है कि इन लगभग ४८-५० वर्षों में हमने सरकारी और स्वैच्छिक स्तर पर जो नवी योजनाएं बनाई हैं सभ्य माध्य विज्ञती के प्रतिष्ठान यकानों और वास्तुकला आदि की पिधियां अपनाई हैं उसकी पूरी तरह रो समीक्षा हो। भारत की कृषिव्यवस्था भवननिर्माण यन व्यवस्था पशुपालनव्यवस्था वसनिर्माण व्यवस्था भवननिर्माण एवं प्रवन्ध जैसे कार्य तो मृद्यु समाज की ही जिम्मेदारी रहे। उनकी शिक्षा भी उनके ही अधीन चलनी चाहिए। आधुनिकतावादियों की शिक्षा या उन पर नियंत्रण तथा बोझ न रहे।

जितना बृहत् समाज के लोगों को बाहर का या आधुनिकीकृत वर्ग का लेना तथा प्रसात् करना होगा वे कर लेंगे। आत्माभिष्यवित के स्वतंत्र अवसर मिले तो वे श्यक्तानुसार बाह्य ज्ञान को आत्मसात् भी करते रहेंगे। अपनी सम्यता संस्कृति केन्द्रों का नवनिर्माण वे अपने विवेक से कर लेंगे। आपस में स्वतंत्र तथा अनजनक सदाचार तथा सम्प्रेषण रहेगा ही। लेकिन बृहत् समाज को हीन मानकर वा उद्धार और कल्याण करने की युक्तिया देते हुए राष्ट्रीय साधनों स्रोतों पर नियन्त्रण गा तो हमें छोड़ना ही होगा। ऐसे न्यायपूर्ण विभाजन संयोजन और समन्वय द्वारा में २०-३० वर्षों के लिये दोनों हिस्सों का शवितपूर्ण सह अस्तित्व रह सकना चाह त है। ऐसे सह अस्तित्व की अवधि में हमें कुछ अधिक साहस और शवित मिली प्रभ मिलकर आगे का भी सोच सकेंगे और ऐसे रास्ते व व्यवस्थायें बना सकेंगे जिनके हमारा यह दूटा बिखरा समाज फिर से एक होकर आगे बढ़ सकेंगा।

## १३ अंग्रेजी शासन और तन्त्रव्यवस्था

रान् १७५० से भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करते ही अंग्रेजों ने यहाँ अपनी जल्लत के मुताबिक व्यवस्था को बदलना शुरू कर दिया था। उसमें सबसे पहला काम तो अंग्रेज अफसरों व सैनिकों के मातहत घटकी हुई अंग्रेजी सेना में भारतीयों को भर्ती करना था। दूसरा और इससे भी अधिक महत्व का काम था भारत के खुशहाल खेतिहारों व कारीगरों को अलग अलग तरीकों से अपने अधीन करना और यहाँ की खेती की उपज के आधे से अधिक भाग कर (टैक्स) के स्पष्ट में बंदूक व तलवार के प्रोर पर यस्तू करना। इसी तरह से कारीगरों से जबरदस्ती काम करवाना और उनके उद्योगों से यन्हीं वस्तुओं की कम से कम कीमत देना। आरम्भ में सो ऐसी कार्यवाही मद्रास व बंगाल के क्षेत्र में ही रही लेकिन सन् १८०० के बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे रारे भारत में ऐसा करना शुरू कर दिया। इसी प्रकार के बदलाव अंग्रेजों के मातहत आये हुए भारतीय बैत्रों में भी होने लगे। यहाँ भी नये तप्र स्थापित होने लगे।

भारतीय व्यवस्थाओं के अनुसार हर बैत्र की अपनी स्थानीय सैनिक व्यवस्थाएँ थीं और हर ग्राम व नगर में अपनी स्थानीय पुलिस व्यवस्था भी थी। रोना और पुलिस स्थानीय व्यवस्थाओं के अधीन होती थी। इसी तरह से जमीन का हिसाबकिताब उराकरि रजिस्ट्री या उनमें आवश्यक ताप्तीली करने वाले लोग भी स्थानीय व्यवस्थाओं के मातहत रहते थे। जमीन के हिसाबकिताब से सम्बद्धि लोगों यो दक्षिण भारत में कन्कपितौ और उत्तर में लेखपाल पटवारी इत्यादि कहा जाता था। इसी तरह से गाव के स्तर पर बदई लोहार धोबी कुंभकार सिंचाई वे साधनों की मरम्मत व व्यवरथा यन्हें वाले पदाग और तिथि शुभ दिन इत्यर्था यताओं वाले मदिरों यो पुजारी देवदासी गायक और दूसरे कर्मघारी गाव और नगर के मोहर्सों से राम्भित होते थे। गाव में इन साधन कृपि की उपज में हिस्सा होता गा। अंग्रेजी शासन में आते ही रोना पुलिस कन्कपितौ सिंचाई के साधनों की मरम्मत व काग वन्हने वालों इत्यादि को इस व्यवस्था से पूरी तरह से अलग कर दिया। पुरानी व्यवरथा में इन सोरों को जो मिलता था वह अब मिलना बन्द हो गया क्योंकि हिटिंग रारकार अब उसे कर के स्पष्ट में तेने

लगी। इनमें से कुछ लोगों को तो ब्रिटिश सरकार ने अपना नौकर बना दिया परन्तु वाकी बेकार हो गये। अंग्रेजों से पहले भारत में दक्षिण और उत्तर दोनों में यह प्रथा थी कि विस्ती का आगर कुछ खो जाता था और पुलिस अगर खोई धीज को तलाश करने में सफल नहीं होती थी तो पुलिस को जिस व्यक्ति का सामान खोया होता था उसे हर्जना देना पड़ता था। अंग्रेजी व्यवस्था ने भारतीय पुलिस व्यवस्था को खत्म कर दिया और उसकी जगह नई केन्द्रीकृत व्यवस्था लागू की। ऐसा करते ही हर्जनी की बात तो पूरी तरह से समाप्त हो ही गयी। उल्टे कुछ दिनों के बाद ऐसा होने लगा कि अंग्रेजी पुलिस जिनका कुछ खो जाता था और जो शिकायत दर्ज करवाते थे उन्हीं के साथ मारपीट करने लगती थी। इसके साथसाथ ही जमीन का लगान अंग्रेजी व्यवस्था ने तिगुना घौंगुना बढ़ा दिया और सन् १९१० के आसपास जमीन की मिल्क्षियत कुछ थोड़े से लोगों को दे दी जिन्हें जमीदार कहा गया। वैसे इस्टैंड में ७०० वर्षों से जमीदार होते रहे थे लेकिन ये जमीदार किसान से कुल फसल का ५०-८० प्रतिशत तक लगान के रूप में ले लेते थे सरकार को कुल फसल का लगभग १० प्रतिशत देते थे। शेष अपने पास रखते थे। लेकिन बगाल इत्यादि में जो जमीदार अंग्रेजों ने बनाये थे किसानों से उनकी उपज का करीब ५० प्रतिशत वसूल करते थे और उसमें से ९० प्रतिशत ब्रिटिश सरकार को कर के रूप में देते थे। उनके अपने पास किसान से वसूल किये गए लगान का १० प्रतिशत ही बचता था।

किसान से लगान वसूली की दर में तिगुनी घौंगुनी वृद्धि अंग्रेजों के जमाने में हुई। इसलिए इसना ऊँचा कर वसूल करना असम्भव सा हो गया। इसका एक और कारण भी था। भारतीय व्यवस्था में लगान जिसकी दर वैसे भी काफी कम थी अनाज के रूप में ही लिया जाता था। परन्तु अंग्रेजों ने बक्ते हुए लगान को अनाज के बजाय ऐसे में लेना शुरू किया। पिछले १० वर्षों की फसल का दाम इत्यादि निकाल कर भूमिकर ऐसे के रूप में निर्धारित किया गया। अंग्रेजी व्यवस्था के आने से गरीबी में भारी बढ़ोत्तरी हुई और उसकी फसल के दाम गिर गये। इसका असर भी किसान पर दोतरफा हुआ क्योंकि उसे लगान अब फसल के बजाय ऐसे में देना होता था। मदी के कारण फसल की कीमत कम होने की वजह से वास्तविक लगान की दर ८० से ९० प्रतिशत तक होने लगी यानी किसान के पास सिर्फ १० से २० प्रतिशत ही बचता था। इस वजह से लगान वसूलने में मुश्किलें आने लगी। इसलिए अंग्रेजी सत्र ने सन् १९१२ में फैसला किया और जमीदार से यह कह दिया कि वह जब धाहे खेतिहार को जमीन से बेदखल कर सकता है। इससे पहले भारत में कभी भी खेतिहार को इस तरह से उनकी जमीन से बेदखल

करने का रिवाज नहीं था। लेकिन अंग्रेजी अधिकारियों का तर्क था कि अगर इर्लंड में खेतिहार को वहाँ का जमीदार निकाल सकता है तो भारत में ऐसा अधिकार और भी जरूरी है क्योंकि यहाँ लगान का दर इर्लंड से कई गुना ज्यादा है।

क्योंकि इतना बड़ा लगान वसूल करना आसान नहीं रहा होगा इसलिए सेना की टुकड़ियों को जिन्हें रेवेन्यु बटालियन कहा गया उन्हें कर वसूल करने के काम में लगाया गया। इसका परिणाम यह भी हुआ कि सन् १८०५-१८०६ सक वगाल बिहार के अधिकारा जमीदार दिवालिया हो गये। इसके बाद इन जमीदारियों कि नीलामियाँ शुरू हुई और साहूकार फौजी ठेकेदार राजा इत्यादि भये जमीदार बने। यह सिलसिला अगले ४०-५० वर्ष तक चलता रहा और इस दौरान भारत की जनता की एक बड़ी सख्त्या भुखमरी अकाल इत्यादि से सन् १९०० और उसके बाद तक मरती रही। कविवर श्री मैथिलीशरण गुप्त के अनुसार कुल दुनिया कि लड़ाइयों में सौ वर्ष के अन्दर (सन् १७९३ से सन् १९०० तक) सिर्फ पठास लाख आदमी मारे यये थे पर हमारे हिन्दुस्तान के केवल दस वर्ष में (सन् १८९१ से सन् १९०१ तक) भूख अकाल के मारे एक करोड़ नम्बे लाख मनुष्यों ने प्राप्त स्थान दिये (हिन्दी ग्रन्थमाला मई १९०८ पृष्ठ ९ और भारत भारती सवत् १९६९ पृष्ठ ८७)। तब मैथिलीशरण जी २६ वर्ष के थे। वे शायद राजेन्द्र प्रसाद व जवाहरलाल नहेल की उम्र के तब रहे होंगे। हो सकता है कि एक दो वर्ष यहे भी हों। इससे पहले सन् १८७० के आसपास भारतैन्दु हरिश्चन्द्र मे कहा था कि अंग्रेजों ने भारतवासियों से सब कुछ ले लिया लेकिन उन्हें भीख मापना अवश्य सिखा दिया है। महात्मा गांधी जनवरी १९१५ में भारत लौटे थे। ऐसा सांता है कि मैथिलीशरण जी की तरह घृणा से भारतीय गांधीजी के आने की तीव्र प्रतीक्षा कर रहे थे। जब महात्मा गांधी १ जनवरी १९१५ को जहाज रो भुवर्ष पहुंचे तब उनका बहुत भय्य स्थान दिया गया। लेकिन ऐसा स्थान गांधीजी को कुछ अच्छा नहीं लगा। उनके आने के तीन घार दिनों के अन्दर भारत के कई प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में गांधीजी के आने को लेकर लम्बे लम्बे संपादकीय लिखे गये। मद्रास के 'हिन्दू' में और इलाहाबाद के 'लीडर' में भी। उम्हें पढ़ने से ऐसा लगता है जैसा कि विन्ती अवतार की प्रतीक्षा हो रही थी। यह वर्णन कुछ उसी तरह का है जैसा कि गौतम बुद्ध के जन्म का वर्णन अश्वघोष के 'मुद्दि धरित' में किया गया है कुछ 'सलिल यिस्तर' में।

अगर यह राही है कि सन् १८९१ से सन् १९०१ तक भारत में भुखमरी का कारण एक करोड़ नम्बे लाख लोग मारे यये तो अंग्रेजी शासन के शुरू से उराये अन्त तक भारत में २०-२५ करोड़ जन भुखमरी रो मरे होंगे ऐसा माना जा सकता है। इसी

तरह करोड़ों की सख्त्या में गाय बैल पैस बकरी भेड़ और दूसरे जीव जन्तु भी मरे होंगे। वन और पेड़पौधे तो बहुत बड़ी तादाद में नष्ट हुए ही।

इस तरह के शोषण और अत्याधार के कारण भारतीयों में अग्रेजों से लड़ने की शक्ति नहीं रह गयी। वैसे तो भारत के लोग कभी भी खूबार व लडाकू नहीं रहे न ही उन्हें न्यायालयों में जाने का धार्य ही था। अग्रेजी राज्य ने उनके खेतों को छीनकर उद्योगों व घरों को उजाड़ कर उन्हें न्यायालयों की शरण लेने के लिए एक तरह से बाध्य किया। इन न्यायालयों में असत्य का सहारा लेना आवश्यक-सा हो गया। अग्रेजों ने जो न्यायलय स्थापित किये उनमें अब तक भी यह बात ज्यादा चलती रही कि भारतीय असत्य ही बोलते हैं। उन्हें असत्य बोलना उनके वकीलों और कर्मचारियों एवं न्यायालयों ने ही सिखाया।

जैसे जैसे न्यायालय स्थापित हुए वैसे वैसे ही अग्रेजी राज्य में जिलों को छलाने के लिए दूसरे तत्र भी स्थापित हुए। तालुकों को छलाने के लिए तत्र बने। प्रदेशों को छलाने के लिए तत्र बने। भारत को छलाने के लिए तत्र बने। जितना अग्रेजों से हो सका उतना उन्होंने भारत को कस कर रख दिया। लोगों को हिलने झुलने सास लेने तक का मौका नहीं रहा। भय और उसके साथ साथ गरीबी और मुफलिसी का राज्य छा गया।

फिर भी अग्रेज कुछ भयभीत ही रहे विशेषकर भारतीय सैनिकों से। साधारणत तो अग्रेज यही मानते थे कि भारतीय सैनिक जिनकी सख्त्या सन् १८२०-३० में दो रीन लाख रही होगी उनके प्रति बफादार हैं। लेकिन उन्हें यह भी लगता था कि कहीं अगर हमा का बहाव बदल गया और भारतीय सैनिकों को यह लगने लगा कि अग्रेजों का राज्य उखँड़ने वाला है तो फिर वे अग्रेजों के खिलाफ हो जायेंगे। इसी बीच सन् १८२९-३० के बर्षों में यह भी तय किया गया कि अग्रेजों और दूसरे यूरोपीय लोगों को भारत में जहाँ तहाँ विशेषत पर्वतों पर ठड़ी जगहों पर बसाया जाये। धीरे धीरे ऐसी बसावट शुरू भी हुई। इससे पहले भी भारत में सैकड़ों जगह अग्रेजी सेना की छावनिया बनी थीं। सेना के साथ सेना की सेवा के लिए उनकी तुलना में पाचदस गुना ज्यादा लोग सेना की सदारी और सामान ढोने के लिए एकत्रित किये जाते रहे। इनमें से आधे से अधिक को उस समय की अग्रेजों द्वारा घटाई गयी मजदूरी भी नहीं दी जाती थी और कुछ लोगों को तो एकदम 'बैगर' में ही रखा जाता था। अफसरों व सैनिकों के लिए वैश्यालय भी तभी बने और जैसे जैसे छावनियों की सख्त्या बढ़ने लगी वैसे वैसे यह सब ठिकाने भी बढ़ने लगे। सन् १८५७-५८ की अग्रेजों और भारतीयों के बीच की बड़ी लडाई के बाद जिसमें अन्तत भारतीय हार ही गये उनके सैकड़ों शहर लूटे गये और

उनके पद्धारों लाख लोगों को बृहदों पर लटका कर अलग अलग तरीकों से मार दिया गया। इसके बाद अंग्रेजों को यह आवश्यक लगा कि भारत में यहे पैमाने पर अंग्रेजों और यूरोपीयों को वसाने का काम तेजी से आरम्भ किया जाना चाहिये। आज जो यह पहाड़ी शहर देशभर में हैं और काफी घाय व काफी के बगीचे या दूरारे बड़े व्यापारिक घोटी के मैदान असम बिहार और दक्षिण भारत इत्यादि में बने हैं ये अधिकारात् सन् १८६० के इसी अंग्रेजी फैसले के बाद स्थापित हुए।

इसी तरह सैनिकों की छावनियाँ भी और यदाई गयी होंगी। आज शायद यह मानना पड़ेगा कि अंग्रेजों ने भारत में जो यह विस्तृत तत्र खड़ा किया है वह सारे देश से जल्दी जाने वाला नहीं है। यह तत्र कैसे यहाँ से उत्थाने इसके लिए तो हमें काफी सोचना होगा। ऐसे रास्ते निकालने होंगे जिससे हम अपना तत्र खड़ा कर सकें जिससे भारत की राज्य व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था कृपि वन जल के साधन बढ़े और छोटे उद्योगों और भारतीयों का सार्वजनिक जीवन देश के लोगों के मन के अनुरार घल सके। इस तरह के सायाल स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में और पिछले ५३ वर्षों में निष्ठ्य ही हमारे विधारकों य राजनीतिकों के मन में उठे होंगे। सन् १९४६ से सन् १९४९ तक जो सर्वधानिक रामा हमारे महा बैठी और जिसमें संविधान के बारे में काफी सोब विधार और वातचीत हुई उसमें भी इस तरह के प्रश्न उठे होंगे। उसके बाद भी देश की स्थिति को सामने रखकर ऐसे प्रश्न उठते ही दिखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अद्वित भारतीय कांग्रेस में भी इसी तरह के प्रश्न जब तथ गांधीजी के बाद भी उठते रहे। श्रीमती इदिरा गांधी ने स्वयं शायद कहा था कि उनके पिता जवाहरलाल नहेल ने यही गलती थी कि अंग्रेजों के बनाये तत्र को जैसा का तैसा रहने दिया। साधारण लोग और काफी सारे समाजवादी नेता और भारतीय जनता दल के कुछ नेता भी ऐसा कहते रहे हैं। बुध दिनों पूर्व श्री नरसिंह राव ने जो पाय वर्ष तक भारत के प्रधानमंत्री रहे इस तरह के प्रश्नों को फिर से उठाया है यह भी लन्दन में। हम लोग इस पर सोचेंगे और यरामर आग्रह रखेंगे तो दर थीस वर्ष में भारत में अंग्रेजों के बनाये तत्र को पूर्ण रूप से बदलने का काम तो कर ही सकते हैं। जब ऐसा होगा तभी भारतीय शिथा कृपि उद्योग पुलिंग रोडा आदि खेत्रों के स्वरूप को भी आज के रामय के अनुरूप और प्राप्तवान भारतीय रूप में बनाना सम्भव होगा।

## १४ कहा है पश्चिमीकरण की जड़े

वैसे तो भारत पिछले २०-३० वर्षों से विश्ववित्तयों के बढ़ते दबाव में है। भारत के गाव के प्राथमिक स्कूल भी उनके आदेश व सहायता से बढ़ाने लगे हैं। यहाँ का किराया बढ़े यह भी उनके आदेश से होने लगा है। सड़के फैस्ती हों कितनी धौड़ी हों इसके आदेश भी याहर से आने लगे हैं। यहाँ तक कि सेवाग्राम आश्रम जैसे स्थान भी धौड़ी धौड़ी सड़कों से घिरने लगे हैं। जबकि ऐसे स्थानों और स्थलों की शान्ति व पवित्रता के लिये यह आवश्यक था कि उनके आसपास अधिक मोटर गाड़िया व दूसरे वाहन न चलें। विदेशों में हमारा सामान ज्यादा से ज्यादा जाये इसमें फैस्त कर पिछले पचास बरसों में हम अपने हस्तकला उत्थोग का विनाश ही कर चुके हैं। और कुछ महीनों से खादी ग्रामोद्योग आयोग इसमें लगा है कि हम खादी से अमरीकी जीन्स कपड़ा डैनिम और उससे जीन्स बनवायें और उन्हें विदेशों में भेजें।

हमारी खेती में तो बढ़े पैमाने पर बगैर सोचे समझे विदेशीकरण हो चुका है। हमारे गावों के कृषि व ग्रामोद्योग के उजड़ने का एक बड़ा कारण यह हमारी बेसमझी की नकल है। यही बेसमझी हमें आधुनिकता को समझने से भी दूर रखती है- चाहे वह तकनीकी के प्रभ्र हों व्यवस्था के हों या हमारी अपनी दिशा के। भारत की मानसिकता उसकी प्राथमिकतायें उसकी प्राकृतिक उपलब्धिया हमारे आज के देश बलाने वाले समझ नहीं सके हैं। जैसे दो हजार बरस से धूरोप व उसके बाद अरब लोग मुख्यत अतरराष्ट्रीय व्यापार व लूटमार पर जीवन बलाते थे। उसे ही हमने बेसमझी में मान लिया है कि बाकी विश्व का भी वही तरीका है। लेकिन हमारे यहाँ तो हमारी आवश्यकताओं की सभी वस्तुएं साधारणत प्रचुर मात्रा में पैदा होती थीं बनती थीं हमें उनका व्यवस्थित उपयोग आता था। उनमें से मुख्य खाना कपड़ा रहने की जगह सास्कृतिक अभियांत्रित जीवन हमारे यहाँ के सभ लोगों को उपलब्ध रहा है यह हम भूल गये दिखते हैं। इस तरह की भूलें तो हमारे यहाँ पिछले पांच बरस से शुरू हुईं और अब तो हम सब पढ़े लिखे अच्छे खाते पीते कीसी भी दल व सम्प्रदाय व बाद के हों इन भूलों को सत्य वास्तव जैसे मानने लगे हैं। हममें वैसे पराये के लिये कोई प्रेम व निषा नहीं पैदा हुईं

लेकिन यह जस्तर हो गया है कि हमें अपने और पराये (व्यवित व्यवस्था तकनीक विज्ञान) में जो भेद हो जाते हैं वह समझ में नहीं आते। स्वदेशी के प्रधार में जो सोग आज लगे हैं उनमें से अधिकाश को भी नहीं।

यह ऊपर जो कहा गया है वह अधिकाशत सो हमारे २००-२५० वरस की दासता का परिणाम है और पिछले ५० वरस में हमारे ऊपर जो बाहर का बढ़ता दबाव है उससे इसका भारतव्यापी विस्तार हुआ है। हम समझ कर और लगाकर प्रयत्न करते सो उसमें से निकल आते। लेकिन इन ३०-४० ५० वरसों की हमारी सोच और कार्य हमारे पर और एक नई विपरि ले आये हैं। देखने में जो विपरि आई है वह ऐसे तो १२-१४ वरस पुरानी ही है लेकिन उसका आरम्भ व जहें तो यह जो हमारा सविधान है जिसको हमने ग्रिटिंश साम्राज्यवाद से सीखा और उधार लिया उसमें है।

अंग्रेजों ने ३००-४०० वरस पहले क्रोमयेल के मध्य सत्रहवीं शती के समय से अपने यहा दो दलों को लेकर राज्यव्यवस्था बनानी शुरू की। यह कमोवेश अभी भी अंग्रेजों के यहा घलती है। समय घलते कोई और नया दल बनता है। जैसे कि १८ वीं शती के अन्त में ग्रिटिंश लेवर पार्टी बनी सो पुरानों में से एक दल क्षीण पड़ जाता है जैसे कि विंग व लियरल क्षीण हुए। लेकिन ग्रिटेन एक छोटा देश है उत्तर प्रदेश से भी क्षेत्रफल में छोटा और आवादी में तो आधा ही। दूसरे राजनीतिक दल ही ग्रिटेन के लोगों के मुख्य सरकार व सहारा नहीं हैं। ग्रिटेन में पथासों ईसाई सम्प्रदाय हैं जिनसे अलग अलग लोग पूरे मुहल्ले व गाँव भी सम्बन्धित हैं। फिर वहाँ के पुराने धनवान और शिवितशाली लोगों की यत्नें हैं जहा देश की स्थिति पर विचार होता रहता है और अवसर पड़े बड़े फैसले भी ऐसे स्थानों पर होते हैं। यह जरूर है कि यह दो व सीन राजनीतिक दलों का बारी बारी से सरकार घलाने का तरीका ग्रिटेन से अमरीका यूरोप व जापान तक गया है। लेकिन अमरीका इत्यादि में इस तरीके को अपनी तरह से समझा यादा है यापाया गया है और जहाँ वह नहीं खप पाया जैसे दक्षिण अमरीका व अफ्रीका के देशों में वहाँ जब ताप डिवटेटरशिप घस्ती रही है।

पिछले पद्धास वरस में हमारी राजनीतिक समाजिक व आर्थिक स्थिति दक्षिण अमरीका व आफ्रीका वे देशों जैसी होने लगी हैं। भारत की लोकसभा व राज्यसभा और प्रदेशों की विधानसभायें भी एकाल जैसी होती जा रही हैं। हमारा 'स्टील प्रेस' कहा जाने वाला अंग्रेजों का दिया तंत्र व दापा भी अब शिवितहीन ही है उसके बास वा अब लोगों वो बराबर भव्यभीत कर सेना नहीं हैं जो कि ग्रिटिंश समय में उराळा मुख्य काम था लेकिन लोगों के रास्ते में बाधायें कायम बनाता तो अभी तक जारी है ही। इसा

राजनीतिक व्यवस्था और शासन तत्र की एक बड़ी देन है कि उसने देश के लोगों को बाट दिया है परिवार परिवार में व्यवितर्यों को बाट दिया है मोहल्लों मोहल्लों में गाव गाव में। जिससे भारत के १० से १५ प्रतिशत लोग तो सरकारी व्यवस्था के खिलाफ बन गये हैं और वाकी ८५ से ९० प्रतिशत निरुत्साहित कमाल और साधनहीन। देश का मुहल्ला-मुहल्ला गाँध-गाँव नगर-नगर बट शुका दिखता है। बटना तो अग्रेजों के समय में ही आरम्भ हो गया था लेकिन हम उसे अब पूरा करने में लगे दिखते हैं।

इस तरह के टूटने की एक भयकर शुरुआत दिल्ली के सासदों और विधानसभा के सदस्यों को लेकर ही शुरू हुई। वहाना रहा कि दो घार छ सदस्य जिन्हें आयाराम गयाराम नाम दिया गया एक राजनीतिक दल छोड़कर दूसरे दल में जाते रहते हैं और दलबदल होता रहता है और इसमें घन व पद का लालच भी काम करता है। यह दलबदल कोई नई यात नहीं है। हजारों वर्षों से यह जहा तहा होता ही रहता है। इसके अलग अलग इलाज भी होते। ब्रिटेन में तो जो पार्लियार्मेंट के सदस्य अपने दल के साथ मत नहीं देते उन्हें दल से नहीं निकाला जाता लेकिन उनका सामाजिक बहिष्कार जैसा होता है लेकिन हमारे विद्वान राजनीतिकों व उनके सलाहकारों ने तय किया कि जो सदस्य हर तरह से साथ नहीं देता उसको न केवल दल से ही निकाल दिया जाये बल्कि उसका फौरन ही राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी समाप्त कर दिया जाये। वैसे जो सदस्य सासद या विधायक बनता है वह अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है न कि किसी दल का भूत्य। उसको छाट फटकार व हुक्म देने का अगर किसी को अधिकार है तो उसके क्षेत्र को न किसी राजनीतिक दल को। दल में वह स्वायत्त ही आया है और दल ठीकठीक चलता है न्याय करता है तो वह साधारणत उसमें रहेगा ही। उसका किसी कारणवश विधार या ध्येय बदला है तो वह तो उसका क्षेत्र ही समाल सकता है।

लेकिन हमने तो ब्रिटिश राज्य के शुरू से ही यहा के समाज और लोगों के रास्ते में रुकावटें ढालना ही सीखा है या कानूनों के छिद्र बन्द करना। रुकावटें ढालने या छिद्र बन्द करने का परिणाम यह हुआ कि यह देश फिर से क्रमशः आलस्य से भर गया और यहाँ की पारस्परिकता ओझल सी हो गयी।

वैसे तो आज का सामाजिक राजनीतिक आर्थिक सास्कृतिक ढाचा इन २००-१५० वर्षों में या और पहले से ही जर्जर होता गया है लेखिन पिछले ८-१० वरसों से भारत का जो येहाल हुआ है उसका मुख्य कारण सासदों को दल का भूत्य व कैरी जैसा बना देना है। वैसे भारत का सविधान और उसकी ससद विधान राभार्य इत्यादि तो मूलत दोषारा बनानी ही होंगी लेकिन जब तक यह सब नया ढाचा पने तय

लेकिं कुछ कदम तो उठाने ही पड़ेंगे। उनमें एक कदम तो सांसद इत्यादि को स्थितंत्र कर देना और उनको उनके क्षेत्रों से जोड़ देना होगा। दूसरा कदम यह आवश्यक है की सरकार विधानसभा इत्यादि जितने वर्षों के लिये छुनी जाये उसने वर्ष अवश्य घले। सरकार वी किन्तु विषय पर बात नहीं मानी जाये तो ऐसा होना हर समय उसकी हार नहीं मानी जानी चाहिये। बात नहीं माने जाने का मतलब है कि वह अपना रास्ता बदले। उससे फिर भी काम न घले तो उसी संसद व विधानसभा में दूसरी व तीसरी सरकार यन जाय। देश को साधारणत व्यवस्थित रखना और प्रजा को अभय जैसा रहे यह संविधान का संसद का विधानसभाओं का और राजनीतिक गिरोहों का प्रथम काम है।

अखिल भारतीय राजनीतिक गिरोहों का या दूसरे वैज्ञानिक आर्थिक व्यायसाधिक गिरोहों का दयदया व झूठी प्रतिष्ठा जितनी भी कम हो उसना देश के लिये अच्छा है। क्षेत्रों की देखभाल तो प्रदेश ही कर सकेंगे और प्रदेश मिलकर ही भारत को सभाल सकेंगे सुव्यवस्थित रख राकेंगे समृद्धि दे सकेंगे और विद्य के परिवेष्य में शवितशाली और धरावर का रख सकेंगे। भारतीय केन्द्र व्यवस्था से यह कभी होने याता नहीं है यह तो एक प्रवयना है। केन्द्र तो प्रदेशों का संघ ही उसा सकेना और ऐसा राध ही तथ यत्र सकेना फि वैद्य को कौन कौन काम सौंपे जायें वया यथा राधन उसे उपलब्ध घराये जायें।

प्रदेशों में भी आज की राजनीतिक व अन्य सरकृति उरो दिशा देती है य दूरारी सम्भवाओं से कैसा राम्भ यनाये यह यताती है। यह अवश्य है कि हमें शवितशाली होने वी आवश्यकता है। लेविन शवित तो कई तरह से मनती है केवल हाथी व लुटेरे लोगों के राते से ही नहीं। इस पर ध्यान देना हमारे विद्वानों व मनीषियों का काम है।

## लेखक परिचय

श्री धर्मपालजी का जन्म सन् १९२२ में उत्तर प्रदेश के मुझाफरनगरमें हुआ था। उनकी शिक्षा ढी ए वी कालेज लाहौर में हुई। १९३० में ८ वर्ष की आयु में उन्होंने पहली बार गांधीजी को देखा। उसके एक ही वर्ष बाद सरदार भगतसिंह एवं उनके साथियों को फॉसी ढी गई। १९३० में ही वे अपने पिताजी के साथ लाहौर में कॉलेज के अखिल भारतीय सम्मेलन में गये थे। उस समय से लेकर आजन्म वे गांधीजीका एवं गांधीमार्ग रहे।

१९४० में १८ वर्ष की आयु में उन्होंने खादी पहनना शुरू किया। घरखे पर सूत कातना भी शुरू किया। १९४२ में भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लिया। १९४४ में उनका परिचय मीराबहन के साथ हुआ। उनके साथ मिलकर रुद्धकी एवं हरिद्वार के यीथ सामुदायिक गाँव के निर्माण का प्रयास विद्या। उस सामुदायिक गाँव का नाम था 'बापूग्राम'। आज भी बापूग्राम अस्तित्व में है। १९४९ में भारत का विमाजन हुआ। परिणाम स्वरूप भारत में जो शरणार्थी आये उनके पुनर्वसन के कार्य में भी उन्होंने भाग लिया। १९४९ में वे इस्टैंप्ड हङ्गरायल और अन्य देशों की यात्रा पर गये। हङ्गरायल जाकर वे स्थानों के सामुदायिक ग्राम के प्रयोग को जानना समझना चाहते थे। १९५० में वे भारत आपस आये। १९६४ तक दिल्ली में रहे। इस समयावधि में वे Association of Voluntary Agencies for Rural Development (AVARD) के सचिवी के रूप में कार्यरत रहे। अवार्ड की स्थापक अध्यक्षा श्रीमती कमलादेवी घटोपाध्याय थीं परतु कुछ ही समय में श्री जयप्रकाश नारायण उसके अध्यक्ष बने और १९७५ तक बने रहे। १९६४-६५ में श्री धर्मपालजी आस इण्डिया पश्चायत परिषद के शोध विभाग के निदेशक रहे। १९६६ में लन्दन गये। १९८२ तक लन्दन में रहे। इन अठारह वर्षों में भारत आते जाते रहे। १९८२ से १९८७ सेवाग्राम (वर्धा महाराष्ट्र) में रहे। उस दौरान धैर्य आते जाते रहे। १९८७ के बाद फिर लन्दन गये। १९९३ से जीवन के अन्त तक सेवाग्राम वर्धा में रहे।

१९४९ में उनका विवाह अंग्रेज युवति फिलिस से हुआ। फिलिस लन्दन में

बापूग्राम में दिव्यी में सेवाग्राम में उनके साथ रही। १९८६ में उनका स्वर्गवास हुआ। उनकी स्मृति में वाराणसी में मानव सेवा केन्द्र के तत्त्वावधान में बालिकाओं के समग्र विकास का केन्द्र चल रहा है। धर्मपालजी एवं फिलिस के एक पुत्र एवं दो पुत्रियां हैं। पुत्र डेविड लन्दन में व्यवसायी हैं पुत्री रोज़विटा लन्दन में अध्यापक हैं और दूसरी पुत्री गीता धर्मपाल हाईडलबर्ग विश्वविद्यालय जर्मनी में इतिहास विषय की अध्यापक हैं।

धर्मपालजी अध्ययनशील थे यिन्तक थे दुष्टि प्रामाण्यवादी थे। परिश्रमी शोधयर्ता थे। अभिलेख प्राप्त करने के लिये प्रतिदिन यारह ढौढ़ घण्टे लिखकर लन्दन सथा भारत के अन्यान्य महानगरों के अभिलेखागारों में बैठकर नकल उतारने का कार्य उन्होंने किया। उस सामग्री का सकलन किया निष्कर्ष निकाले। १८ वीं एवं १९ वीं शताब्दी के भारत के विषय में अनुसन्धान कर के लेख लिखे भाषण किये पुस्तकें लिखीं।

उनका यह अध्ययन चिन्तन अनुसन्धान विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त करने के लिये या विद्वता के लिये प्रतिष्ठा पद या धन प्राप्त करने के लिये नहीं था। भारत की जीवन दृष्टि जीवन शैली जीवन कौशल जीवन रचना का परिचय प्राप्त करने के लिये भारत को ठीक से समझने के लिये समृद्ध सुस्सृक्त भारत को अंग्रेजों ने कैसे तोड़ा उसकी प्रक्रिया जानने के लिये भारत कैसे गुलाम बन गया इसका विश्लेषण करने के लिये और अप्य उस गुलामी से मुक्ति पाने का मार्ग ढूढ़ने के लिये यह अध्ययन था। जितना गूल्य अध्ययन का है उससे भी कहीं अधिक मूल्य उसके उद्देश्य का है।

श्री जयप्रकाश नारायण श्री राम मनोहर लोहिया श्री कमलादेवी घटोपाध्याय श्री भीरामहन उनके मित्र एवं मार्गदर्शक हैं। गाधीजी उनकी दृष्टि में अक्तार पुरुष हैं। वे अन्तर्धिग गाधीभक्त हैं फिर भी जग्न एवं विवेकपूर्ण विश्लेषक एवं आत्मोत्थक भी हैं। वे गाधीभक्त होने पर भी गाधीवादियों की आतोचना भी कर राक्ते हैं।

इस ग्रन्थश्रेणी में प्रकाशित पुस्तकों १९७१ से २००३ तक की सम्पादिति में लिखी गई है। विद्वाङ्गत में उनका यथेष्ट स्थागत हुआ है। उससे व्यापक प्रभाव भी निर्माण हुआ है।

मूल पुस्तकों अंग्रेजी में हैं। अभी वे हिन्दी में प्रकाशित हो रही हैं। भारत वी अन्यान्य भाषाओं में जब उनका अनुवाद होगा तब योद्धिक जगत में यही भारी हलघत पैदा होगी।

२४ अप्रृष्ट एवं २००६ को सेवाग्राम में ही ८४ वर्ष वी आयु में उनका स्वर्गगत हुआ।

